राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 10] चौदहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का दूसरा दिवस [संख्या: 02

मंगलवार,
6 फरवरी 2018

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। प्रतिपक्ष के नेता, कल आप अनुपस्थित थे, नमस्कार, नमस्कार। प्रश्नकाल, मास्टर मामन सिंह यादव।

तारांकित प्रश्नोत्तर

भिवाड़ी के एन.एच. 71-बी रोड की मरम्मत

1. मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र तिजारा में शहर भिवाड़ी के मुख्य रोड एन.एच. 71-बी के जर्जर अवस्था में होने के कारण छोटे वाहन भी चल नहीं सकते हैं?

(2) क्या सरकार उक्त एन.एच. 71-बी रोड की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): (1) जी नहीं। वर्तमान में यह सड़क हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 8.8.2017 को भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हस्तान्तरित की जा चुकी है। इस राजमार्ग के रख रखाव का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (परियोजना क्रियान्वयन इकाई गुडगांव) के द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग हरियाणा के माध्यम से कराया जा रहा है। इस राजमार्ग की स्थिति वर्तमान में शहर भिवाड़ी में यातायात योग्य है, मात्र फूलबाग चौक (किलोमीटर 25/800) पर सड़क पर पानी रुकने के कारण सड़क क्षतिग्रस्त होती रहती है,

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

जिसके स्थाई समाधान के लिये सीमेंट कंकरीट ब्लॉक से सुधारीकरण कार्य करवा दिया गया है एवं अन्य सुधार कार्यों हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, हरियाणा द्वारा 72.68 लाख रुपये का तखमीना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (परियोजना क्रियान्वयन इकाई गुडगांव) को प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी हां। प्रश्न के शेष भाग का विवरण क्रम संख्या-1 के प्रत्युत्तर में समाहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि भिवाड़ी की ढाई-तीन लाख की आबादी है, यह राजमार्ग वहां से होकर गुजर रहा है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जन संवाद में वहां के ग्रामीण क्षेत्र के सभी उद्योगपतियों ने और जन प्रतिनिधियों ने उनके सामने यह बात रखी तो उस समय कुछ बजट मंजूर करके यह काम चालू किया। माननीय मंत्री महोदय के द्वारा वहां पर कंकरीट की सड़क बनवा दी गयी है, लेकिन वह पूरा काम नहीं हो पाया। 70-75 लाख रुपये का जो तखमीना भेज रखा है, उसको भी स्वीकृत करवाया जाये। माननीय मंत्री महोदय, वहां पर इतनी सघन आबादी है कि उसमें से निकलना बड़ा दुर्लभ है। वहां पर जाम लग जाता है, भिवाड़ी की ढाई तीन लाख की आबादी है वह हरियाणा से होकर गुजरता है और आगरा बाईपास तक जाता है। इसलिए वहां पर एनसीआर से या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से ओवर ब्रिज का प्रस्ताव बनाने की कृपा करेंगे, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, कि 78 किलोमीटर में से 4.31 किलोमीटर राजस्थान से होकर निकालती है।

(श्री युनुस खान)

पूर्व में भी इस सड़क का निर्माण हरियाणा पीडब्ल्यूडी द्वारा करवाया गया था और वो ही मेंटेन करती थी। वहां पर पानी के ज्यादा बहाव की वजह से, नाली नहीं होने की वजह से यह भाग टूट गया था और माननीय मुख्य मंत्री जी के जन संवाद कार्यक्रम में इन्होंने मुद्दा उठाया और उसको रिपेयर कर दिया गया। वर्तमान में यह एन एच घोषित हो गया और इसकी डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनायी जा रही है, लेकिन 78 किलोमीटर में से 4.31 किलोमीटर का हिस्सा माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी उस डीपीआर का हिस्सा नहीं है। जब हमने एनएचआई से सम्पर्क किया तो पता चला कि डीपीआर बन गयी है। हमने डीपीआर कंपनी से सम्पर्क किया तो उन्होंने कहा कि यह जो 4.31 किलोमीटर का हिस्सा है, यह पहले हरियाणा पीडब्ल्यूडी के डीएलपी में आता था इसलिए हमने इस हिस्से को नहीं लिया। चूंकि उस डीएलपी का भी कार्यकाल इस 31 जनवरी को पूरा हो गया, इसलिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है कि इस हिस्से को भी डीपीआर का हिस्सा बनाया जाए। बार-बार आपने बताया कि भिवाड़ी बहुत सघन एरिया है माननीय मुख्य मंत्रीजी का जब दौरा था तो वहां की स्थानीय जनता द्वारा एलीवेटेड रोड की मांग उठी तो हमने वह पत्र भी भारत सरकार को लिखा है। मेरी तरफ से और माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से भी भारत सरकार को पत्र लिखेंगे कि यह जो राजस्थान का 4.31 किलोमीटर का हिस्सा है, इसको एलीवेटेड रोड बनाया जाए। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्रीजी से बात करके तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, उसका समाधान हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न पूछेंगे आप?

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): नहीं, ठीक है, धन्यवाद साहब।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। श्री रामहेत सिंह यादव, आपका भी इस सड़क से संबंध है क्या?

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): है, अलवर से संबंधित है मैं वही बात रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: यह तो तिजारा का है।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): अलवर से संबंधित है, साहब एन एच का मसला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आगरा-जयपुर-बीकानेर एन एच 27, कोठी नारायणपुर-अलवर से महुवा एन एच 221, शाहपुरा-अलवर-गुडगांवा एन एच 248-ए, जयपुर-दिल्ली एन एच 48 .....

श्री अध्यक्ष: कितनी एन एच ले आये, वह तो एक एन एच की बात कर रहे हैं।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): इसी से संबंधित है, गढ़ीबोलनी-हरियाणा-रोहतक-जालंधर एन एच 71-ए, दिल्ली-अमृतसर एन एच 11 यह नेशनल हाइवे हैं, मैं आपको और माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देता हूं कि आपने राजस्थान में इतने सारे नेशनल हाइवे बनाये और वहां से कनेक्टिविटी जुड़ी। अब हम चाहते हैं कि जो आपने जालंधर से लेकर रोहतक होते हुए गढ़ीबोलनी चौक पर लाकर एन एच 71-ए को रोक दिया, अगर आप इसको एन एच ए-11 को और एन एच ए-27 को जो सिकंदरा मोड़ है, नेशनल हाइवे घोषित कराकर फोर लेन बना ले तो यह एन एच 11, एन एच 71-ए, एन एच 48-ए, एन एच 921 और एन एच 27, इनकी कनेक्टिविटी होने से जो दिल्ली पर प्रेशर है, वह कम होगा। क्या माननीय मंत्री महोदय, सरकार की इच्छा है कि गढ़ीबोलनी चौक पर जो एन एच 71-ए को रोक दिया, इसको सिकंदरा तक वाया कोटकासिम-किशनगढ़-अलवर-बांदीकुई-सिकंदरा तक एन एच घोषित करेंगे और फोर लेन बनाने का विचार रखते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ बास से आने वाले माननीय सदस्य ने 248-ए, 71-बी, 11 और विभिन्न एन एच का जिक्र किया और एक दूसरे को कनेक्ट करने की बात कही है, चूंकि यह नया विषय आया है तो यह क्या चाहते हैं उसको समझ कर उसका पूरा सर्वे करवा कर भारत सरकार को हम प्रेषित कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक 248-ए का सवाल है उसकी डीपीआर अभी फाइनल स्टेज पर है। भारत सरकार को सब्मिट भी कर दी और भारत सरकार ने सिद्धांतत: उसकी वित्तीय स्वीकृति भी हमें दे दी। मुझे उम्मीद है

(श्री युनुस खान)

कि वह जल्द शुरू हो जाएगा। चूंकि आपने नई बात कही है और इन चारों एन एच को कनेक्ट करने की बात कही है तो यह सारा विषय समझ कर, नक्शे पर उतार कर हमारे अधिकारियों से रिपोर्ट बनाकर हम पुन: प्रयास करेंगे कि इनकी जो भावना है, उसके अनुरूप यह कार्य हो।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): अध्यक्ष महोदय, यह तो पांचों एन एच हैं।

श्री अध्यक्ष: हो गया, माननीय सदस्य, आप मिल लेना। उन्होंने कहा है आपसे बात करके ही सब करेंगे। श्री संदीप शर्मा, दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज बहुत तेजी के साथ स्टेट हाइवे और नेशनल हाइवे के कार्य राजस्थान में चल रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि तिजारा वाली नेशनल हाई वे पर टोल टैक्स बड़ी कड़ाई से लिया जाता है लेकिन कई बार सड़कें टूटी रहती हैं जो दुर्घटना का सबब बनती हैं। इसी प्रकार जो आवारा पशु हैं चाहे गाय हो, कुत्ता हो, नील गाय हो, उनसे भी दुर्घटनाएं होती हैं। तो क्या जो संवेदक है, टोल टैक्स की कम्पनीज हैं, उन पर कोई जिम्मेदारी तय की गयी है? यदि तय की गयी है तो उन्होंने वार्षिक कितने रुपये मरम्मत कार्य पर खर्च किये? इसी प्रकार जो चिकित्सकीय एम्बुलेंस वगैरह हैं, उनमें भी कई बार एक्सीडेंट होने पर आदमी को आक्सीजन नहीं मिल पाती। प्राथमिक चिकित्सा के लिये कई बार उनको परेशानी होती है। इन सारी चीजों के लिये क्या जो संवेदक हैं अथवा टोल कम्पनी है, वह पूरा ध्यान रखती है? और यदि ध्यान रखती है तो औसतन कितने रुपये वह इसमें खर्च करती है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय, सवाल तो बिलकुल दूसरा है, आप जवाब दीजिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय सदस्य ने टोल रोड पर दी जाने वाली सुविधाओं का मुद्दा उठाया है।

श्री अध्यक्ष: यह अलग से है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह बात सही है कि माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा बहुत बार शिकायतें आती रहती हैं कि जो टोल कंपनियां हैं, वे टोल ले रही हैं, लेकिन उनकी प्रोपर मरम्मत नहीं करती हैं। जहां से शिकायतें आती हैं, वह भी और हम स्वयं भी देखते हैं। हम समय-समय पर भारत सरकार को भेजते हैं, क्योंकि ज्यादा एन.एच.आई. के रोड़ हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग ज्यादा एन.एच.आई. के हैं, उन पर सीधा कंट्रोल भारत सरकार का है। चूंकि वे राज्य से होकर गुजरती हैं तो समय-समय पर भारत सरकार को भी लिखकर देते रहते हैं और जितनी बैठकें होती हैं, उनमें भी इस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं। इस तरह के संवेदक, जो कि समय पर मरम्मत नहीं करते हैं, उनमें बहुत सारों पर कार्यवाहियां भी हुई हैं, दंड भी लगे हैं। चूंकि उनके एग्रीमेंट में मेंटेनेंस के अलग-अलग क्लोजेज हैं, उनके अनुसार करते हैं। मैं सोचता हूं कि अभी सबका बताना तो संभव नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य इस तरह का कोई भी प्रकरण जिसमें लापरवाही बरती जा रही है, सड़क टूट चुकी है, संवेदक टोल वसूल कर रहा है, उस पर हम सख्त कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। श्री रामलाल शर्मा। आप करेंगे ?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सर, आगे करुंगा।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। श्री बनवारीलाल जी सिंघल। वे नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको चांस मिल गया।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने एन.एच. 248-ए शाहपुरा से मानेसर तक स्वीकृत किया है। मेरा यह कहना है कि अलवर के हनुमान जी के तिराहे से लेकर रामगढ़ की बोर्डर तक रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोग मर रहे हैं। यहां से बड़ी संख्या में लोगों के डेली हताहत होने की ख़बरें हैं। जितनी जल्दी आप इसको करवा सकें, कृपया माननीय मंत्रीजी, यह बताने का श्रम करें कि आप कितनी जल्दी इसका काम प्रारंभ करा देंगे? चूंकि अभी यह अवाप्ति की प्रक्रिया में है, कब तक अवाप्ति पूर्ण हो जाएगी? आप इस पर जमीन का कब्जा लेकर कब तक काम शुरू करायेंगे? कटऑफ डेट क्या है? किस दिन तक इस एन.एच. को आप चालू करने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर (शहर) से आने वाले माननीय सदस्य ने 248-ए का जो मुद्दा उठाया। यह बात सही है कि शाहपुरा से लेकर हनुमान सर्किल, अलवर तक यह राजमार्ग जाता है। अभी 2016 में उसकी डी.पी.आर. का ऑर्डर दिया था। डी.पी.आर. फाइनल हो चुकी है। इससे पहले भी मैंने अभी बताया कि यह अंतिम रूप से प्रस्तुत भी किया जा चुका है और उसकी वित्तीय स्वीकृति की सिद्धांतत: मंजूरी भी मिल गयी है और यह दो लेन पेस होल्डर दस मीटर का बनाया जाना भी स्वीकृत है। आपकी भावना के अनुरूप भारत सरकार से कहकर हम इसका काम जल्दी शुरू करवाएंगे।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): कब तक कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: नहीं जवाब आ गया। अगला प्रश्न श्री गोरधन।

धोद में खराब ट्यूबवैलों की मरम्मत

2. श्री गोरधन (धोद): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र धोद में पेयजल के स्रोत (हैंडपम्प एवं ट्यूबवैल) लम्बे समय से खराब हैं? यदि हां, तो कहां-कहां, कितने और कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आगामी गर्मी के मौसम के मद्देनजर उक्त खराब हैंडपम्पों एवं ट्यूबवैलों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री सुरेन्द्र गोयल): (1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र धोद में एक कस्बा लोसल एवं वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 160 आबाद ग्राम सम्मिलित हैं। पाइप्ड जल योजना से लाभान्वित लोसल कस्बे में कुल स्थापित 29 नलकूपों में से 2 नलकूप सूख जाने के कारण स्थायी रूप से खराब हैं तथा शेष 27 नलकूप वर्तमान में चालू हैं।

विधान सभा क्षेत्र, धोद की ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजनाओं में कुल स्थापित 387 नलकूपों में से 11 नलकूप तथा 35 डग कम बोर में से 2 बोर

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

सूख जाने के कारण स्थायी रूप से खराब हैं। इस प्रकार इन योजनाओं में वर्तमान में 376 नलकूप एवं 33 डग कम बोर वर्तमान में चालू हैं। क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सूखे नलकूप एवं डग कम बोर संबंधी वांछित पूर्ण विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है ।

विधान सभा क्षेत्र, धोद के ग्रामीण क्षेत्र में दिनांक 29.01.2018 की स्थिति के अनुसार कुल स्थापित 562 हैण्डपम्पों में से वर्तमान में 194 हैण्डपम्प क्रियाशील, 11 हैण्डपम्प मरम्मत योग्य खराब, 20 हैण्डपम्प नाकारा एवं 337 हैण्डपम्प भू-जल स्तर नीचे चले जाने के कारण सूखे हैं। विभाग द्वारा प्रदेश में दिनांक 01.04.2017 से चल रहे 41वें विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के दौरान उक्त क्षेत्र में मरम्मत योग्य खराब पाये गये कुल 54 हैण्डपम्पों की शिकायतों में से अब तक 43 प्रकरणों में हैण्डपम्पों की मरम्मत कर सुधारा गया है। शेष 11 मरम्मत योग्य खराब पाये गये हैण्डपम्पों संबंधी वांछित विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र, धोद के कस्बा लोसल एवं ग्रामीण क्षेत्र में उक्तानुसार 13 नलकूप एवं 2 डग कम बोर सूख जाने से स्थायी रूप से खराब होने के कारण इनकी मरम्मत का कार्य संभव नहीं है। इनके स्थान पर आवश्यकतानुसार 9 नवीन नलकूप के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह जनवरी, 2018 में जारी कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार शेष रहे 11 हैण्डपम्प एवं समय-समय पर खराब होने वाले अन्य हैण्डपम्पों का मरम्मत कार्य हैण्डपम्प मरम्मत अभियान में सतत प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री गोरधन (धोद): मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि धोद विधान सभा क्षेत्र में तथा सीकर जिले में पानी का जल स्तर गिर रहा है। मैं सोचता हूं कि क्या सरकार के द्वारा कोई स्थायी समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं? इसके बारे में मंत्री महोदय बताएं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने स्थायी समाधान के लिए सदन का

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

ध्यान आकर्षित किया है। मैं इनको बता दूं कि स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के दीर्घकालीन उपायों के अंतर्गत एकीकृत तारानगर झुंझुनूं, सीकर, खेतड़ी पेयजल योजना के द्वितीय चरण के तहत सीकर जिले के विधान सभा क्षेत्र, फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ को छोड़कर क्रमश: सीकर, धोद, दातारामगढ़, श्रीमाधोपुर, खंडेला, नीम का थाना में 2011 की जनगणना के अनुसार शेष रहे छह मुख्य कस्बों, छह नए जनगणना कस्बों, 865 गांवों के समस्त हैबिटेशन जिसमें धोद विधान सभा क्षेत्र के एक शहर लोसल और सभी 158 गांव सम्मिलित हैं। झुंझुनूं जिले के शेष रहे 6 कस्बों, 321 गांवों को समस्त हैबिटेशन को सतही जल से लाभान्वित करने हेतु सर्वे कार्य एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 17.01.17 तथा तकनीकी स्वीकृति 21.04.17 को राशि 4 करोड़ 53 लाख 63 हजार की जारी की जा चुकी है। माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा उनके दिनांक 18.01.17 को सीकर दौरे के दौरान घोषणा की गयी थी, उसके अनुरूप यह कार्यवाही की गयी है और इस कार्य के लिए दिसम्बर, 2018 तक, इसकी डी.पी.आर. पीडीकोर को दी गयी है। पीडीकोर द्वारा 2018 तक सर्वे करके जो रिपोर्ट दी जाएगी, उसके अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री गोरधन (धोद): मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया और आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया जब पिछले दिनों सीकर पधारे थे, उस समय उन्होंने इस कुम्भाराम लिफ्ट को सीकर और विधान सभा क्षेत्र धोद को जोड़ने के लिए डी.पी.आर. की जो घोषणा की थी, वह काम प्रक्रियाधीन है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने 9 ट्यूबवैलों की स्वीकृति दी है। मैं सोचता हूं कि शेष 6 स्थान ऐसे हैं, जहां पर पीने का पानी नहीं है। मुख्य रूप से इनमें मगरासी, सांवली, जांचास और थोरासी है। इन गांवों में पीने के पानी के लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? इसके अलावा जिस प्रकार से आपने कहा है कि जिन गांवों में हैण्डपम्प खराब हो गये हैं, ड्राई हो गये हैं, उन गाँवों में गर्मियों के दिनों में पीने के पानी के लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? कृपया बताएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य को मैंने निवेदन किया कि 9 ट्यूबवैल ज्यों ही क्वेश्चन लगे, उसके बाद स्वीकृत कर दिये गये हैं। जहां तक जो 6 ट्यूबवैल सूख गये हैं, उनकी फिजिबिलिटी की मैं जांच करवा लूंगा। जहां पर भी पानी मिलेगा, वहां पर या तो सोलर पम्प लगवा देंगे या अगर पानी की उपलब्धता होगी तो जो बोरवैल है, पानी की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृतियां जारी कर देंगे। जहां तक माननीय सदस्य ने गांव मगरासी, सांवली और जांचास की बात की है, मैं माननीय सदस्य को निवेदन कर दूं कि इनके जो भी सोर्स सूख गये हैं, वहां पर सोलर लगाने की व्यवस्था के लिए मैं जल्दी से जल्दी स्वीकृतियां जारी करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। ये धोद से संबंधित है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): धोद से है। मंत्रीजी ने तो पूरे सीकर जिले की घोषणा कर दी ना। इसलिए पूछना जरूरी हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि एक तो जो काश्तकार ढाणियों में ट्यूबवैल का पानी पीने के काम में लेते हैं, लेकिन उनका पानी सूख जाने से जिला कलक्टर एक व्यक्ति को भी ट्यूबवैल को गहरा करने और मरम्मत कराने की स्वीकृति नहीं देता है। जिसकी वजह से पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या हो गयी है। इसी में मैं दूसरा निवेदन करना चाह रहा हूं कि कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना की ये बात करते हैं। सुराज संकल्प यात्रा में मुख्य मंत्रीजी सदन की नेता स्वयं मौजूद हैं। इन्होंने यह कहा था कि कांग्रेस ने तो केवल लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर के लिए परियोजना दी है, मैं पूरे जिले की 6 विधान सभा क्षेत्रों को जल्दी से जल्दी पिला दूंगा।

आज तक एक बूंद पानी नहीं पिलाया नहीं। एक रुपया बजट का नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष: सवाल पूछिए। सवाल पूछो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) केवल थोथी, हवा-हवाई घोषणाएं करना इस भारतीय जनता पार्टी सरकार का मकसद रह गया है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सवाल पूछो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं 17 जनवरी को, जब प्रशासनिक स्वीकृति सर्वे की हो गयी तो ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सवाल पूछो। भाषण नहीं, सवाल पूछो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको किसने रोक रखा है, आप पानी पिलाइये।

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, सवाल पूछिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सीकर जिले के लोग प्यासे हैं। ...(व्यवधान)... पानी नहीं मिल रहा है। आप केवल धन्यवाद दे रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सवाल सिर्फ धोद विधान सभा क्षेत्र तक सीमित है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): धोद से माननीय सदस्य किस बात का मुख्य मंत्रीजी का और सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं। आज तक एक रुपया नहीं दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सवाल सिर्फ विधान सभा क्षेत्र धोद से संबंधित है, यह कहां बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं तो बैठ जाऊंगा लेकिन ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप प्रश्न करिए। ...(व्यवधान)...

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): आप प्रश्न नहीं कर रहे, भाषण दे रहे हैं, गलत बात है। प्रश्न काल का दुरुपयोग कर रहे हैं आप ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सरकार प्राइवेट किसानों को पीने के पानी के लिए कुएं की मरम्मत करने की स्वीकृति जारी करने का कलक्टर को निर्देश देगी कि नहीं देगी? कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के लिए सरकार अभी बजट देकर काम चालू कराएगी कि नहीं कराएगी, यह बता दीजिए? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सवाल सिर्फ धोद विधान सभा क्षेत्र से था। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप नहीं, मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह विधान सभा क्षेत्र धोद से संबंधित था ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ड्रेस में जंच कर आए हो, इसका मतलब यह नहीं है कि आप डिस्टर्ब करो ...(व्यवधान)... मंत्री महोदय सक्षम है, जवाब देंगे। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पूरे राजस्थान के बारे में इस प्रकार का ...(व्यवधान)... कैसे देंगे। धोद से संबंधित है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पीने के पानी का मुद्दा है, सदन की नेता बैठी हैं, जवाब दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): धोद से संबंधित है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: पहले ही टोक दिया था कि धोद से संबंधित है। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह प्रश्न काल है, भाषण मत दो। आप प्रश्न करो ना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप विराजो न, मंत्री महोदय सक्षम है। रुपया ही तो नहीं दिया ना आपने, मुख्य मंत्रीजी ने इनको ...(व्यवधान)... बाकी तो सब कुछ दे ही रखा है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जोर जोर से बोलना हमें भी आता है ...(व्यवधान).. जैसा कि आपके जवाब में मैंने निवेदन कर दिया, धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का कि इन्होंने जिस प्रकार की घोषणा डीपीआर बनाने की की है ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): साढ़े चार साल से डीपीआर ...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मेरी बात तो सुन लीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक रुपया नहीं दिया और सब धन्यवाद दे रहे हो। ...(व्यवधान)... धोद से आने वाले माननीय सदस्य भी धन्यवाद दे रहे हैं, आप भी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दे रहे हैं। ...(व्यवधान)... हम भी दे देंगे, मुख्य मंत्री हमारी भी हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह तरीका नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम भी धन्यवाद देंगे अगर एक रुपया, फूटी कौड़ी भी पानी के लिए देंगे तो ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मिस्टर डोटासरा, यह तरीका नहीं है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपको मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देने से एलर्जी क्यों है ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, देंगे, लेकिन पानी पिलाओगे तब देंगे। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपको क्या तकलीफ है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पानी पिलाओगे तब देंगे ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): मुख्य मंत्रीजी अच्छा काम कर रहे हैं, इनको धन्यवाद दे रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): प्रोजेक्ट 2015 में होना था लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर का, आज तक पूरा नहीं हुआ ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अच्छा काम कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है इससे ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: डोटासरा जी, यह गलत है। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपको क्या तकलीफ है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दें ...(व्यवधान)... बार बार आप करोगे तो मुझे नाम से पुकारना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि अपन शुरू से ही ऐसा व्यवहार करें। जब मैंने आपसे कह दिया था धोद से, फिर भी मैंने आपको अलाउ किया, बिलकुल नम्रता। उसका आप मिसयूज करें यह उचित नहीं है। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि यह क्वेश्चन सिर्फ धोद विधान सभा क्षेत्र का था। चूंकि माननीय सदस्य ने पूछ लिया इसलिए मैंने यह बताया है। मैं माननीय सदस्य को भी अवगत करा दूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने 4 करोड़ 53 लाख 76 हजार की डीपीआर बनाने की घोषणा कर दी है, उसका एक साल का टाइम है। डीपीआर बन रही है। झुन्झुनूं जिले के 329 गांव, सीकर जिले के 865 गांव की डीपीआर बनने में समय लगता है ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप कुछ करोगे क्या, यह बता दो? पानी पिलाओगे क्या सीकर की जनता को, यह तो बताओ? ...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। मैं इनको कह रहा हूं कि डीपीआर बनने का ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्रवण जी, बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): दिसम्बर, 2018 तक का समय है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्रवण जी, बैठिए। मिस्टर श्रवण ...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): डीपीआर बनने के

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

बाद में इसके बारे में विचार करके जो भी माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश हैं, उसके अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्यों नहीं बनाई, क्यों नहीं आपने सैंक्शन किया, क्यों नहीं बजट दिया ...(व्यवधान)... आप पानी नहीं पिलाना चाहते हो, केवल घोषणाएं कर रहे हो। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): डार्क जोन होने के कारण प्राइवेट नये बोर खोदने में रोक है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिए। बैठो, बैठो।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अब भारत सरकार के स्तर पर इसमें राहत देने की नई गाइड लाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। वहां से निर्देश आने के बाद ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह राजपुरोहित। अगला पूरक प्रश्न कीजिए आप। यह धोद से संबंधित है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): हां धोद से, धोद विधान सभा ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मैं क्षमा चाहता हूं, यह टोकने के बाद भी इधर उधर हो गये जो नहीं होना चाहिए था इनको।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि यह जो हैडपम्प और टयूबवैल की मैंटिनैंस की ओएंडएम वाली कांग्रेस सरकार ने ठेके पर दी हुई थी, जिसके कारण से आज जनता सफर कर रही है, आज समय पर ठीक नहीं हो रहे है, उस घोटाले को उजागर करके आप उसको सही करेंगे क्या ...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य स्पेसिफिक जगह बताएंगे, उसकी जांच कराकर उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दकिशोर महरिया, आप सवाल करेंगे? यह धोद से संबंधित है।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, धोद विधान सभा क्षेत्र में अधिकतर ग्रामीण...

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष: तीन सवाल हो गये, नो। तीन पूरक प्रश्न।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): फ्लोराइडयुक्त अशुद्ध जल पीने को विवश हैं। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि डब्ल्यू एच ओ के मानक अनुसार शुद्ध पेयजल धोद विधान सभा क्षेत्र में कितने गांवों को मिल रहा है, कितनों को नहीं मिल रहा है? जिनको नहीं मिल रहा है, उनको कब तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा देंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, मैं निवेदन कर दूं कि आज सीकर जिले का एवरेज, बारिश का औसत 402.50 एमएम है। इस बार बरसात 292 एमएम हुई। लगातार बारिश का स्तर गिर रहा है, पानी नीचे चला गया, इस कारण परेशानी है। आप निश्चित रहें, जहां पर पानी सूख गया है वहां पर टैंकर्स से व्यवस्था करेंगे। जहां टयूबवैल फिजिबल है, वहां टयूबवैल भी करेंगे। जहां सोलर है, वहां सोलर भी करेंगे। जो भी शहर में टैंकर से लगा सकते हैं वह करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमने 2839 हैण्डपम्प ठीक किए हैं ग्रामीण क्षेत्र में, 36 शहर में ठीक किए हैं। टैंकर की व्यवस्था भी हमने की है। मैं माननीय सदस्य को निवेदन कर दूं 2017 में टैंकर से 508 हैबिटेशन की व्यवस्था की है, अब आप निश्चित रहे। माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी की सरकार है, इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी पीने के पानी की नहीं आएगी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): शुद्ध पानी की बात है, ...(व्यवधान)... आप टीवी पर आते हैं डेली।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल जोगाराम पटेल।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): मेरा प्रश्न शुद्ध पेयजल से संबंधित

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

है। ...(व्यवधान)...अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है शुद्ध पेयजल डब्ल्यूएचओ मानक अनुसार कितनो को पिला देंगे ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): शुद्ध पानी पिला रहे हैं? टीवी पर आते हो ना आप ...(व्यवधान)... रात को साढ़े नौ बजे सुरेन्द्र जी टीवी पर आते हैं।

श्री अध्यक्ष: श्रवण जी, बैठिए। अगला सवाल हो गया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): रात को टीवी पर आते हैं साढ़े नौ बजे सुरेन्द्र जी कि हम पूरे राजस्थान को शुद्ध पानी पिलाएंगे। शुद्ध पानी की बात कर रहे हैं यहां।

श्री अध्यक्ष: श्रवण जी, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पानी कितना गहरा गया, कितनी बरसात हुई, आप मौसम विभाग के इंजीनियर मत बनो। शुद्ध पानी कब तक पिला देंगे ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप तो पुराने है। ...(व्यवधान)... आप बैठिए। अगला सवाल। श्री जोगाराम पटेल।

जोधपुर के आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों की मरम्मत

3. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में स्थित अनेक आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन जर्जर अवस्था में हैं? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा गत चार वर्षो में उक्त कैंन्द्रों का सर्वे करवाया गया है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र लूणी के जर्जर आंगनबाड़ी केन्द्र के भवनों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा जोधपुर जिले व विधान सभा क्षेत्र लूणी के आंगनबाड़ी केद्रों की मरम्मत हेतु जिला परिषद जोधपुर को राशि जारी की गयी है? यदि हां, तो कब व कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिला परिषद जोधपुर ने प्राप्त राशि से आंगनबाड़ी कैंद्रों की मरम्मत करवा दी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इसके लिए दोषी

(श्री जोगाराम पटेल)

अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती अनिता भदेल): (1) जी हां। जोधपुर जिले में जर्जर अवस्था में आंगनबाड़ी केन्द्रों का सर्वे संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं संबंधित सैक्टर की महिला पर्यवेक्षक से करवाया गया, जिसमें 169 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन मरम्मत योग्य पाये गये। जिसके पश्चात संबंधित पंचायत समितियों से इन भवनों के मरम्मत हेतु तख़मीना तैयार करवाया गया।

विधान सभा क्षेत्र लूणी के मरम्मत योग्य आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभाग द्वारा जोधपुर जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत हेतु 155 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए जिला परिषद जोधपुर को संयुक्त शासन सचिव, समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर के पत्रांक 146337 दिनांक 28.10.2016 द्वारा राशि रुपये 140.80 लाख हस्तान्तरित की गयी।

(3) जिला परिषद जोधपुर द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है। लूणी विधान सभा क्षेत्र में 55 केन्द्रों के लिए 66.84, यह गलती से 60.84 प्रिंट हो गया है। 66.84 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वर्तमान में आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत का कार्य प्रगतिरत है।

किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि 55 आंगनबाड़ी केन्द्र विधान सभा क्षेत्र लूणी के, आपने कहा गलती से, 66 मान लें, इसकी राशि 28.10.2016 को जारी हुई थी 140.80 लाख, यह राशि अब तक कितनी

(श्री जोगाराम पटेल)

उपयोग हुई और कितनी राशि आज दिन तक बिना उपयोग के ही पड़ी हुई है।

मैं साथ ही यह भी निवेदन करूंगा कि करेक्शन आपका इसमें नहीं है, यह 155 आंगनबाड़ी बताए वह 156 है। 140.80 बताये वह 132.94 है और 60 बताए उसकी जगह 66 है, आप उसमें करेक्शन करें। मेरा निवेदन है कि यह अनयूज राशि करीब 15-16 महीने से जिला परिषद जोधपुर में ऐसे ही पड़ी है, उसका उपयोग नहीं हुआ है। आपको और सरकार को धन्यवाद कि आपने इतनी बड़ी राशि हमारे लिए स्वीकृत की, परंतु उसका उपयोग नहीं हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करना चाहते हैं?

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है, तो मैंने पहले ही कह दिया है कि यह जो 60.84 जवाब में बताया, इसको करेक्ट कर लीजिये, 66.84 है। दूसरा, जो आपने कहा है कि 140 आप बता रहे हैं, लेकिन 132 हैं, तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि जो एस्टीमेटेड राशि आई है, वह एस्टीमेटेड राशि ही जिला परिषद ने नीचे आबंटित की है, इस कारण से इस राशि में वेरिएशन है, बाकी की जो रिमेनिंग राशि है वह अभी भी जिला परिषद के पास ही है। और आपने जो बताया कि 155 आंगनबाड़ी केन्द्र आप बता रहे हैं, जबकि 156 आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची है। यह बात ठीक है, क्योंकि एस्टीमेटेड राशि हमने आबंटित की थी, एक अंदाज की, लक्ष्य आबंटित किये थे, जिला परिषदों को कि इतने आंगनबाड़ी केन्द्रों को आपको ठीक करना है, उस लक्ष्य के अकोर्डिंग राशि हमने उनको ट्रांसफर की। एक्चुअल में जो आंगनबाड़ी केन्द्रों के एस्टीमेट बनकर आये और उसके बाद में जो राशि खर्च हुई, उसकी यह जानकारी मैंने आपको बताई है।

एक तीसरा सवाल, जो आपने पूछा कि इतनी देरी कैसे हो गयी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मरम्मत योग्य जो काम हैं, वे प्रक्रियाधीन हैं, क्योंकि नीचे यह सरपंचों के माध्यम से काम होते हैं, पंचायत समितियों के माध्यम से काम होते हैं, इसलिये यह राशि मार्च,

(श्रीमती अनिता भदेल)

2017 में ही नीचे जिला परिषदों में ट्रांसफर हो गयी। हमने 28/10 को ट्रांसफर कर दी और 28/10 को ट्रांसफर होने के बाद में जब एस्टीमेट बनकर आये तो बी.डी.ओज. को यह राशि हमने मार्च, 2017 को, नीचे जिला परिषद ने भी बी.डी.ओज. को जारी कर दी। लेकिन नीचे छोटी-छोटी राशि का काम है, कहीं एक लाख का काम है, कहीं 60 हजार का काम है, कहीं 85 हजार का काम है तो चूंकि अमाउण्ट बहुत छोटा है, और जो प्रैक्टिस है, नीचे काम कराने की, उसको तेजी से करने के लिये हमने कई बार, यहां से, विभाग से भी पत्र जारी किये, लगभग 6-7 पत्र हमने यहां से जारी किये, जिला परिषदों को, पूरे राजस्थान में कि जो हमने राशि दी है, उसका जल्दी उपयोग कीजिये। पर चूंकि अमाउण्ट बहुत छोटा है। छोटा अमाउण्ट होने के कारण से टेण्डर्स करने पड़ते हैं, कहीं टेण्डर आता नहीं है, वापस पुन: टेण्डर की प्रक्रिया में जाना पड़ता है। इस कारण से यह देरी हुई है। लेकिन देरी न हो, माननीय सदस्य की जो चिंता है वह वाजिब है। उस चिंता को ध्यान में रखते हुए, उन कामों को कैसे तेजी से और कराया जाएगा, उसकी आगे हम कोशिश करेंगे कि टाइम से वे काम पूरे हो जाएं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, मेरा यह मानना है कि आज दिन तक, 28/10/2016 से लगाकर आज दिन तक वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई है। अगर वित्तीय स्वीकृति जारी हो गयी है तो आप तारीख बता दें। एक भी आंगनबाड़ी केन्द्र में मरम्मत का कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुआ है। अगर आपका विभाग यह कहता है कि वर्तमान में आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत का कार्य प्रगतिरत है, प्रगतिरत का क्या तात्पर्य है, कितनों में मरम्मत का कार्य प्रारम्भ हो गया है, कितनों में पूर्ण हो गया है, मेरी जहां तक इंफार्मेशन है, आज दिन तक वित्तीय स्वीकृति जारी ही नहीं हुई है। अगर जारी हो गयी है तो आप डेट बता दें।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे पहले भी बताया है कि मार्च, 2017 को हमने जिला परिषद को सूची प्रेषित कर दी थी, और जिला परिषद के पास सूची

(श्रीमती अनिता भदेल)

प्रेषित होने के बाद में 05 अप्रैल, 2017 को उक्त मरम्मत कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जिला परिषदों द्वारा जारी की गयी। प्रशासनिक स्वीकृति के बाद में सितम्बर, 2017 से दिसम्बर, 2017 के बीच में, यह टाइम लगा अलग-अलग पंचायत समितियों ने अलग-अलग टैक्निकल स्वीकृति भेजी, इसके बाद में, टी.एस. आने के बाद में फिर फाइनेंशियल स्वीकृति जारी होती है तो सितम्बर, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक ये फाइनेंशियल स्वीकृतियां जारी हुई हैं और अब चूंकि एफ.एस. जारी हो चुकी हैं, इसके बाद अब काम कराएंगे।

श्री अध्यक्ष: ठीक, ठीक। पूरक प्रश्न, श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगी कि जोधपुर शहर के अन्दर आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं, वे कितने प्राइवेट जगहों पर चल रहे हैं और कितने ऐसे जगहों पर चल रहे हैं जहां गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं? उनकी क्या व्यवस्था है, यह थोड़ी जानकारी दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है कि कितने प्राइवेट में चल रहे हैं, मैं आपको, सदन की जानकारी में ही यह लाना चाहूंगी कि पूरे राजस्थान में हमारे लगभग 60 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र हैं और उन 60 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों में से लगभग 30 हजार के आसपास जो आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, वे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में हमने पूरा भरसक प्रयास किया है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र को भवन मिल जाए। शहरी क्षेत्र के लिये भी, चूंकि शहरी क्षेत्रों में जमीनों का अभाव है, वहां भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती है, इस वजह से हमने, मैंने खुद ने सभी माननीय सदस्यों को, जो नगर निगम क्षेत्र में आते हैं, जो नगरपालिका क्षेत्र में आते हैं, चैयरमैंस को मैंने पत्र लिखा कि आप यदि कोई हमें भूमि उपलब्ध कराएंगे तो हम विभाग की ओर से पैसा जारी करने के लिये तैयार हैं। वह पैसा हमारे पास है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शहरी क्षेत्रों की आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भी पैसा दिया है। यदि हमें पट्टे, जिन माननीय सदस्यों ने हमें पट्टे दिये हैं, उनके

(श्रीमती अनिता भदेल)

लिये हमने जारी की है। प्रत्येक माननीय सदस्य को यह आग्रह, जब भी हमारी बातचीत होती है तो मैं कहती हूं कि आप पट्टे लाकर के दे दीजिये, हम आपको पैसा उपलब्ध करा देंगे, पैसे की कमी नहीं है। पर, जमीन यदि उपलब्ध होती है तो निश्चित रूप से सूरसागर से आने वाली माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत वाजिब है, क्योंकि इनके यहां आंगनबाड़ी केन्द्र जो चल रहे हैं, वे किराये के भवनों में चल रहे हैं, और इनकी अपेक्षा रहती है कि उन किराये के भवनों में चलने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों को स्वयं का भवन मिल जाए। मैं माननीय सदस्यों को कहूंगी कि हम पैसा देने को तैयार है। बस, आप हमें पट्टे उपलब्ध करा दीजिये, नगर निगम के चैयरमेंस और सी.ई.ओज. को भी हमने चिट्ठी लिखी है, नगर निगम के जो अधिकारी हैं, उनको भी मैंने बातचीत की है कि आप जितने पट्टे हमें उपलब्ध कराएंगे तो आपकी चिंता सरकार दूर करने के लिये तैयार है, बशर्ते कि उसके लिये हमें पट्टे उपलब्ध हो जाएं।

श्री अध्यक्ष: श्री जय नारायण पूनिया, दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी केन्द्रों के जो भवन हैं, मैं समझता हूं कि शायद सभी जिलों के अन्दर हालत खराब है। चूरू जिले में भी यही हालत है। मेरे क्षेत्र तारानगर के अन्दर मैंने खुद देखा है, बूचावास गांव की आंगनबाड़ी केन्द्र की वह बिल्डिंग है, वह बहुत ही खराब और जर्जर हालत में है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न जोधपुर जिले का है।

श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर): इसलिये मंत्री महोदय इस पर भी ध्यान दें, बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताऊंगी कि चूरू जिले में भी हमने 92 आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत के लिये जिला परिषद को पैसा ट्रांसफर किया है। और भी अगर आंगनबाड़ी केन्द्र आप ऐसा बताते हैं कि जो मरम्मत योग्य है, या जो बहुत जर्जर स्थिति में है, तो चूंकि 92 को किया

(श्रीमती अनिता भदेल)

है तो और भी हम जारी कर देंगे। एक बार प्रस्ताव विभाग से आये हैं, उनके हमने जारी कर दिये हैं। आप भी अगर कोई प्रस्ताव देंगे तो उसके लिये भी जारी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: संजना जी, यह पाली से नहीं है, जोधपुर से सम्बन्धित सवाल है।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): जोधपुर से ही है, साहब।

श्री अध्यक्ष: जोधपुर से पूछेंगी, तो पूछिये जोधपुर के बारे में।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि अभी स्कूलों का जो समायोजन हुआ है उसके अन्दर कई ऐसे गांव हैं जहां पर प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं, जिनकी बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, माननीय मंत्री महोदय, इन आंगनबाड़ी केन्द्रों को उन खाली बिल्डिंग्स के अन्दर आप शिफ्ट करने का विचार रखती हैं?

दूसरा मेरा यह प्रश्न है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, चाहे गांवों के अन्दर हों, या नगरपालिका, शहरों के अन्दर, उनके अन्दर जहां-जहां एन.ओ.सी. सैंक्शन हो गयी है, क्या आप उन स्कूलों के अन्दर आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने का विचार रखते हैं, और कब तक?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो सवाल हैं। एक सवाल है कि प्राथमिक स्कूलों में क्या आप शिफ्ट करने की मंशा रखते हैं। दूसरा, जो एन.ओ.सी. दे रहे हैं, उनमें स्वीकृति का सवाल है। पहला जो जवाब है, वह यह है कि पिछली बार गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला था कि जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, वहां पर आंगनबाड़ी अगर उस परिक्षेत्र में आती है तो आप उसको शिफ्ट कर दीजिये। ऐसे पूरे राजस्थान में लगभग 11 हजार आंगनबाड़ियों को हमने स्कूलों में शिफ्ट किया है। अभी सरकार ने यह आर्डर भी निकाला है कि यदि प्राथमिक विद्यालय भी वहां पर हैं और प्राथमिक विद्यालय के कवरेज क्षेत्र में भी कोई आंगनबाड़ी केन्द्र आता है तो उसको

(श्रीमती अनिता भदेल)

भी उसमें शिफ्ट कर दीजिये। तो यह सारी चीजें प्रक्रियाधीन हैं। हम जो भी प्राथमिक विद्यालय, जहां पर भी हमको कमरा उपलब्ध है, वहां पर उस आंगनबाड़ी केन्द्र को शिफ्ट कर रहे हैं।

दूसरा, आपने कहा कि एन.ओ.सी., अगर जहां भी कोई एन.ओ.सी. दे देगा तो आप हमें स्वीकृति दे देंगे। आंगनबाड़ी भवन के मरम्मत की बात अलग है, नये आंगनबाड़ी केन्द्र की स्वीकृति की बात अलग है। यदि कोई आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहा है और वहां पर एन.ओ.सी. मिल गयी है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप बना दीजिये, तो हम उस पर आंगनबाड़ी केन्द्र देने के लिये तैयार हैं, हम वहां पर आंगनबाड़ी केन्द्र की बिल्डिंग बनाने के लिये तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखरामजी, आप पूछेंगे? नहीं। बिलकुल ठीक।

अगला सवाल श्री शंकर सिंह रावत।

ब्यावर के अपूर्ण फीडर एवं बांध

4. श्री शंकर सिंह (ब्यावर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में कितने बांध एवं फीडर हैं? तथा उनमें से कितने पूर्ण एवं कितने अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने तालाब ऐसे हैं, जो फीडर के अपूर्ण होने के कारण उनमें पानी नहीं आ रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त फीडरों के पूर्ण होने पर कई तालाब बरसात के मौसम में भर सके हैं?

(4) गत तीन वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने बांधों एवं फीडरों के लिये सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी व कितनों के लिये राशि स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (डा. रामप्रताप): (1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में जल संसाधन विभाग के अधीन 9 बांध एवं 5 फीडर हैं, इनमें से 9 बांध एवं 3

(जल संसाधन मंत्री)

फीडर के कार्य पूर्ण हैं तथा शेष 2 फीडर में से देवाता फीडर का कार्य प्रगतिरत है एवं सुराघाटा फीडर का कार्य अपूर्ण है। बांधों एवं फीडरों का विवरण परिशिष्ट- 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र में दो बांधों में फीडर का कार्य पूर्ण होने पर मूल जलग्रहण क्षेत्र से होने वाली पानी की आवक के साथ-साथ अतिरिक्त पानी की आवक संभव होगी।

(3) जी हां। फीडरों के पूर्ण होने से काबरा एवं रजियावास बांधों में अतिरिक्त पानी की आवक होने से कमांड क्षेत्र के कृषकों को लाभ होगा।

(4) गत तीन वर्षों में ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में स्थित बांधों एवं फीडरों पर स्वीकृत एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि का विवरण परिशिष्ट- 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर-एक।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उसमें सारोठ फीडर, राताभाटा फीडर और शेरों का बाला फीडर, इनको पूर्ण बता दिया गया है। अधिकारियों ने यह गलत जवाब दिया है, माननीय मंत्री महोदय, कृपया आपसे निवेदन है कि यह तीनों के तीनों फीडर पूर्ण नहीं होकर अपूर्ण पड़े हैं और यह वर्षों से लंबित है।

देवाता फीडर का जो कार्य अभी चल रहा है, वह प्रगति पर है, उसके लिए मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया- आदरणीया वसुन्धराजी को और हमारे माननीय मंत्री महोदय- डाक्टर रामप्रतापजी को बहुत-बहुत धन्यवाद और शुभकामना देता हूं कि उन्होंने किसानों की बात को सुनकर इस फीडर को शुरू किया और आज गेहूं की फसल उस क्षेत्र में लहलहा रही है, किसान उस वजह से खुश हैं।

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिए, सवाल कीजिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और सम्माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सारे किसान खुश हैं तो फिर रिजल्ट ऐसा क्यों आया? किसान ही सारे खुश हैं तो फिर रिजल्ट ऐसा क्यों आया?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। आप तो सच्चाई सुनना भी नहीं चाहते, ऐसा लग रहा है। मेरा तो माननीय मंत्री महोदय से ऐसा निवेदन है ....(व्यवधान).... देखिए, धन्यवाद आप लोगों के टाइम में भी आप सुन सकते थे लेकिन वह क्षमता भी नहीं थी इसलिए हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री को हम निश्चित तौर पर, यह पचास साल से भी लंबित पड़ी थी आपके शासन के अंदर, कांग्रेस के शासन में। पहली बार स्वीकृत हुई है देवाता फीडर में और आप आज जाकर देखें कि उस क्षेत्र के अंदर गेहूं की फसल लहलहा रही है, यह सिर्फ और सिर्फ हमारे माननीय मंत्री महोदय और आज स्वर्ग में है डाक्टर सांवरलालजी, उन्होंने भी प्रयास करके इसको स्वीकृत करवाया और डाक्टर साहब- रामप्रतापजी ने इनको स्वीकृत करके बजट अलॉट किया, मैं इनको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप सीधा-सीधा सवाल कीजिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मैं साथ में यह निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय मंत्री महोदय से कि यह अधिकारियों ने जो गलत रिपोर्ट दी है, उनके ऊपर कार्यवाही करें और इसको जो पूर्ण बताया है, वह अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है।

दूसरा, जो तीन काम और प्रस्तावित आपने जो अपूर्ण बताकर निवेदन किया है, उनको जैसे सुराघाटा फीडर है उसके ऊपर बहुत, पचास साल से भी ज्यादा समय से यह अपूर्ण चल रही है, 289.40 लाख का काम है उसके ऊपर। राताभाटा फीडर है, उसके ऊपर 14.40 लाख का है। लसानी तालाब का एस्टीमेट राताभाटा फीडर पर 14.89 लाख का है। शेरो का बाला फीडर के ऊपर 8.70 का है और सारोठ फीडर के ऊपर 14.70 का है। यह इस प्रकार बहुत छोटा-छोटा बजट है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहूंगा कि आप इनकी

(श्री शंकर सिंह)

अगर यहां पर घोषणा कर देंगे तो हमारे ब्यावर क्षेत्र के सारे किसान बहुत खुश हो जाएंगे, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं और मुझे पूरी आशा है माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि आप घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये-विराजये। माननीय मंत्री महोदय।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने देवाता फीडर के बारे में बताया, इसका 10 परसेंट काम बाकी बचा है। उसमें नेशनल हाइवे क्रास करता है तो उससे हमें परमिशन लेने में टाइम लगा। अब उसकी स्वीकृति मिल गयी है और उसके टेंडर भी हो गये हैं, वह जल्दी पूरा हो जाएगा।

जहां तक सुराघाटा फीडर की बात आप कह रहे हो तो माननीय सदस्य ने यह सही बताया, माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 1963-64 से यह काम चल रहा है, कभी अकाल राहत में, कभी डब्ल्यू.एच.एस. में, अब यह जो बचा हुआ काम है, इस काम को और जो काम हुआ है, उसमें कच्ची रॉक्स हैं तो दुबारा फिल-अप होकर, वह भी खतम सा ही हुआ पड़ा है तो इसमें कुछ क्षेत्र में तो कट एंड कवर का काम होगा और बाकी का जो थोड़ा सा टुकड़ा बचा है, इसको पूरा करवा देंगे, यह मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा।

जहां तक आपको यह तीन-चार जो अधिकारियों ने सूचनाएं गलत दी हैं, आप निश्चिंत रहिये, मैं दूसरे अधिकारियों को भेजकर उसकी जांच करवा लूंगा और फिर भी आपको यदि तसल्ली नहीं होगी तो मैं स्वयं साथ जाकर उसको देखूंगा और जिसने भी कहीं गड़बड़ी की है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी और आपका काम भी किया जाएगा, यह आश्वस्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न कीजिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): बहुत-बहुत धन्यवाद, मंत्री महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीरसिंह भायल, यह ब्यावर का सवाल है, आप कहां?

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): ब्यावर से सिवाना कोई ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है।

श्री अध्यक्षः अच्छा, तो कीजिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि गये साल में मेरे डूंढा-कोलर से लगे तीन एनीकट जो स्वीकृत किये थे, वह तो कार्य हो गया। अभी वर्तमान में जो गुढ़ा डाइवर्जन और मेली का कार्य आपने स्वीकृत किया है आपकी मेहरबानी से, माननीय अध्यक्ष महोदय, 38 की डी.पी.आर. बनी है तो यह गुढ़ा डाइवर्जन और मेली का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा? जल्दी ही इसका कार्य और दूसरी डी.पी.आर. का कार्य कब होगा, यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री महोदय, जानकारी हो तो जवाब दे दीजिए।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय सदस्य चाहें तो मैं यह थोथी जानकारी दे दूंगा, यह कोई हवा में बात करने वाली नहीं हो सकती, यह टैक्निकल चीजें हैं, जिनका मैं जवाब दूं तो मेरे ख्याल से यह न्याय-संगत नहीं है।

जवाब सीधा सा यह, जवाब तो दे दिया, यह तो है सीधा जवाब और टेक्निकली अगर आप सुनना चाहते हैं तो डी.पी.आर. बनती रहती है, डी.पी.आर. चलती रहती हैं, इस तरीके से नहीं करना। संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए और टैक्निकली फिजिबिलिटी को देखते हुए इस पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्षः रामहेतसिंहजी, इस पर आप क्या सवाल करेंगे?

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): ब्यावर से ही संबंधित पूछूंगा।

श्री अध्यक्षः हां, ब्यावर से संबंधित आप पूछिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह आग्रहपूर्वक पूछना चाहता हूं कि आपकी जिन बांधों की मरम्मत के लिए, नहरों की मरम्मत के लिए आपकी टैंडर प्रक्रिया है और टैंडर प्रक्रिया में कभी पूल बन जाता है, कभी पूल नहीं बनता तो इतना बिलो डाल देते हैं, जिसके कारण उसको वापस रि-

(श्री रामहेत सिंह यादव)

टैंडर करने में, कैन्सल करने में हजारों नहीं, साल, डेढ़ साल, दो साल का समय लग जाता है। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: यह आप जनरल सवाल कर रहे हैं। ब्यावर से संबंधित कीजिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): हां, उसी से संबंधित। क्या आप इस टैंडर प्रक्रिया को ठीक करेंगे? क्या बिलो टैंडर आने वाले की अवधि फिक्स करेंगे? टैंडर प्रक्रिया में जो आप काम सैंक्शन करते हैं, जो राज्य सरकार की मंशा होती है कि काम जल्दी हो, उसके लिए क्या आपकी प्लानिंग है, यह मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए। स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री महोदय, यह जनरल सवाल पूछा है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इसको आप चैक करवाओ। यह हजारों सालों की बात कह रहा है न, चैक करवाओ इसको।

श्री अध्यक्ष: आप बैठो, मैं करवा दूंगा, आप विराजो, मैं करवा दूंगा।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): किसको? मुझे चैक करवाओगे क्या?

श्री अध्यक्ष: आप सीधा-सीधा नहीं, सीधा चेयर के माध्यम से पूछें। माननीय मंत्री महोदय।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़बास से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत ही माकूल सवाल उठाया है और यह ईमानदारी की बात है चाहे राज किसी का हो, राज आते हैं, जाते हैं, पार्टियां आती हैं, जाती हैं लेकिन यह जो टैंडर प्रक्रिया है, यह वाकई में एक परेशानी का सबब बनती है। पूल भी होते हैं, लो भी हो जाता है, इसके लिए जो लो साइड में रहता है तो इसके लिए कुछ इंतजाम, पी.डब्ल्यू.डी. से देखादेखी हमने भी किये हैं, उस गैप के लिए। बाकी, जैसे-जैसे समस्याएं आती हैं, वैसे-वैसे हम समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा न केवल किशनगढ़बास से आने वाले माननीय सदस्य से बल्कि मैं तो तमाम माननीय सदस्यों से यह निवेदन करता हूं कि अगर इस संबंध में आपका

(डा. रामप्रताप)

कोई सुझाव हो और टैंडर प्रक्रियाओं में जो कमी रहती है उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए तो वह स्वागत योग्य है, जिससे आने वाले टाइम में प्रदेश का भला होगा, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: जोगारामजी पटेल, आप क्या पूछेंगे इसमें?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं ब्यावर का पूछूंगा, साहब।

श्री अध्यक्ष: यह ब्यावर का ही है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं हमेशा ब्यावर के अंदर से ही होकर जाता हूं।

श्री अध्यक्ष: वह तो जाते हैं लेकिन रेलेवेंट हो तो पूछ लीजिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ब्यावर का ही पूछूंगा और कहीं का नहीं, सिर्फ ब्यावर का ही पूछूंगा। इसी बांध के ऊपर से ही जाते हैं, हमेशा ही।

श्री अध्यक्ष: हां, आप सवाल कीजिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यावर में एनिकट और बांध का जो प्रश्न आया है, हर वर्ष बरसात के टाइम, चाहे ब्यावर हो या चाहे अन्य कहीं भी हो रेत आकर के जो बांध की क्षमता, जो टोटल क्षमता है, उसमें कमी होती जा रही है, स्पेशली ब्यावर में ज्यादा हो रही है क्योंकि वहां पर जो चट्टानें हैं वह कच्ची है, मिट्टी बहुत ज्यादा बह कर आती है।

तो क्या ऐसी कोई प्लानिंग आपके विभाग की है कि एक बार कोई बांध या एनिकट बन जाए या कोई फीडर बन जाए तो कम से कम दस साल, बीस साल, तीस साल तक उसकी जो भराव क्षमता है, वह बराबर कायम रहे। या इसकी और कोई प्लानिंग करके अन्य स्थानों पर भी जो शिकायत आ रही है, स्पेशली सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा वह मेली बांध का था, 15 फीट तक रेत उसमें आ गयी है। बार-बार पैसा नहीं लगे, ऐसी कोई प्लानिंग करने का विचार है क्या सरकार का?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सिल्ट-अप होने की समस्या है, यह चाहे एनिकट्स हो, चाहे डैम्स हो, चाहे बैराज

(डा. रामप्रताप)

हों, यह हमेशा समस्या रहती है। इसके लिये जैसे आपके छोटे बांध हैं, खास तौर से हमने पिछले साल अखबारों में भी दिया था, क्योंकि, माननीय अध्यक्ष महोदय, सिल्ट-अप होकर डैम के अंदर या बैराज में जब मिट्टी आती है, वह बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है। आप यूं मानिये कि ऐसी मिट्टी अगर आप खेत में डालोगे तो आपके ऊपर से फर्टिलाइजर की भी जरूरत नहीं पड़ती और कई साल तक काम देती है। इसलिये हमने किसानों से आह्वान किया है और अखबारों में भी दिया है कि आप उस मिट्टी को निकाल सकते हैं, क्योंकि यह एनिकट्स तक या इस तक ही सीमित नहीं है। हरिके बैराज, जो हमारा सबसे बड़ा सिस्टम है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह सिल्ट-अप हो गया था और सिल्ट-अप होने से 15-15 फीट उसके अंदर सिल्ट आ गयी थी। जिसकी वजह से उस बैराज की क्षमता इतनी इरोड हो गयी कि हमारा सिस्टम चलना ही मुश्किल हो गया था। इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री महोदया का, शायद मेरे दूसरे साथी भी धन्यवाद कर दें तो अच्छी बात होगी कि इन्होंने बहुत सहृदयता दिखाते हुए उस बैराज को क्लियर करने के लिये फटाफट वित्तीय स्वीकृति जारी की और पिछले साल पहली दफा बैराज को हमने डि-सिल्टिंग करके क्लियर करवाया था। माननीय सदस्यों के माध्यम से मेरा यह भी आग्रह रहेगा कि जहां-जहां, जिनके डैम्स हैं, या बैराज हैं या एनिकट्स हैं, उनको डि-सिल्टिंग करवाकर अगर किसानों को एक दफा, यह माननीय अध्यक्ष महोदय, एक किस्म का सोर्ट ऑफ मोटिवेशन है। किसी भी अच्छे काम को आप करते हैं तो सबसे पहले मोटिवेशन पार्ट बहुत जरूरी है। दो-चार किसान अगर उसको खेतों में डालने लग जाएंगे और उसका फायदा आने लग जाएगा तो निश्चित तौर पर सभी उसको ले जाने लग जाएंगे। इसलिये माननीय सदस्यों से भी यह निवेदन है कि अपना इन्वॉल्वमेंट करके डी-सिल्टिंग के काम हैं, राज्य सरकार का वित्तीय संसाधन अगर उसमें जाए, उसकी बजाय अगर आप उनको मोटिवेट करके करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। श्री दर्शन सिंहजी।

करौली में गौरव पथ निर्माण से प्रभावितों को मुआवजा

5. श्री दर्शन सिंह (करौली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार करौली शहर में नगर परिषद् द्वारा गत् 6 माह में गौरव पथ के नाम पर तोड़े गये दुकान एवं मकानों का मुआवजा देने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त तोड़ी गयी दुकानों एवं मकानों के मालिकों को अन्यत्र जमीन देने व दुकान व मकानों को अतिक्रमण के नाम से तोडने वाले दोषी कर्मचारियों/ अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री (श्री श्रीचन्द कृपलानी): (1) जी नहीं। नगर परिषद, करौली द्वारा गत 6 माह में गौरव पथ निर्माण हेतु सडक सीमा की भूमि से नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194/245 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये नियमानुसार अतिक्रमण हटाये गए। उक्त धारा के अन्तर्गत किसी भी अतिक्रमी को मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं।

श्री दर्शन सिंह (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र करौली में नगर परिषद द्वारा दिनांक 07 जून, 2017 को हठधर्मिता दिखाते हुए, नाजायज तरीके से पट्टाशुदा मकान, दुकान, गौरव पथ योजना के अन्तर्गत चौड़ी करने के नाम पर बिना किसी नोटिस व मुआवजे के तुड़वा दिये गये, जिससे आम जनता में भारी रोष व्याप्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति, नगर परिषद द्वारा बिना किसी उचित नाप किये ही जनता की सम्पत्ति को तोड़ा गया है, जिसमें मस्जिद के नीचे की पक्की दुकानें, जो 100 वर्षों पूर्व से रियासतकाल में अलॉट हुई थीं, बनी हुई थीं, उनको अवैध तरीके से तोड़ दिया गया है, जिसके पट्टे मस्जिद के पास मौजूद हैं। इतना ही नहीं, तोड़ने के बाद भी मस्जिद की भूमि के बदले में कोई भूमि नहीं दी

(श्री दर्शन सिंह)

है। करीब सात माह गुजर जाने के उपरान्त भी आज दिनांक तक किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, दुकान और अन्य सम्पत्तियां, जिन पर न्यायालय द्वारा स्टे दिया हुआ है, उन स्टे को बिना वेकेट कराये ही मनमाने तरीके से दुकानों और मकानों को तोड़ दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार भूमि मालिक कल्याण प्रसाद पुत्र जगन्नाथ महाजन, जिनके पास 1958 का पट्टा है, उन पर भी ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप सवाल करिये। आपने सवाल कर लिया क्या?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): बोलने दो, साहब। इनकी सुन लें पूरी बात। हां, आप बोलो।

श्री दर्शन सिंह (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल्याण प्रसाद पुत्र जगन्नाथ प्रसाद महाजन के पास 1958 के पट्टे हैं, उनकी भी नगर परिषद द्वारा अनदेखी करते हुए सम्पत्ति को तोड़कर नष्ट किया गया है। इसी प्रकार प्यारेलाल पुत्र कल्याण प्रसाद की दुकानों पर माननीय ए.सी.जे.एम. कोर्ट, करौली का दिनांक 21 मई, 1997 द्वारा स्टे दिया हुआ है, जो आज तक बरकरार है। उसके उपरान्त भी उनको तोड़ दिया गया है और क्यों तोड़ा, मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बजट में पूरे राजस्थान में, जिस तरह गांवों में गौरव पथ बन रहे थे, शहरों में गौरव पथ बनाने की घोषणा की और राजस्थान की 191 नगरपालिकाओं में ढ़ाई-ढ़ाई करोड़ रुपये देकर गौरव पथ बनाये गये। आज शहरों की जो खूबसूरती बढ़ी है, वह उन गौरव पथ की वजह से ही बढ़ी है।

माननीय सदस्य ने जो अभी प्रश्न यहां पर उठाया कि अतिक्रमण तोड़े गये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नगर परिषद् करौली क्षेत्र में अतिक्रमण से पूर्व जो गौरव पथ निकल रहा था, उसकी चौड़ाई भिन्न-

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

भिन्न प्रकार की थी, 18 फीट से 40 फीट तक के लोगों के कब्जे थे। नगर परिषद करौली द्वारा गौरव पथ अतिक्रमियों को दिनांक 15.5.2017 को नोटिस जारी किये गये, उसके बाद 18.5.2017 को एक सार्वजनिक सूचना गुलाब बाग़ नीर एण्ड नाइट होटल से लक्ष्मी पैलेस चौराहे से होते हुए हिण्डौन गेट तक गौरव पथ पर अतिक्रमण को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194/245 के तहत ध्वस्त किये जाने के लिये प्रकाशित की गयी। अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर अतिक्रमियों को सूचना दी गयी। उक्त सार्वजनिक सूचना दिनांक 18.5.2017 को दैनिक भास्कर के अंक में और दिनांक 26.5.2017 को राजस्थान पत्रिका के अंक में प्रकाशित करवायी गयी। उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद मण्डल करौली के बोर्ड प्रस्ताव दिनांक 26.5.2017 में पारित निर्णयानुसार गौरव पथ पर कुल 60 अतिक्रमण जो हुए थे, उनको हटाया गया, जिनकी सूची मैंने माननीय सदस्य को दी है और सदन के सामने भी प्रस्तुत है।

अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद करौली में गौरव पथ पर तोड़ी गयी दुकानों, मकानों के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति के द्वारा मुआवजे की राशि की मांग अभी तक हमसे नहीं की गयी है। लेकिन गौरव पथ पर हटाये गये अतिक्रमियों में से 20 व्यक्तियों द्वारा माननीय सेशन न्यायालय करौली में वाद दायर किया गया है, जो वर्तमान में जरकार है। गौरव पथ में हटाये गये अतिक्रमणों के पश्चात् वर्तमान में 40 फीट रोड मौके पर विद्यमान है। उक्त कार्य हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 1.70 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं तथा वर्तमान में मौके पर सी.सी. डामर रोड का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय, गौरव पथ करौली शहर के प्रवेश का मुख्य द्वार है। साथ ही प्रसिद्ध श्री मदन मोहन जी मंदिर का रास्ता भी है। गौरव पथ के निर्माण से वर्तमान में यातायात व आवागमन सुविधा सुचारू व सुव्यवस्थित हुई है। अध्यक्ष महोदय, नियम के हिसाब से गौरव पथ पर .....(व्यवधान)

श्री दर्शन सिंह (करौली): अतिक्रमण है ही नहीं, साहब। दुकानों के पट्टे हैं, मंजूरी है और कोर्ट का स्टे है माननीय मंत्री महोदय। स्टे है, स्टे है और यह नगरपालिका की मंजूरी है। नगर परिषद करौली द्वारा मंजूरी जारी की

(श्री दर्शन सिंह)

गयी है। जिला कलक्टर द्वारा मंजूरी जारी की गयी है मंत्री महोदय। ..(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अभी मेरा जवाब तो पूरा होने दो।

श्री दर्शन सिंह (करौली): आप अतिक्रमण मान रहे हो, आप अतिक्रमण कैसे मान रहे हो मंत्री महोदय, वहां पर अतिक्रमण है ही नहीं। पट्टेशुदा जमीन है। नगरपालिका ने मंजूरी दी है, सारे काम किये हैं, पट्टा है और कोर्ट का स्टे है। इसके बाद में भी मंत्री महोदय यह दुकानें तोड़ी गयी हैं। जान-बूझकर यह दुकानें तोड़ी गयी हैं और मंत्री महोदय यह फोटो है। मैं आपको यह फोटो दिखा रहा हूं। मैं इनको टेबल कर रहा हूं आपके सामने। आप इसकी इंक्वायरी करा लें और कौन-कौन दोषी है, उसके खिलाफ आप कार्यवाही करें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): जो अतिक्रमी हैं, मैं आपको उनके नाम पढ़कर सुनाता हूं, आप उनके नाम सुनो। ...(व्यवधान)..

श्री दर्शन सिंह (करौली): दुकानें तोड़ दीं मंत्री महोदय। इस तरह गरीब लोगों को सताया जा रहा है। उन गरीबों के पास भोजन के लिये पैसा नहीं है। ..(व्यवधान).. गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): जिनके अतिक्रमण हटाये गये हैं श्री गुलाब, श्री दिनेश कुमार गुप्ता ....(व्यवधान)...

श्री दर्शन सिंह (करौली): उनके बच्चे तरस रहे हैं। मंत्री महोदय, मैं आपके सामने फोटो प्रस्तुत कर रहा हूं, स्टे की कापी भी संलग्न कर रहा हूं। फोटो, कोर्ट का स्टे और पट्टे की कापी संलग्न कर रहा हूं। मंत्री महोदय, मैं टेबल कर रहा हूं। ...(व्यवधान)...

(12.00 बजे)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): खाली चम्पालाल हिण्डौन गेट के पास, वह भी उसमें लक्ष्मी...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सूरजगढ़ में एम पी संतोष अहलावत की दुकानें आ रही हैं, 22 दुकानें। (व्यवधान)

श्री दर्शन सिंह (करौली): मंत्री महोदय, मैं स्टे की कापी और फोटो प्रस्तुत कर रहा हूं। टेबल कर रहा हूं। आप जांच करवा लें। जो दोषी अधिकारी/कर्मचारी हैं, आप जांच करवा लें और उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हो गया। जितना दिया है, उतना काफी है। (व्यवधान) नहीं, विराजिए। प्रश्न काल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में राजकीय महाविद्यालय एवं महिला महाविद्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से जालौर जिले में गत वर्ष 2017 में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए। अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं, फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती शकुन्तला रावत एवं श्री सुखराम विश्नोई को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री गोपाल कृष्ण, सदस्य की ओर से राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर द्वारा राजस्व अदालती कार्यों में किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्रीमती सोना देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में समर्थन मूल्य पर किसानों की फसलों की खरीद नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री जगदीश नारायण, सदस्य की ओर से कुम्हार समाज के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु जमीन उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रतन लाल जलधारी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सीकर में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु नवलगढ़ रोड पुलिया को चौड़ा करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री रमेश, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत मोंगेपुरा तहसील मण्डरायल में हैण्डपम्प लगाये जाने में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(7) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में बजरी संकट के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री रामहेत सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में सड़कों की खराब स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री दलीचन्द डांगी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री हमीरसिंह भायल, सदस्य की ओर से बाड़मेर जिले को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री अजीत सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोंक की क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निमाण करवाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री बाबू सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की गोतावर नदी पर बांध निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 06 फरवरी, 2018 को शून्यकाल में बोलने हेतु 33 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 04 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

(1) श्री तरुण राय कागा - सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौहटन को क्रमोन्नत करने एवं डाक्टरों का पदस्थापन तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(2) श्री पब्बाराम - विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत राजस्व ग्राम में एक से अधिक सभा भवन/विश्राम गृह/वाचनालय/प्याऊ इत्यादि के निर्माण की बाध्यता समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री समाराम गरासिया - विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू जिला सिरोही की ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि बकाया होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री घनश्याम तिवाड़ी - प्रदेश में लम्बित सरकारी भर्तियों के सम्बन्ध में।

श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

सूचना

अजमेर जिले के गांवों में पुलिस की ज्यादती

श्री रामनारायण (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, पुलिस अजमेर जिले के गांवों में ज्यादती कर रही है। गांवों में जा-जाकर हिटलरशाही कर रही है। लोगों को पकड़ रही है। बन्द कर रही है। जिनको मार रहे हैं, उनकी एफ आई आर नहीं हो रही है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ये पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से उठा रहे हैं।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): तो मैं धरना दे रहा हूं। आपको अल्टीमेटम दे देता हूं।

श्री अध्यक्ष: लाओ, दे दो मुझे।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): यह पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: हां, आप बोलो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): क्या अनुशासन है आपका प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपके सदस्यों के प्रति। किसी एक ने खड़े होकर कहा और मैं धरना दे रहा हूं। किस नियम के अनुसार यह मोशन आया अध्यक्ष महोदय? किस प्रक्रिया के तहत ये माननीय सदस्य आये?

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइये। बैठने दीजिए इनको। (व्यवधान) आप बैठिए न धरने पर। आप बैठिए न।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): आप बैठो न।

श्री अध्यक्ष: आप बैठने आये थे, विराजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये घोषणा करने के बावजूद भी नहीं बैठ रहे हैं।

धरना

(माननीय सदस्य श्री रामनारायण द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: डोटासराजी, आपका हर बात पर बोलना जरूरी थोड़े ही है। आप बैठो। आपकी विधायक खड़ी हैं, डिस्टर्ब मत करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप व्यवस्था बनाओ। (व्यवधान) यह ठीक नहीं है। (व्यवधान) घनश्यामजी, बैठो।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): इस तरह की अगर ज्यादती हो रही है... अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। माननीय सदस्य ने जब यह पीड़ा जाहिर की है। कानून व्यवस्था खराब हो रही है, भंग हो रही है तो आप गृह मंत्रीजी से इसका जबाव दिला दो। माननीय सदस्य अपने स्थान पर आ जाएंगे। प्रदेश

(श्री घनश्याम)

में इस तरह की व्यवस्था हो रही है। प्रदेश में ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? आप गृह मंत्रीजी से जबाव दिलवा दीजिए।

एक माननीय सदस्य: कहां की कानून व्यवस्था खराब हो रही है? जबरदस्ती हंगामा कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अन्तर्गत ....(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आपके समक्ष पीड़ा जाहिर की है। आप आश्वासन दिलवा दें गृह मंत्रीजी से, कि हम समुचित, जो भी इनका जवाब है या कार्यवाही कराने का है।

श्री अध्यक्ष: यह जवाब तो हमेशा ही है कि सरकार समुचित कार्यवाही करेगी। यह तो हमेशा ही है, मैं कह रहा हूं न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, जब आपसे आग्रह किया है।

श्री अध्यक्ष: मैं इनका जो है, मैं उसको सरकार के पास भेज दूंगा समुचित कार्यवाही के लिए। आप बैठो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनसे भी कहो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य महोदय, मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं। मैं भेज दूंगा सरकार में। आप पधारो अपनी कुर्सी पर। विराजो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आ जाओ। आ जाओ।

(माननीय सदस्य श्री रामनारायण द्वारा धरना समाप्त)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह +++ ठीक चल रही है। एक बैठावे, एक उठावे। दूसरा बैठावे, तीसरा उठावे। यह जोरदार चल रहा है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही ये माननीय सदस्य महोदय बोलते जा रहे हैं। एक माननीय सदस्य क्या अपनी बात नहीं रख सकता? इस तरीके से सदन में हंसी उड़ाई जाती है। यह बिलकुल गलत बात है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय के आदेश से, अध्यक्ष महोदय के आग्रह पर एक माननीय सदस्य बैठा है। इसको +++ कहते हैं? यह सदन की व्यवस्था है। (व्यवधान) जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दे दिया तो माननीय सदस्य अगर सीट पर जा रहा है तो इसको +++ कहते हो आप?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपको नियमों में ही आना पड़ेगा। आप गैर नियम से नहीं आ सकते।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप नियमों के अन्तर्गत ही किसी बात को यहां रख सकते हो, बाकी नहीं रख सकते। (व्यवधान)

धरना

(माननीय सदस्य श्री रामनारायण द्वारा सदन कूप में धरना)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन के तहत अगर किसी ने यहां कोई बात रख दी तो कौनसा गलत है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य को माफी मंगवाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपके आदेश की अवहेलना है। अध्यक्ष के आसन की तौहीन है। अध्यक्ष के निवेदन और आग्रह के ऊपर माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): लेकिन आपके सदस्य ने आपकी बात नहीं मानी, वह वापिस आकर बैठ गया। विपक्ष के सचेतकजी, आपका अनुशासन बिगड़ गया। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह आसन का अपमान है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह आपका भी अपमान है। देखो आपका सदस्य मान नहीं रहा, बैठ गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय उठने के लिए आग्रह कर रहे हैं। आश्वासन देते हैं कार्यवाही का और उस पर अगर उठ रहा है तो उसको +++ कह रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल (निवाई): +++ क्या होता है, +++ का अर्थ बताओ।

श्री अध्यक्ष: किसी का भी कोई कथन अंकित नहीं होगा। किसी का कोई

कथन अंकित नहीं होगा।

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: जोगाराम जी, बैठिये। आप भी बैठिये। किसी का कोई अंकित नहीं होगा। अब अंकित नहीं होगा। अब आप बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा, बैठो। आप बैठो। मैंने तो बर्दाश्त कर लिया, आप बैठिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: मैंने दिया है न, तो आपको तो चेयर के शब्दों का रैस्पैक्ट करना चाहिये न। उन्होंने बोल दिया तो आप भी दस बार बोलते हो। आप भी बीच में दस बार बोलते हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री अध्यक्ष: आप वापस ले आये। मैंने रिक्वैस्ट किया, आप वापस ले आये। ..(व्यवधान)...

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: कुछ अंकित नहीं हो। घनश्याम जी, अपनी सीट पर जाइये। अपनी सीट पर जाइये। और आप भी बहुत बोल चुके। अब ठीक है, शकुन्तला जी को बोलने दीजिए। नहीं, डोंट डिस्टर्ब। डोंट डिस्टर्ब। मैं कह रहा हूं, शकुन्तला जी बोलेंगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: शकुन्तला जी बोलेंगी। आपका कोई अधिकार नहीं है, आपने न तो परमिशन ली है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: नो, नो, नो, नो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: नो, नो, नो, नो। अंकित नहीं हो बिलकुल।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: हां, नहीं होगा तो इस तरह नहीं होगा। शकुन्तला जी, बोलिये। आपकी तरफ की एक विधायक बोल रही हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): कालू लाल जी, आप तो बैठ जाओ।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: बैठिये, प्रतिपक्ष के नेता कुछ कहेंगे, हां, बैठिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से उन्होंने +++ शब्द का प्रयोग करा है, हमारा यही निवेदन है कि हटा दो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द हटा दिया जाए। चलिये, बैठिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): नहीं, कल से क्या लेना देना है, आज की बात करो न वर्तमान की।

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द हटा दिया, अब विराजिये। विराजिये, +++ शब्द हटा दिया है। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): विधान सभा जब से गठित हुई है तब से ऐसा कोई अवसर नहीं आया कि माननीय गवर्नर की स्पीच में नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं रहे, यह पहली बार ऐसा अवसर आया है। जब से राजस्थान विधान सभा का गठन हुआ है, अध्यक्ष महोदय, पहली बार ऐसा अवसर आया है कि नेता प्रतिपक्ष माननीय गवर्नर की स्पीच में उपस्थित नहीं रहे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपने गैर गम्भीरता दिखायी है, आप सदन के प्रति कतई गम्भीर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये कृपया, बिलकुल शांति। शकुन्तला जी। ...(व्यवधान)... नहीं बैठिये आप, अब नहीं। शकुन्तला जी, आप। बैठिये, घनश्याम जी, शकुन्तला जी बोलेंगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बानसूर में राजकीय महाविद्यालय एवं महिला महाविद्यालय की स्थापना

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र बानसूर क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी विस्तृत है। यहां अधिकतर लोगों का मुख्य धंधा कृषि एवं पशुपालन है। बानसूर में सरकारी महाविद्यालय नहीं होने से यहां की छात्र-छात्राओं को बारहवीं पास करके पढ़ाई छोड़नी पड़ती है क्योंकि निजी कालेजों की फीस इतनी अधिक होती है कि प्रत्येक छात्र-छात्रा वहन नहीं कर सकते।

निजी कालेजों द्वारा मनमाने तरीके से फीस वसूल की जाती है। सरकार को बने हुए चार वर्ष हो चुके हैं परन्तु आज तक युवाओं के हितों को ध्यान में रखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। छात्र-छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बानसूर में सरकारी महाविद्यालय एवं नारायणपुर में सरकारी महिला महाविद्यालय खोलने की कृपा करें।

अत: सदन की महत्वपूर्ण कार्यवाही को रोक कर उक्त अति महत्वपूर्ण लोक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने का समय प्रदान करें और जल्दी से जल्दी सरकारी कालेज खोलने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्री जी, आप रेस्पोंड करेंगी?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बानसूर से आयी हुई हमारी माननीय सदस्या ने जो बात यहां पर स्थगन के माध्यम से

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

रखी है, आपके माध्यम से मैं उनकी जानकारी में लाना चाहती हूं कि बानसूर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर वर्तमान में दस निजी महाविद्यालय, जिसमें सात महाविद्यालय सह शिक्षा के हैं और तीन महाविद्यालय केवल कन्या महाविद्यालय, जिनकी स्वीकृति हमने दी है, ऐसे दस निजी महाविद्यालय चल रहे हैं।

(माननीय सदस्य श्री रामनारायण, द्वारा धरना समाप्त)

इसी के साथ में यह कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर एक सह शिक्षा का महाविद्यालय है और एक कन्या महाविद्यालय आलरेडी रन कर रहा है।

इसके अलावा मैं इनकी जानकारी के लिए और बताना चाहूंगी कि वर्तमान में जो सरकार है, इस सरकार ने बहुत ही संवेदनशीलता रखते हुए 289 हमारे जो उप-खण्ड मुख्यालय हैं उनमें से मात्र 21 को छोड़कर बाकी सारे ही उप-खण्ड के ऊपर हमने राजकीय एवं निजी महाविद्यालय खोल दिये हैं। 51 कालेजेज हमारे मुख्यालयों, वर्तमान में राजस्थान के अन्दर सारे, यानी की बी.जे.पी. सरकार में इन साल के अन्दर 51 कालेजेज हमने दिये जबकि कांग्रेस के राज के अन्दर मात्र 30 दिये थे, वो भी सिर्फ घोषणा की थी, किसी को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। उन 29 प्लस यह 51, हमने अभी स्वीकृत किये हैं जो कि संचालित हो रहे हैं।

मैं इनकी जानकारी के लिए यह भी कहना चाहूंगी कि हमारे जो उप-खण्ड मुख्यालय हैं उनमें 44 उप-खण्ड मुख्यालय के ऊपर वर्तमान में महिला महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय चल रहे हैं जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है वर्तमान सरकार की, माननीय मुख्य मंत्रीजी की, जिन्होंने महिलाओं को शिक्षा के साथ जोड़ते हुए इतने सारे कालेजेज स्वीकृत किये हैं। इसमें एक तरह से मौका दिया है हमारे सभी बच्चों को कि विद्यार्थी, अभी तक सारे स्कूल शिक्षा के साथ में जो पंचायत मुख्यालय पर हायर सेकण्डरी स्कूल खोले उसके साथ में सभी उप-खण्ड के ऊपर महाविद्यालय भी हो।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): इसकी एक पूरी दूरगामी योजना बनायी है और उस दूरगामी योजना के तहत ही अब मात्र 21 उप-

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

खण्ड ही रह गये हैं, बाकी सारे उप-खण्ड के ऊपर महाविद्यालय खुल चुके हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप विराजो, विराजो। श्री सुखराम विश्नोई।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, यह जो कस्बे की दूरी बता दी है मंत्री महोदय ने। 140 किलोमीटर है छींड और सारी पंचायतें।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। नहीं, यह नहीं। बैठिये, बैठिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या जहां सरकारी महाविद्यालय नहीं है वहां के सारे ...

श्री अध्यक्ष: शकुन्तला जी, बैठिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जहां सरकारी महाविद्यालय है, प्राइवेट सारे कालेज बंद कर देंगे क्या? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: जवाब नहीं आएगा। यह तरीका नहीं है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट कालेजों की सूची गिनवा दी, हम सरकारी कालेज, महाविद्यालय की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: यह तरीका नहीं है, बैठिये। श्री सुखराम विश्नोई।

जालौर में अतिवृष्टि

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष 2017 में सांचौर, भीनमाल, रानीवाड़ा सहित पूरे जिले में अतिवृष्टि हुई। उस अतिवृष्टि से बाढ़ ने जो तबाही की, किसानों के खेत खराब हुए, खेत कट गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कई किसान ऐसे हैं वो अपनी फसल नहीं बो सकते क्योंकि उपजाऊ जमीन तो रही नहीं, बिलकुल कट गयी।

दूसरा, उस बाढ़ से कई मकान बहे, आज किसान टाट पट्टी पर रहने के लिए मजबूर है। साथ-साथ जो पशु बहे, किसान के जो दुधारू पशु बहे, भेड़, बकरी, गाय, भैंस बही, किसान पुन: पशु खरीद नहीं सकता।

आज माननीय सदन की नेता विराजमान हैं, आठ महीने होने जा रहे हैं, आठ महीने में उन किसानों को न तो फसल का मुआवजा मिला, न जमीन कटाव का मुआवजा मिला, न उनके जो मकान गिरे हैं उनका मुआवजा

(श्री सुखराम विश्नोई)

मिला। और यह घोषणा की गयी थी जिन किसानों के घरों में या गांव में बाढ़ का पानी महीने भर रहेगा उन किसानों को छह-छह हजार रुपये दिये जाएंगे, उनको भी एक पैसा नहीं दिया गया।

कुल मिलाकर के अतिवृष्टि और बाढ़ से जो नुकसान हुआ पूरे जालौर जिले में अभी तक एक भी पैसा किसानों को नहीं दिया गया। केवल मात्र यह प्रचार किया गया खाते खुलवा दो, खाते खुला दो, तमाम किसानों ने खाते खुलवा दिये, खातों का नम्बर पटवारी, ग्राम सेवक को दे दिया परन्तु आठ महीने बाद भी नहीं दिया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, मेरे पास में गुजरात में फ्लड आयी थी धनारे के अन्दर, उसी दिन मौके पर आकर के हाथों हाथ किसानों को अनुदान दिया गया। मेरा आपसे निवेदन है, यहां भी भाजपा की सरकार है, जब पारदर्शिता की, लोक लुभावने नारे की तमाम बातें की जा रही हैं, कब तक अनुदान, कब तक किसानों को मुआवजा मकानों का, उनके पशुओं का और खेत का दिया जाएगा? माननीय अध्यक्ष जी, घोषणा करायें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा कि अतिवृष्टि हुई, निश्चित रूप से हुई क्योंकि वहां का एवरेज सालाना का 394 है, उसकी जगह 860 सेंटीमीटर बारिश हुई। बारिश से नुकसान हुआ। निश्चित रूप से लेकिन हम लोगों ने इसकी कार्यवाही भी तुरन्त की है। 5620 लोगों को हम 2 करोड़ 45 लाख रुपया तो बांट चुके हैं। आपके स्वयं के विधान सभा क्षेत्र में, यह मेरे पास पूरा रिकार्ड है। मैं कभी भी कोई जवाब दूंगा तो ऊटपटांग जवाब देने की कोशिश नहीं करता हूं, पूरा रिकार्ड लेकर के आता हूं। आप चाहो तो एक-एक हैड में मैंने कितना पैसा दिया ...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय मंत्री जी, कृषि अंश अनुदान आया है, उसके पशु बहे, मकान गिरे, खेत कटाव का एक पैसा नहीं आया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): क्योंकि माननीय सदस्य को संतुष्ट करने के लिए मुझे सारा ही पढ़ना पड़ेगा।

मैं यह कह रहा हूं कि अब तक 5620 लोगों को 2 करोड़ 45 लाख

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

रुपये की सहायता दे चुके हैं। 12 लोगों की जो डैथ हुई है उसमें 4 लाख तो हमने हमारे फंड से आपदा राहत से दी, 2 लाख प्रति व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने दी, एक लाख रुपया प्रति व्यक्ति को मुख्य मंत्रीजी ने दी। यह शायद राजस्थान में पहली जगह होगी जहां मनुष्य की मृत्यु होने पर हमने प्रति को सात लाख रुपया तीनों फंड से लेकर के पेमेंट उनको कर दिया।

जो विषय आप कह रहे हैं, मैं आपको एक-एक हैड के हिसाब से बताना चाहता हूं। आपके जिले में कपड़े एवं बर्तन का जो डिस्ट्रिब्यूशन हुआ वो 88 लाख 12 हजार हुआ। बाढ़ से जन हानि होने पर अनुग्रह सहायता राशि 52 लाख रुपये हुआ। पूर्ण क्षतिग्रस्त पक्का घर, इसमें से 40 लाख रुपये का, जो एस्टीमेट हमको मिला है वो 40 लाख रुपया, पूर्ण क्षतिग्रस्त कच्चा घर-33.55 लाख, पूर्ण क्षतिग्रस्त झोपड़ी- 6 लाख, गंभीर क्षतिग्रस्त पक्का घर 27 लाख, गंभीर क्षतिग्रस्त कच्चा घर जीरो, गंभीर क्षतिग्रस्त झोंपड़ी जीरो, आंशिक क्षतिग्रस्त घर 1 करोड़ 9 लाख, बाढ़ से प्रभावित पशु धन की हानि 1 करोड़ 20 लाख रुपया, ऐसा करके 4 करोड़ 76 लाख रुपया हमने आपके कलक्टर के खाते में बहुत पहले डाल दिया। एक सैकिण्ड, मेरी पूरी बात सुनने के बाद कहना। आपकी कोई शंका रह जाए तो बता दीजिए।

उसमें से जो अब तक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वह 2 करोड़ 43 लाख का हुआ है। जो उसने हमें फीगर बनाकर के दिए थे, वह 4 करोड़ 76 लाख रुपए का जो डैमेज हुआ था, उसका आया था। उसके तहत जो पेमेंट अब तक हो चुका, हमने वह सारा का सारा पैसा कलक्टर के खाते में डाल दिया। लेकिन सारा का सारा पेमेंट ऑनलाइन हो, उसके अकाउंट में हो। जिन लोगों के अकाउंट थे उनको तो सारा का सारा पैसा ट्रांसफर हो गया। बाकी लोगों का पैसा अभी भी ट्रांसफर होना बाकी है। पैसा हमने उनको दे दिया।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, हमने केन्द्र सरकार को भी अपना ज्ञापन भेजने के लिए अगस्त में ही टीम बुला ली। 22 और 24 अगस्त को केन्द्र की टीम आकर के चली गयी। हमने 11 अक्टूबर के दिन 1958 करोड़ का जो हमारा टोटल नुकसान था, उसका ज्ञापन पेश कर दिया। अभी हमें केन्द्र से पैसा नहीं मिला। लेकिन जो पैसा हमारे पास उपलब्ध था, वह सारा का सारा पैसा, अगर आप चाहो तो मैं आपके सांचोर का भी बता दूं। सांचोर में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

1282 लोगों के घरों में पानी और उसके कारण से जो डैमेज हुआ है, उसमें हमने 48 लाख 71 हजार रुपया उन लोगों को दिया है। एक आपकी चितलाना भी कोई जगह है, वहां 138 लोगों को 5 लाख 24 हजार रुपया दे चुके हैं। जो कुछ मेरे पास आया, मैंने सारा पैसा समय पर डिस्ट्रिब्यूट किया है। कलक्टर ने 4 करोड़ 76 लाख रुपया बताया उसमें से 2 करोड़ 43 लाख रुपए ही अभी सप्लाई किए हैं। बाकी लोगों का पैसा अभी उनके अकाउंट नहीं खुलने के कारण से देना बाकी है। पैसा हमने बहुत पहले ही बुक कर दिया था और दे दिया जो कि कलेक्टर ने हमसे मांगा था।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय मंत्री जी, सांचौर में और चितलाना में एक पैसा अभी तक नहीं मिला है। खाता नंबर दे दिया, 8 महीने हो गए। आप इंक्वायरी करा लो। आप इंक्वायरी करा लो, अगर एक पैसा दिया हो तो। एक पैसा नहीं दिया। जो 2 करोड़ कलेक्टर के पास बचे हैं वह सांचौर, चितलाना के होंगे। आप इंक्वायरी करा लो पूरी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपको बता रहा हूं कि चितलाना में 138 लोगों को हमने दिया है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपने दिया होगा। वहां पैसा नहीं बंटा मौके पर। मौके पर सांचौर, चितलाना में किसी को एक पैसा भी खेत खराब का, पशु धन का और आंशिक मकान गिरने का नहीं दिया है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपको उसकी डिटेल भी बता देता हूं। पार्टली डैमेज जो मकान हुए हैं उनकी।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): 2 करोड़ पड़े हैं कलक्टर के पास। हम यही तो कह रहे हैं जो मंत्रीजी कह रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मेरे पास जो आपका डिटेल है, 138 लोगों को जो आपके यहां डिस्ट्रिब्यूट किया है। वह पैसा मैं बता रहा हूं 5.24 लाख रुपया क्लोथ का डिस्ट्रिब्यूट किया है। मेरी सूची में वितरित कर दिया गया है। अगर इसमें कोई कमी, खामी निकल जाएगी, जैसा आप कह रहे हो। अगर नहीं मिला तो निश्चित रूप से जिसने मुझे यह सूचना दी है उसके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक, ठीक।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय ...।

श्री अध्यक्ष: आप भी बोलेंगे?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): वह फसल का, आ गया फसल का? आ गया ना फसल का?

श्री अध्यक्ष: विराजो, विराजो। आ गया फसल का।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): ठीक है।

श्री अध्यक्ष: 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री गोपाल कृष्ण।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि किसी भी देश व उनके राज्य की पहचान उसकी भाषा से होती है। हमारा भारत देश विविध धर्मों, सम्प्रदायों व भाषाओं वाला देश है। जो कि विविधता में एकता का संदेश देता है। देश के राज्यों की पहचान उसकी भाषा से होती है। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु एवं दक्षिण के कई राज्यों के साथ अन्य राज्यों में अपनी भाषाएं बोली जाती हैं।

हमारे राजस्थान की बोली राजस्थानी को दुनिया में 12 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं। विदेशों तक फैले राजस्थानी लोग दूसरे लोगों को अपने राज्य के साथ ही भाषा के बारे में भी गर्व के साथ इसके गौरवमयी इतिहास को बतलाते हैं।

राजस्थानी भाषा का दुनिया की भाषाओं में 25वां स्थान है व इसमें 4 लाख हस्तलिखित ग्रन्थ, 134 रीति ग्रन्थ के साथ ही 49 शब्दकोश, कई व्याकरण की पुस्तकें तथा 6 भागों में कहावत कोष हैं व राजस्थानी साहित्य प्रकाशन का काम भी चल रहा है। यह भाषा अभिव्यक्ति, सम्प्रेषण, समृद्धता के कारण भारतीय भाषाओं में अपनी अलग ही छाप छोड़ती है।

इस भाषा में लिखित किताबों, कविताओं व साहित्यों को देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी सम्मान के साथ पुरस्कृत किया गया। विदेशों में इस

(श्री गोपाल कृष्ण)

भाषा का प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस भाषा को 8वीं अनुसूची में अब तक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है जिसके लिए काफी लंबे समय से मांग की जा रही है।

अत: आप राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता दिलवाने का ऐतिहासिक कार्य कर हम राजस्थानियों को अपना भाषाई अधिकार आपके सफल कार्यकाल में दिलवाएं।

श्री अध्यक्ष: श्री धीरज गुर्जर। (अनुपस्थित)

श्रीमती सोना देवी।

रायसिंहनगर में समर्थन मूल्य पर खरीद

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के एवं प्रक्रिया कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि किसानों की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए फसलों के भाव सरकार निर्धारित करती है। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में सरकार द्वारा न के बराबर फसल की खरीद की जा रही है। जिससे किसानों को जगह-जगह अपनी फसल को औने-पौने दामों में बेचना पड़ता है।

वर्ष 2017 में सरकार ने मूंग की खरीद समय पर चालू नहीं की और गुणवत्ता के नाम पर बहुत से किसानों की मूंग की फसल को रिजैक्ट कर दिया गया। 25 जनवरी, 2018 तक खरीदने का वादा किया था, परन्तु माह नवम्बर, 2017 में ही खरीद बंद कर दी गयी। 25 क्विंटल मूंग प्रति किसान खरीदा गया, बाकी का मूंग उस किसान को बाजार में औने-पौने दामों में बेचना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय, आने वाली रबी की फसल में सरसों, जौ, गेहूं, चना को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। पिछले वर्ष केवल गेहूं की फसल को खरीदा गया था। बाकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को नहीं मिल पाया। जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि कई जिलों के किसान परेशान हैं। सरकार का दायित्व बनता है कि सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए।

अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा विधान सभा की तर्ज पर राजस्थान विधान सभा

(श्रीमती सोनादेवी)

भी बिल पास करके भेजे कि किसानों को उनकी उपज पर लागत का डेढ़ गुणा मिले। जिस भी फसल का समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाएगा, उसकी अगर सरकार खरीद नहीं करती है तो सरकार किसान को जो कृषि उपज मंडी में फसल बिकेगी उसका और समर्थन मूल्य का जो डिफरेंस होगा, वह उस किसान को भरपाई करेगी। ऐसी व्यवस्था राजस्थान में भी लागू होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: श्री जगदीश नारायण। (अनुपस्थित)

श्री रतन लाल जलधारी।

सीकर में नवलगढ़ रोड़ पुलिया का चौड़ाईकरण

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के एवं प्रक्रिया कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सीकर शहर में वर्तमान में नवलगढ़ रोड पुलिया की चौड़ाई बेहद कम होने और प्रतिदिन परिवहन के साधनों के बढ़ने के कारण उक्त पुलिया पर हमेशा जाम लगा रहता है। हालात यह है कि इस पुलिया के तीनों और आवासीय कालोनियों के साथ-साथ अनेक कोचिंग संस्थान विकसित हो गये हैं, जिनमें हजारों की संख्या में विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, उनको इसी पुलिया के ऊपर से होकर शहर में आना-जाना पड़ता है।

मेरे द्वारा उक्त नवलगढ़ पुलिया की चौड़ाई बढ़ाए जाने हेतु राज्य सरकार एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से पूर्व में भी कई मर्तबा अनुरोध किया गया है। साथ ही गत सत्रों में भी मांग उठाई गयी है। लेकिन आज तक सरकार एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की आरे से कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है।

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार व सार्वजनिक निर्माण मंत्री से पुरजोर शब्दों में निवेदन करता हूं कि सीकर शहर में नवलगढ़ रोड स्थित पुलिया की चौड़ाई आबादी और ट्रैफिक के अनुपात में बहुत ही कम है, जिससे प्रतिदिन यातायात बुरी तरह प्रभावित होता है, आपस में लड़ाई-झगड़े होते हैं। ऐसी विषम परिस्थियों में इस पुलिया का चौड़ा किया जाना जन हित में अत्यंत आवश्यक है। मेरी

(श्री रतन लाल जलधारी)
मांग है कि सरकार तुरंत आदेश जारी कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश देकर पाबंद करे कि इस पुलिया के चौड़ाइकरण की स्वीकृति जारी कर तीन महीने के भीतर-भीतर कार्य पूर्ण करवाकर आम जनता को राहत दिलाए।

धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश। (अनुपस्थित)

श्री संदीप शर्मा।

प्रदेश में बजरी संकट

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार प्रदेश में बजरी खनन बंद कर दिया गया है। जिसका सीधा-सीधा असर प्रदेश में वर्तमान में चल रहे लोक हित के निर्माण कार्यों पर पड़ रहा है। बजरी के अभाव में निर्माण कार्य बीच में ही बंद हो गये हैं तथा बाजार में बजरी के भावों में काफी वृद्धि हुई है। बजरी खानों के बंद होने से प्रदेश में हजारों मजदूरों का रोजगार छिन गया है। जिससे मजदूरों के सामने रोजी रोटी का गहरा संकट उत्पन्न हो गया है। वर्तमान में कोटा सहित पूरे प्रदेश में लोक हित की बड़ी योजनाओं पर निर्माण कार्य चल रहा है। बजरी संकट के कारण इन निर्माण कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब होना तय है। रोक के बावजूद भी बजरी कोटा सहित प्रदेश के कई इलाकों में अवैध खनन किया जा रहा है जिससे मार्केट में बजरी के दामों के बेतहाशा बढ़ोत्तरी हो रही है। पूर्व में जहां बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रोली 4 से 5 हजार रुपये में आ जाती थी वहां अब यह बजरी 10 से 12 हजार रुपये प्रति ट्रोली बेची जा रही है। अत: इस प्रकरण में भारत सरकार से वार्ता कर पर्यावरण एनओसी दिलवाकर बजरी संकट की इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। निर्माण कार्यों में क्रेशर सेंड का उपयोग प्रारम्भ किया जाए जिसके माध्यम से बजरी खनन पर जो प्राकृतिक संपदा है, के उपयोग में कमी आएगी तथा स्ट्रेंथ भी रेत जितनी ही

(श्री संदीप शर्मा)

होगी। जिसका मूल्य भी काफी कम पड़ेगा। सरकारी विभागों में भी इसका इस्तेमाल किया जाए और मध्य प्रदेश की भांति छोटे-छोटे कोंट्रेक्ट देकर रेत उपलब्ध करवाई जाए। नगर विकास न्यास, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी द्वारा करवाए जाने वाले निर्माण कार्यों में क्रेशर सेंड को मान्यता नहीं दी जाती है जबकि अन्य राज्यों के सभी विभागों में क्रेशर सेंड से ही विकास व निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं।

अत: मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि प्रदेश में बजरी के संकट की इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए शीघ्र प्रयास किए जाएं।

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह यादव।

किशनगढ़बास की सड़कों का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के खैरथल से बघेरी कलां-माछरोली-दौलतपुर-बीबीरानी-नीमलाका-जौडियां-भौंकर-मोधुपुर-टपूकड़ा तक व सिहाली से बाबा कुन्दनदास व मथुरादास मंदिर-गुरगचका मोड़-गोठड़ा-गहणकर-भिंडूसी तक एवं बीरणवास चौकी-जाटूवास चौक-मतलवास-जमालपुर-कतोपुर-भौंकर-गैलपुर तक की सड़कें तीन विधान सभा क्षेत्र, मुण्डावर, तिजारा, किशनगढ़बास तथा हरियाणा राज्य के जिला रेवाड़ी को जोड़ती है। उक्त तीनों सड़कें खैरथल अनाज मंडी में किसानों को अपनी फसल को बेचने हेतु आवागमन में सबसे अधिक सुविधाजनक रहती है तथा राजकीय महाविद्यालय बीबीरानी में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। उक्त तीनों सड़कें पूर्णतया ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ती है, जो वर्तमान में काफी क्षतिग्रस्त हालत में है। उक्त तीनों सड़कों से सम्बन्धित ग्रामीणों द्वारा कई बार मांग उठाई जाती रही है।

अत: मैं सदन के माध्यम से निवेदन करता हूं कि खैरथल से बघेरी कलां-माछरोली-दौलतपुर-बीबीरानी-नीमलाका-जौड़ियां-भौंकर-मोधुपुर-टपूकड़ा तक व सिहाली से बाबा कुन्दनदास व मथुरादास मंदिर-गुरगचका मोड़-गोठड़ा-गड़णकर-

(श्री रामहेत सिंह यादव)
भिंडूसी तक एवं बीरणवास चौकी-जाटूवास चौक-मतलवास-जमालपुर-कतोरपुर-भौंकर-गैलपुर तक तीनों सड़कों को एमडीआर घोषित कर सुदृढ़ीकरण व चौड़ाइकरण किया जाए जिससे आम जन को आवागमन में सुविधा मिल सके।

(12.34 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: श्री दलीचन्द डांगी।

मावली उपखंड मुख्यालय में नवीन राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की मावली तहसील काफी बड़ा क्षेत्र है। मावली तहसील में कुल 49 ग्राम पंचायतों के 181 ग्रामों में लगभग 3 लाख की जनसंख्या निवास करती है। उप खंड क्षेत्र में 52 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं 11 राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं। मावली से 45 किलोमीटर तक के दायरे में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी कालेज जाने से वंचित रह जाते हैं। विशेषकर छात्राओं को ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन के पर्याप्त साधन नहीं होने से उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। उक्त क्षेत्र शिक्षा में काफी पिछड़ा हुआ है तथा अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं। यहां से 12वीं पास करने के बाद बालक/बालिकाएं उच्च अध्ययन के लिए बाहर नहीं जा पाने के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं।

मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उप खंड मुख्यालय मावली में नया राजकीय महाविद्यालय खोलने का आदेश कराएं जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने में आसानी हो सके। महाविद्यालय के लिए नगरपालिका फतहनगर, सनवाड़ और ग्राम पंचायत मावली के बीच पर्याप्त जमीन भी उपलब्ध है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हमीरसिंह भायल।

बाड़मेर जिले में पर्यटन विकास

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में वर्षों से थार महोत्सव मनाया जा रहा है। इस जिले में एक लाख करोड़ का रिफाइनरी एवं तेल उत्पादन प्रोजेक्ट लगेगा। कोयले के प्रोजेक्ट पर 8000 करोड़ खर्च कर चुके हैं। सोलर में भी 30 हजार करोड़ की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। बाड़मेर में रेयर अर्थ का खजाना खुल गया है। यह बॉर्डर एरिया पूरे देश से जुड़ेगा। वायु सेवा की तैयारी शुरू की जा रही है।

बाड़मेर जिले की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है। इसी तरह से बाड़मेर प्रगति पर रहा तो विश्व पटल पर अति शीघ्र पर्यटन की दृष्टि से अलग पहचान बनाने वाला है। यह आवश्यक नहीं कि पर्यटक विदेशी ही हो, इसमें यहां के स्थानीय निवासियों के अलावा पूरे राजस्थान के लोग आकर इस पर्यटन के विकास में भागीदार बन सकते हैं। वर्षों पूर्व थार महोत्सव मनाया जा रहा था लेकिन वापस इसको शुरू करने की ओर ध्यान नहीं दिया गया।

बाड़मेर जिला वर्तमान में विश्व मानचित्र पटल पटल पर अपनी अलग पहचान बना चुका है। पर्यटन की भरपूर संभावना को ध्यान में रखते हुए 1980 से शुरू किया गया थार महोत्सव 2007 तक चला, धीरे-धीरे लोक कलाकार एवं संस्कृति आदि के कई ख्यात नाम लोग इसमें शिरकत करते थे।

थार 1965 एवं 1972 की लड़ाई का साक्षी रहा है। वायु सेना, थल सेना, बीएसएफ के साथ यहां के स्थानीय लोगों ने भी बहादुरी दिखाई है। 17 शहीद इसी थार भूमि पर हुए हैं। जैसे जैसलमेर में वार म्यूजियम है उसी तर्ज पर बाड़मेर में भी बॉर्डर पर वार म्यूजियम बनना चाहिए।

हैंडीक्राफ्ट और कला संस्कृति बाड़मेर की पहचान है। अब तेल, गैस, जिप्सम एवं कोयला के अथाह भंडार से इस जिले की अलग पहचान बन गयी है।

(श्री हमीरसिंह भायल)

मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पर्यटन की दृष्टि से यहां पर सुरों की एक पूरी यूनिवर्सिटी, बाड़मेर है। मांगणीयार कलाकार और वाद्य-वादन के बूते देश-विदेश में इस जिले को ख्याति मिली है तथा हैंडीक्राफ्ट में बाड़मेर के उत्पाद इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचे व कशीदाकारी, लकड़ी की नक्काशी, हैंडीक्राफ्ट उत्पादन मार्केट पर्यटकों की पहली पसंद है। यहां पर पर्यटन की दृष्टि से बारहवीं सदी के किराडू मंदिर, जूना पतरासर की पहाड़ियों में पुराना बाड़मेर, रेडाणा के रण की नैसर्गिक सुंदरता, सिवाणा का ऐतिहासिक दुर्ग, हल्देश्वर महादेव, मिनी माउंट, दुर्गादास की कर्मस्थली सिवाणा, ब्रह्माजी का मंदिर, आसोतरा, नाकोड़ा भैरवनाथ मंदिर, जसोल माता रानी भटियाणी मंदिर, तिलवाड़ा का पशु मेला, गैर मेला, लाखेटा, कनाना, बाखासर के रण में सूखा बंदरगाह, सिवाणा के पंच तीर्थ, देवका के सूर्य मंदिर का विकास, डीएनपी क्षेत्र में म्यूजियम डवलपमेंट प्लान, बोर्डर म्यूजियम के लिए मुनावा इलाके की योजना, इन सबको पर्यटन के मानचित्र पर उकेर कर जिले में पर्यटन की भरपूर संभावनाएं हो सकती है।

मेरा निवेदन रहेगा कि पर्यटन को विकसित करने हेतु उपरोक्त प्रकार से सुधारवादी निर्णय लेकर शीघ्र ही बाड़मेर जिले को राहत एवं लाभ प्रदान कराएं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अजीत सिंह।

टोंक की सड़कों का पुनर्निर्माण

श्री अजीत सिंह (टोंक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं एक अत्यन्त ही लोक महत्व के विषय की ओर राज्य सरकार एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र की अधिकतर सड़कें क्षतिग्रस्त हैं जिनमें मुख्य रूप से टोंक-लहन-पालड़ा रोड जिसकी कुल लम्बाई 11 किलोमीटर है और उसमें से 7 किलोमीटर अत्यधिक क्षतिग्रस्त है जिस पर डामर का कार्य पिछले 10 वर्षों में नहीं हुआ है। इस रोड पर ओवर लोडेड ट्रकों के बजरी परिवहन के कारण सड़क पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी है। उपरोक्त सड़क पर समस्त शिक्षण संस्थाएं जैसे राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कालेज, डाईट, सेंट जोसेफ कॉलेज, आई.टी.आई., पन्नाधाय बालिका आवासीय

(श्री अजीत सिंह)

विद्यालय आदि स्थित हैं। सड़कें पूर्णतया क्षतिग्रस्त होने से शिक्षण कार्य एवं ग्रामवासियों के आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह रोड इस रोड पर स्थित लहन, अहमदपुरा, बोरदा पालड़ा, बड़काहाली आदि गांवों एवं इस मार्ग पर पड़ने वाली ग्राम पंचायतें जैसे पालड़ा, बरवास, इन्दोकिया, लाम्बाकलां, बावड़ी आदि को जोड़ती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि इन क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण और मरम्मत जल्द से जल्द करवाई जाए तथा उक्त रोड पर बजरी के वाहनों का संचालन होता है अत: उक्त रोड को माइनिंग रोड घोषित किया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बाबूसिंह।

शेरगढ़ स्थित गोतावर नदी पर बांध निर्माण

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, गोतावर नदी पर बांध निर्माण कर बहु-उद्देश्यीय परियोजनाएं विकसित करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ स्थित इंदावटी क्षेत्र की सबसे बड़ी एवं लम्बी नदी गोतावर पर बड़ा बांध निर्माण कर 25 गांवों को लाभान्वित किया जा सकता है। इस नदी पर बनने वाला बांध एक ऊंचे स्थान पर पहाड़ों के बीच बन सकता है जहां से बहु-उद्देश्यीय परियाजनाएं विकसित की जा सकती हैं। इस नदी पर बांध बनने से 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पहाड़ों के बीच कटोरेनुमा आकृति में एक ऊंचे स्थान पर बहुत बड़ी झील बनाई जा सकती है जहां से बहु-उद्देश्यीय परियोजनाएं संचालित की जा सकती हैं जैसे बड़ी झील के बनने से पशु चरागाह, जिसके लिए विशाल भू-भाग उपलब्ध है, पेयजल हेतु नहर या पाइप लाइन से गांवों को जोड़ा जा सकेगा, हिमालय से प्राप्त जल संग्रहण क्षेत्र, ढलान, जहां चैनल गेट लगे वहां से विद्युत ऊर्जा बनाई जा सकती है, आकर्षक पर्यटक स्थल का निर्माण, दो हजार से अधिक नलकूपों का पेयजल स्तर बढ़ना, 250 सूखे कुओं का पुन: जल भराव एवं पेयजल तथा कृषि हेतु

(श्री बाबू सिंह)

चालू होना, क्षेत्र के 25 वर्ग किलोमीटर धरातल एवं पहाड़ी क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण करना, दस वर्ग किलोमीटर बंजर भूमि से उपजाऊ व उपयोग होना जो नदी के कैचमेंट क्षेत्र में आती है, 1000 से अधिक सरकारी हैण्डपम्पों में भूजल स्तर बढ़ने से पुन: चालू होना आदि किये जा सकते हैं। यह परियोजना वन्य जीवों की सुरक्षा एवं लुप्त होती वनस्पति के संरक्षण में बड़ा कदम होगा। साथ ही वीरान पहाड़ हरा-भरा होकर लोगों के आकर्षण का केन्द्र बन सकता है।

अत: आपसे अनुरोध है कि गोतावर नदी पर बांध निर्माण कर बहु-उद्देश्यीय परियोजनाएं विकसित करने हेतु कार्यवाही करने का श्रम कराएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। श्री तरुण राय कागा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

चौहटन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की क्रमोन्नति

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चौहटन में तीन तहसील हैं, तीन पंचायत समितियां हैं। हमारा रेतीला इलाका है और एक बैन अलफवायी सरहद पर कायम मुकाम में है लेकिन मैं बहुत बड़े दर्द के साथ कहना चाहूंगा कि- 'हजारों कुमकुमे रोशन हैं सब राहें मुनव्वर हैं, हजारों कुमकुमे रोशन हैं सब राहें मुनव्वर हैं लेकिन फिर भी अँधेरा गालिब है मुसाफिर के मुकद्दर में।'

मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछली बार चौहटन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 50 बैड का स्वीकृत किया गया था लेकिन मैं लगातार चार सालों से खतो-किताबत करता रहा, पत्र व्यवहार करता रहा कि यह बहुत बड़ा इलाका है और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं से महरूम है। वहां आये दिन किसी भी बीमारी से जो लोग मुब्तिला होते हैं तो या तो उनको गुजरात की शरण में जाना पड़ता है या बाड़मेर जाना पड़ता है। वहां हमारे चौहटन के आगे 100 किलोमीटर की दूरी पर है, चौहटन से बाड़मेर 50 किलोमीटर है, वहां से

(श्री तरुण राय कागा)
गुजरात 300 किलोमीटर है और इतना बड़ा सफर तय करने से हमारे वहां के इलाके को, अवाम को बहुत बड़ी तकलीफ आती है। मेरी गुजारिश है कि तुरन्त प्रभाव से मेरे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौहटन को 100 बैड में क्रमोन्नत किया जाए ताकि हमारे वहां की आम पब्लिक को राहत मिल सके।

इसके अलावा पिछली बार जब बाढ़ राहत कार्यों के मंत्री महोदय जालौर में आये थे तब मैंने यह मांग उठायी थी। तब मंत्रीजी ने यह एलान किया था कि तीन दिन के अन्दर वहां पर डाक्टर लग जाएंगे और एक जनाना डाक्टर भी लग जाएगी। लेकिन उसके बाद में काफी इंतजार करते-करते रह गया हूं, पर न तो कोई जनाना डाक्टर लगी न कोई दूसरा स्टाफ लगा। वहां की हालत बहुत ही बुरी है। मैं ज्यादा नहीं कह कर यह कहूंगा कि इसी सत्र में उसको क्रमोन्नत किया जाए, स्टाफ की पूर्ति की जाए, तमाम जो संसाधन हैं वो उपलब्ध करवाये जाएं। मैं आखिर में यह कहूंगा कि - "हम भूले थे जिनको देखकर हम अपनी जिन्दगी का गम, वो हमको देखकर के जरा सा मान नहीं हुए।" जय हिन्द, जय भारत।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसमें मैं बताना चाहूंगा कि चौहटन में वर्तमान में 50 शैयाओं युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। स्वीकृत शैयाओं की वर्ष 2015 में 40.29 प्रतिशत, 2016 में 47.86 प्रतिशत और 2017 में 38.11 प्रतिशत उपयोगिता यानी बैड आक्यूपेंसी रही है अत: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौहटन की शैयाओं में वृद्धि किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

उक्त केन्द्र पर चिकित्सकों के 9 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 5 पदों पर चिकित्सक कार्यरत हैं और 4 पद रिक्त हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों, सर्टिफिकेट कोर्स फोर स्पेशलाइजेशन, पी.जी. पूर्ण करने वाले चिकित्सकों से भरे जाने के प्रयास किए जाएंगे। चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त केन्द्र पर अराजपत्रित संवर्ग के 28 पद स्वीकृत हैं जिन पर 20 कार्मिक पदस्थापित हैं। रिक्त पदों को आगामी भर्ती, पदोन्नति से भरे जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(श्री कालीचरण सराफ)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौहटन में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ, जैसे नि:शुल्क दवा योजना, नि:शुल्क जांच योजना, संस्थागत प्रसव, एम्बुलेंस सर्विस आदि, आमजन को उपलब्ध करवाया जा रहा है। उक्त संस्थान पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनवरी, 2018 तक 44867 ओ.पी.डी., 4656 इनडोर और 940 संस्थागत प्रसव करवाये गये हैं। संस्थान पर 108 एम्बुलेंस और 104 एम्बुलेंस की सेवाएं उपलब्ध हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पब्बारामजी।

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत राजस्व ग्राम में एक से अधिक सभा भवनों आदि के निर्माण की बाध्यता

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधायक कोष के लिए राज्य सरकार ने पहले दो करोड़ रुपये दिये थे। मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 25 लाख रुपये और बढ़ाकर, 2.25 करोड़ रुपये कर दिये। परन्तु इतनी राशि प्रदान करने के बाद भी, विधायकों की अनुशंसा पर अड़ंगे लगा दिये, विभिन्न प्रकार के नियम लागू कर दिये। हमारा क्षेत्र है वह ढाणियों में बसता है, विभिन्न प्रकार के क्लस्टर्स बने हुए हैं और उन क्लस्टर्स के अन्दर सामुदायिक भवनों की आवश्यकता रहती है। एक रेवेन्यू गांव में मात्र एक सामुदायिक भवन ही होगा और सामुदायिक भवन की परिभाषा में, सभा भवन की परिभाषा में सामुदायिक भवन, प्याऊ, वाचनालय, बस स्टैण्ड तक को समाहित कर दिया गया है। तो जब ये इनमें से कुछ भी नहीं करा पायेंगे तो किस प्रकार से अपनी इस राशि को हम लगा पायेंगे? हमारे यहां पर एक रेवेन्यू गांव है जैसला, जिसकी एक ही पंचायत है, जिसमें 8,000 वोटर्स हैं और उसके बाद में 15 किलोमीटर की परिधि के अन्दर वह बसा हुआ है और उसके अन्दर एक सामुदायिक भवन होगा जबकि विभिन्न ढाणियां हैं, विभिन्न समुदाय बसे हुए हैं। क्या उनके अन्दर कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं बनाये जा सकते?

इसी प्रकार से पूर्व में, इसी सदन में एक वर्ष पहले माननीय ग्रामीण विकास मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि एक सामुदायिक भवन एक रेवेन्यू गांव में होगा, इसकी बाध्यता को समाप्त किया जाता है, परन्तु जोधपुर जिला परिषद में अब तक वही पुराने परिपत्रों के आधार पर लगातार वापस

(श्री पब्बाराम)

उसका रिजक्शन किया जाता है और न ही उस रिजेक्शन की सूचना संबंधित एमएलए को दी जाती है। एक-एक साल तक उसको पता नहीं चलता कि कब वह स्वीकृत होगा, कब वह रिजक्ट हुआ? मैं ग्रामीण विकास मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि आपने जिस प्रकार की घोषणा की थी, उस घोषणा की इम्प्लीमेंटेशन जोधपुर जिला परिषद में आज तक नहीं हुई है। अभी तक वह परिपत्र गया है या नहीं और अगर गया है तो उन्होंने उसको उपयोग में नहीं लिया, पुराने परिपत्रों को ही काम में ले रहे हैं।

इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में भी विधायक कोष से हम सामुदायिक भवन और अन्य भवन बनाते हैं। मेरे फलौदी नगरपालिका क्षेत्र में 31 वार्ड हैं और पूर्व में इतने समय तक जब सामुदायिक भवन भी बने हैं, कम्युनिटी सेंटर भी बने हैं, बस स्टैण्ड भी बने हैं तो कुल मिलाकर 20 बन चुके हैं। अब इस दौरान मैं एक भी, कोई भी कम्युनिटी हाल पूरे शहर में बना नहीं पाया। कारण, उन्होंने यह कहा कि यहां पर 20 कम्युनिटी हाल बन सकते हैं। आप 15 से ज्यादा यहां पर नहीं बना सकते और इसलिए हम इसकी स्वीकृति नहीं देते। और लगातार हमारा जो बजट है, नहीं तो आज तक हम लोग डेफिसिट में चले जाते, आज हमारा बजट बचा हुआ पड़ा है और बचे हुए बजट की भी सूचना हमको नहीं मिली। हमें रिजक्शन का भी नहीं मिल रहा, इसलिए शहरी विकास मंत्रीजी से भी मेरा आग्रह है कि वार्ड 30 हैं और 20 उसमें सामुदायिक भवन बने हुए हैं। उसके अलावा वार्डवाइज एक भी नहीं दे रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार का हमारा समाज है, विभिन्न प्रकार के समाज हैं, विभिन्न मौहल्ले हैं, उन हर मौहल्ले में सामुदायिक केन्द्र की आवश्यकता रहती है, कम्युनिटी हाल की आवश्यकता रहती है तो क्यों नहीं इन सम्पूर्ण बाध्यताओं को समाप्त करके, हमें जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार का प्रयोग करने के लिए, उस राशि का उपयोग हम लोग कर सकें, इसके लिए आप कुछ अपने नियमों के अन्दर शिथिलता प्रदान करते हुए, यह आज ही अगर यहां से परिपत्र जारी करेंगे तो वहां पर इसका लाभ हम सबको मिलेगा और जनता को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में विकास के नये आयाम स्थापित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने विधायक विकास कोष से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सामुदायिक विकास केन्द्र की संख्या को बढ़ाने की बात सदन में रखी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी एक बार इस सदन के अन्दर पिछले सत्र में भी यह मामला आया था। उसके बाद जो हमने दिशा निर्देश जारी किये, उसके अनुसार प्रत्येक ग्राम में एक सामुदायिक भवन बनाना अनुमत्त किया, पर एससी एसटी लोगों के समाज के लिए अगर वह मांग करें तो अतिरिक्त सामुदायिक विकास केन्द्र बना सकते हैं। अगर गांव में से जुड़ी हुई ढाणियां दूर हैं तो उनके लिए भी अतिरिक्त सामुदायिक विकास केन्द्र बना सकते हैं, पर इसकी अस्पष्टता के कारण से कई जगह पर तो ये जिस मंशा के साथ हमने आदेश जारी किया, उसके अनुसार निर्माण कार्य और स्वीकृतियां जारी होनी प्रारम्भ हो गयीं। आज आपने कहा है कि जो गांवों के साथ, एक गांव में एक सामुदायिक विकास केन्द्र हो, इसको हटाया जाए तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस गांव की जनसंख्या 1,000 तक है, वहां एक सामुदायिक भवन और जिस ग्राम की जनसंख्या 2,500 तक है, वहां दो सामुदायिक भवन और 2,500 से अधिक जनसंख्या होने पर तीन सामुदायिक भवन बनाने के लिए हमने गाइड लाइन के अन्दर संशोधन करने के प्रस्ताव को हमारे मंत्रालय ने मुख्य मंत्रीजी महोदय को, चूंकि यह विधायक विकास कोष से संबंधित सारी गाइड लाइन का अनुमोदन हमें मुख्य मंत्रीजी से लेना होता है। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा हम इसी एक महीने के अन्दर-अन्दर यह जो अतिरिक्त भवन आप चाहते हो कि हर गांव के अन्दर जनसंख्या के अनुसार एक से ज्यादा सामुदायिक विकास केन्द्र बने, उसकी स्वीकृति निश्चित तौर पर जारी करवा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री समाराम गरासिया।

पिण्डवाड़ा-आबू की ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू के अन्दर स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बने हैं और पूरी पंचायत को ओडीएफ किया है लेकिन वहां कई

(श्री समाराम गरासिया)
जगह भुगतान नहीं हुआ है। जब बात निकलती है तो सब जगह से यही आता है कि भुगतान नहीं हुआ है। पहले जब सर्वे हुआ था 2011-12 के अन्दर तो उसमें भी कई परिवार अलग हुए। उसमें सूची में कई नाम भी जोड़े हुए नहीं हैं। तो, मेरा मंत्री महोदयजी से निवेदन है कि कम से कम उन सूची को भी जोड़ा जाए। आबू पर्वत पर भी एक पंचायती आती है ओरिया, उसमें भी कई वर्षों पुराने मुकाम बने हुए हैं लेकिन पट्टों के अभाव में उसमें शौचालय नहीं बन पा रहे हैं, उनको भी सूची में अगर जोड़ दिया जाए तो स्वच्छ भारत अभियान का मिशन पूरा हो जाएगा। बाकी जल्दी से जल्दी यह भुगतान देने का भी विचार मंत्रीजी, राज्य मंत्री या पंचायती राज मंत्रीजी करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत दो वर्षों में पूरे देश के अन्दर सर्वाधिक व्यक्तिगत शौचालय बनाने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तक राजस्थान के अन्दर 9,891 ग्राम पंचायतों में से 9,034 ग्राम पंचायत ओडीएफ हो चुकी हैं। सिरोही के अन्दर भी जो 162 ग्राम पंचायतें हैं, वे सभी ओडीएफ हो चुकी हैं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस शौचालय के भुगतान के लिए कई प्रकार की विसंगतियां पहले रहीं। राज्य सरकार ने तय किया कि हम भामाशाह प्लेटफार्म पर आनलाइन भुगतान करें और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 1,410 करोड़ रुपये का भुगतान हमने लाभार्थी के खाते में सीधा किया है। आपने जो बात सिरोही की कही, निश्चित तौर पर सिरोही जिले के अन्दर अब इसमें मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से फोटोग्राफ्स अपलोड होने पर ही भुगतान होता है। पहले यह शिकायत आती थी, शौचालय बने नहीं, भुगतान हो गया। कई तरह की अनियमितता की शिकायत आती थी। सिरोही के अन्दर 73,620 ऐसे मामले थे जिनका भुगतान होना था, जिसमें 63,048 का हो गया, 10,572 शेष है। इनके फोटो अपलोड होने शेष हैं। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपने ब्लाक सहित, आपके ब्लाक के अन्दर 3,638 शौचालय का निर्माण हुआ, 800 का भुगतान हो गया, 890 का भुगतान प्रक्रियाधीन है और मैं आश्वस्त करना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चाहूंगा कि 31 मार्च से पहले-पहले आपके जिले सहित, आपके खुद के विधान सभा क्षेत्र में जो बकाया भुगतान है, निश्चित तौर पर उसको पूरा करेंगे...

(13.00 बजे)

और आपसे यह निवेदन जरूर करूंगा चूंकि अब मोबाइल एप्लीकेशंस के माध्यम से फोटो अपलोड होने लग गयी है, आप भी ग्राम पंचायतों के अन्दर जब भी जाएं तो लोगों को प्रेरित करें वो अपने निर्मित शौचालय की फोटो अपलोड करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

प्रदेश में लंबित सरकारी भर्तियां

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मैं बहुत कम, आज पहली बार ही लगाई है, जो आज निकल भी गयी और उसका कारण यह था कि पिछले दो-तीन दिन से जब से विधान सभा का सत्र आहूत हुआ है बहुत से बेरोजगार बच्चे लगातार मिलते रहे हैं कि साहब, हमारी भर्ती अटकी हुई है, हमारी कोर्ट में अटकी हुई है, हमारी उसमें अटकी हुई है, इतनी बार परीक्षा दे दी। दूसरा फिर उन्होंने कारण बताया कि हमको इस बार प्रदर्शन करने की अनुमति भी नहीं दे रहे हैं, आप हमारी बात विधान सभा में उठा दें इसलिए उनकी तरफ से जो बात मेरे पास आई है, मैं विनम्रतापूर्वक आपके सामने रख रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 8,54,119 सरकारी पद स्वीकृत हैं। ये राजस्थान सरकार ने एक जवाब में मुझे दिया है htpp//finance.rajasthan.gov.in में ये पद हैं, इन पदों में से सरकार ने 1 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 13 नंबर इनको विलोपित कर दिया। ये पद समाप्त कर दिये। इस प्रकार साठ हजार पद सरकार ने समाप्त कर दिये 8,54,119 पदों में से। इन 8,54,119 पदों में से 2,44,000 पद खाली हैं जिनमें से 1,50,000 पदों की वेकेंसी निकली हुई है जो भिन्न-भिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है और अटकी हुई है। मुझे सरकार ने जो जवाब दिया, विधान सभा में मैंने प्रश्न पूछा था कि कितना-कितना, किस-किस में है तो सुप्रीम

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कोर्ट और हाइकोर्ट से लेकर सबमें 52 प्रकार की भर्तियां हैं, विभिन्न प्रकार की जो सरकार ने विभिन्न वर्गों के लिए निकाली और वो भर्तियां अटकी हुई हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि पटवारी, ग्राम सेवक, होस्टल वार्डन, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय अध्यक्ष, एईएन, जेईएन, एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट, आरएएस, सेकिंड ग्रेड स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता, पशुधन सहायक, एलडीसी, एनटीटी, जेल प्रहरी, रीट थर्ड ग्रेड, नगरपालिका एलडीसी, विद्यालय सहायक, शिक्षा सहायक, फायरमेन, सब इंस्पेक्टर, अन्य ये कुल मिलाकर 1,60,000 के करीब सरकारी पद भिन्न-भिन्न न्यायालयों में अटके हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह करना है कि इस में सरकार ने या तो इनको उलझाने का काम किया, एसबीसी के आरक्षण के कारण से इसमें बहुत से पदों की परीक्षा होने के बाद भर्ती नहीं किया। बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे सरकार ने नहीं निकाली। इन बेरोजगार नौजवानों के प्रति इस प्रकार का रवैया उचित नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री के जो प्रमुख शासन सचिव हैं उनका प्रमोशन एक साल बाद होना था लेकिन उसको एक साल पहले कर दिया। उसको एक साल पहले करना था तो जितने एसीएस हैं आईएएस अफसर, उन सबका आपने एक साल पहले प्रमोशन कर दिया। सरकार इतनी उदार आईएएस पर है, क्योंकि सरकार को एक आईएएस को प्रमोट करना था, सब एसीएस को कर दिया। तो पटवारी, ग्रामसेवक, एलडीसी हैं, उन एलडीसीज ने कहा कि हमको इच्छामृत्यु का ही वरदान दे दो। हमको इच्छामृत्यु दे दो। सरकार चलाने का तरीका क्या है? और फिर इन संस्थाओं में, आरपीएससी में चार वर्ष में चार महीने तक पद खाली पड़ा रहा। आरपीएससी पर राजस्थान हाइकोर्ट को जुर्माना करना पड़ा फिर आरपीएससी में दो-ढाई महीने के लिए नियुक्त करते हैं। दो-ढाई महीने के लिए कोई आदमी नियुक्त होगा तो वो आरपीएससी कैसे चलायेगा। या तो चार महीने के लिए या दो महीने के लिए क्योंकि एक झालावाड़ का था और एक धौलपुर का था तो ये मजाक करना उन लोगों के साथ किसी प्रकार से उचित नहीं है। अब ये जो 52 प्रकार की भर्तियां हैं उनमें डेढ़ लाख लोगों से 428 करोड़ रुपये ले लिये फार्म भराने के। आपने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पुलिस की भर्ती में भी माननीय मंत्री महोदय, चार बार बढ़ा दी तो ये जो विद्यार्थी आते हैं, विद्यार्थी मित्रों की यहां पर कई बार चर्चा हो गयी। एलडीसी की यहां कई बार चर्चा हो गयी। प्रयोगशाला सहायक की कई बार यहां पर चर्चा हो गयी और सारी की सारी नौकरियों को आप न्यायालय में अटका कर बैठे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 16 ऐसी भर्तियां हैं जिनका आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। सरकार से मैंने पूछा है प्रश्न कि कौन-कौन सी भर्तियां हैं जिनकी आपने मुझे जवाब दिया कि 52 प्रकार की भर्तियां कोर्ट में चैलेंज है उन 52 प्रकार की भर्तियों में 16 प्रकार की भर्तियों का अभी तक जवाब ही नहीं दिया। यह मैं नहीं बोल रहा हूं अनर्गल नहीं हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, यह गरल है। यह गरल पी रहे हैं वो विद्यार्थी, अनर्गल नहीं है इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो इतनी बड़ी भर्ती का मामला अटका है, इसके दो ही कारण हैं एक तो कारण है कि 3 लाख पद रख कर आप ये पैसा बचा कर सरकार के खजाने में पैसा रखना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वाह-वाह!

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, और क्या है? नहीं, आप बता दें हुज़ूर। वाह-वाह मैं आपकी बात पर कर दूं। यह आप इन लोगों को सज़ा क्यों दे रहे हो? आपने चार बार आरक्षण के कानूनों में परिवर्तन किया। चारों बार विधान सभा में सबने कहा माननीय मानिकचंद ने और सबने कहा कि ये क्यों कर रहे हो सारी भर्तियां अटक जाएंगी। मैंने भी सदन में कहा कि इस कारण से सारी भर्तियां अटक जाएंगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसका मतलब आप आरक्षण के उन सब कानून के खिलाफ हो, जो आरक्षण के कानून की बुनियाद आपने रखी विधि मंत्री के रूप में यहां से, आप चाहते हो कि राजस्थान में जो पिछड़े लोग हैं, जो वंचित लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिले। आप सीधी बात क्यों नहीं कहते। कहो न खड़े होकर हिम्मत से कि मैं आरक्षण के विरोध में खड़ा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराज जाएं। मंत्री महोदय, आप पहले आसन से पूछिये कि सदस्य यह बात कहना चाहते हैं क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा मांग लेता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्षमा मांग लेने से इनका तो कुछ घिसा नहीं और इनके जो नंबर बढ़ने थे वो बढ़ गये कि मैंने तो घनश्याम तिवाड़ी को टोक दिया। साहब, दो बार टोक दिया। हुज़ूर, करो, बढ़ाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ऊंचे जाओ आप। गृह मंत्री तक पहुंच जाओ। ...(व्यवधान)... गृह मंत्रीजी आगे और चले जाएंगे पर पंचायती राज से सीधे वो भी गृह मंत्री बने थे इसलिए कहा है मैंने।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण के बारे में प्रसंग नहीं है लेकिन आरक्षण के बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बात कही है वो बिलकुल गलत है। सबसे पहले आरक्षण का कानून राजस्थान की विधान सभा में हमने पारित किया। हमने उसके लिए 14 साल तक संघर्ष किया और आज भी हम बात कर रहे हैं कि आरक्षण 'सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय' होना चाहिए। सरकार जानबूझ कर आरक्षण के नाम पर जातियों को लड़ा रही है, मरा रही है और आरक्षण के कारण से उलझा रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपका सवाल बड़ा लिमिटेड था। राजस्थान में जो वेकेंसीज हैं, जिन्होंने आवेदन किया उनकी भर्ती नहीं हो रही है। अब आरक्षण को लेकर सरकार लड़ा रही है, जातियों में आग लगा रही है। मैं समझता हूं कि अगर उनको इस प्रकार का लाना है तो कोई मोशन लेकर आएं उस पर बहस हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराजें। मैं संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले सत्र में भी आसन ने ये निर्देश दिये थे कि पर्ची के नियम बना दिये जाएं क्योंकि पर्ची आपका फोर्मल एजेंडा का भाग हो गयी है। पर्ची के माध्यम से या तो आसन फिर आपके डेलीब्रेशंस को लिमिट कर देगा। नियम अगर बन जाते हैं तो कम से कम जो भी सदस्य अपनी बात को अभिव्यक्त करना चाहेगा वो नियमों के दायरे में करेगा और आसन इस बात से बिलकुल इत्तफाक रखता है कि जो विषय आपने उठाया उस विषय तक आप सीमित रहिये। उस विषय को और दूसरे

(श्री उपाध्यक्ष)

विषयों के साथ सम्मिलित करने के लिए आपके पास में दूसरे नियम हैं, आप उनके माध्यम से आ सकते हैं आसन उसको स्वीकार करेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, आपके नियमों में यह भी प्रावधान है कि कोई माननीय मंत्री या सदस्य बीच में टोक कर व्यक्तिगत रूप से लांछित करें तो उसका जवाब देना भी मेरा अधिकार है और मैंने उस अधिकार का प्रयोग किया है। आरक्षण के बारे में मैं पहले बोला ही नहीं, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने जब खडे होकर कहा, क्योंकि उनको अख़बार में छपने की इच्छा रहती है, दूसरा कोई छप जाए तो ठीक नहीं है और मेरे से जब वह नोंक झोंक करते हैं तो उनकी छप जाती है ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इनको अख़बार में छपने की...

श्री उपाध्यक्ष: आप दोनों जने आसन का काम करेंगे क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जब आसन तटस्थ हो जाता है तब ऐसी स्थिति होती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में 2 लाख 40 हजार से अधिक पदों का खाली होना, 60 हजार पदों को विलोपित करना और विलोपित करने के तीन स्पष्ट कारण है जो इन्होंने दिये हैं, नंबर एक 20 हजार स्कूलों को बंद करके उनके पद समाप्त कर दिये। पीपीपी मोड पर हास्पिटल और स्कूल देकर उनके पद समाप्त कर दिये। इस प्रकार 60 हजार पद समाप्त करना, डेढ़ लाख पदों को उलझा कर रखना, उनको नियुक्ति नहीं देना और उन विद्यार्थियों को बार बार परेशान करना उचित नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि सरकार तुरंत इस संबंध में कदम उठाये और जितने भी न्यायिक मामले हैं, उन मामलों में पैरवी करें और पैरवी करके इन सारे मामलों को सुलटाने का प्रयत्न करें। 20 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो बजरी के कारण से या इनके कारण से जो बेरोजगार हुए। मैं केवल 20 लाख पंजीकृत में से जिन डेढ लाख लोगों ने परीक्षाएं दे दीं और भिन्न भिन्न न्यायालयों में सरकार ने अटका रखे हैं, उन लोगों को नौकरी देने के बारे में सरकार आज स्पष्ट बात यहां कहे। मैं आग्रह करूंगा कि इसको

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सरकार टालने का प्रश्न नहीं बनाये या लांछित करने का। यह साफ साफ आपके दिये हुए आंकडे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर सरकार तुरंत कार्यवाही करे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं कि आपने एक ऐसा विषय उठाया है जिसको लेकर इतने दिन तक कई दुकानें चल रही थीं, आज उन सब दुकानों का स्पष्टीकरण हो जाएगा कि क्या तो हमने किया और क्या हमने नहीं किया। आज के इस मैसेज से राजस्थान की 7 करोड़ जनता को सरकार ने इस बारे में क्या प्रयत्न किया, क्या सफलता मिली और कहां असफल हुए हैं, उसकी जानकारी चली जायेगी।

मैं माननीय सदस्य के माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि इन चार वर्षों में आरपीएससी के द्वारा, विभागों के द्वारा और जो अधीनस्थ चयन बोर्ड है, उसके द्वारा अब तक हम 169734 लोगों को हम नौकरियां दे चुके हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): और डेढ़ लाख रिटायर्ड हो चुके हैं। इन चार सालों में डेढ़ लाख रिटायर्ड हो चुके हैं, जितने रिटायर्ड हुए उतनी ही नौकरी नहीं दी आपने।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह कोई नई बात नहीं बता रहे हो पहले भी रिटायर्ड होते थे, आज भी हो रहे हैं, कोई इसी राज में आने के बाद रिटायर्ड हो रहे हैं क्या? जितना जोर से बोलते हो, सुनने का भी उतना ही माद्दा रखो। केवल जोर से बोलकर यूं नहीं, जो हकीकत है उसको स्वीकार करो। सच में सरकार ने प्रयत्न किया है और प्रयत्न करके इतने लोगों को नौकरियां दी हैं। अभी विभिन्न विभागों के द्वारा जो नौकरी की भर्तियां चल रही है, यह बात सच है कि कुछ ईबीसी को आरक्षण देने के कारण जो 5 प्रतिशत का हमने निर्णय किया था, वह एक तरह से निरस्त हो गया। निरस्त होने के बाद जो भर्ती प्रोसेस में चल रही थी, जिनकी मैरिट बन चुकी थी लेकिन उस रिजल्ट को वापस बदलना पड़ा और सर्कुलेशन के माध्यम से एक जो 50 परसेंट की सीमा में कोर्ट ने हमको निर्देश दिया था कि इसके ऊपर नहीं निकल सकते हो, वह एक परसेंट के कारण से अब

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

इसके सारे के सारे आदेश प्रोसेस में आ गये। विभिन्न विभागों के द्वारा जो नियुक्तियां चल रही हैं महीने के अनुसार मैं आपके पास फिगर रख सकता हूं कि सरकार ने जो कलैण्डर बनाया है, जो पैंडिंग इस रह गया 5 परसेंट और एक परसेंट का निर्णय नहीं होने के कारण से। जिनके सलैक्शन हो जाने थे या जिनको काम मिल जाना चाहिये था, उनका काम रुक गया, यह बात सच है लेकिन इसके लिये रास्ता निकाल कर, आपने देखा कि इस फरवरी में हम 17826 लोगों को नौकरी दे रहे हैं। पूरा कलैण्डर बनाया है, मार्च में 3730 को देंगे, अप्रैल में 10319 को देंगे, मई में 389 देंगे, उसके बाद जून में 38252 फिर 1365 फिर 4439 फिर 18079 फिर उसके बाद 146 उसके बाद 372 और उसके बाद दिसम्बर में 750, मैं सोचता हूं कि इतना संवेदनशील होकर प्रत्येक महीने का कलेण्डर जारी करना मंशा यह जाहिर करता है कि हम उनकी पीडा को समझते हैं और उन रिक्त स्थानों को भरने के लिये हमारी जिम्मेदारी है। उसी के आधार पर हमने यह सारा कलैण्डर बनाकर 95667 लोगों को इस कलैण्डर ईयर 2018 में सभी बच्चों को जो प्रोसेस में थे, उन सबको नौकरी देने के लिये वचनबद्ध हैं, इस हाउस में हम कह रहे हैं और निश्चित रूप से मैं आपको इससे आगाह करना चाहता हूं।

इसी तरह से आरपीएससी के पास 29 विभागों के 100875 विभिन्न श्रेणी के पद भर्तियों में अभी लंबित चल रहे हैं। इस वर्ष 2018 में वह भी हम पूर्ण कर लेंगे जैसा कि आरपीएससी ने हमको बताया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के विभिन्न विभागों की कुल 13 भर्तियां वर्तमान में लंबित चल रही हैं जिन्हें जुलाई माह से पूर्व सम्पादित किये जाने के संबंध में लोक सेवा आयोग द्वारा अवगत कराया गया है। लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न विभागों की कुल 30 भर्तियों की कार्यवाही की जा रही हैं जिसमें शीघ्र विज्ञापन जारी किया जाकर उन्हें भी वर्ष 2018 के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा। जो अधीनस्थ सेवा के तहत भर्तियां हैं, अधीनस्थ चयन बोर्ड के द्वारा 18 भर्तियां तो पूर्ण कर ली हैं, 7 भर्तियां अभी लंबित चल रही हैं, यह भर्तियां भी हम जुलाई, 2018 तक पूर्ति कर लेंगे। इसके अतिरिक्त सारी जो मैंने आपको बताई करीब 95000, यह अलग अलग विभागों की भर्ती हैं। एलीमेंट्री एजुकेशन में 9055 पद फरवरी माह में ही हम पूर्ण कर रहे हैं।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

उसके बाद सैकण्डरी एजुकेशन में 2800 पद की विज्ञप्ति हमने जारी की है, यह चयन बोर्ड से भिजवाई जा चुकी है। इसके बाद मेडिकल एजुकेशन का है, रेवेन्यू का है, फाइनेंस का है, संस्कृत एजुकेशन का है, होम का है, जेल का है, हर डिपार्टमेंट का है। जो वैकेंसी चार्ट हमने दिया फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर का जो चार्ट बताया है इसके तहत 95000 की वैकेंसी को भी हम पूरा कर लेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपने आगे का बताया, वह ठीक है। मैंने पूछा था कि 1 लाख 55 हजार भर्तियां जो आपने निकाल दी थीं। वे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, भिन्न-भिन्न न्यायालयों में हैं। उसका मैंने आपको उदाहरण दिया, उनका क्या हो रहा है? नयी कब करेंगे, क्या होगा, यह तो खुदा जाने, किस पर स्टे आएगा, क्या आएगा, कौनसा आरक्षण करोगे, यह आप क्या कह रहे हो। आप तो जो पैंडिंग है, वह बताओ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): या तो मैं आपको समझाने में असफल रहा या आप सुनने में असफल रहे। मैंने जो आपको यह मंथवाइज रिपोर्ट दी है यह वही सलैक्शन है जो प्रोसेस में हो गये, जिनको हमें देना था या जिनमें कुछ काम बाकी रह गया 5 परसेंट और एक परसेंट के आधार पर, उन सबको नियुक्ति दे रहे हैं। इसीलिए हर महीने के हिसाब से बताया है कि इस महीने में हम 17 हजार दे देंगे, इस महीने में 10 हजार देंगे, यह उसी का है। जिनकी वैकेंसी निकाल कर पूर्ति करना है, उसी का पूरे का पूरा चार्ट आपके सामने मंथवाइज रखा है। आरपीएससी के आधार पर कोई भी स्टे नहीं है, केवल 402 जूनियर आईटीआई के पद ऐसे हैं जिन पर अभी भी कोर्ट से स्टे है, बाकी किसी में भी कोर्ट का आज की तारीख में कोई स्टे नहीं है।

मैं सोचता हूं कि इस भर्ती में किसी प्रकार की.. केवल आपने जो ई.बी.सी. आरक्षण दिया है, उसके कारण जो मैरिट बनाई और बाद में वह रिजेक्ट होकर एक परसेंट पर आया, उसके कारण से जरूर विलंब हुआ है। अब उस विलंब पर न रहते हुए हमने जो एक परसेंट किया है, उसके आधार पर इन सारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी और जो नए पद विज्ञापित हैं, इसमें कुछ हैं, जो हम आगे विज्ञापित भी करेंगे। जैसे 2800 पद व्याख्याता

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

के हैं, उनकी अर्थना राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड को भिजवायी जा चुकी है। ऐसी और भी हमने भिजवायी हैं। ऐसा कर रहे हैं। यही नहीं, ये जो बार-बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि आप जो बार-बार घोषणा करते हो कि हमने इतने लोगों को नौकरी दे दी। आज मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं ताकि कम-से-कम यह भ्रम निकल जाए कि हमने 1 लाख 63 हजार पहले दे दी। 1 लाख भी आर.पी.एस.सी. के पास विचाराधीन है। 95 हजार की अभी मैंने आपको बताई, उसका मंथवाइज डिस्ट्रीब्यूशन करके किया, आप उसको जोड़िए। हम जो 13 लाख की आपको टोटल कहते हैं कि हमने लोगों को काम पर लगाया है, उसमें से 1.69 लाख के बारे में अभी बोला, जो भर्ती हो चुकी है। वह इसमें शामिल है। इसके बाद रोजगार संवर्द्धन हेतु कौशल प्रशिक्षण में 9 लाख 94 हजार 520 बच्चों को हमने प्रशिक्षण दिया है, उसमें 6 लाख 39 हजार बच्चों ने कौशल विकास के आधार स्वयं के रोजगार का काम शुरू कर दिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह तो एकदम फर्जी आंकड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, विराज जाएं। I'll not allow debate on this issue एक इन्फोर्मेशन है, Information is being transmitted through the Floor of the House and in case if you find that the information given is not true then there are other ways to bring it to the knowledge of the Chair and the Chair will deliberate on it accordingly.

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं। अगर कोई इस हाउस के फ्लोर पर आकर गलत आंकड़े देगा तो उसके विरुद्ध प्रिविलेज मोशन मूव हो सकता है। जो विभाग ने मुझे जानकारी दी है, वह मैंने आपके सामने दी है। क्योंकि आधी-अधूरी से, कैसे हुआ? कैसे नहीं हुआ? कैसे हुआ? ये शब्द रोज पूछते रहते हैं। मैं सोचता हूं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 13 लाख बच्चों ने लोन के लिए एप्लाई किया है, उसमें 15 प्रतिशत बच्चों को, 1 लाख 99 हजार 870 बच्चों को लोन स्वीकृत हो गया है। कौशल रोजगार, उद्यमिता रोजगार, मेलों के द्वारा जिन बच्चों को रोजगार के जो अवसर मिले हैं, वे 1 लाख 8 हजार

36 बच्चों को मिले हैं। ई-मित्र केंद्रों में 1 लाख 250 लोगों को रोजगार मिला है। रोजगार सृजन निवेश प्रोत्साहन में 67 हजार 490 को रोजगार मिला है और जो आर्मी की भर्ती हुई है उसमें 11 हजार 31 लोगों की भर्ती हुई है। यह सारा मिलाकर जो अब तक सलैक्शन हो चुका है या जिनको काम मिल चुका है, वह संख्या 13 लाख 28 हजार 462 है और जो प्रोसेस में चल रही है और जो अभी प्रक्रियाधीन है। वह मैंने आपको पहले ही बता दी है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अगर यह गलत है तो आप आओ ना, मेरे खिलाफ कार्यवाही करो।

श्री उपाध्यक्ष: आसन की अनुमति के बगैर जो बोल रहे हैं, वह अंकित नहीं होगा। मंत्री महोदय, आप कनक्लूड कर लें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सच में राजस्थान में एक ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास किया कि हम लोगों ने काम दिया ही नहीं। हमने जो 15 लाख कहा है, उसमें सबको सरकारी नौकरी देने के लिए नहीं कहा है। फिर भी सरकारी नौकरी में भी लगभग 3 लाख से अधिक लोग चयन हो गये हैं या फिर चयन की प्रक्रिया में है। केवल बाकी लोगों को मिला। मैं यह कह रहा हूं कि निश्चित रूप से मैं आपका बहुत आभारी हूं, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य का। आपने राजस्थान में फैले हुए...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मेरा तो आपको बहुत बार आभारी रहना पड़ेगा। एक बार ही नहीं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अपन आपस में समझते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, इस सदन को भी जानने की जिज्ञासा है कि आपस में क्या समझते हैं?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): थोड़ा बहुत तो आपको नमूने के रूप में यहाँ मिल गया है। धन्यवाद।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, On a point of information. सर, माननीय मंत्री जी ने अभी कौशल विकास के

(श्री मानिक चन्द सुराना)

लंबे चौड़े आंकड़े दिए हैं। यह राज्यपाल का अभिभाषण है। इसका पैरा-43 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जिसमें कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 13 दिसम्बर, 2013 से 31 दिसम्बर, 2017 तक 2 लाख 21 हजार 742 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अब माननीय मंत्री महोदय ने यहां प्रशिक्षित लोगों में से 8 लाख का आंकड़ा दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो क्षमता क्रिएट की है, जिसका पैरा-45 है, उसमें सिर्फ यह लिखा है कि राज्य में 930 नये राजकीय एवं निजी आई.टी.आई. स्थापित कर इनकी प्रशिक्षण क्षमता लगभग 4 लाख की जा चुकी है। कहीं भी सरकार ने इस पूरे पुलिंदे में यह क्लेम नहीं किया है कि आजीविका विकास के माध्यम से, नये स्किल डवलपमेंट के माध्यम से 8 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। मात्र यह बताया गया है कि प्रशिक्षित कितनों को किया है, न कि इनमें से कितनों को रोजगार दिया है और जितने प्रशिक्षित हुए, वे सेंट परसेंट एम्प्लाई हो गये, यह मानना बिलकुल तथ्यात्मक नहीं है। यह इनकी कपोल कल्पना के आधार पर है कि जो प्रशिक्षित हुआ उसको रोजगार मिल गया है और वह अच्छे ढंग से कमा रहा है, खा रहा है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इंजीनियर घूम रहे हैं, आप देख लें।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराज जाएं। मंत्री महोदय रिएक्ट करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): जितने प्रशिक्षित हो गये, उन सबको रोजगार मिल गया, यह मैंने नहीं कहा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह तो बताओ सही कि मिल क्या गया?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मंत्री महोदय आपने फिगर 8 लाख का दिया है। ध्यान करें कि 8 लाख लोगों को प्रशिक्षित कर और स्वयं का रोजगार उन्होंने स्थापित कर लिया है। आप इसको करैक्ट करना चाहें तो कर लें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने आपको बताया कि जो कौशल विकास में प्रशिक्षित हैं, उनकी संख्या ये है। उसके अंदर जो प्रशिक्षित होकर गये, उनमें से या तो कहीं नौकरी कर ली या स्वयं का अपना व्यवसाय कर लिया। मैंने उनकी संख्या बताई। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एक कोई नयी बात है क्या? जब आदमी भूखा होता है तो क्या नहीं करता है? आपने क्या कर दिया?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): जो संख्या मैंने बताई है, मुद्रा कोष भी उसी में है, भामाशाह की एजेंसी भी है और स्वयं का जो सारा काम किया है, वह संख्या उसी में है। जिसमें अपने कौशल के आधार स्वयं का रोजगार प्रारंभ कर दिया।(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पीपीपी मोड पर स्कूल दे दिये, पीपीपी मोड पर हास्पिटल दे दिये। मुझे लगता है पीपीपी मोड पर पुलिस को भी देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं श्री राजपाल सिंह जी।

व्यवस्था का प्रश्न

पर्ची पर वाद-विवाद की सीमा निश्चित हो

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, on a point of order. पर्ची पर इस तरीके से डिबेट होने लग जाएगी तो the Minister should come prepared for that.

व्यवस्था

पर्ची पर लम्बे वाद-विवाद की अनुमति नहीं दी जा सकती

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, आप विराज जाएं। इन्फैक्ट पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, मैं आपको पहले भी निवेदन कर चुका हूं। या तो आसन बाध्य हो जाएगा कि इसको बिल्कुल इतना सीमित रखे कि जो इस पर्ची का उद्देश्य है, कुछ ऐसे विषय जो तत्कालीन हों, जो जनहित में हों। वे सदन की ध्यान में लाये जाएं। अगर सम्माननीय सदस्य इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि इस पर हम फुल फ्लेजेड डिबेट कर दें और क्वेश्चन-आंसर्स में तब्दील कर लें, आसन इस बात पर बिलकुल भी सहमत नहीं है। अन्यथा हो सकता है कि आसन पर्ची जैसे विषय को ही खत्म कर दे। अगर गरिमा और डिसिप्लेन यही रहा तो पर्ची जैसे एजेंडे के लिए आसन बाध्य होगा। बगैर नियम के आसन फिर किसी भी चीज को लागू नहीं करेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपने सही फर्माया। 9वीं विधान सभा के अंदर यह पर्ची पहली बार सम्माननीय हरिशंकर जी भाभड़ा, जो विधान सभा के अध्यक्ष विराजते थे, उन्होंने प्रारंभ की थी। उसके पीछे मंतव्य यही था। उपाध्यक्ष महोदय, पहले पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन के नाम पर बहुत से लोग समय चाहते थे और वे कहते थे कि हमारे पास ऐसी सूचनाएं हैं। फिर यह तय हुआ कि अगर सब लोगों के पास ऐसी सूचनाएं हैं और एक साथ पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के नाम पर 15-15 लोग बोलने लग जाएं तो समय ज्यादा जाया होगा। फिर तय किया कि सब आकर अपनी पर्ची डाल दें और लॉटरी से उसका हो जाए। पर इन सालों में इसका स्कोप वाइडर होता चला गया। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी सदारत में आप सदन के वरिष्ठ लोगों को एक दिन बुला लें। उपाध्यक्ष महोदय, उसका कार्डिफिकेशन होना आवश्यक हो गया है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की डिबेट में पर्ची पर जो कुछ है, मंत्रीजी चाहेंगे तो इंटरवीन करेंगे। यदि मंत्रीजी नहीं चाहते तो आप चुप रहिए। कहां जरूरी है कि आप पर्ची का जवाब दें?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप खाली फील्ड में गोल करके चले जाओ।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आप एक मिनट बैठें। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि आप मंत्रीगण जहां उपयुक्त समझे वहां इंटरवींन करें। छोटा-सा वक्तव्य दें दे। लेकिन पर्ची के द्वारा जो लाइवली डिबेट होती है और 295 के तहत जितना मैटेरियल सदन में आता है,

उपाध्यक्ष महोदय, वह बहुत वैल्युएबल है। इसलिए सदन की चर्चा के स्कोप को बिना लिमिट करते हुए ऐसा प्रावधान किया जा सकता है कि मंत्री चाहे तो बोलें, चाहे तो नहीं बोलें। इस पर डिबेट की जरूरत ही नहीं है। मंत्री जी पर है। यदि मंत्रीजी चाहते हैं कि मुझे इंटरवीन करना है तो इंटरवीन करेंगे। करेंगे तो उसका जो भी जवाब, खण्डन होगा वह होगा ही। यह मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि सदन की प्रक्रियाओं को नियमों के तहत अधिक सीमित करने से लोकतंत्र का वाइब्रेंट, जो हथियार है राजस्थान विधान सभा, उसमें वाइब्रेंट डिबेट नहीं होगी तो ड्राई डिबेट का तो कोई अर्थ भी नहीं है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इसमें एक बात कहना चाहूंगा। यह पर्ची का विषय आया है। जो माननीय सदस्य है, माननीय मंत्री महोदय किसी बात का जवाब दें और जो विषय उठाया उस विषय के बाहर की भी बात वह लेकर आए तो उसके बाद तो उस पर प्रश्न उत्तर होगा ही होगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, इस सदन में अगर माननीय सदस्यों को सब प्रकार से बाध्य किया गया कि अभिभाषण पर बोलेंगे तो सरकारी सचेतक देगा या इधर का सचेतक देगा। तो सारी बातों पर अगर विधायक को, सत्तारूढ़ दल या प्रतिपक्ष दल के नेता का या सचेतक का +++ तो यह विधान सभा उसके लिए नहीं है। कट मोशन पर भी लागू कर दिया, अभिभाषण पर बोलने पर लागू कर दिया, बजट पर बोलने पर लागू कर दिया। पर्चियां भी कभी मुश्किल से निकल जाए उस पर भी कटौती करेंगे तो अपनी बात कहने की विधायक की स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता का हनन होगा। इसलिए इस पर्ची के मामले में विचार करते समय इस बात पर भी आप विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष: कुल मिलाकर शायद आसन इस नतीजे पर पहुंचा है कि इस पर नियम तो बनने चाहिए। आपके जितने भी विचार है, क्योंकि इसमें वरिष्ठ सदस्यों की भागीदारी रहेगी, जब आप नियम बनाए तो नियम स्पष्ट भी बनाए और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बखूबी रूप से ध्यान में रखते हुए उसको परिभाषित करने की भी कोशिश करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कनिष्ठ को भी शामिल कर लेना, नहीं तो फिर यह वरिष्ठ अपने हिसाब से बना लेंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, घनश्याम जी की पर्ची नहीं निकालो, सब ठीक हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आपको आसन के विजडम पर भी शक है क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कोई शक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: वरिष्ठ की क्या परिभाषा है, यह आप आसन पर छोड़ दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ठीक है साहब।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजपाल सिंह जी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 28 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-128 दिनांक 28.10.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर नियम, 2017 में संशोधान किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)वित्त/कर/2014पार्ट-129 दिनांक 31.10.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)वित्त/कर/2014पार्ट-84 दिनांक 13.9.2017 में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-130 दिनांक 1.11.2017 जिसके द्वारा शुद्धि पत्र जारी किया गया है;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-131 दिनांक 1.11.2017 जिसके द्वारा शुद्धि पत्र जारी किया गया है;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-132 दिनांक 14.11.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56) वित्त/कर /2017पार्ट-I-40 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
6. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-133 दिनांक 14.11.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर /2017पार्ट-I-41 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
7. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-134 दिनांक 14.11.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/ 2017पार्ट-I-43 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

8. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-135 दिनांक 14.11.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर /2017पार्ट-I-44 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
9. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-136 दिनांक 14.11.2017 जिसके द्वारा कतिपय अनुसंधान संस्थाओं को निश्चित माल की आपूर्ति पर राज्य कर में रियायत प्रदान की गई है;
10. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-137 दिनांक 14.11.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर /2017पार्ट-I-49 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
11. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-138 दिनांक 14.11.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर /2017पार्ट-I-50 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
12. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-139 दिनांक 15.11.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;
13. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/२017-पार्ट-II-140 दिनांक 15.11.2017 जिसके द्वारा 1.5 करोड़ रुपये तक कुल पर्णयावर्त वाले करदाताओं को फॉर्म जीएसटीआर-1 के त्रैमासिक प्रस्तुतिकरण को निर्धारित किया गया है;
14. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-141 दिनांक 15.11.2017 जिसके द्वारा अक्टूबर, 2017 के बाद फॉर्म जीएसटीआर-3-बी के विलम्ब से दाखिल करने पर देय विलम्ब शुल्क की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है;
15. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/२017-पार्ट-II-142 दिनांक 15.11.2017 जिसके द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाओं की आपूर्ति के लिये अनिवार्य पंजीकरण प्राप्ति से छूट प्रदान की गई है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

16. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-143 दिनांक 15.11.2017 जिसके द्वारा माल की आपूर्ति की दशा में अग्रिम प्राप्तियों पर कर के भुगतान के लिये करदाताओं को छूट तथा अधिसूचना संख्या: एफ. 12(56)वित्त कर/ 2017-पार्ट-II-119 दिनांक 13.10.2017 को अतिष्ठित किया गया है;

17. अधिसूचना संख्या: एफ.2(51)वित्त/कर/2014-144 दिनांक 8.12.2017 जिसके द्वारा आर.आई.डी.सी.ओ.आर. द्वारा निष्पादित ट्रस्ट डीड, सहबन्धक डीड एवं हाईपोथेकेशन डीड के उपकरणों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

18. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-145 दिनांक 18.12.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-68 सपठित राजस्थान माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम-138 के अन्तर्गत ई-वे बिल का निर्धारण किया गया है;

19. अधिसूचना संख्या:एफ.12(94)वित्त/कर/2007-146 दिनांक 18.12.2017 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है;

20. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-147 दिनांक 21.12.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

21. अधिसूचना संख्या: एफ.12(60)वित्त/कर/2017-148 दिनांक 22.12.2017 जिसके द्वारा राजस्थान ऑथोरिटी फॉर एडवान्स रूलिंग से संबंधित अधिसूचना संख्या: एफ.12(60)वित्त/कर/2017-68 दिनांक 19.7.2017 लागू की गई है;

22. अधिसूचना संख्या: एफ.12(60)वित्त/कर/2017-149 दिनांक 22.12.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-99 के अन्तर्गत राजस्थान अपिलेट ऑथोरिटी फॉर एडवान्स रूलिंग का गठन किया गया है;

23. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-152 दिनांक

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

29.12.2017 जिसके द्वारा 1.5 करोड़ रुपये तक कुल पर्णयावर्त वाले करदाताओं के लिये फॉर्म जीएसटीआर-1 के त्रैमासिक प्रस्तुतिकरण की नियत तिथि को बढ़ाया गया है;

24. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/२017-पार्ट-III-153 दिनांक 29.12.2017 जिसके द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-4 में विवरणी प्रस्तुत नहीं करने के लिये देय विलम्ब शुल्क का आंशिक अधित्याग किया गया है;
25. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-154 दिनांक 29.12.2017 जिसके द्वारा ई-वे बिल के नियम लागू होने की दिनांक को अधिसूचित किया गया है;
26. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-III-155 दिनांक 29.12.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;
27. अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)वित्त/कर/२014पार्ट-156 दिनांक 1.1.2018 जिसके द्वारा स्टाम्प ड्यूटी पर देय ब्याज और दण्ड से छूट प्रदान करने के लिये एमनेस्टी योजना लागू की गई है; एवं
28. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-157 दिनांक 1.1.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर /2017-58 दिनांक 30.6.2017 में संशोधन किया गया है।;

श्री उपाध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह जी।

पर्यावरण विभाग

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पर्यावरण विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1. अधिसूचना संख्या:एफ.12(1)पर्या/2015 दिनांक 27.8.2015, जिसके द्वारा एयर (प्रिवेन्सन एण्ड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन) एक्ट, 1981 के अन्तर्गत फसलों की कटाई के बाद भूसे को जलाये जाने को तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किया गया हैं; एवं
2. अधिसूचना संख्या:एफ.6(1)पर्या/77/पार्ट-1 दिनांक 14.11.2017, जिसके

(श्री गजेन्द्र सिंह)

द्वारा राजस्थान एयर (प्रिवेन्सन एण्ड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन) रूल, 1983 में संशोधन किया गया हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अमराराम जी।

राजस्व विभाग

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की 44 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1- अधिसूचना संख्या:एफ.6(14)राज-4/81/पार्ट/36 दिनांक 5.12.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड में कतिपय सदस्यों का मनोनयन किया गया हैं;

2- अधिसूचना संख्या:एफ.1(96)राज-6/2016/37 दिनांक 8.12.2016, जिसके द्वारा दिनांक 13.12.2016 से प्रारम्भ होने वाले मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के दौरान तहसीलदारों पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं प्रदत्त शक्तियों को नायब तहसीलदारों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है;

3- अधिसूचना संख्या:एफ.3(26)राज-6/2016/01 दिनांक 2.1.2017, जिसके द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक: एफ.5(109)रेव-बी/60 दिनांक 20.7.1963 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

4- अधिसूचना संख्या:एफ.6(24)राज-6/2001/पार्ट/02 दिनांक 18.1.2017, जिसके द्वारा अधिसूचना क्रमांक: एफ.2(15)रेव-बी/67 दिनांक 13.4.1967 को तत्काल प्रभाव से विखण्डित किया गया हैं;

5- अधिसूचना संख्या:एफ.9(27)राज-6/2015/03 दिनांक 10.2.2017, जिसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित सलाहकार समितियों (जिला-बीकानेर) में कतिपय सदस्यों का मनोनयन किया गया है;

6- अधिसूचना संख्या:एफ.6(28)राज-6/2014/पार्ट/4 दिनांक 22.2.2017, जिसके द्वारा राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू (अलॉटमेंट ऑफ लैन्ड फोर सैटिंग अप ऑफ पावर प्लान्ट बेस्ड ऑन रिन्युवेबल एनर्जी सोर्सेज) रूल्स, 2007 में संशोधन किया गया हैं;

(श्री अमराराम)

7- अधिसूचना संख्या:एफ.9(133)राज-6/15/05 दिनांक 1.3.2017, जिसके द्वारा जिला उदयपुर जहां भू-प्रबन्ध कार्य चल रहा है, वहां सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग निरीक्षक, भू-प्रबन्ध द्वारा सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी का पदस्थापन होने तक जिला उदयपुर के सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है;

8- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06-पार्ट/06 दिनांक 28.3.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम-169-एच के उप नियम-(1) के अन्तर्गत तहसील चूरू (जिला-चूरू) के क्षेत्र में उक्त नियम के चैप्टर-7 में वर्णित नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है;

9- अधिसूचना संख्या:एफ.1(158)राज-6/2015/पार्ट/07 दिनांक 12.4.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, जयपुर में श्री जगमोहन शर्मा का पीठासीन अधिकारी के पद पर पदस्थापन किया गया है;

10- अधिसूचना संख्या:एफ.9(126)राज-6/2012/08 दिनांक 12.4.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90-ए के अन्तर्गत तहसीलदार पर प्रदत्त शक्तियों एवं अधिरोपित कर्तव्यों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया हैं;

11- अधिसूचना संख्या:एफ.9(126)राज-6/2012/09 दिनांक 12.11.2017, जिसके द्वारा समस्त नायब तहसीलदारों को तहसीलदार पर प्रदत्त शक्तियों एवं अधिरोपित कर्तव्यों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है;

12- अधिसूचना संख्या:एफ.9(126)राज-6/2012/10 दिनांक 12.4.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90-ए के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-91 के अन्तर्गत तहसीलदार पर प्रदत्त शक्तियों एवं अधिरोपित कर्तव्यों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु दिनांक 30.9.2017 तक अधिकृत किया गया है;

(श्री अमराराम)

13- अधिसूचना संख्या:एफ.3(8)राज-6/2014/11 दिनांक 24.4.2017, जिसके द्वारा राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू (कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर लैन्ड फोर नॉन एग्रीकल्चरल परपजेज इन रूरल एरियाज) रूल्स, 2007 में संशोधन किया गया हैं;

14- अधिसूचना संख्या:एफ.6(25)राज-6/2015/12 दिनांक 1.5.2017, जिसके द्वारा आवंटन प्राधिकारी को स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा लोकोपयोगी अन्य भवनों के निर्माण के लिये राजकीय विभागों को भूमि आवंटन हेतु अधिकृत किया गया है;

15- अधिसूचना संख्या:एफ.9(25)राज-6/2014/13 दिनांक 4.5.2017, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी प्रयोजनार्थ जिला कलक्टर की भूमि सेट-अपार्ट करने की शक्तियॉ उप खण्ड अधिकारी को दी गई हैं;

16- अधिसूचना संख्या:एफ.6(1)राज-6/2014/पार्ट-1/14 दिनांक 5.5.2017, जिसके द्वारा ग्राम पंचायतों के मामलों को निर्णित करने की ग्राम पंचायत की शक्तियाँ ग्राम पंचायत के स्थान पर राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारियों को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार, 2017 के दौरान उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु दिनांक 8.5.2017 से 31.7.2017 तक दी गई हैं;

17- अधिसूचना संख्या:एफ.6(1)राज-6/2014/पार्ट-1/15 दिनांक 5.5.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में उपखण्ड अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का, संबंधित जिला कलेक्टरों के निर्देश पर राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत सहायक कलक्टर द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु दिनांक 8.5.2017 से 31.7.2017 की अवधि के लिये अधिकृत किया गया हैं;

18- अधिसूचना संख्या:एफ.9(45)राज-6/2016/16 दिनांक 11.5.2017, जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक भूमि आवंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया हैं;

19- अधिसूचना संख्या:एफ.1(3)राज-6/2011/पार्ट/17 दिनांक 18.5.2017, जिसके द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता नियम, 2016 में संशोधन किया गया हैं;

(श्री अमराराम)

20- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06-पार्ट/18 दिनांक 18.5.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम-169-एच के उप नियम-(1) के अन्तर्गत तहसील दूसूरी (जिला-पाली) के क्षेत्र में उक्त नियम के चैप्टर-7 में वर्णित नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है;

21- अधिसूचना संख्या:एफ.10(3)राज-6/2001/19 दिनांक 31.5.2017, जिसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 में संशोधन किया गया हैं;

22- अधिसूचना संख्या:एफ.6(1)राज-6/2014/पार्ट-1/20 दिनांक 9.6.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-136 के अन्तर्गत अधिकार अभिलेख में गलतियों के शुद्धिकरण के मामलों में भू-अभिलेख अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों एवं अधिरोपित कर्तव्यों का प्रयोग समस्त तहसीलदारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में करने हेतु दिनांक 31.7.2017 तक प्राधिकृत किया गया है;

23- अधिसूचना संख्या:एफ.6(13)राज-6/2014/21 दिनांक 13.6.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया हैं;

24- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/2006पार्ट/22 दिनांक 16.6.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व(भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया हैं;

25- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06-पार्ट/23 दिनांक 28.6.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम-169-एच के उप नियम-(1) के अन्तर्गत तहसील रामगंजमण्डी (जिला-कोटा) के क्षेत्र में उक्त नियम के चैप्टर-7 में वर्णित नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है;

26- अधिसूचना संख्या:एफ.9(68)राज-6/2015/24 दिनांक 7.7.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व(सिनेमाघर या पैट्रोल या चिकित्सा सुविधा या विस्फोटक भण्डार स्थापित करने हेतु कृषि भूमि का आवंटन तथा नियमन) नियम, 1978 में संशोधन किया गया हैं;

(श्री अमराराम)

27- अधिसूचना संख्या:एफ.14(1)राज-6/2005/25 दिनांक 17.7.2017, जिसके द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक: एफ.5(109)रेव-बी/60 दिनांक 20.7.1963 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

28- अधिसूचना संख्या:एफ.14(1)राज-6/05/पार्ट/26 दिनांक 11.8.2017, जिसके द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक: एफ.5(109)रेव-बी/60 दिनांक 20.7.1963 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

29- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/27 दिनांक 24.8.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम-169-एच के उप नियम-(1) के अन्तर्गत तहसील राजगढ़ (जिला-चूरू) के क्षेत्र में उक्त नियम के चैप्टर-7 में वर्णित नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है;

30- अधिसूचना संख्या:एफ.6(1)राज-6/2014/पार्ट-1/28 दिनांक 3.10.2017, जिसके द्वारा अजमेर जिले की तहसील अजमेर, नसीराबाद, पुष्कर, एवं पीसांगन में अधिकार अभिलेख में गलतियों के शुद्धिकरण हेतु तहसीलदारों को दिनांक 30.12.2017 तक अधिकार दिये गये हैं;

31- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/29 दिनांक 5.10.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम-169-एच के उप नियम-(1) के अन्तर्गत तहसील मलसीसर (जिला-झुंझुनूं) के क्षेत्र में उक्त नियम के चैप्टर-7 में वर्णित नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है;

32- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/2006पार्ट/30 दिनांक 12.10.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व(भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया हैं;

33- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/31 दिनांक 7.11.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम-169-एच के उप नियम-(1) के अन्तर्गत तहसील घाटोल (जिला-बांसवाड़ा) के क्षेत्र में उक्त नियम के चैप्टर-7 में वर्णित नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है;

(श्री अमराराम)

34- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/32 दिनांक 7.11.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम-169-एच के उप नियम-(1) के अन्तर्गत तहसील श्रीमाधोपुर (जिला-सीकर) के क्षेत्र में उक्त नियम के चैप्टर-7 में वर्णित नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है;

35- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/2006पार्ट/33 दिनांक 8.11.2017, जिसके द्वारा एक शुद्धि-पत्र जारी किया गया है;

36- अधिसूचना संख्या:एफ.9(79)राज-6/2011/34 दिनांक 20.11.2017, जिसके द्वारा राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू(परमामेन्ट अलॉटमेंट ऑफ इवाक्यू एग्रीकल्चर लैंड्स) रूल, 1963 में संशोधन किया गया हैं;

37- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/35 दिनांक 21.11.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम-169-एच के उप नियम-(1) के अन्तर्गत तहसील गिरवा (जिला-उदयपुर) के क्षेत्र में उक्त नियम के चैप्टर-7 में वर्णित नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है;

38- अधिसूचना संख्या:एफ.10(3)राज-6/2001/पार्ट/36 दिनांक 23.11.2017, जिसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 में संशोधन किया गया हैं;

39- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज3-6/06पार्ट/37 दिनांक 23.11.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम-169-एच के उप नियम-(1) के अन्तर्गत तहसील बीजासर (जिला-चूरू) के क्षेत्र में उक्त नियम के चैप्टर-7 में वर्णित नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है;

40- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/38 दिनांक 29.11.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम-169-एच के उप नियम-(1) के अन्तर्गत तहसील चिड़ावा (जिला-झुंझुनूं) के क्षेत्र में उक्त नियम के चैप्टर-7 में वर्णित नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है;

(श्री अमराराम)

41- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/39 दिनांक 7.12.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम-169-एच के उप नियम-(1) के अन्तर्गत तहसील बसेड़ी (जिला-धौलपुर) के क्षेत्र में उक्त नियम के चैप्टर-7 में वर्णित नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है;

42- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/2006पार्ट/40 दिनांक 8.12.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व(भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया हैं;

43- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/41 दिनांक 12.12.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम-169-एच के उप नियम-(1) के अन्तर्गत तहसील बागीदोरा (जिला-बांसवाड़ार) के क्षेत्र में उक्त नियम के चैप्टर-7 में वर्णित नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है; एवं

44- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)राज-6/06पार्ट/42 दिनांक 19.12.2017, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम-169-एच के उप नियम-(1) के अन्तर्गत तहसील रामगढ़ शेखावाटी (जिला-सीकर) के क्षेत्र में उक्त नियम के चैप्टर-7 में वर्णित नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वासुदेव जी देवनानी।

शिक्षा विभाग

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या:एफ.1(2)एज्यू-1/2014 दिनांक 12.9.2017,जिसके द्वारा सार्वजनिक-निजी सहभागिता नीति, 2017 जारी की गयी है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह जी।

ऊर्जा विभाग

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

1- अधिसूचना संख्या:एफ.राविविआ/सचिव/विनियम-121 दिनांक 14.9.2017 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (सौर तथा पवन उत्पादन स्रोत के पूर्वानूमान, शिड्यूलिंग, विचलन, व्यवस्थापन और सम्बद्ध मामले) विनियम, 2017 विरचित किये गये हैं; एवं

2- अधिसूचना संख्या:एफ.राविविआ/सचिव/विनियम-122 दिनांक 8.11.2017 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं सम्बद्ध मामले) विनियम, 2017 विरचित किये गये हैं।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री उपाध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह जी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ऊर्जा विभाग निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण वर्ष 2016-2017

I- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण वर्ष 2016-2017;

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017

II- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017;

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017

III- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017;

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2016-2017

IV- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2016-2017;

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2016-2017

V- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2016-2017;

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017

VI- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017;

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2016-2017

VII- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2016-2017. एवं

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017

VIII- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017.

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्र.सं. 37)

श्री उपाध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 37 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी, 2018 को मध्याहन पश्चात 1.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 06 फरवरी, 2018 से 12 फरवरी, 2018 तक सदन में अग्रेत्तर लिए जाने वाले कार्य का बटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

मंगलवार, दिनांक 06 फरवरी, 2018 बुधवार, दिनांक 07 फरवरी, 2018 गुरूवार, दिनांक 08 फरवरी, 2018	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद।
शुक्रवार, दिनांक 09 फरवरी, 2018	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अगेत्तर वाद विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर
शनिवार, दिनांक 10 फरवरी, 2018 रविवार, दिनांक 11 फरवरी, 2018	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 12 फरवरी, 2018	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-2019 का उपस्थापन

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 37वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 37वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

प्रवर समिति

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री गुलाबचन्द जी कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री फूलचंद जी भिण्डा।

जन लेखा समिति (क्र.सं. 229 से 254)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 2017-2018 के 26 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं।

1. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 3.15 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 229वां प्रतिवेदन।
2. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 3.16 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 230वां प्रतिवेदन।
3. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 3.3, 3.4 एवं 3.6 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 231वां प्रतिवेदन।
4. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 3.4 कृषि विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 232वां प्रतिवेदन।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

5. जन लेखा समिति, 2016-17 के 144वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 233वां प्रतिवेदन।

6. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 3.9 गृह (कारागार) विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 234वां प्रतिवेदन।

7. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 3.11 पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 235वां प्रतिवेदन।

8. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 3.10 कृषि विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 236वां प्रतिवेदन।

9. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 3.8 उपभोक्ता मामलात विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 237वां प्रतिवेदन।

10. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 3.7 वित्त विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 238वां प्रतिवेदन।

11. जन लेखा समिति, 2015-16 के 70वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 239वां प्रतिवेदन।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

12. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 3.6 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 240वां प्रतिवेदन।
13. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 3.9 स्वायत्त शासन विभाग तथा अनुच्छेद संख्या 3.23- नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 241वां प्रतिवेदन।
14. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 3.18 आपदा प्रबन्धन एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 242वां प्रतिवेदन।
15. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य-वित्त) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 2.4 वन, कला एवं संस्कृति, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा, अल्पसंख्यक मामलात तथा युवा मामले एवं खेल विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 243वां प्रतिवेदन।
16. जन लेखा समिति, 2015-16 के 92वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 244वां प्रतिवेदन।
17. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉ) वर्ष 2013-14 में समाविष्ट परिवहन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 245वां प्रतिवेदन।
18. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉ) वर्ष 2014-15 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 3.1 से 3.9 परिवहन विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 246वां प्रतिवेदन।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

19. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉ) वर्ष 2009-10 में समाविष्ट जल संसाधन विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 247वां प्रतिवेदन।

20. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉ) वर्ष 2010-11 में समाविष्ट खनिज विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 248वां प्रतिवेदन।

21. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉ) वर्ष 2010-11 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 6, अनुच्छेद संख्या 1.1 से 7.3 मुद्रांक कर पंजीयन शुल्क विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 249वां प्रतिवेदन।

22. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 3.1 आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 250वां प्रतिवेदन।

23. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 3.12 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 251वां प्रतिवेदन।

24. जन लेखा समिति, 2015-16 के 109वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 252वां प्रतिवेदन।

25. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य-वित्त) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 1.2.5 वित्त, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, माध्यमिक शिक्षा, पर्यटन, पशुपालन तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अनुच्छेद संख्या 2.5 वित्त एवं जल संसाधन तथा अनुच्छेद संख्या 3.5 वित्त विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 253वां प्रतिवेदन।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

26. जन लेखा समिति, 2016-17 के 179वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2017-18 का 254वां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष: नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, You are on a point of information.

सूचना

नवलगढ़ गवर्नमेंट कालेज के छात्र संघ का आंदोलन

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाइंट आफ इनफोरमेशन के माध्यम से दो सूचनाएं सदन को देना चाहता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री कुछ दिनों पहले झुन्झुनूं दौरे पर गयी थीं, नवलगढ़ भी आई थीं। वहां जन संवाद कार्यक्रम के दौरान, वहां के गवर्नमेंट कालेज के छात्रसंघ अध्यक्ष ने सैकड़ों छात्र-छात्राओं के साथ ज्ञापन दिया था कि कालेज के अंदर व्याख्याताओं की कमी है।

श्री उपाध्यक्ष: आप इन्फोर्मेशन पर आ जाइये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैं इन्फोर्मेशन ही दे रहा हूं। व्याख्याता लगाये जाएं, एग्जाम सिर पर है। उन्होंने आश्वासन दिया था, अधिकारियों ने उस समय मुख्य मंत्री के सामने हां कर ली। वह लोग व्याख्याता नहीं लगा पाए। छात्र संघ अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सैकड़ों छात्र-छात्राओं के साथ आज आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। एक यह सूचना है। वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति कभी भी गड़बड़ा सकती है।

उदयपुरवाटी, मंडावा एवं चिड़ावा के सरकारी महाविद्यालयों की मांग

दूसरा उदयपुरवाटी, मंडावा और चिड़ावा, ये तीनों कस्बे सरकारी कालेज के लिए कई महीनों से आंदोलनरत हैं। उनको भी असत्य आश्वासन दिया गया। आज चिड़ावा बंद है। पुलिस और छात्र-छात्राएँ आमने सामने हैं। वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है।

(डा. राजकुमार शर्मा)

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा मंत्री जी, आपने, मुख्य मंत्रीजी ने वहां पर वादे किए थे उन वादों को पूरा करें।

श्री उपाध्यक्ष: Please sit down. Thank you.

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): बच्चों को आश्वासन दें ताकि आपस में टकराव टल सके।

श्री उपाध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद के लिए समय का आवंटन।

घोषणा

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

मुझे सदन को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए लगभग 16 घंटे ही उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिए जाने का समय भी सम्मिलित है।

मैं विभिन्न पार्टियों के लिये समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं:

भारतीय जनता पार्टी	12 घण्टे 43 मिनट
इण्डियन नेशनल कांग्रेस	2 घण्टे 2 मिनट
नेशनल पीपल्स पार्टी	20 मिनट
बहुजन समाज पार्टी	10 मिनट
नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी	10 मिनट
निर्दलीय	35 मिनट
कुल	16 घण्टे

श्री अभिषेक मटोरिया।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप में धन्यवाद प्रस्तुत किया जाए, 'इस सत्र में एकत्रित हम राजस्थान विधान सभा के

(श्री अभिषेक मटोरिया)

सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं'।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल चौदहवीं विधानसभा के दसवें सत्र में माननीय राज्यपाल द्वारा जो अभिभाषण दिया गया, बड़े स्पष्ट रूप से वर्तमान सरकार के चार सालों की प्रोग्रेस और आगामी एक साल का रोड-मैप उसमें प्रस्तुत किया गया।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, सड़क, ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास, उद्योग, पर्यटन, आई.टी., सभी क्षेत्रों में जो अभूतपूर्व ऐतिहासिक कार्य हुए, उनके परिणामस्वरूप निश्चित रूप से राजस्थान विकास की दृष्टि से पूरे देश में अग्रिम पंक्ति में आकर खड़ा हुआ और प्रत्येक राजस्थानी का जीवन स्तर भी बेहतर हुआ है। विकास कार्यों के साथ-साथ राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार के साथ ऐसे नये कार्यों को हाथ में लिया, जिन पर आज तक बहुत सारी सरकारें आयीं और गयीं, परन्तु किसी की सोच वहां तक नहीं गयी। विशेष रूप से, जल का महत्व समझते हुए मुख्य मंत्री जल स्वालम्बन योजना, भामाशाह योजना, स्वच्छ भारत अभियान, न्याय आपके द्वार, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना और बेटी बेचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे महत्वपूर्ण अभियानों पर केन्द्र और राज्य सरकार की दूरगामी सोच झलकती है और जो हमारी पार्टी का ध्येय है, जो हमारा सपना है, मजबूत राजस्थान, खुशहाल भारत, इस सपने की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। चूंकि वर्तमान सरकार के चार वर्ष पूरे हो चुके हैं, इन चार वर्षों में प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने कितने विकास कार्य किये, और पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पूरे पांच वर्ष के कार्यकाल में कितने विकास कार्य हुए, उन सभी क्षेत्रों में अगर तुलनात्मक विवरण मैं सदन की मेज पर रखूं तो मैं समझता हूं कि हमने उनसे अधिक कार्य ही नहीं किये, कई गुना अधिक कार्य हमने किये। कई-कई जगह तो डिफरेंस इतना ज्यादा है कि जो कांग्रेस के मेरे माननीय सदस्यगण, साथीगण, इन तीन सीटों की जीत के बाद जो यह समझ रहे हैं कि चार वर्ष के कार्यकाल में राजस्थान में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी चुनावों में जनता को कैसे फेस करेगी, अब हम तो 17 सीटों की बढ़त को 170 सीटों पर ले जाएंगे। यह थोड़ी सी गलतफहमी इन

(श्री अभिषेक मटोरिया)

आंकड़ों के माध्यम से मैं इसलिये दूर करना चाहूंगा, क्योंकि उप चुनाव एक अलग बात है, उप चुनाव के नतीजे एक अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा ध्येय कभी भी सत्ता हासिल करना, सत्ता सुख भोगना, सत्ता हथिया कर सत्ता का दुरुपयोग करना नहीं रहा है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): सबको जाना है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप झुंझुनूं से हैं।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): हां मैं झुंझुनूं का प्रभारी भी हूं।

तो निश्चित रूप से मैं यह कहना चाह रहा था कि आपको मानना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की सोच केवल चुनाव हार-जीत तक ही सीमित रहती है और भारतीय जनता पार्टी ने सदैव वह फैसले लिये हैं, जिससे कि जनता का भला हो, न कि वे फैसले जो जनता के लिये अच्छे हों, अगर हमें कड़े फैसले भी लेने पड़े तो हमने लिये हैं और जनता का समर्थन भी मिला है। हो सकता है कि हमें इमीडिएट उसका बेनिफिट नहीं भी मिला, पर आने वाले समय में जनता ने उन फैसलों को सराहा है और जनता का समर्थन समय-समय पर प्राप्त भी हुआ है।

ऊर्जा एक ऐसा क्षेत्र है, जिस पर आये दिन हमारे माननीय सदस्य सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं, परन्तु अगर वे इनके वास्तविक आंकड़ों को जानेंगे तो वर्तमान सरकार के कार्यकाल के चार वर्षों में राज्य की अधिस्थापित जो क्षमता है वह 6938 मेगावाट है, इतनी बढ़ोतरी हुई। जबकि इनके पांच वर्षों के कार्यकाल में 6228 मेगावाट तक ही सीमित थी। हमारे पास एक साल अभी शेष है। वर्तमान सरकार के चार वर्षों में सौर ऊर्जा की दृष्टि से हमारा रिन्युएबल एनर्जी, सौर एनर्जी पर भी विशेष फोकस रहा है, आने वाले टाइम में ये अपने आप में एक नये कीर्तिमान के रूप में स्थापित होगा। 1592 मेगावाट, चार वर्षों में, और आपके पांच साल का टोटल 667 मेगावाट, यानी डबल से भी ज्यादा। सौर एनर्जी पर भी हमारा विशेष रूप से ध्यान रहा है। इसके अलावा हमारी सरकार ने चार वर्षों में 24 लाख

(श्री अभिषेक मटोरिया)

उपभोक्ताओं को घरेलू विद्युत कनेक्शन प्रदान किये। आपका चार वर्ष का आंकड़ा, केवल 20 लाख तक सीमित था। चार लाख हम आपसे अधिक हैं, यानी हमें उस अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की भी सोच है। हम घरेलू कनेक्शंस के माध्यम से अधिकाधिक लोगों तक ऊर्जा प्रदान करना चाहते हैं।

आप किसान आन्दोलन में किसानों के बीच जाकर बिजली के अनुदान की बात करते हैं। आपको यह भी बताना चाहिए कि किसानों को बिजली दरों में हमारी सरकार ने 26125 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है, चार वर्षों में। आपने पांच वर्षों में किसानों को बिजली के लिये जो अनुदान दिया है, उसकी राशि 8320 करोड़ की है। तीन गुना से भी अधिक किसानों को हमने बिजली में अनुदान दिया है। इसके अलावा विद्युत वितरण कम्पनियों की जो आर्थिक स्थिति आप छोड़कर गये थे, वैसे तो उपाध्यक्ष महोदय, इनके द्वारा जो गड्ढे छोड़े गये थे, उनको भरना और उसके बाद आगे प्रोग्रेस करना हमारे लिये एक चैलेंजिंग टास्क था, उसके बावजूद विद्युत वितरण कम्पनियों का 72 हजार करोड़ से अधिक का घाटा जो आप हमें गिफ्ट के रूप में देकर गये थे, चार वर्षों के कार्यकाल में एक लाख 10930 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता हमारे राज में हमने उपलब्ध कराई है। आपने पांच वर्ष के कार्यकाल में 32560 करोड़ रुपये, हमने तीन गुना ज्यादा किया।

ऊर्जा के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पेयजल की दृष्टि से आपने पांच वर्ष के कार्यकाल में 12225 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाये। मैं मानता हूं कि हमारी सरकार की दूरगामी सोच का परिणाम है कि चार वर्षों में हमने 18071 करोड़ के विकास कार्य अब तक पूर्ण कर लिये और बहुत सारी बड़ी योजनाएं अभी भी पाइप लाइन में हैं। इसके अलावा इस सरकार के चार वर्षो के कार्यकाल में 34 वृहत् पेयजल परियोजनाएं कम्पलीट हो चुकी हैं। 7698 ग्राम एवं ढाणियां, 23 शहर लाभान्वित भी हो चुके हैं, जबकि आपके पांच साल के कार्यकाल में 21 वृहत् पेयजल योजनाएं, 2775 ग्राम और 19 शहरों को आपने लाभान्वित किया है। आपसे 1.7 परसेंट हम इस मामले में भी बहुत अधिक हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से 986 उप स्वास्थ्य केन्द्र। आपने 5 साल में 296 खोले थे। हमारे 281 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आपके 170 थे।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण में हमने 70 बनाये, आप केवल 64 तक सीमित रह गये। यह चार और पांच साल का डिफरेंस है।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि शिक्षा विभाग में बहुत सारे कड़े फैसले हमने लिये। शिक्षा की दृष्टि से 13 से 14 लाख का नामांकन पूरे देश के इतिहास में अगर बढ़ा है तो वह राजस्थान में बढ़ा है। केवल स्कूल क्रमोन्नत करना या किसी क्षेत्र विशेष को शिक्षा का लाभ देने पर हमारी सरकार का कभी जोर नहीं रहा। सामुहिक रूप से सभी को एक मानते हुए बिना भेदभाव हमने विद्यालय क्रमोन्नत किये। जहां-जहां रिक्त पद 50-60 या 70 प्रतिशत से अधिक आटोमेटिक अपडेशन कम्प्यूटर के तहत दिखा रहे थे, हमने वहां पर शिक्षक लगाये। बहुत कम ऐसी जगहें हैं, जहां पर शिक्षा प्रधान, प्रिंसीपल नहीं हैं, 80 और 90 प्रतिशत से ऊपर प्रिंसीपल और हैड-मास्टर हमने लगाने का काम किया। जिन विद्यालयों को हमने क्रमोन्नत किया, उनके अलावा जिनको हम क्रमोन्नत नहीं कर पाये, उनको हमने आदर्श विद्यालय की संज्ञा दी ताकि उनमें मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव था वह पूरा किया जा सके। सभी विद्यालयों को क्रमोन्नत करना, सारे भौतिक संसाधन उपलब्ध कराना और सारे शिक्षक लगा पाना एक बार में सम्भव नहीं है। इसको हमने बड़े फेज-मैनर में किया। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है, जिसकी बदौलत हमारा देश, हमारा प्रदेश आने वाले समय में ऐसे टैलेण्टेड युवा निकाल कर लायेगा, जो देश की नींव को न केवल मजबूत करेंगे, एक नई क्रांति देश में लाने का काम करेंगे। 12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत से ऊपर जिन भी छात्राओं ने अंक प्राप्त किये, प्रोत्साहन योजना के तहत 98 हजार छात्राओं को इन चार वर्षों में लाभान्वित किया गया।

आपने, अगर आपका शिक्षा की तरफ ध्यान होता तो आपके पांच वर्ष के कार्यकाल में केवल 11038 छात्राओं को आपने लाभान्वित किया, आपसे आठ गुना, नौ गुना अधिक क्योंकि हमने स्वयं उन विद्यालयों में जाकर नामांकन पूरा किया, शिक्षा की तरफ ध्यान दिया तब ही आपका फिगर पांच वर्ष का 11 हजार तक अटक गया और हमारा चार वर्ष का फिगर 75 प्रतिशत से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्राओं का 98 हजार है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो हम मानते हैं कि थोड़े दूर-दराज में बसे हुए हैं, वहां पर

(श्री अभिषेक मटोरिया)

शायद परिवहन की उतनी व्यवस्था नहीं हो पाती क्योंकि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा प्रदेश है।

वैसे तो सड़कों के लिहाज से, परिवहन के लिहाज से बहुत सारे कार्य हमने किये पर उन बच्चे-बच्चियों की विशेष नीड्स को देखते हुए साइकिल वितरण योजना के तहत 11 लाख 6 हजार 393 साइकिल वितरित राजस्थान सरकार ने की, चार वर्षों में और आपका यह पांच वर्षों का फिगर 3 लाख 61 हजार छात्र, अगेन थ्री टू फोर टाइम एक्स्ट्रा, केवल साइकिल देना हमारा ध्येय नहीं है, एक साइकिल किसी भी छात्र-छात्रा को मिलेगी तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य की दृष्टि से, समय पर पहुंचने की दृष्टि से और डिसिप्लिन, अनुशासन जो उस छात्र-छात्रा में आता है, उसके अनेकानेक लाभ है इसीलिए हमने 11 लाख साइकिल चार वर्ष में बांट दी और आप पांच साल में इस फिगर को तीन लाख से ऊपर भी नहीं लेकर गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्यालय क्रमोन्नति की दृष्टि से वर्तमान सरकार के कार्यकाल में चार वर्षों में 5505 विद्यालय माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में हमने क्रमोन्नत किये इसके विपरीत पूर्ववर्ती सरकार ने पांच वर्षों में 1319 विद्यालय क्रमोन्नत किये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): दुबारा बताना इनको।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): वर्तमान सरकार के कार्यकाल में चार वर्षों में 5505 विद्यालय माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय हमने क्रमोन्नत किये चार वर्ष में और पांच वर्ष के आपके कार्यकाल में 1319 विद्यालय क्रमोन्नत आपने किये। विद्यालय क्रमोन्नति के साथ-साथ माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रत्येक पंचायत पर एक 12वीं के स्कूल का जो सपना देखा था, उसका एक उद्देश्य था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसका एक कारण था कि कम से कम एक पंचायत में, उस पंचायत में रहने वाले विद्यार्थी, छात्र-छात्रा वह कम से कम दूसरी पंचायत में जाकर 12वीं के विद्यालय और 11वीं और 12वीं के लिए बाहर न जाएं। लगभग जो 11 हजार पंचायतें हैं उनमें से हम सात-साढ़े सात हजार पूरी कर चुके हैं और जो शेष है, उनको भी हम निश्चित रूप से आने वाले बजट में शामिल करेंगे। यह अपने आपमें

(श्री अभिषेक मटोरिया)

एक बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान वह प्रदेश बनने जा रहा है, जिसमें कोई भी ग्राम पंचायत इस चुनाव से पहले 12वीं के विद्यालय से विहीन नहीं हो, पहला प्रदेश राजस्थान पूरे देश में होने जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रम का सम्मान करना और श्रम को सम्मान के साथ-साथ उचित मानदेय मिले, पूरे समाज में उसको वह प्लेटफार्म मिले जिसके माध्यम से वह सिर झुका कर नहीं छाती ठोक कर समाज की अग्रिम पंक्ति में सबके साथ, हमारे साथ बैठकर यह महसूस करें कि वह भी मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है, इस बात को राजस्थान सरकार ने पहचाना और चार वर्षों में 15 लाख 24 हजार निर्माण श्रमिक पंजीकृत किये गये। आपने, कांग्रेस सरकार ने पांच वर्षों में 3 लाख 69 हजार, पांच गुना ज्यादा श्रमिक पंजीकृत अपने आप नहीं हुए हैं। यह कोई आटोमैटिक अपडेशन नहीं है कि कम्प्यूटर में नाम डाल दिया और सारे जो श्रमिक थे, वह पंजीकृत हो गये। इसके लिए विशेष अभियान चलाया गया। श्रम विभाग ने पहल की और यह फिगर जो आप पांच वर्षों में 3 लाख 69 हजार तक छोड़ कर गये थे, उसको 15 लाख 24 हजार तक श्रम विभाग लेकर गया है। यह अपने आप नहीं हुआ है, बहुत मेहनत करनी पड़ी है।

और, अब आप देखिये कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के चार वर्षों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत श्रम विभाग ने, यह बहुत बड़ा आंकड़ा है, अभी तो खैर, आपके काफी कम माननीय सदस्य बैठे हैं, अब आप सुनिये 690 करोड़ रुपये व्यय किये गये। 2 लाख 39 हजार निर्माण श्रमिक लाभान्वित किये गये, चार साल में और आपकी सरकार ने पांच वर्षों में 22 करोड़ रुपये व्यय किये, केवल 22 करोड़ रुपये और आप कहते हो कि हम श्रमिक का सम्मान करेंगे, मजदूर हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस की सरकार तो किसानों और मजदूरों की सरकार है तो आप 22 करोड़ रुपये ही दे रहे हो पांच साल में और श्रमिकों की जो संख्या थी, वह 24 हजार थी, हमने 2 लाख 40 हजार श्रमिकों को सम्मानित किया है, आप केवल 24 हजार तक सीमित रह गये। क्या हुआ? जब आप बार-बार इस चुनाव को गिनाना चाहते हैं, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारी सरकार का ध्येय मैंने पहले भी बताया। हार-जीत, चुनाव सत्ता सुख भोगना नहीं है। हम वह

(श्री अभिषेक मटोरिया)

फैसले लेते हैं जिससे प्रदेश की जनता का फायदा हो। भारतीय जनता पार्टी अपना फायदा नहीं सोचती। हम पार्टी से पहले प्रदेश और देश को खड़ा रखते हैं इसलिए इन उप चुनावों से बहुत ज्यादा उत्साहित होकर और इन व्यवस्थाओं को चैलेंज करना कि वर्तमान सरकार ने चार वर्ष में कुछ नहीं किया, यह सब गलत है। उप चुनाव एक अलग बात है और विकास के आंकड़े जो मैं आपके बीच में रख रहा हूं, एक आंकड़ा भी अगर इधर-उधर हो जाए तो आप मेरे से यह आकड़े ले सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के हमारे मंत्री बैठे हैं। ....(व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो एक सैकिण्ड बोल लूं। अगर मंत्री महोदय बीच में ही जवाब दिलवाना चाहते हैं तो बीच में आप अनुमति दे दें, दे देंगे, नहीं तो समय आने पर सबका जवाब दे देंगे। दे दिया, और दे देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप सो रहे थे महानुभाव, सचेतक महोदय सो रहे थे इसीलिए आपको सचेत कर रहे थे वह तो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी ड्रेस शानदार है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग, माननीय मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं। ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चार वर्ष के अंदर राजस्थान सरकार ने 9976 करोड़ रुपये खर्च किये जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने पांच साल में 5070 करोड़ रुपये खर्च किये, डबल का भी फिगर हमने छुआ है पांच साल में ग्रामीण विकास में, आप पांच हजार करोड़ खर्च करते हो हमने दस हजार करोड़ रुपये खर्च किये हैं चार वर्ष में और एक वर्ष चुनाव से पहले हमारे पास में है।

डांग क्षेत्र विकास योजना में चार वर्ष के अंदर हमारा फिगर 223 करोड़ रुपये और आपका पांच साल का फिगर 72 करोड़, तीन गुना, चार गुना ज्यादा है।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, आपने पांच साल में 55 करोड़ रुपये खर्च किये हमने 217 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।

मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पांच साल में आपका फिगर 56.4 करोड़ और हमारा चार वर्ष का फिगर 197 करोड़ रुपये हुआ है।

और तो और, गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना के अंतर्गत हमने भामाशाहों को प्रेरित किया, लोगों के बीच में गये, आपका फिगर पांच वर्ष का 86 करोड़ का है, हमारा चार वर्ष का फिगर 454 करोड़ रुपये का है।

पंचायती राज विभाग, पंचायती ग्रामीण विकास के अलावा पंचायती राज विभाग में, अब यह फिगर तो इतना ज्यादा है कि आप इस पर यकीन इसलिए नहीं करेंगे कि क्योंकि आपको लगता है कि पंचायती राज विभाग आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए पंचायत, पंचायत में रहने वाला और अंत्योदय का जो लक्ष्य हमने दिया वह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के चार वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत 8797 करोड़ रुपये आपके पांच वर्ष के 2159 करोड़ रुपये की एवज में चार गुना ज्यादा अधिक हमने खर्च किये हैं। कहां पर 2159 करोड़ और कहां 8797 करोड़? और केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत आपका फिगर पांच वर्ष का 1539 करोड़ है और यह फिगर हमारा चार वर्ष का 7205 करोड़, छह गुना अधिक है।

इसके अलावा, इन छोटी-छोटी बातों से जिनसे समाज का निर्माण होता है। समाज का अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति अपने आपको गौरवान्वित महसूस करता है, ऐसे फैसले हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लिये, मैं उदाहरण सहित बताऊंगा कि कैसे लिये हैं।

कभी भी किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि हमें शौचालयों का निर्माण करना चाहिए। अगर यह बात आपने बहुत पहले सोची होती तो शायद आज जो ओ.डी.एफ. फ्री का हमने नारा दिया है, वह बहुत पहले साकार हो जाती और इसी का परिणाम है कि 76 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण चार वर्ष के कार्यकाल में हुआ और 76 लाख की एवज में आपका यह फिगर केवल 26 लाख था। करोड़ों में अगर हम बात करें तो आपने पांच वर्ष में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण पर केवल 315 करोड़ रुपये खर्च किये, जो कि

(श्री अभिषेक मटोरिया)

हमारा फिगर 4998 करोड़ का है, दस गुना से भी ज्यादा। यह बहुत छोटी बात है। मेरे माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहूंगा कि शायद शौचालय निर्माण की तरफ किसी की सोच नहीं गयी। पर, यह बड़ी, हम ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोग इस बात का महत्व समझते हैं और शौचालय निर्माण को हमने फार्म भरते समय चुनाव में भी इसीलिए अनिवार्य किया था ताकि शौचालय का महत्व समझें, स्वच्छता का महत्व हो, सफाई का महत्व हो।

चार साल के इस कार्यकाल में पुराने जितने भी आवासीय भवनों के पट्टे बहुत लम्बे समय से पेंडिंग थे, वह फिगर हमारा 8 लाख 50 हजार 216 का है और आपने पांच वर्ष में 3 लाख 44 हजार 741 पुराने आवासीय भवनों के पट्टे जारी किये। इस फिगर में भी हम आपसे डबल संख्या में ज्यादा है।

(14.00 बजे)

जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना के तहत चार वर्षों में 1,818 करोड़ रुपये की राशि हमने अब तक व्यय की। आपका पांच वर्षों का व्यय 1,050 करोड़ है। 800 करोड़ की राशि एक साल रहते हुए भी हमने आपसे ज्यादा व्यय की। जनजाति बालिकाओं को मुफ्त स्कूटी का वितरण। इसकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया। आपने पांच वर्षों में केवल 773 करोड़ की जनजाति बालिकाओं को मुफ्त स्कूटी वितरण की, हमने चार वर्षों में 2,603 करोड़ रुपये की राशि मुफ्त स्कूटी वितरण में खर्च की।

इसके अलावा, महाविद्यालय स्तर की उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन योजना के तहत जनजाति क्षेत्र में 39,416 बालिकाओं को आपने लाभान्वित किया। हमारा यह फिगर था 78,606, आपके इस फिगर से भी डबल।

इसके अलावा, आप अक्सर किसानों की बात करके उनको भ्रमित करना चाहते हैं। कर्ज माफी जैसे गंभीर मुद्दों पर, संवेदनशील मुद्दों पर इस प्रकार के आंकड़े रखकर यह दर्शाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों और जवानों की पार्टी नहीं है, जबकि यह गलत है। अगर आप सोइल हैल्थ कार्ड से लाभान्वित लोग और कृषि क्षेत्र में जो नवाचार पहली बार हमारी सरकार में हुए, उनका अध्ययन करोगे तो आप पाओगे कि ऐसे नवाचार राजस्थान

(श्री अभिषेक मटोरिया)

मरूस्थलीय राज्य है, हमारे यहां पर पानी की कमी है, उसके बावजूद भी हमने जो नये प्रयोग किये, वह राजस्थान क्या पूरे विश्व में कहीं नहीं हुए। 55 नवीन मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हमने स्थापित की हैं चार साल में और आपने पांच साल में केवल 26 नवीन प्रयोगशालाएं स्थापित कीं। आपने पांच वर्षों में 13 लाख कृषकों को सोइल हैल्थ कार्ड दिया। हमने चार वर्ष में 70 लाख किसानों को सोइल हैल्थ कार्ड दिया। यह वही किसान हैं, आपके समय में भी थे। आपका फिगर 13 लाख तक रह गया, हम इसको 70 लाख तक लेकर गये और जिस हिसाब से कृषि विभाग काम कर रहा है, एक वर्ष में हम इसको एक करोड़ से भी ऊपर लेकर जाएंगे।

इसके अलावा, मुख्य रूप से सहकारिता विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिये जो तीन प्रकार के ऋण सहकारिता विभाग देता है - अल्पकालीन, दीर्घकालीन और मध्यकालीन। इन तीनों प्रकार के ऋणों में हमारा फिगर ऋण उपलब्ध कराने में, किसानों को मजबूत करने में आपकी सरकार से कहीं अधिक है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह स्पष्ट झलक रहा था कि हमारी सरकार ने किसानों की सोच रखी, किसानों के लिये निश्चित रूप से ऋण वितरित करके उनको आर्थिक मजबूती प्रदान करने का काम किया गया। वह यह फिगर दर्शाता है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के चार वर्षों में किसानों को 60,169 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण चार वर्ष में दिये गये। आपका पांच वर्ष का यह फिगर 40,892 करोड़ का है। 20 हजार करोड़ के अल्पकालीन ऋण एक साल रहते, चुनाव से भी पहले हमने इनको दिये। इसके बाद दीर्घकालीन ऋण 1,015 करोड़ चार वर्षों में हमने वितरित किये। आप 882 करोड़ रुपये ही वितरित कर पाये हैं पांच साल में और मध्यकालीन ऋण वितरित करने में आपने पांच वर्षों में 1349 करोड़ रुपये वितरित किये हैं, जबकि हमारी सरकार चार वर्ष में 1978 करोड़ रुपये के ऋण किसानों को अब तक वितरित कर चुकी।

जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र विकास में एक क्षेत्र विशेष को भ्रमित करके और वहां पर किसानों में यह भ्रम फैलाकर कि सिंचाई का पानी राजस्थान सरकार देने में सक्षम नहीं है। पंजाब-हरियाणा से बात नहीं हो रही है। आये दिन आन्दोलन को गलत दिशा में भटकाने में अगर आप यह

(श्री अभिषेक मटोरिया)

फिगर्स लेकर जाते तो आपको मालूम होता कि वर्तमान सरकार ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर अब तक चार वर्षों में 6,051 करोड़ रुपये खर्च किये, जबकि आपने पांच वर्षों में 3,670 करोड़ खर्च किये।

इसके साथ-साथ चार वर्षों में सिंचाई विभाग ने 28 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्धार करवा दिया और 34 ऐसी परियोजनाएं अभी हमारे हाथ में हैं। आपने केवल पांच वर्षों में सरकारी आंकड़ों के अनुरूप चार मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्धार किया है, 25 की एवज में केवल चार। किसानों का कल्याण और उत्थान कैसे होगा?

पशुपालन विभाग में राजस्थान सरकार की यह घोषणा है कि प्रत्येक पंचायत पर एक पशु उप-केन्द्र तो कम से कम होना चाहिये। नवीन पशु चिकित्सा उप-केन्द्रों की संख्या 2,760, चार वर्षों में, आपके पांच वर्षों में 1093 संख्या थी। इसमें भी हम आपसे ज्यादा हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): स्वास्थ्य की चिंता करने वाले उप स्वास्थ्य केन्द्र पी.एच.सी., सी.एच.सी. भी बता देते तो अच्छा रहते।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): नहीं, क्या हम यह कहें कि सदन में हमारे माननीय सचेतक महोदय को पशुपालन और पशुपालक की कोई फिक्र नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, वह तो सुन लिया। आगे वाला भी बता दें, थोड़ा व्यक्तियों का भी बता दें, आदमियों का भी बता दें थोड़ा सा।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): मैं मानता हूं विपक्ष के जो सचेतक महोदय कह रहे हैं, वह भी एक गंभीर मुद्दा है, उस पर भी मैं आऊंगा। निश्चित रूप से चिकित्सा और मानव कल्याण के लिये चिकित्सा सेवा एक गंभीर मुद्दा है, उस पर भी हमारी सरकार ने जो कार्य किये हैं, वह भी मैं बताऊंगा और कोई कमी रही है तो उसको भी सुधार करने का काम करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय सदस्य, वह आध्यात्मिक चिन्तन के सदस्य हैं, वनस्पति जीव से चालू हुए हैं, मानव जीव पर आखिरी में आएंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मानव जीव पर आकर स्वास्थ्य मंत्रीजी पर भी आयें।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): सड़क की दृष्टि से जो रिकार्ड तोड़ विकास कार्य राजस्थान, उत्तरी भारत या पूरे देश में जो हुआ, उसके आंकड़े भी मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में चार वर्षों में जो नवीन सड़कों का निर्माण हुआ है, उसके ऊपर 6,653 करोड़ रुपये खर्च हुए और आपके पांच साल में 2,993 करोड़ रुपये खर्च हुए। मैं माननीय सचेतक महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक बड़ा डिफरेंस वाला फिगर है। नवीन राज्य राजमार्ग, जो घोषित हुए किलोमीटर की लम्बाई, आपके पांच वर्ष के कार्यकाल में यह 174 थे और हमारी यह किलोमीटर की लम्बाई 174 किलोमीटर के एवज में 5,262 किलोमीटर नवीन राज्य राजमार्ग घोषित हुए हैं, कितना बड़ा डिफरेंस है।

इसके अलावा, गांव और ढाणियां, जिनको सड़कों से जोड़ा गया, वह हमारी सरकार का फिगर है 5,737 और आपने पांच वर्षों में, हमारे चार वर्षों की एवज में 2,506 करोड़ रुपये व्यय किये। मिसिंग लिंक सड़कों में 663 करोड़ रुपये आपके पांच वर्ष के थे और 882 करोड़ रुपये अब तक हम खर्च कर चुके हैं और सभी माननीय सदस्यों की भावना के अनुरूप और बहुत सारी मिसिंग लिंक अभी हमें इस बजट में मिलने जा रही हैं। उसके लिये भी सभी एक बार मेज थपथपा दें, ताकि वह फिगर बढ़ जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, पहले दे देते तो यह दुर्गति नहीं होती ना। थोड़ा पहले दे देते।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): देखिये, सरकार का कार्यकाल पांच साल का होता है, पहले-बाद का नहीं होता। हम चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए विकास कार्यों की घोषणा नहीं करते, हमारा कार्यकाल पांच साल का है। हमें जो देना है, वह पहले साल से लेकर अंतिम साल तक देंगे, उसके बाद जनता-जनार्दन है, जो ठीक लगेगी, वह वोट देगी। यही मैं बताना चाह रहा था कि हर चीज चुनाव की दृष्टिगत, हार-जीत की दृष्टिगत कांग्रेस पार्टी के लोग सोचते हैं, हमारी पार्टी में ऐसी सोच नहीं है। निश्चित रूप से राजस्थान और राजस्थानी को मजबूत करने की दृष्टि से हमारी सरकार सोचती है।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन का पूरे भारत में अगर कोई महत्वाकांक्षी ऐसी योजना चलायी है तो हमारी सरकार ने भामाशाह योजना चलायी है। एक करोड़ 51 लाख से अधिक परिवार और 5 करोड़ 55 लाख से ज्यादा लोग भामाशाह, आधार कार्ड, पहचान पत्र और बैंक खातों के माध्यम से आपस में जुड़े हैं और 13,011 करोड़ की राशि अब तक सीधे हस्तान्तरित हो चुकी है। कैसे नहीं है हमारी सरकार ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी? पहले बिचौलियों के माध्यम से पैसे ट्रांसफर होते थे, आधे रुपये आते थे, आधे नहीं आते थे। बैंकों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब डायरेक्ट बेनिफिशयरी, यह नकद और गैर-नकद लाभकारी योजना है, अगर पूरे देश में किसी ने चलायी है तो हमारी सरकार ने चलायी है। 48 हजार से अधिक ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से 350 सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रिकल डिलीवरी उपलब्ध कराने वाला राजस्थान देश में प्रथम है। राजस्थान पूरे देश में प्रथम प्रदेश है।

उचित मूल्य की 6,151 दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार में विकसित करके 150 मल्टी-ब्रांड उत्पाद, रोजमर्रा के जीवन में उपयोग में आने वाली 150 से ज्यादा वस्तुएं, जो बाजार भाव से भी कम मूल्य पर उपलब्ध करायी है, इसमें भी राजस्थान पूरे देश में प्रथम राज्य है।

पूरे देश में और अब तो मेरी समझ में माननीय कृषि मंत्रीजी यहां बैठे हैं, इजराइल के प्रधान मंत्री तक ने भी इस बात की तारीफ की है। देश की पहली जैतून रिफाइनरी अगर कहीं लगी है तो बीकानेर में लूणकरणसर में लगी है और देश का पहला स्वदेशी ऑलिव ऑयल ब्राण्ड अगर है तो राजस्थान ऑलिव ऑयल है, दूसरा कोई ब्राण्ड नहीं। ऑलिव ऑयल तो आपने आपमें महत्वपूर्ण है।

शौचालय निर्माण में राजस्थान वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17, इन सब वर्षों में प्रथम रहा।

देश में सबसे अधिक शहरों के मध्य हवाई सेवा प्रदान करने वाला प्रथम राज्य अगर देश में कोई है तो राजस्थान है।

युवाओं के लिये आपको अक्सर लगता है कि युवाओं पर हमारी सरकार ने फोकस नहीं किया, ऐसा नहीं है। देश में प्रथम राजकीय कौशल विश्वविद्यालय (रीसू) की अगर स्थापना की है तो वह भारतीय जनता पार्टी

(श्री अभिषेक मटोरिया)

ने राजस्थान के इस इतिहास में पहली बार की है। देश में रीसू की स्थापना हुई।

सहकारी संस्थाओं में चुनावों के लिये शैक्षणिक योग्यता को अगर प्रावधान देने का अमलीजामा पहनाने का कानून अगर कोई लेकर आया है तो राजस्थान देश का प्रथम राज्य है।

पेंशन योजना में देश में सर्वाधिक 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि अगर अपलोड करने वाला कोई प्रथम राज्य बना है तो देश के इतिहास में राजस्थान बना है। 'न्याय आपके द्वार' पूरे देश में सबसे ज्यादा इस अभियान में 95 लाख 55 हजार 223 प्रकरणों का निस्तारण अगर कभी हुआ है तो पूरे देश के इतिहास में राजस्थान ऐसा प्रथम राज्य है, जहां पर इतनी बहुसंख्या में इतने प्रकरणों का निस्तारण हुआ। ग्रामीण गौरव पथ के साथ-साथ शहरों की सड़कों के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य में 3712 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 3657 किलोमीटर सी.सी. सड़क अगर कहीं बनी है तो वह राजस्थान है। शहरी गौरव पथ का निर्माण अगर किसी ने अगर इसकी चिन्ता की है और 60 से ऊपर निकायों में गौरव पथ का निर्माण पूरा हुआ है तो ऐसा प्रदेश राजस्थान अपने आपमें पहला है। उपाध्यक्ष महोदय, इन सभी आंकड़ों से निश्चित रूप से मेरा मानना है कि राजस्थान में अग्रिम पंक्ति में विकास तो हुआ है और ये विकास आने वाले समय में निश्चित रूप से दूरगामी परिणाम राजस्थान में लेकर आयेंगे।

एक नवीन पहल अन्नपूर्णा रसोई योजना के माध्यम से 5 और 8 रुपये में नाश्ता व भोजन देने की योजना अगर किसी ने चलायी है तो हमने चलायी है। 5 और 8 रुपये में आजकल कुछ भी नहीं आता और अन्नपूर्णा रसोई राजस्थान सरकार की एक ऐसी पहल है जिसका अनुकरण अन्य प्रदेश भी कर रहे हैं। शपथ-पत्र की अनिवार्यता अगर समाप्त हुई और स्व:-प्रमाणित दस्तावेज की व्यवस्था अगर शुरू हुई है तो वह इस राज में हुई है। इन सब कामों की बदौलत ई-गवर्नेंस सितम्बर, 2017 की इस कान्फ्रेस में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 'बैस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड' से सम्मानित किया गया। राज्य को 'बैस्ट स्टेट ऑफ द ईयर' का अवार्ड दिया गया। ई-गवर्नेंस, हम बात करते हैं कि........

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप एक तरफ तो मुख्य मंत्री को बैस्ट, पूरे देश में और देखो हाल क्या है उपस्थिति का और तालियों का। मुझे तो चिन्ता हो रही है ये चुनाव भी लड़ोगे कि नहीं, मुझे तो चिन्ता हो रही है, ऐसी क्या हालत बना ली आपने थोड़ा उत्साह रखो।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर घूम कर बात चुनाव पर आ गयी। सारी चीजें चुनाव तक केन्द्रित है, चुनाव जीतना-हारना-जीतना। राज्यपाल के अभिभाषण की प्रस्तुति पर मेरा मकसद यह था कि राजस्थान की जनता को 4 साल में भारतीय जनता पार्टी ने ये विकास कार्य किये हैं, 1 साल में और करेंगे। उसके बाद जनता जनार्दन जैसा फैसला लेगी सर-माथे। लेकिन क्या वास्तविकता में धरातल पर हम हमारे स्टेट को मरु प्रदेश से अग्रिम पंक्ति का बनाना चाहते हैं। डवलपिंग स्टेट से........

श्री उपाध्यक्ष: आप इनसे ई-गवर्नेंस की परिभाषा पूछिये पहले इनको मालूम भी है कि नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, वहीं तैयारी कर रहा हूं।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): स्कॉच ई-गवर्नेंस में 2000 सितम्बर में, जो ई-गवर्नेंस में नवाचार हुए, नई पहल हुई। लोगों को, जनता को राहत मिली। पारदर्शिता, ट्रांसपरेंसी और अकाउन्टेबिलिटी, फंक्शनलिटी एण्ड टैक्नोलॉजिकल एडवान्समेन्ट, जो हमारी सरकार ने किया, उसकी बदौलत माननीय मुख्य मंत्री महोदय को 'बैस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर' और स्टेट को 'बैस्ट स्टेट ऑफ द ईयर' के अवार्ड से नवाजा गया। उसके साथ-साथ ई-गवर्नेंस में तीन कैटेगरीज में प्लेटिनियम कैटेगिरी में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, ई-मित्र, राजधारा और अभय कमान सेन्टर। उसके बाद सैकिण्ड कैटेगिरी गोल्ड कैटेगिरी, गोल्ड कैटेगिरी में राजस्थान अकाउण्टेबिलिटी एश्योरेंस सिस्टम, सी.एम. डेश बोर्ड, राजस्थान सम्पर्क, राजस्थान ई-वॉलेट, सिंगल विन्डो क्लियरेन्स और सिल्वर कैटेगिरी में महिला सुरक्षा, राज सेवा द्वार और आर.एस.एल.डी.सी. अवार्ड दिये गये। ये वे सारे काम हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसकी तरफ बहुत जल्दी से किसी की सोच नहीं जाती। ये वे कार्य हैं जो आने वाले समय में युवाओं, ट्रांसपरेंसी

(श्री अभिषेक मटोरिया)

और अकाउण्टेबिलिटी एक्ट, जिसकी हम बात करते हैं उसमें ये सारी चीजें बहुत कारगर साबित होंगी। बिजली, पानी, शिक्षा मूलभूत सुविधाओं से हटकर इन चीजों की तरफ भी अगर किसी सरकार का ध्यान गया है तो हमारी सरकार का गया है। भारत सरकार के इलेक्ट्रोनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत माननीय मुख्य मंत्री महोदय को 'डिजिटल लीडर ऑफ द ईयर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि डिजिटाइजेशन में भी हम आगे हैं, सारे रिकॉर्ड को डिजिटाइज्ड हमें करना पड़ेगा। जो चीजें, आज चाहे जमाबन्दी क्यों न हो, चाहे हमें हमारी पर्चा-खतौनी ही क्यों न लेनी पड़े, जो बार-बार एक जमींदार को, किसान को चक्कर काटने पड़ते हैं अगर वे नक्शे और रिकॉर्ड डिजिटाइज्ड हो जाएं तो निश्चित रूप से उसमें बहुत बड़ा लाभ........

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट, आपकी अनुमति हो तो माननीय सदस्य, इस मुख्य मंत्रीजी के डिजिटाइजेशन में कहीं ये राजस्थान की आम जनता भी दिख रहीं है क्या आपको।

श्री हीरालाल (निवाई): यह आपकी नॉलेज के बाहर है माननीय।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भामाशाह को ई-गर्वेनेंस इनिशिएटिव ऑफ द ईयर और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, का पूरे राजस्थान में रोल मॉडल के रूप में पहली ऐसी योजना है जिसमें अगर आप भामाशाह कार्ड बनायेंगे और अगर आप खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं तो 30 हजार से लेकर 3 लाख तक का मुफ्त इलाज। आप कहते थे हमने मुफ्त दवा वितरण बन्द की है बिलकुल बन्द नहीं की, बढ़ोतरी की है उसके साथ-साथ सुधार करते हुए एक गरीब व्यक्ति को जो लाख-पचास हजार रुपये एक ऑपरेशन के लिए अफॉर्ड नहीं कर पाता। उसको 30 हजार से लेकर 3 लाख तक का बैनिफिट अगर किसी ने देने की सोची है तो हमारी सरकार ने सोची। फर्क सिर्फ इतना है उपाध्यक्ष महोदय, कि पूर्ववर्ती सरकार बहुत लम्बे समय से राज कर रही है और कहते हैं ना 'माल मालिक का और मजदूरी कम्पनी' की, इनको उस चीज में महारत हासिल है। हम लोग केवल और केवल विकास और जनता को किसी प्रकार से राहत देने में लगे रहते हैं। तो हो सकता है कि कहीं न कहीं जो कमियां-खामियां हममें रही हैं उसको भी

(श्री अभिषेक मटोरिया)

सुधार करेंगे। लेकिन धरातल पर ये सारी चीजें आने वाले समय में राजस्थान को पूरे देश में एक राल माडल के रूप में स्थापित करेगी। इसमें किसी को संशय नहीं। इसके अलावा एल.ई.डी. लाइट, ऊर्जा भी बचानी। एल.ई.डी. लाइट का वितरण भी होना है। एल.ई.डी. लाइट योजनान्तर्गत 5 लाख 41 हजार एल.ई.डी. पूरे देश में अगर सबसे सर्वाधिक लगी है तो राजस्थान ने सम्पूर्ण भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय जिसमें राजस्थान ने रिकार्ड तोड़ कार्य किये हैं।

भारत सरकार के द्वारा राज्य को गेहूं उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु 'कृषि कर्मण पुरस्कार' मिला। जिसके फलस्वरूप 2 करोड़ रुपये की राशि का पुरस्कार भी मिला है। अगर कृषि क्षेत्र में हमारा कार्य नहीं होता तो यह अवार्ड कभी नहीं मिलता और यह अवार्ड केवल केन्द्र सरकार ने नहीं, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने, अलग-अलग एन.जी.ओज. ने, बहुत सारी जो एनालिटीकल फर्म्स हैं जो सरकारों के कामकाज का आकलन करते हैं, यह उनके द्वारा दिया गया है। यह कोई हमने घर में अवार्ड नहीं लिया है। जैसे, जिस प्रकार से एक परिवार द्वारा सरकार और देश को चलाने की बात कहीं जाती है, वैसे हमारे यहां पर जो अवार्डस की मैं बात कर रहा हूं, ये पूरे देश में बहुत सारी देश और विदेश की जो संस्थाएं, जिन्होंने राजस्थान के कामकाज का आकलन किया, उनके द्वारा दिये गये हैं।

उसके बाद अब समाज में दिव्यांगों के प्रति भी सोच रखनी है तो पूर्ववर्ती सरकार की कभी नहीं रही। दिव्यांग भी हमारे समाज में आगे की पंक्ति में आकर खड़े हों। अपने आपको कमजोर और असहाय महसूस न करें, इस बात पर हमारी सरकार ने फोकस डाला और वित्तीय वर्ष 2015-16 2016-17 में सर्वाधिक संख्या में अगर ऋण दिये गये हैं, जिसमें विशेष रूप से राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम को दिया गया है तो भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को दिया गया इन 4 वर्षों के लिए। आपकी सोच तो कभी भी, इन लोगों की सोच तो कभी भी दिव्यांगों के प्रति नहीं थी। इन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है तो हमारी सरकार ने किया है। इन सभी आंकड़ों से मुख्य मंत्री महोदय द्वारा जो विजन राजस्थान के लिये लाया गया था। इसमें

(श्री अभिषेक मटोरिया)

निश्चित रूप से जो पर-कैपिटा-इन्कम राजस्थान की है, जी.एस.डी.सी.पी. है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। निश्चित रूप से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण था, उसमें 4 साल के ये विकास कार्य और 1 साल का रोड मैप हमने जनता के बीच में रखा है। ऐतिहासिक कार्य, विकास कार्य हुये हैं और जब हम जनता के बीच में 11 महीने बाद विकास कार्य को लेकर जाएंगे तो एक बहुत बड़ा तुलनात्मक विवरण डिफरेन्स हम जनता को निश्चित रूप से रखेंगे। एक साल में और अधिक कार्य करके, और अधिक विकास कार्य करके मूलभूत सुविधाओं से, जो कांग्रेस के लम्बे समय से 55 साल के राज कें वंचित रहीं, उनसे लोगों को वंचित नहीं रहने देंगे। राजस्थान को एक बहुत अग्रिम पंक्ति का देश बनायेंगे। मैं महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण था। उनको धन्यवाद देता हूं और मुझे समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मान सिंह जी।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अभिषेक जी मटोरिया ने जिस प्रकार से तथ्यों के साथ में महामहिम राज्यपाल के अभिषाषण पर अपने विचार रखे हैं, निश्चित रूप से मेरे प्रतिपक्ष के भाइयों के समझ में आना चाहिए कि स्वच्छ लोकतंत्र के अन्दर किस प्रकार की परम्परा और इस प्रदेश के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निभाया है......

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लम्बे समय तक कांग्रेस का राज रहा है, जिसने किस प्रकार से इस प्रदेश को बीमारू प्रदेश बनाने का काम किया, वह समझना होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश और प्रदेश के अन्दर हमारी जिस प्रकार की राष्ट्रवादी सरकार और राष्ट्रवादी सोच है, उस सोच के तहत प्रदेश का विकास करने में केन्द्र की सरकार और माननीय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने

(श्री मान सिंह)

जिस प्रकार का विजन दिया है, निश्चित रूप से आज राजस्थान एक बीमारू प्रदेश से विकसित प्रदेशों की श्रेणी में खड़ा हुआ है, उसके लिए हम गर्व करते हैं और हम यह महसूस करते हैं कि हमने हमारा जो राजनैतिक दायित्व है, एक सत्ता का धर्म है, उसको निभा करके कांग्रेस ने जिस प्रकार से राजस्थान को बीमारू प्रदेश बनाया, उस प्रदेश को अग्रणी राज्यों में लाने का काम किया है। हमारी फ्लेगशिप योजनाओं के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, महत्वपूर्ण ऐसी-ऐसी योजनाएं बनायी गयी हैं, मैं समझता कि देश में पहली बार और राजस्थान प्रदेश में पहली बार सोचा गया और जल स्वालम्बन का जो हमारा अभियान है, पहली बार ऐसा शुष्क प्रदेश, जो हमेशा बरसात से जूझता रहा, जिस प्रदेश में पानी की हमेशा आवश्यकता रही, लेकिन कभी इस प्रकार की योजनाओं पर कांग्रेस की सरकारों ने काम नहीं किया। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जल स्वावलम्बन के माध्यम से, जिस प्रकार से एक भागीरथी प्रयास राजस्थान के अन्दर किया और बडे स्तर पर जिसका तीसरा चरण गांवों के अन्दर और दूसरा चरण शहरों में हो रहा है, निश्चित रूप से राजस्थान के लिए एक सुखद पहलू है और राजस्थान को इसकी आवश्यकता थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल तक जिस प्रदेश की तस्वीर दूर-दूर से पानी ढोती महिलाओं की होती थी, आज वही प्रदेश गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और सिंचाई के पानी का जिस प्रकार उपयोग होना चाहिए, एक-एक बूंद को बचाने का सपना, एक-एक बूंद को बचाने का कार्य इस स्वावलम्बन के माध्यम से राजस्थान के अन्दर हो रहा है। पिछले चार वर्षों में 21 हजार गांवों के अन्दर हर जिले के लगभग दो शहरों के हिसाब से 66 शहरों के अन्दर, 173 शहरों में जो शहरी जल स्वावलम्बन का काम और 21 हजार गांवों के अन्दर जो काम हुआ है, उस काम को देखने के बाद सरकार की मंशा और सरकार के प्रयास को मेरे विपक्ष के भाई समझने का काम करेंगे। इस शुष्क प्रदेश के बारे में सोचने का काम जो आपने नहीं किया, वह सोचने का काम हुआ है।

इसी प्रकार से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने महिला सशक्तिकरण के लिए जिस भामशाह योजना को देश के अन्दर एक अनूठी पहचान दिला कर ऐसा

(श्री मान सिंह)
अभिनव प्रयोग किया है कि मातृ शक्ति को किस प्रकार से सम्मान मिलता है। जब भामाशाह योजना को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा से जोड़ने का जो काम हुआ तो मैं समझता हूं कि वह गरीब आदमी जो कभी कल्पना नहीं करता था कि मैं इस बडे प्राइवेट हास्पिटल के अन्दर कभी मेरे बेटे, मां और बहिन का इलाज करवाऊंगा, आज वह गर्व के साथ में जब भामाशाह कार्ड को लेकर जाता है, तीस हजार से तीन लाख रुपये तक का जब वह इलाज करवाता है तो आत्मा से वह निश्चित रूप से यह कहता है कि राजस्थान की सरकार ने मेरे बारे में सोचने का काम किया। जो लोग दम्भ भरते हैं कि हमने मुफ्त दवाई के माध्यम से राजस्थान में काम किया था, राजस्थान में मुफ्त दवाई से बढ़कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से जिस प्रकार से एक बड़ी आबादी को कवर करने का काम भामाशाह स्वास्थ्य योजना के माध्यम से हुआ है, इस प्रदेश का आम गरीब आदमी इस बात को महसूस कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि आप केवल उप चुनाव से जोड़ कर, अगर आपके मन में कोई फुलजड़ियां फूट रहीं हैं तो आप उन फुलजड़ियों को बन्द करने का काम करें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार और विशाल काम के बल पर राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार की एक राष्ट्रवादी सोच है, वह फिर आपको बताने का काम हो जाएगा। उसमें आपको ज्यादा मुगालते में रहने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से गरीब की चिन्ता सरकार ने की और प्रदेश के एक तिहाई हिस्से को जो खाद्य सुरक्षा से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल था, उसको इसमें शामिल किया गया है।

इसी के साथ-साथ ग्रामीण गौरव पथ, मैं समझता हूं राजस्थान में पहली बार गांवों के अन्दर ग्रामीण गौरव पथ, शहरों के अन्दर एलईडी लाइट की जिस प्रकार की चमक, रोशनी और भव्यता का काम राजस्थान के अन्दर हुआ, कांग्रेस के लोगों ने महात्मा गांधी की पुण्याई को केवल बेचने का काम किया। कभी उन्होंने यह नहीं सोचा कि महात्मा गांधी ने ने सेवा और सुश्रुषा

(श्री मान सिंह)

का काम किया था, उस महात्मा गांधी की पुण्याई को बेचकर सत्ता में जरूर रह लिये लेकिन कभी स्वच्छता के नाम पर, महात्मा गांधी की सेवा के नाम पर कोई काम नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्रीजी को। माननीय नरेन्द्र भाई मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को एक अभियान के रूप में लेकर देश और दुनिया में जिस प्रकार से भारत का डंका बजाने का काम किया है, महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने का काम किया है। जिस महात्मा गांधी के नाम पर कांग्रेस ने बहुत पुण्याई लेकर अपने आपको हमेशा सत्ता में बनाने का काम किया है, उन महात्मा गांधी को सही सम्मान देने का, भारत के संविधान की आत्मा को सम्मान देने का अगर काम किया है तो नरेन्द्र भाई मोदी ने और उसमें सबसे बड़ा राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार से भाई मटोरियाजी ने आपके बीच में रखा कि तीनों सालों के अन्दर स्वच्छ भारत मिशन के अन्दर राजस्थान देश का अग्रणी पहले नम्बर का प्रदेश रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और इस प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस प्रदेश के पंचायती राज विभाग को, यूडीएच विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं। अच्छी मानीटरिंग के आधार पर प्रदेश और शहर के अन्दर जिस प्रकार का एक वातावरण बना है, निश्चित रूप से राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति राजस्थान को स्वच्छता की दृष्टि से नम्बर वन पर लाना चाहता है और यही राजस्थान का सपना होना चाहिए। केवल कांग्रेस के लोगो, अगर तीन उप चुनाव से आप देखना चाह रहे हो तो उन चुनावों का आपका मुगालता निकालेंगे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस राजस्थान प्रदेश को जिस प्रकार से आपने ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना-सा निवेदन ही कर रहा हूं कि आप चुनाव लड़ोगे न?

श्री मान सिंह (गंगापुर): बिलकुल हम लड़ेंगे और आपमें अगर किसी प्रकार का दम हो तो आपके किसी बड़े से बड़े को ले आना। अभी तक तो आपके पास कोई है नहीं। मैं प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आपके इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं। आपने आज तक कांग्रेस के जितने भी सर्वे कराये हैं, अभी तक मेरे खिलाफ आपको कोई कैन्डिडेट नहीं मिल रहा है। आपके

(श्री मान सिंह)
केन्द्रीय नेता भी वहां पर घोषणा कर रहे हैं कि मैं लडूंगा, मैं लडूंगा। आप फिर सर्वे करवा लेना। मेरे को चैलेंज करने के लिए अगर आपमें कोई दम है तो आप वहां पर आना। हम चुनाव लडेंगे और चुनाव जीत कर आयेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, हम तो सर्वे तब करायें जब बीजेपी की टिकट फाइनल हो। आपकी टिकट कट रही है तो फिर सर्वे उसी हिसाब से करवाना पड़ेगा न।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): हिम्मत हो तो आप आ जाओ इनके सामने।

श्री मान सिंह (गंगापुर): बीजेपी की चिन्ता आप मत करो। भारतीय जनता पार्टी का यह शासन, भारतीय जनता पार्टी के ये काम राजस्थान की जनता उसका पुनर्मूल्यांकन करेगी। राजस्थान की जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। आपका झूठा प्रचार, कुप्रचार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इन सारी चीजों को हम साबित करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चरणबद्ध तरीके से राजस्थान की 9894 ग्राम पंचायतों में गौरव पथ का काम शुरू किया है, वह ऐसा ऐतिहासिक काम है कि राजस्थान में रहने वाली हमारी मां बहिन यह महसूस करती है कि राजस्थान के अन्दर अगर किसी ने चिन्ता की है तो इस प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धराजी ने की है। आज गांव के गौरव पथ पर चल कर वह महसूस करती है कि उसकी चिन्ता करने वाली सरकार ने उसे पानी, कीचड़ से निजात दिलाने का काम किया है और उस पर चल कर आपने आपको गौरवान्वित महसूस करती है। चरणबद्ध तरीके से पूरी पंचायतों पर ग्रामीण गौरव पथ का काम जब होगा तो निश्चित रूप से मेरे विपक्ष के भाइयो, इसका भी जवाब आपको जनता देगी क्योंकि आपके पास में इसकी कोई काट नहीं है। आप इसका कोई झूठा प्रचार नहीं कर सकते। चाहे वह विपक्ष का क्षेत्र हो, चाहे हमारे सत्ता पक्ष का हो, सबमें समान रूप से काम हो रहे हैं।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान को गौरव पथ के मामले में एक गौरव प्राप्त हुआ है और स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जिस प्रकार से राजस्थान को एक सम्मान मिला है। राजस्थान की लगभग 77 से ज्यादा

(श्री मान सिंह)

पंचायतों के अंदर जो घर शौचालययुक्त हैं, उस अभियान को जो सफलता मिली है, वह निश्चित रूप से मेरी जो मां-बहन अपने सम्मान के लिए तरसती थीं, आज राजस्थान में पहली बार उन महिलाओं को सम्मान देकर, घर-घर में शौचालय बनाकर राजस्थान की ओर देश की राष्ट्रवादी सरकार ने जिस प्रकार का काम किया, यह सोच का फर्क है। अगर यह सोच इनके अंदर होती तो आज केवल चुनाव की बात नहीं करते। चुनाव कई बार बाहुबली, कई बार तकनीकी रूप से ग़लतफ़हमी में जीत जाता है। जनता उस पर अफसोस भी करती है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कर रही है।

श्री मान सिंह (गंगापुर): जनता उसको धूल भी चटाने का काम करती है। लेकिन राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का, आप बैठिए, आप सुनिए, आप केवल आंख मीचकर के पप्पू की आवाज मत बनिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय सचेतक महोदय, जिस प्रकार के फैसले राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में सरकार ने लिए हैं, वे निश्चित रूप से गांव, गरीब के लिए, शहर के विकास के लिए एक आमूल-चूल परिवर्तन के फैसले हैं और उन फैसलों के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि किस प्रकार से राजस्थान में और देश में अमृत सिटी और स्मार्ट सिटीज का जो विजन है, वे अमृत सिटी और स्मार्ट सिटीज का विजन चाहे सीवरेज हो, चाहे पानी की समस्या हों, चाहे सड़कों का सुदृढ़ीकरण हों, एकमुश्त तरीके से इतना विकास का काम शहरों के अंदर कभी किसी ने सोचा नहीं था अमृत योजना के अंदर, स्मार्ट योजना के अंदर आज जब आप जयपुर की सड़कों पर निकलते हो तो आपका दिल अंदर से यह कहता है कि निश्चित रूप से जयपुर सुंदर शहर है। जयपुर के अंदर एवं देश व प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से पर्यटन बढ़ रहा है, देश के मायने पर जिस प्रकार से राजस्थान की रेटिंग बढ़ रही है, निश्चित रूप से इस अमृत योजना ने, स्मार्ट सिटी की योजना ने राजस्थान को सम्मान देने का काम किया है। राजस्थान में इससे विकास का आमूल-चूल ढांचा मजबूत होगा। राजस्थान के लोगों को और आने वाली पीढ़ी को जिस प्रकार के राजस्थान का निर्माण हमको करना चाहिए, जिस प्रकार के राजस्थान की कल्पना हमने की है, वह स्वच्छ और सुन्दर राजस्थान,

(श्री मान सिंह)

पानी से लबालब राजस्थान, वह राजस्थान जिसके अंदर स्किल डवलपमेंट के माध्यम से देश में पहली बार जिस प्रकार निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में यूनिवर्सिटी स्थापना करने का काम हुआ है, उस राजस्थान के विजन को लेकर के आप कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते। इस प्रकार का विजन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, जो प्रदेश की जनता को स्किल डवलपमेंट के माध्यम से जोड़ने का.. निजी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में जो यूनिवर्सिटी खोलने का काम हुआ है, वह निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार देने के लिए बहुत सक्षम होगा। युवाओं को स्किल से जोड़ने का बहुत बड़ा प्रयास है और निश्चित रूप से हमारे इस विभाग के माध्यम से भी राजस्थान के अंदर लगातार उत्तरोतर विकास हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि राजस्थान में निजी क्षेत्र के अंदर जो सृजन का क्षेत्र है, इंडस्ट्री का, जिसमें हम कहते हैं हमारे मजदूर को, श्रमिक को एक श्रमिक योजना के साथ-साथ में मैनुअल स्टीचिंग को हटाकर और अलग से ट्रेनिंग देकर, स्किल डवलपमेंट का अलग से प्रोग्राम लाकर श्रमिक कार्ड को जोड़कर किसान को जोड़कर के जिस प्रकार से लोगों को प्रशिक्षित करने का काम हुआ है, मैं समझता हूं कि वह 12 लाख से ऊपर का हो चुका है। राजस्थान के 12 लाख से ज्यादा लोग रोजगार से जुड़े हैं और उसको आप कभी चेलेन्ज करते हो, कोई कहता है कि ये आंकड़े लाएंगे। लेकिन आपको इस बात को देखना होगा कि किस प्रकार से हमारे जो दलित भाइयों के मौहल्ले हैं, उनके अदंर जब आप देखोगे कि हमारी बेटियां व बहुएं हैं, जो मेनुअल स्टीचिंग का काम करती थी, वह आज अपने आप में रोजगार से जुड़ने का काम हुआ है। इस देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने जो एक नया विजन दिया है, एक न्यू इंडिया का विजन दिया है, उसके अंदर लोगों को खड़ा करने का काम हुआ है। राजस्थान के अंदर हमारी सरकार ने श्रमिक कार्ड के माध्यम से, श्रमिक योजना के माध्यम से गरीब को मजबूत करने का काम किया है। गरीब की बच्ची की शादी पर सहयोग करने का काम किया है, गरीब की दुर्घटना होने पर सहयोग का काम किया है, मैं समझता हूं राजस्थान ही नहीं देश के इतिहास में अपने आपमें अव्वल काम है। राजस्थान की सरकार ने जो चार

(श्री मान सिंह)

साल में काम किया है, वे निश्चित रूप से राजस्थान के भाग्योदय को करने वाले काम हैं और इन कामों के बल पर हम अपने आप पर गर्व करते हैं। हमें किसी बात का कोई मुगालता नहीं है और हम हमारे विपक्ष के साथियों से भी कहना चाहते हैं कि सरकार के ये जो काम हैं इन कामों को आप कभी नजरअंदाज नहीं कर पाओगे क्योंकि राजस्थान की जनता की आवाज बोलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर चाहे चिकित्सा क्षेत्र में मेडिकल कालेजों की स्थापना का हों, चाहे अंदर डाक्टर्स और हमारे नर्सिंग स्टॉफ को बढ़ाने का काम हो, मैं समझता हूं आठ कालेज के खोलने का जो निर्णय किया, वह अपने आप में एक ऐसा निर्णय है क्योंकि डाक्टर और नर्सिंक स्टॉफ कभी पेड़ से नहीं आ सकता, कभी बाहर से नहीं आ सकता। पहली बार राजस्थान में सरकार ने जिस प्रकार के कदम उठाए हैं, आने वाले समय में चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान के अंदर हर जगह पर नर्सिंग स्टॉफ और डाक्टर्स की पूर्ति हम कर सकेंगे। सरकार ने चिंता की है। आयुर्वेद को भी चिकित्सा विभाग से जोड़कर प्रत्येक सीएचसी-पीएचसी पर और प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र पर जिस प्रकार से आयुर्वेद के एक डाक्टर को बैठाकर ऐसी व्यवस्था करने का काम किया है कि वहां चिकित्सा केन्द्र पर आने वाले व्यक्ति को सरकार की ओर से कभी कोई निराशा नहीं मिले। उसको मुफ्त दवाई योजना के साथ-साथ डाक्टर वहां पर मिले और जिस प्रकार से आदर्श पीएचसी की जो घोषणा हुई है, उस आदर्श पीएचसी पर 24 आवर्स सुविधा राजस्थान में मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग और माननीय मंत्रीजी, आपके माध्यम से जिस प्रकार के काम हो रहे हैं निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को इसकी आवश्यकता थी। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी के विजन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेडिकल कालेजों के लिए जो बजट का आबंटन किया है, वह अपने आपमें बड़ा फैसला है, दूरगामी फैसला है और राजस्थान की जनता को इसकी आवश्यकता थी। लंबे समय से कांग्रेस ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। अपनी गिरहबान में झांकने का काम करें कि उन्होंने कौनसा काम मेडिकल के क्षेत्र में किया? वह काम कभी गिनाने के लायक नहीं है। लेकिन हम इस बात को कहना

(श्री मान सिंह)
चाहते हैं कि हमने चाहे आयुर्वेद है, आयुर्वेद के अंदर भी से आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और अलग-अलग तरीके से आयुर्वेद को भी डवलप करने का काम हुआ है। होम्योपैथी को डवलप करने का काम हुआ है, हमारी नैचुरोपैथी को डवलप करने का काम हुआ है। राजस्थान की सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर कदम को बढ़ाने का काम किया है। राजस्थान के लोगों को हम चिकित्सा और स्वास्थ्य दे सकें उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राजस्थान में कांग्रेस कहीं भी इस मामले में नहीं टिकती है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसमें कहीं उसका आंकड़ा आधे से भी कम रह जाता है। यह निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार के लिए और राजस्थान की जनता के लिए हमारी जवाबदेही को प्रदर्शित करता है कि हमने राजस्थान की जनता को जो जवाबदेही है, उसको पूरा करने का काम किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे साथियों से यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी मुख्य मंत्रीजी ने राजश्री योजना, हमारी बेटियों को सम्मान देने की योजना, महिला को सम्मान देने की योजना जन्म से लेकर उसकी शादी तक, स्कूलिंग तक, प्रोत्साहन राशि का जो प्रावधान किया है, वह राजस्थान ही नहीं देश के इतिहास में पहली बार 'राजश्री योजना' के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 'बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ' के अभियान को मजबूती देने का काम किया है जिस पर पूरा राजस्थान गर्व कर सकता है। हमने नारी को हमेशा सम्मान देने का काम किया है और नारी के लिए हमारा सम्मान हमेशा रहा है क्योंकि हमारी सोच राष्ट्रवादी रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय 'न्याय आपके द्वार' जो गरीब न्याय के लिए दर दर भटकता था, चप्पले चटका करके कोर्ट के सामने आवाज सुनता था कि कब उसकी बारी आएगी, कब वो सुनेगा? हजारों-लाखों फैसले आपके समय के अंदर फाइलों में अटके थे, उस 'न्याय आपके द्वार' अभियान के अंदर अगर आप कान खोलने का काम करेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि राजस्थान की 523 ग्राम पंचायतें राजस्व-वाद से मुक्त हमने न्याय अभियान के तहत की हैं। 523 ग्राम पंचायतों को राजस्व-वाद से मुक्त करने का काम इस अभियान में हुआ है। इतना बड़ा ऐतिहासिक काम, 95 लाख 53 हजार

(श्री मान सिंह)

प्रकरणों का निस्तारण होना और 2 लाख 15 हजार जो पुराने केस थे, उनको भी निस्तारित करने काम इस न्याय अभियान के अंदर हुआ है।

मैं समझता हूं इससे बड़ा राजस्थान की गरीब जनता के लिए, गांव की जनता के लिए कोई काम नहीं हो सकता। उसको घर बैठे न्याय देने का काम सरकार ने किया है वो ऐतिहासिक है और राजस्थान की सरकार ने जो काम किया है, एक तरीके से बहुत बड़ा एक अभिनव प्रयोग था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस अन्नपूर्णा भण्डार और अन्नपूर्णा रसोई का मेरे से पूर्व वक्ता ने जिक्र किया, अनूठी योजना है। राशनिंग के साथ में अन्नपूर्णा भण्डार के माध्यम से मल्टीप्लैक्स माल के तरीके से प्रोडक्ट को एम.आर.पी. से कम दामों पर गांव की जनता को उपलब्ध कराने का काम, एक सपना जो माननीय मुख्य मंत्री ने देखा है वो राजस्थान के अन्दर इस प्रकार का सफल हुआ। दूसरे प्रदेश भी जिसका निरीक्षण कर रहे हैं और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। अन्नपूर्णा रसोई अपने आपमें गरीब को, जब वो काम करता है, मण्डी के अन्दर काम करता है, बाजार में काम करता है, सब्जी मण्डी में काम करता है, गांव से चल कर के आता है, जब चाय-पकौड़ी की दुकान पर जाता था उसकी पैसे की जेब खाली हो जाती थी, वो पांच रुपये और आठ रुपये के अन्दर ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जो मोदी जी ने खुलवाई हैं पकौड़ी की दुकानें बेरोजगारों से, उसी पर जाना है न? ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नम्बर है इसके बाद, यह क्यों व्यवधान कर रहे हैं हमारे सदस्य को? बोलने दें न उनको, आपका नम्बर आये बोल देना।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय सचेतक महोदय, माननीय प्रधान मंत्रीजी की चाय और मूंगफली, उसको आप कभी चैलेंज नहीं करें। उन्होंने न केवल चाय बल्कि मूंगफली भी बेची थी। मूंगफली हिन्दुस्तान की शान है, राजस्थान और गुजरात की शान है इसलिए उस बारे में आप कोई टिप्पणी नहीं करें। किसान को किस प्रकार से मजबूती दी जा सकती है, वो काम भी उन्होंने किया है।

(श्री मान सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि अन्नपूर्णा रसोई भण्डार से एक गरीब आदमी को पांच रुपये में नाश्ता, आठ रुपये में भर पेट भोजन मिलता है, कल्याणकारी सरकार का ऐसा कदम है जिसको करके जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को पूरा करने का काम किया है। हम गर्व कर सकते हैं राजस्थान की सरकार के इस कदम पर और मैं विपक्ष के लोगों से भी कहना चाहूंगा जरा आत्मा में झांकने का काम करें। केवल विपक्ष के लिए आलोचना करने से काम नहीं चलेगा। आपने जिस प्रकार से 50 साल तक राजस्थान को लूटने का काम किया, आपने जिस प्रकार से राजस्थान को बिजली के मामले में गर्त में पहुंचाने का काम किया, यही सरकार है जिसने बिजली के मामले में राजस्थान को उबारने का काम किया है। राजस्थान की जनता को आज सिंगल फेस से घरेलू बिजली देकर के, कृषि के क्षेत्र में बिजली देकर के अहसास कराने का काम किया है। कुशल नेतृत्व का ही कारण है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार से बिजली विभाग की लायबिलिटी को अपने ऊपर, सरकार के ऊपर लेकर 60 हजार करोड़ रुपये लेने का काम किया, आप लोगों के कुकृत्यों के कारण हुआ था। आप लोगों ने बिजली विभाग के पैसे को बढ़ाने का काम किया था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की जनता को राहत देने का काम किया है, वो अपनी जवाबदारी को, अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान ने आमूलचूल परिवर्तन कर के देश में एक मॉडल देने का काम किया है। पहली बार देश में ऐसा कोई राज्य होगा जिसमें सरकारी विद्यालयों के अन्दर 17 लाख बच्चों का आवेदन बढ़ जाए, उनका रजिस्ट्रेशन बढ़ जाए। न केवल नामांकन बढ़े, हमारा जो रिजल्ट है उसको भी 14 प्रतिशत सुधारने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। शिक्षा के ढर्रे को आपने रसातल में पहुंचाने का काम कर दिया था, गरीब के बेटे को हमेशा मजबूर कर के, दसवीं में आते-आते वो हमेशा के लिए खतम होने के काम की परिणति आपने की थी, मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में आज राजस्थान शिक्षा में अव्वल हुआ है, चाहे वो हमने क्रमोन्नत किये, सीनियर विद्यालयों की एक साथ क्रमोन्नति का काम किया।

(श्री मान सिंह)

सुखलाल जी, आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि मैं एक भी चीज ऐसी नहीं कहूंगा जो सरकार की गलत चीज कहो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार ने लगभग 5400 सीनियर विद्यालय एक साथ करने का काम किया, अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का काम किया, महिला शिक्षा के लिए शारदे छात्रावासों का निर्माण हुआ, विवेकानन्द मॉडल स्कूल का निर्माण कर के गरीब के बच्चों को इंग्लिश शिक्षा से जोड़ने का काम हुआ, इस प्रकार के अभिनव प्रयोग कर के सरकार ने शिक्षा के मामले में काम किया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रत्येक उप-खण्ड पर कालेज खोलने की सरकार की जो योजना है, इंटीग्रेटेड कोर्स लागू कर के सरकार ने काम किया है। पहली बार देश के अन्दर एजुकेशन फैस्टिवल का आयोजन राजस्थान की सरकार ने किया है। मैं समझता हूं देश के लिए ऐसा अभिनव प्रयोग और किसी सरकार ने नहीं किया। विश्व स्तरीय एजुकेशन फैस्टिवल का आयोजन कर के राजस्थान की जनता को यह विश्वास दिलाने का काम सरकार ने किया कि शिक्षा के माध्यम से राजस्थान की सरकार विश्व स्तरीय शिक्षा को राजस्थान में लागू करेगी, राजस्थान के नौजवान को मजबूत करने का काम करेगी, राजस्थान में शिक्षा के माध्यम से रोजगार देने का काम करेगी, राजस्थान की हाई एजुकेशन के बढ़ाने का काम करेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमने भी अपने स्तर पर, पहली बार राजस्थान के इतिहास में अगर किसी विधायक ने राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया तो हमने भी किया माननीय उच्च शिक्षा मंत्री किरण जी माहेश्वरी उसके अन्दर आयी थी, और हमारे मन की पीड़ा है क्योंकि देश, दुनिया में जिस प्रकार की शिक्षा को हम देखते हैं, हम लोग अपना मुंह उससे बचाने का काम करते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान की सरकार को, यशस्वी मुख्य मंत्री को कि उन्होंने हमको परमिट किया, एक विधायक को सरकारी स्तर पर आयोजन करने का जिस प्रकार परमिट करने का काम किया। यह दर्शाता है कि उनकी मंशा है, चाहे किसी भी तरीके से हो राजस्थान का नौजवान शिक्षा के मामले में अव्वल हो, राजस्थान शिक्षा में अव्वल हो। यह माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच को दर्शाने का काम करता है।

(श्री मान सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ में ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज में, माननीय अभिषेक जी मटोरिया ने आंकड़ों के साथ में लगभग सब बातों को बताया। स्वच्छ भारत मिशन, शौचालयों का निर्माण, गांवों की पंचायत को जमीन का जिस प्रकार से अधिकार दिया कि अगर उनके यहां किसी प्रकार की पर्यटन की कोई यूनिट लगाना चाहता है तो पंचायत अपने गांवों के विकास के लिए पट्टे दे सकती है।

दीनदयाल योजना के अन्दर साढ़े आठ लाख लोगों को पट्टे देने का काम, गांव के गरीब को दो रुपये में देने का काम किया तो इसी सरकार ने किया है। इससे पहले कभी किसी सरकार में गांव में नि:शुल्क पट्टा देने का काम नहीं हुआ। वृदत् स्तर पर सरकार ने पट्टे देकर के गांव के गरीब को प्रधान मंत्री की उस योजना से जोड़ने का काम किया है जहां मुद्रा योजना के तहत अपने पट्टे को लेकर के 20 लाख तक का लोन ले सकता है। गरीब को जोड़ने का काम हुआ है, उस ग्रामीण को मजबूत करने का काम अगर पंचायती राज ने किया है। राजस्थान के अन्दर ऐसे अभिनव प्रयोग हुए हैं जिनके बल पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि राजस्थान की सरकार में काम हुआ है। पंचायती राज के अन्दर बहुत लम्बे समय के बाद में जो पुनर्गठन का काम पंचायतों का, पंचायत समितियों का हुआ, सरकार के बहुत बड़े कदम का फैसला है। सरकार ने 47 पंचायत समितियां और लगभग 723 ग्राम पंचायतों का निर्माण कर के राजस्थान के आम आदमी को, राजस्थान की दूरदराज की पंचायतों को नजदीक लाने का काम किया, उनको अपने हक के लिए अपनी पंचायत बनाने का मौका देने का काम किया। अगर यह काम किया है तो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी की सरकार ने किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिस प्रकार से हमारे सांसद निधि में, विधायक निधि में बहुत सारी दिक्कतें आती थीं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पंचायती राज मंत्रीजी को, लगातार सर्कूलरों के माध्यम से हम लोगों की इन सारी असुविधाओं को सही कर के हमारे पैसे का जल्दी से जल्दी उपयोग हो, जहां हम चाहते हैं उस आवश्यकता के अनुसार पूरा हो, वो करने का काम किया।

(श्री मान सिंह)

यही कारण है कि जिस बस्ती के अन्दर दलित रहता था उस दलित के हम सामुदायिक भवन नहीं बना सकते थे क्योंकि पंचायत में एक का ही निर्णय था लेकिन, माननीय मंत्रीजी, इससे हमारे ऐसी-ऐसी बस्तियां जिनको कभी दरकिनार किया जाता था, आज वहां पर भी उनके सम्मान के लिए, उनकी चौपाल बनी है, उनकी हताई बनी है। सरकार का ऐसा कदम है जो सबको साथ लेकर चलने का है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार एग्रिटेक मीट ग्राम का आयोजन हुआ, देश के इतिहास में पहली बार किसान को नवाचारों से, किसान को तकनीक से, किसान को हमारे विभिन्न कृषि के औजार और कृषि की योजनाओं से, पशुपालन से अवगत कराने का काम, मिलाने का काम अगर हुआ। जयपुर, कोटा, उदयपुर में लगभग दो लाख किसानों ने इसका लाभ लिया।

दो लाख किसान इससे रूबरू हुए और दो लाख किसानों ने इसका लाभ लेकर के अपने मन के अंदर इस बात का जज्बा पैदा किया है। पशुपालन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में नवाचार करके इंटीग्रेटेड खेती करने का माद्दा पैदा करने का काम राजस्थान में हुआ है, उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि राजस्थान का किसान जिस परंपरागत खेती को करता आ रहा है, उस परंपरागत खेती में वो किसान दबता चला जा रहा है, लेकिन आज राजस्थान में इंटीग्रेटेड खेती का जज्बा राजस्थान की सरकार ने दिया है। आज किसान परंपरागत खेती के साथ-साथ सब्जी-फलाहार के काम भी करने लगा है। राजस्थान के अंदर जैतून की खेती का काम हुआ है, देश में मान-सम्मान दिलाने का काम हमारे कृषि मंत्रालय ने किया है। जैतून की खेती और उसके साथ में ऑलिव की चाय। किसान की आय को दुगुनी-तिगुनी करने की अगर कोई सोच रखती है तो राजस्थान की सरकार रखती है, जिसके लिए भारत सरकार के स्तर पर कृषि विभाग को सम्मानित भी करने का काम हुआ है। आज से पहले कभी आपको इस प्रकार का कोई सम्मान, कोई राजस्थान के किसान की चिंता नहीं थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री उपाध्यक्ष: अब, सम्माननीय सदस्य, आप कनक्लूड करिये। इसी रफ्तार से चलते रहे तो 12 बजे तक चलानी पड़ेगी।

श्री मान सिंह (गंगापुर): मैं शार्ट कर देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की रिफाइनरी को लेकर कांग्रेस के लोगों ने हल्ला किया था। राजस्थान के लोगों को धोखा देने का काम, राजस्थान के लोगों को ठगने का काम ये करना चाहते थे और आनन-फानन में चुनाव के समय उस रिफाइनरी का शिलान्यास और सारे काम किये थे। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान की सरकार ने उसी काम को इनका जो एचपीसीएल के साथ एमओयू था, उस एमओयू में 60 हजार करोड़ रुपये से घटाकर 20 हजार करोड़ रुपए में एमओयू किया है। राजस्थान की जनता की 40 हजार करोड़ रुपये की गाढ़ी आय को बचाने का काम हुआ है और न केवल आय को, बल्कि हमारी हिस्सेदारी को भी बढ़ाने का जो कि 6.3 थी, उस हिस्सेदारी को भी 12.7 प्रतिशत बढ़ाने का काम माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में हुआ है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरे विपक्ष के साथियों से एक निवेदन करना चाहूंगा।

"सदन को आज मुझको ये पैगाम देना है,
सदन को आज मुझको ये पैगाम देना है,
कि हमने कुछ नहीं किया ये इल्जाम देना है,
कि हमने कुछ नहीं किया ये इल्जाम देना है,
अगर सब एक हो जाएं तो क्या कुछ नहीं हो सकता,
तरक्की में हो नंबर वन वो राजस्थान देना है।।
तरक्की में नंबर वन हो वो राजस्थान देना है।।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री के नेतृत्व में चाहे जनजातीय क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक न्याय विभाग हो, चाहे कृषि प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, उन सारे क्षेत्रों में राजस्थान ने जिस प्रकार की तरक्की की है, राजस्थान ने जिस प्रकार का विकास किया है, वो इस प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व का कारण है और अंत में मैं, मेरे विपक्ष के साथियों, जिस उप चुनाव के ऊपर आप बहुत ज्यादा अपनी फुलझड़ियां छोड़ रहे हो, उसके ऊपर

(श्री मान सिंह)

दो लाइन कहना चाहता हूं।

"जो मंजिल पर नहीं पहुंचे, उसे रास्ता नहीं कहते,
जो मंजिल पर नहीं पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते,
दो-चार कदम चलने को चलना नहीं कहते,
जीते जो एक चुनाव तो ठीक है मशीन,
जीते जो एक चुनाव तो ठीक है मशीन,
अगर होती अगर हार तो क्या नहीं कहते,
अगर होती अगर हार तो क्या नहीं कहते।"

जय हिंद! जय भारत! जय जय राजस्थान!!

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज महामहिम राज्यपाल महोदय की इस चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का आखिरी जो उन्होंने पाँचवाँ अभिभाषण किया, उसके ऊपर वाद-विवाद में बोलने का मुझे आपने मौका दिया। आज सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि पहली बार माननीय मुख्य मंत्री जी फ्लोर मैनेजमेंट के लिए यहां पूरे दिन सुबह से उपस्थित हैं। हम सबके लिए खुशी की बात है। फिर भी मुख्य मंत्री जी के उपस्थित रहने के बावजूद केवल 35 और 38 सत्तापक्ष के माननीय सदस्य उपस्थित हैं, इससे बड़ी गंभीर बात कोई हो नहीं सकती। ...(व्यवधान)...

हमें तो जनता ने ही कम भेजा था। आपको तो 160 भेजा था। आप 160 के बावजूद, मुख्य मंत्रीजी स्वयं इतनी चिंतित हैं।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, इनको गिनती नहीं आती है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप वाली गिनती तो बहुत याद है हमें।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): इनको गिनती ही नहीं आती है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आदरणीय भागीरथ जी चौधरी

(श्री मान सिंह)

साहब, माननीय सदस्य, आप वाली गिनती तो मैं बहुत अच्छे तरीके से किशनगढ़ में करके आ गया।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): क्या करके आ गये? थोड़ी शांति रख लें आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इन्होंने शेरो-शायरी की है। माननीय मुख्य मंत्री जी भी काफी दिलचस्पी रखती हैं। शायद सुन भी रही होंगी, मौजूद भी होंगी। मुख्य मंत्रीजी ने 04 मार्च, 2016 को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के वाद-विवाद के उत्तर देते समय हमारे कांग्रेस के विपक्ष के लिए एक शेर कहा था तो मैं भी जवाब देना चाहता हूं। शुरुआत उसी से करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी को.... उन्होंने 04 मार्च, 2016 को माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपोजिशन और विपक्षी सदस्यों के लिए कहा था कि-

''तुम्हारे दिए घाव पर मरहम लगाया है,
तुम्हारे दिए घाव पर मरहम लगाया है,
इस सूबे में तरक्की का परचम फहराया है,
अंधेरों को बना दिया था तुमने नसीब सबका,
ऐसे में हमने रोशनी का रास्ता दिखाया है।''

आप भी मौजूद थे। चूंकि अभी सेमी फाइनल हुआ है 17 विधान सभा क्षेत्रों का, इसलिए मैं भी उन 17 विधान सभा क्षेत्रों की जनता की ओर से माननीय मुख्य मंत्री को और सदन को एक निवेदन करना चाहता हूं। जवाब देने की चेष्टा कर रहा हूं। अगर आपको पसंद आ जाए तो तालियां नहीं, तो कम से मुस्कुरा तो देना।

''तुम्हारे घावों पर नमक लगाया है,
तुम्हारे घावों पर नमक लगाया है,
इस सूबे में भ्रष्टाचार का परचम फहराया है,
महंगाई को बना दिया तुमने नसीब सबका,
ऐसे में जनता ने तुमको आईना दिखाया है।''

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मुस्करा दीजिए। तालियां बजाना अलाऊ नहीं है। मुस्करा दीजिए। अब मैं अभिभाषण पर आता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): बेकार है। मजा नहीं आया। मजा नहीं आया आपके शेर में।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कोई बात नहीं आ जाएगा। दस-एक महीने बचे हैं। वो भी आ जाएगा। महामहिम के अभिभाषण में 23 नंबर का पैरा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2022 तक किसानों की आय को दुगुनी कर देंगे। वाह-वाह! वाह-वाह! वाह-वाह! ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक सम्मेलन कर दिया। किसान की आय दुगुनी हो गयी। उसको समर्थन मूल्य मिल गया। किसान का पेट भर गया। उसका कर्ज माफ हो गया। वाह क्या तरीका निकाला है आपने कि एक सम्मेलन कर दो। करोड़ों रुपये किसानों के हक का लुटा दो और उसके बाद में 2018 में आपके चुनाव। केंद्र के 2019 में। मोदी जी भी अपने बजट में 2022 का आइडिया दे रहे हैं और आप भी अपने अभिभाषण में 2022 की बात कर रहे हो कि किसान को 2022 में मालामाल कर देंगे। ये राजस्थान का किसान इतना भोला तो नहीं है राठौड़ साहब, आप तो जानते हो बहुत अच्छी तरह। आपको भी सीटें बदलनी पड़ती हैं इस किसान के चक्कर में। कभी किधर, कभी किधर। तो राजस्थान का किसान का पेट इस ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक सम्मेलन से कैसे हुआ ये नहीं बताया इन्होंने, अभिभाषण में नहीं कहलवाया महामहिम से। कौशल विकास, पैरा नंबर 41 और 42, ये लिखते हैं। महामहिम के श्रीमुख से कहलवाते हैं, राठौड़ साहब और मंत्रिमण्डल और मुख्य मंत्रीजी, कि हमने 1 लाख 80 हजार सरकारी क्षेत्र में और गैर सरकारी क्षेत्र में 11 लाख 47 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा दिए। रोजगार नहीं, अवसर उपलब्ध करा दिए। महामहिम से यह भी कहलवाते कि इस-इस क्षेत्र में इतने-इतने रोजगार कर रहे हैं आज की तारीख में, तब आपका ठीक-ठाक काम जमता।

(15.00 बजे)

43 नम्बर पर राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, 2 लाख 21 हजार युवा प्रशिक्षित हुए। यह कहां गये फिर प्रशिक्षित होकर के?

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)
कहां-कहां नौकरी लगे? इनका क्या हुआ? कम से कम यह बताओ। नोट बंदी, जीएसटी, सब कुछ बंद पड़ा है। बजरी घोटाला, मजदूर सुबह और शाम के निवाले के लिए तरस रहा है। किसी के पास धंधा करने के लिए पैसा नहीं है। सारे बेरोजगार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। आप महामहिम से इस तरह से बातें कहलवा करके दुबारा सरकार में आने का दिवा स्वप्न देख रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि हमें मेंडेट मिला था तो काम करने के लिए मिला था।

उपाध्यक्ष महोदय, 51 नम्बर पर खान आवंटन में पारदर्शिता, वह तो देखा था ना हमने। हम दिल्ली तक गये। सीएजी में गये। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के गये। हमारे मंत्री महोदय उस वक्त थे उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं किसने खान में खाया। सिंघवी जी अंदर गये। अब भी, रोक के बावजूद भी खानें आवंटित हो रही हैं। जो घोटाला हुआ 43 हजार करोड़ का, वह पारदर्शिता का नमूना है? ऐसे कैसे तैयार करवाते हो आप? थोड़ा-बहुत टाइप करने वाले को भी सोचना चाहिए कि मैं तो नहीं टाइप करुंगा। छोड़कर के भाग जाए कि ऐसा कैसे टाइप कर दूं, आप बिलकुल ही यूं कर रहे हो।

उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत 52 नम्बर पर, 22 से 24 घंटे बिजली, बिजली हमने तो देखी नहीं। कल मेरे यहां तो खींवसर साहब थे, पूर्व ऊर्जा मंत्री, वह हाथ मिलाने लगे तो करंट जरूर आया था। वह बोले कि मेरा तो बिजली विभाग गया, अब करंट कैसे आ रहा है मेरे को तो पता नहीं। कहां है किसान की बिजली? कहां है 24 घंटे बिजली? कहां है 8 घंटे बिजली? कहां है किसान का कृषि कनेक्शन? दनादन वीसीआर भरा रहे हो। बिजली का उत्पादन नहीं। केवल बातें करने से किसान को बिजली नहीं मिलेगी, गरीब को बिजली नहीं मिलेगी। क्या दीनदयाल उपाध्याय, राजीव गांधी ज्योति योजना का नाम बदलकर के वाहवाही लूट रहे हैं कि दीनदयाल आ गया, दीनदयाल आ गया। बहुत अच्छी बात है। मेरे गांव में भी 6 दीनदयाल हैं। सीकर में जिस कालोनी में रहता हूं वहां 14 दीनदयाल हैं। उनमें से 1-2 तो मजदूरी करता है, बाकी दीनदयाल तो मजदूरी भी नहीं करता है। अब कहां से यह नाम लाए?

श्री ओमप्रकाश (संसदीय सचिव): ऐसे दीनदयाल नहीं बोल सकते।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दीनदयाल क्यों नहीं बोलूं। गोविन्द सिंह बोलूं, दीनदयाल बोलूं और कुछ बोलूं मेरी मर्जी।

श्री ओमप्रकाश (संसदीय सचिव): आप दीनदयाल जी का अर्थ ही नहीं समझते तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने तो जवाहर लाल नेहरू जी का नाम हटा दिया था। किताबों से हटा दिया। पैसे खर्च कर दिए। राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई को खर्च कर दिया फालतू में। आप दीनदयाल की बात कर रहे हो। +++

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): दीनदयाल जी के लिए कहोगे तो +++ दीनदयाल जी वह थे जो कि अपने नाम के अनुकूल थे, उनके बारे में आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): संदीप जी, सब जानते हैं +++

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): हां। +++ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की वजह से आज जो योजनाएं बन रही हैं और जो वास्तव में उनकी सोच थी, उसको अगर आप पढ़ लोगे तो आप इस तरह से उनका नाम नहीं लेते डोटासरा जी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह सीकर में ही पढ़े थे। हम अच्छी तरह से उनका इतिहास जानते हैं। आप कृपया विराज जाएं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): यह बिना पढ़े ही बोल रहे हैं। पढ़ लेते तो बोलते ही नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने महामहिम से 69 नम्बर पर, 720 विद्यालयों में 80 हजार विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है। कहां हैं टीचर? कौनसे पाठ्यक्रम? ऐसे ही हवा में बंडल लगा रहे हैं। जनता सब देख रही है। सब आजकल पढ़ते हैं। वेबसाइट पर पडा हुआ है। कोई आप तक ही किताब नहीं रहेगी, दुनिया में सब तक जाती है। कम से कम ऐसे तो लिखो, 17 महाविद्यालय खोले हैं आपने? घोषणा की थी राठौड़ साहब आपके सुराज संकल्प पत्र में कि प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर, उपखंड मुख्यालय पर सरकारी महाविद्यालय

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

खोल देंगे। कन्या महाविद्यालय खोल देंगे। सरकारी शिक्षकों के, व्याख्याताओं के पद भर देंगे। डेढ़ साल से आरपीएससी लिए बैठी है। कभी डेढ़ महीने का आरपीएससी चेयरमैन, कभी ढाई महीने का। देख रहे हैं कि कौन क्या दे सकता है? कौन आरएसएस की पृष्ठभूमि का है? ऐसे काम नहीं चलते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे टोकना नहीं चाहिए, लेकिन आप अपनी बात की अभिव्यक्ति करते-करते इस प्रकार के आरोप लगाते जा रहे हैं जो सीधे ही रिकार्ड पर जा रहे हैं। अगर इनको आरोप लगाने हैं तो नोटिस देकर के बात करें। हम जवाब दे देंगे। इन्होंने किस आधार पर कह दिया कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति में कोई ढाई महीने, कोई दो महीने, कोई क्या देकर आया है। आपके पास क्या तथ्य हैं, क्या प्रमाण हैं? यह विधान सभा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किए नहीं क्या आपने दो महीने, चार महीने का? आपने किए नहीं क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह राजस्थान की विधान सभा है, इतनी देर से मैं सुन रहा था, आप जो बोल रहे हो अगर उपाध्यक्ष महोदय इसी प्रकार की परिपाटी करनी है, किसी महापुरुष को उसके छोटे नाम से पुकारना प्रारंभ करना है, इस सदन के माध्यम से हम हिन्दुस्तान और राजस्थान के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कौनसे महापुरुष को?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद को क्या इस देश के लोग भूल पाएंगे? उनको यह दीनदयाल के नाम से पुकार रहे हैं। अगर इधर बैठे लोग जवाहर लाल जी नेहरु और श्रद्धेय इंदिरा गांधी के लिए कुछ कहेंगे तो आसन को अच्छा नहीं लगेगा। इनको आप कहें कि मर्यादा में रहें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके सदस्य ने तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गोली से मारने तक का कह दिया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह मर्यादा में रहकर के अपनी बात कहें। हम इनकी बात पूरी सुनना चाहते हैं। मगर मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को लांघेंगे तो हमको भी बोलना आता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, रिफाइनरी को 50 नम्बर पर लिखवा रहे हैं कि पचपदरा में रिफाइनरी, कितनी दफा लिखवाओगे। साढ़े 4, 5 साल पहले हमारी सरकार ने की थी। आप साढ़े 4 साल लिए बैठे रहे। आज प्रधान मंत्री जी से दुबारा शिलान्यास के ऊपर शिलान्यास करा रहे हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं?

46 नम्बर पर यह कहते हैं कि निवेश 48,841 करोड़ रुपये का, एमओयू कहां हैं? किस धरातल पर आए? यह जो रिसर्जेंट राजस्थान, यह एमओयू, निवेश इसके नाम से उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने बड़े-बड़े रसूखदार लोगों को अन्यथा बेजा फायदा लेकर के उनको हमारी जो जमीन है राजस्थान की वह औने-पौने दामों में, फ्री में देने का काम किया है। इसके अलावा एक निवेश नहीं आया, एक यहां उद्योग-धंधा नहीं लगा। एक बेरोजगार हमारा रोजगार नहीं लगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य, मटोरिया जी बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे कि हमारी कानून व्यवस्था ऐसी हो गयी, ऐसी हो गयी। मैं 2 मिनट कानून व्यवस्था की भी बात बता दूं। जिसके लिए बहुत जरूरी था और आपने बहुत बड़े-बड़े वादे किए थे कि कानून व्यवस्था की धज्जियां कांग्रेस के शासन में उड़ रही हैं वह हम ठीक कर देंगे। राजस्थान एक बार फिर असत्य केस कराने में नम्बर वन। सबसे ज्यादा राजनीतिक प्रताड़ना के आधार पर असत्य केस अगर हुए हैं, राजनीतिक दुर्भावना से अगर केस हुए हैं तो यह मैं नहीं बोल रहा, रिकार्ड बोल रहा है। सबसे ज्यादा असत्य केस राजस्थान में आपके कार्यकाल में हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, बच्चों की तस्करी, राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी संवेदनशील हैं। आप भी अंदर से हिल रहे होंगे कि देखो क्या हो रहा है। बच्चों की तस्करी में देश में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। घरेलू हिंसा में राजस्थान तीसरे नम्बर पर। यह तो कम से कम तीसरे पर तो आए, दो पर नहीं रहे, एक पर नहीं रहे। यह आपकी स्थिति है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

उपाध्यक्ष महोदय, साइबर क्राइम जो निरंतर बढ़ रहा है। उसमें देश में राजस्थान चौथे नम्बर पर है। यह भी ठीक-ठाक है कि चौथे नम्बर पर आ गये, वर्ना एक नम्बर पर आ सकते थे। कोई आपको रोकने वाला थोड़े ही था। राजस्थान हिंसक घटनाओं में देश में दसवें और जयपुर जहां हम बैठे हैं वह आठवें नम्बर पर है। यह नमूना इनका है।

17 जिलों के मुखिया कानून व्यवस्था और सीएजी में बिलकुल फिसड्डी साबित हुए हैं। राज्य में बच्चों पर सबसे ज्यादा अपराध अगर कहीं है तो वह जयपुर शहर है जयपुर शहर। आप देख सकते हैं कि इनकी कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है?

राजस्थान आपके नेतृत्व में, आपकी सरकार के नेतृत्व में बाल तस्करी का गढ़ बनता जा रहा है। 47 हजार अभी भी वारंटी तलाश में हैं और आप पकड़ नहीं पाए। जेलों में गैंगवार और जेलों में सुविधाएं पहुंचाने का काम, जौहरी बाजार में रुपये जमा कराओ और जेल में मनपसंद सामान पाओ। यह स्थिति कानून व्यवस्था की है।

जब हक मांगने लगते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी फतेहपुर में गयी, बेरोजगारों ने रोजगार मांगा, लाठियां पड़ी। मांडलगढ़ में चुनाव के लिए गयी, हक मांगा, लाठियां पड़ी। आप करना क्या चाहते हो?

उपाध्यक्ष महोदय, कोर्ट में, आपने देखा होगा कि सादुलपुर कोर्ट में गैंगवार, कोर्ट में गोलियां मारी गई। आपका राज्य मानवाधिकार आयोग है, यह भी आपके लिए कहता है कि, 'लगता है पुलिस की डोर किसी अदृश्य हाथों में है'। अब आप बताइए सरकार कि यह अदृश्य हाथ कौन से हैं? कम से कम महामहिम से खुलासा करवा देते तो यह अच्छी बात हो जाती। लेकिन वह खुलासा नहीं करा पाए। यह आपकी कानून व्यवस्था की स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा निवेदन करता हूं कि आपके बिल, जिसके लिए राजस्थान की विधान सभा जानी जाती है। माननीय राठौड़ साहब, 17 बिल अभी भी लंबित हैं।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मैं सबका नाम नहीं लूंगा, 17 बिल अभी भी लंबित हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, आप उनको आगे कानून नहीं बना पाए। प्रमुख तीन हैं, राजस्थान पिछड़ा वर्ग, राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं के सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में, दसवें महीने में सत्रह में पारण करवाया था छब्बीस तारीख को, आज की तारीख में भी यह कानून नहीं बना। राजस्थान सहायता उपक्रम विशेष उपबंध संशोधन विधेयक, 2017, इसको भी कानून नहीं बना पाए। आप राजस्थान राज्य विद्‌युत वितरण प्रबंध उत्तर दायित्व (संशोधन) विधेयक, इसको भी कानून नहीं बना पाए। राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम 2016, इसको भी कानून नहीं बना पाए। और बहुत ऐसे हैं जिनको आप कानून नहीं बना पाए, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज भ्रष्टाचार का क्या आलम, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हालात क्या हैं इस प्रदेश के, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। 17-0 का मेंडेट दे दिया फिर भी बढ़-बढ़कर बोल रहे हैं, टिकटें पक्की मान रहे हैं, जीत भी पक्की मान रहे हैं, सरकार भी पक्की मान रहे हैं। ऐसे इतने भुलावे में तो मत रहो, इतनी कल्पनाएं मत करो, कम से कम आप देखो कि हमने चार साल में किया क्या है, यह तो बताओ। भ्रष्टाचार, खान विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पता नहीं कौन-कौनसे ही सारे विभाग, चाहे सहकारिता ले लो, कृषि ले लो, चिकित्सा ले लो।

माननीय राठौड़ साहब, आपका तो एक बयान, एक पेपर में छपा था, नाम तो नहीं लूंगा कि ये सेठीजी मेरी मानते ही नहीं तो, पहले तो चिकित्सा में नहीं मानते थे, आजकल आपकी पंचायतीराज में भी अधिकारी नहीं मानते तो यह चक्कर क्या है, इसको मेटो कैसे भी, हमारा सहयोग ले लो, कोई ले ला कर, आपके अधिकारी पहले की तरह, पहले का जो जमाना था, उसमें आपकी मानते थे, वैसे मानने लग जाएं तो मैं समझता हूं हो सकता है आप में थोड़ा दम है तो आप राजस्थान के भला कर दो, जनता के काम कर दो, आपकी इच्छा शक्ति को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं लेकिन आपका तो पता ही नहीं क्या ताला लगा दिया। जैसे राजस्थान पत्रिका वालों ने काले कानून पर लगा कि एक अख़बार में ताला, जब तक काला तब तक ताला, वैसे जब तक यह सरकार तब तक राठौड़ साहब के कामों पर ताला। यह

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

स्थिति बनी हुई है, अब क्या किसको अभी कह रहे थे, ग्रामीण पंचायतीराज में, नरेगा में फस्ट नम्बर देश में, किसकी थी नरेगा योजना? आपकी थी क्या? आपके प्रधान मंत्रीजी ने तो लोक सभा में कहा था कि यह कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है जिसको मैं चालू रखकर याद करुंगा। आज यहां वाहवाही लूटने के लिए आ गये, ऐसा तो मत कीजिए कम से कम। हमारे मंत्रीजी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का भी बड़ा नाम है, आजकल चर्चाओं में। कहते हैं कि मंत्री महोदय, अपने विवेक को काम में लेते हैं। हमने तो यह सुना था कि विवेक को काम में लेना चाहिए लेकिन अच्छे काम के लिए लेना चाहिए। आप तो बुरे काम के लिए लेने लग गए विवेक को। अब विवेक से किसको ले रहे हैं, हम तो दिमाग ही समझ रहे हैं फिर भी और कोई हो। अब आपका नाम बड़ा चर्चा में है, +++ विवेक को काम में लेते हुए। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): यह किसी के खिलाफ इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते। उपाध्यक्ष महोदय, केवल अख़बार के आधार पर यह किसी पर कोई आरोप नहीं लगा सकते। इस तरह की यह वाहियात बातें कर रहे हैं। अगर आपके पास प्रमाण है तो बताइए न? ...(व्यवधान)... आप अख़बार की बात को यहां कोट नहीं कर सकते। ...(व्यवधान)... आप अख़बार के आधार पर यहां नहीं बोल सकते।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि +++ मैंने यह कब कहा है? ...(व्यवधान)... +++ कोई बुरी बात है क्या? ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप +++ यह कैसे कह दिया आपने? ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। आप सब विराज जाएं। ...(व्यवधान)... आदरणीय सदस्य, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विधान

(श्री उपाध्यक्ष)

सभा का अपना ही एक इतिहास है। बहुत ही मर्यादित भाषा में हम अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं। जिस भाषा का आप उपयोग कर रहे हैं, जिस व्याकरण की गणित इसमें आप बता रहे हैं, सीधे-सीधे अगर किसी मंत्री की अवमानना....।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं है, नहीं है साहब। मैं सब चीजें समझता हूं, एलएलबी किया हुआ हूं। ...(व्यवधान)... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर दूं ...(व्यवधान)...।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराज जाएं। यह सदन हम सबसे अपेक्षा करता है, आसन से भी अपेक्षा करता है और आसन आपसे भी अपेक्षा करता है कि मन और कर्म से किए हुए काम की वाणी भी सत्य होनी चाहिए। सत्य की पुष्टि के ऊपर आपने यदि सुनी सुनाई बातों को मान लिया...।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं माना।

श्री उपाध्यक्ष: तो आप भी अपनी जिम्मेदारी से ...(व्यवधान)... मैंने जहां कोई प्रश्न पत्र ऐसा तो नहीं बताया था कि मैं बोलूंगा और आप फिल इन द ब्लैंक्स आप करेंगे।

आसन इस बात का निर्देश देता है कि जो भी वक्तव्य सम्माननीय सदस्य ने दिया इसकी कुछ पंक्तियां आसन स्वयं पढ़कर विलोपित करेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, वह ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष: पर सम्मानीय सदस्य से यह निवेदन करता है कि इस पर अगर दुबारा आपने अनुसरण किया तो आसन बाध्य होगा कि आपसे निवेदन करेगा कि आप विराज जाएं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तो, आसन की तो इतनी कद्र करता हूं कि जिसके लिए मेरा उदाहरण पेश किया जाएगा लेकिन सवाल यह है कि मैंने केवल इतना कहा है कि यह चर्चाएं हैं कि +++ अपने ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): चर्चाएं? ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): +++ यह कह दिया तो क्या बुरा कह दिया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपने नकल मार कर एलएलबी किया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ऐसा क्या कह दिया मैंने?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): चर्चाएं यह भी है कि आपने नकल मार कर एलएलबी की है। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चर्चाएं हैं कि +++ तो क्या अन्याय कर दिया, कौनसी मैंने अवमानना कर ली, कौनसा +++ आरोप लगा दिया आप पर, पैसे तो कमाते ही हैं। महाजन हैं, बड़े व्यापारी हैं क्यों नहीं कमाएंगे, रोजाना कमाएंगे। ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप आरोप लगाते हैं तो नोटिस देकर लगाइए, उसका जवाब देंगे, इस प्रकार से फेक में आरोप मत लगाइए। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, अगर आपका उद्देश्य यहां उत्तेजना फैलाना है। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, अब नहीं बोलूंगा बस। ...(व्यवधान)... नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: इस सम्पूर्ण वक्तव्य को विलोपित कर दिया जाए। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सम्पूर्ण कौनसा? जो अब तक बोला वह या जो मंत्रीजी के लिए बोला वह?

श्री उपाध्यक्ष: वह आप आसन पर छोड़ दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप आसन को चुनौती नहीं दे सकते, अब तक जो बोला सारा विलोपित आपका। ...(व्यवधान)... आसन ने व्यवस्था दे दी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मान लिया। आपने ही दी है चुनौती, चार, साढ़े चार साल में इनको, मैंने तो नहीं दी आसन को चुनौती।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

...(व्यवधान)... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चलो बहुत हैं, आपके तो एक ही है यह।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, आप थोड़ा धीर-गंभीर हो जाइए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ठीक है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हो जाता हूं थोड़ा। मेरे को तो होना ही है, आगे राज करना है दस महीने बाद। ...(व्यवधान)... तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बताइए, अखबारों में अगर हम यह पढ़ें कि उन्होंने बोला +++ तो स्वाभाविक है चिंता होना और चर्चा करना, यह सदन का अपना धर्म भी बनता है और कर्तव्य भी बनता है।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाइए, Now this's become non-serious. ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको नहीं लिया जाए। ...(व्यवधान)... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल बात ही नहीं करूंगा इनकी, स्वास्थ्य की बात ही बंद। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था प्रश्न है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान)... चलो किसानों पर आ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया आप विराज जाइए। व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय का व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से मैं आसन से निवेदन करना चाहूंगा कि यह सदन नियम और प्रक्रिया की उस किताब से चलता है

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आर्टिकल 208 के तहत जिन नियमों को हमने सबने बनाया है। हमारे नियमों में और कई अध्यक्षीय व्यवस्थाओं में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी मामले को उद्धृत करके कोई भी सदन के अंदर आरोप नहीं लगाया जा सकता, मामला नहीं उठाया जा सकता। बार-बार आपके टोकने के पश्चात् भी यह फर्जी डिग्री से एलएलबी किए हुए, यह फेल होकर, जिनको आज तक, इनके मैं पड़ौस में रहता हूं, 200 रुपये की फीस भी जिस आदमी को कोई देना पसंद नहीं करता, वह बराबर वकालत के नाम पर इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, इसलिए व्यवस्था की जाए कि समाचार पत्रों के माध्यम से उद्धृत किया गया कोई वाक्य अगर कोई बोलता है तो उसको एक्सपंज किया जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चलो ठीक है। ठीक है माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): इनकी वकालत की भी जांच कर ली जाए कि यह सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राठौड़ साहब का सम्मान करता हूं लेकिन एक बात तो जरूर कहूंगा इनके बारे में नहीं कहूंगा, इन्होंने कह दिया, क्योंकि कालीचरणजी साहब भी एलएलबी किए हुए हैं, हम दोनों वैसे एलएलबी के साढू हैं एक तरीके से। ऐसे नहीं हैं कि हमारे कोई दुश्मन थोड़े ही हैं ये लेकिन जब बातें आती हैं तो निकल ही जाती है। ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप केवल समाचार पत्रों के आधार पर बात मत करिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चलो, नहीं करते हैं।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): और कोई आरोप है तो नोटिस दीजिए, उसका जवाब दिया जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह जो आरटीडीसी की होटलें, खासा कोठी, आनंद भवन, क्यों बेच रहे हैं, किसलिए बेच रहे हैं? क्या इनको बेचने के लिए मेंडेट दिया था? सरकारी स्कूलों को पीपीपी मोड पर, जो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

अच्छी-अच्छी चल रही हैं उनको पीपीपी मोड पर, राजस्थान रोडवेज को बंद करने के लिए लोक परिवहन ले आए, क्या कर रहे हैं आप? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो किसानों की हामी भरने वाले लोग हैं, किसानों की कर्ज माफी की बात करने वाले लोग हैं, प्रधान मंत्रीजी यूपी में यह कहते हैं कि किसान का कर्ज माफ करेंगे यूपी में जीत गए तो, जीत गए न यूपी में चुनाव, प्रधान मंत्री का कहा हुआ शब्द पूरे देश के ऊपर लागू होता है।

आज आपने समझौता किया कि किसानों का 50 हजार का लोन माफ कर देंगे और कमेटियां बना दीं। क्यों बना दी? मेरे पास भी नोटिस आया, आदरणीय रामप्रताप जी की मैं इज्जत करता हूं, इन्होंने कहा कि आप भी केरल चलो। मैंने कहा कि मैं केरल तो चलूंगा। आप मेरी बात मानोगे नहीं। अगर मैं केरल चला गया तो किसान के कर्ज की सम्पूर्ण माफी की बात करूंगा, तो ये बोले कि पैसा ही नहीं है। मेरे पास इनका वक्तव्य है जो छपा है।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरा नाम उद्धृत किया है इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। डोटासरा साहब, सवाल किसान का है, राजनीति का नहीं और जो मेरी आपसे वार्तालाप हुई वह मैं किसी को बताना भी नहीं चाहता। आज आप जिस तरीके से बोल रहे हो, अदरवाइज मैं आपका फैन हूं लेकिन इतना अन्याय मत कीजिये और कम से कम किसान के साथ अन्याय मत कीजिये, किसान के साथ राजनीति मत कीजिये यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा हूं, मैं मंत्रीजी की विद्वता पर, उनकी इच्छाशक्ति पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता, बहुत विद्वान हैं। राजेन्द्र जी राठौड़ साहब ने क्या खेल किया, कुछ लेट बनाया उसका खामियाजा प्रदेश को मिल रहा है लेकिन सवाल यह है कि किसान की कर्जमाफी में आप कमेटी-कमेटी खेलेंगे या किसान का कर्ज माफ करेंगे?

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): मैं आपको बीच में इंटरवीन कर रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मेरे को राजेन्द्र जी राठौड़ ने लेट बनाया यह आपको किसने खबर दी? इतना सरकास्टिक, देखो मैं आपको बता रहा हूं,

(डा. रामप्रताप)

आप चीफ व्हिप हैं और यह सर्वोच्च सदन है, राजस्थान की जनता इसको देख रही है तो इसको इतना लो-एब पर मत लेकर जाओ आप। दुबारा, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो अपने आपस में वार्तालाप हुई है, मैं फिर उसको नहीं बताना चाहता, वो ज्यादा बेहतर रहेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने सुराज संकल्प पत्र में यह घोषणा की थी कि हम इन-इनको, बता ही दूं, सुराज संकल्प- कृषि और किसान में लिखा है - "न्यूनतम समर्थन मूल्यों की परिधि में मोठ, मूंग, मेहंदी, चौला, ग्वार, जीरा, बाजरा, धनिया, लहसुन, ईसबगोल, ग्वारपाठा, अरण्डी सहित सभी प्रकार की कृषि उपजों एवं वनोपजों को सम्मिलित किया जाएगा। राजस्थान में कृषक सुरक्षा अधिनियम बनाया जाएगा। जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु तारबन्दी हेतु अनुदान दिया जाएगा। खेतों में कृषि कार्य करते हुए एवं पशु चराते समय दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर 5 लाख रुपये की मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि दिया जाएगा।" ये सारे के सारे काम कर दिये क्या? जब किसान के कोई काम आप कर नहीं रहे हो और रोजाना केवल बातें करना, केवल अध्ययन कराना और कहना कि हमारे वश की बात नहीं है, बजट नहीं है इससे काम चलने वाला नहीं है। किसान फिर आन्दोलन कर रहा है, किसान के साथ आपने छलावा किया है, किसान कर्ज में दबा हुआ है, वो आत्महत्याएं कर रहा है। अगर किसान को समय रहते नहीं सम्भाला गया तो जो आपकी स्थिति उप चुनावों में हुई शायद कोई माइनस की तो स्कीम नहीं होगी, पर उससे भी बुरी स्थिति आ सकती है और यह आपके सोचने का समय है। अभी भी थोड़ा बहुत समय है इसलिए इस बात को आप देख लीजिये। दो मिनट सर, अभी तो पूरा हुआ ही नहीं। जो बेरोजगारों के लिए, जो छात्रवृत्तियों में घपले हो रहे हैं उनके लिए, जो मूंग खरीद नहीं रहे उसके लिए, जो प्राकृतिक आपदा में बाढ़ आने पर जो पैसा आप ला रहे थे वो पैसा आप ला नहीं पाये इनके लिए तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बातें करनी पड़ेंगी, बताना पड़ेगा। मैं एक बात कह कर आगे बढ़ूंगा कि जब किसान आंदोलन कर रहे थे तब अफसर केवल जो बजट कृषि का था उसका 8 फीसदी ही खर्च कर पाये थे। क्या स्थितियां बना दी प्रदेश की? कहां

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

बेरोजगार मारा-मारा फिर रहा है, लाठियां खा रहा है, आप नौकरियां देने का वादा कर रहे थे, आप लोक परिवहन चलाकर लोगों को निपटा रहे हो, रोडवेज को आप बन्द कर रहे हो। मैं समझता हूं केवल यह कहना कि हमारे वश में नहीं है, पैसा नहीं है, यह नहीं है और 2022 का विजन बता देना, ये सब चीजें ठीक नहीं लगतीं।

किसानों को दिये जाने वाले ऋण में भी आपने सीमा घटा दी। प्रदेश में 10 लाख और हमारे जिले के ही 35 हजार किसानों की ऋण की सीमा घटाकर नुकसान देने का काम किया है। यह आपका किसान प्रेम देख लीजिये। मेरे जिले में फतेहपुर में कृषि अनुसंधान केन्द्र है जहां कृषि वैज्ञानिकों के 35 पद खाली हैं। सारे के सारे खाली हैं और केवल दो पदों के ऊपर वहां काम कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरसो की बुवाई घट गई, सरसो के दाम मिल नहीं रहे, समर्थन मूल्य से 400-500 रुपये नीचे आप सरसो खरीद रहे हो, मूंगफली का पैसा नहीं दे रहे हो, मूंग की खरीद नहीं कर रहे हो, खरीद रहे हो तो पैसा नहीं दे रहे हो तो आप क्या करना चाहते हैं? उप चुनावों के चक्कर में पहले तो आपने डाक्टर लगा दिये, हमारे सीकर से अलवर-अजमेर लगा दिये, लगा दो, जीत लो चुनाव देखा जाएगा। फिर उप चुनाव के चक्कर में किसानों से भी भेदभाव किया। मांडलगढ़ और बिजौलिया में तो 12 करोड़ का मुआवजा बांटा, अलवर और अजमेर में बांटा और यहां पर स्कूलें भी खुल रही हैं, यहां के ट्रांसफर भी हो रहे हैं, यहां डाक्टर भी सीकर से लग रहे हैं, अजमेर लग रहे हैं फिर भी उप चुनावों में जो आपकी स्थिति बनी वह किसी से छिपी हुई नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्यालयों को इन्होंने पीपीपी मोड पर दिया, ये अभी कह रहे थे तो जवाब देना पड़ेगा, दो मिनट रूकिये। इन्होंने कहा कि हम सब पंचायतों पर यह खोल देंगे, पर आपने साढ़े 22 हजार स्कूलें बन्द कर दीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनिवार्य शिक्षा कानून लागू है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में है कि 9 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा मूलभूत सुविधाओं के साथ में आप देंगे और प्राइमरी स्कूल दो किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होगी, मिडिल 5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगी, पर आपने तो सारे मापदण्ड ही तोड़ दिये, आपने सारी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)
व्यवस्था को चकनाचूर कर दिया। 300 वो सरकारी स्कूलें आप प्राइवेट में दे रहे हैं जिनमें अच्छी संख्या में विद्यार्थी आ रहे हैं और उनको आप प्राइवेट में दे रहे हैं। स्वास्थ्य में स्वाइन फ्लू, दु:ख के साथ, हमने कंडोलेंस की है, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। पर, स्वाइन फ्लू में आपकी सरकार की लापरवाही रही कि आपने कवर नहीं किया और हमारी एक माननीय सदस्या चली गयी, ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष चला गया और पता नहीं कितने चले गये। इतने स्वाइन फ्लू पोजिटिव आ रहे हैं कि मंत्रीजी ने जान बूझकर डाक्टरों की हड़ताल में, इसको चेप दो, इसको चेप दो तो छह महीने, आठ महीने बाद में आपको ही यह जनता चेप देगी। जान-बूझकर, उकसा कर 32 हजार जो मौतें अस्पतालों के अन्दर नवजातों की हुई हैं उनमें और बड़े-बुजुर्गों की मौतों में माननीय चिकित्सा मंत्री जी का बड़ा हाथ है। उन्होंने जान-बूझकर डाक्टरों से हड़ताल करवाई और फिर मौतों के बाद में, शर्म की बात है, हमारे राजकुमार जी शर्मा ने तो इस्तीफा भी दिया था, पर माननीय अध्यक्ष जी ने स्वीकार नहीं किया, जब सब मर गये, सब त्राहिमाम-त्राहिमाम हो गया तो डाक्टरों को बुलाकर मिठाई खिला रहे हैं जैसे कोई बेटे की सगाई कर रहे हो, उसका उत्सव मना रहे हो। +++ आप कोटा में गये, आपके विधायकों ने कहा कि डूबकर मर जाओ स्वाइन फ्लू आप रोक नहीं सकते, बीमारियां रोक नहीं सकते, डेंगू रोक नहीं सकते। शर्म आनी चाहिए ऐसी व्यवस्था में कि आपने जबरदस्ती का यह नाटक किया। हम वो विजन लायेंगे, 2022 का लायेंगे, 2023 का लायेंगे, 2024 का लायेंगे पर आप कोई विजन नहीं ले पाये और केवल मात्र आपने..... (समय समाप्ति सूचक घण्टी) केवल एक मिनट लेकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि +++ यह पाप नहीं है क्या? माननीय सदस्य ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि +++

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको थोड़े ही कहा है। एक हजार करोड़ का बजट और चिकित्सा मंत्री का देखो कि सातों मेडिकल कॉलेज चालू नहीं करा पाये। यहीं बैठे-बैठे कह रहे थे उच्च शिक्षा में कि उच्च शिक्षा में नियामक आयोग बना दूंगा, फर्जी देने वाले को फांसी चढ़ा दूंगा, पता नहीं

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

यहां लटका दूंगा, वहां लटका दूंगा, पर कहीं नहीं लटकाये और आपका ही नम्बर आने वाला है, आने वाले 10 महीने बाद में जनता आपको ही लटका देगी। मैं लास्ट में एक मिनट लूंगा। हमारे सीकर में मुख्य मंत्रीजी कह कर आई थीं कि हर्ष पर रोप-वे बना दूंगी, पर नहीं बना। कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से छह तहसीलों को पानी पिला दूंगी, पर एक रुपये का बजट अभी दिया नहीं। नवलगढ़ रोड की पुलिया चौड़ा करा देंगे, पर एक रुपया दिया नहीं। गांवों की सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कें ठीक की नहीं। मेरे यहां जो प्रोजेक्ट 2015 में 832 करोड़ का था,......

जो हमारी सरकार ने सैंक्शन किया था, उस 832 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मार्च, 2015 में पूरा होना था, आज तक हुआ नहीं। 60 परसेंट काम ही नहीं हुआ। क्या करना चाह रहे हो? कहां ले जाना चाह रहे हैं? मिनी सचिवालय बना दूंगी। बड़ा जोरदार काम है, बनाओ ना। यह दु:ख की बात है कि हमारे यहां मेडिकल कालेज इसलिए नहीं चालू हो रहा है कि दोनों मंत्री हमारे सीकर के हैं और वह यह नहीं चाहते, क्योंकि एक मेडिकल कालेज जो था, वह तो माननीय सांसद महोदय अपने प्रयास से, मोदीजी से बात करके लाये थे तो इनका नाम खराब हो जाएगा। दूसरा मेडिकल कालेज इसलिए नहीं कराना चाहते कि यह जो सरकारी मेडिकल कालेज चल रहे हैं, इनमें मंत्रीजी की बड़ी पूंछ हैं, इसलिए ये नहीं चाहते कि दूसरा मेडिकल कालेज बन जाए। अब पता नहीं, कहां इस प्रदेश को ले जाना चाहते हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विद्यालय सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, एनआरएचएम के कर्मी, पंचायती राज के एलडीसी, थर्ड ग्रेड के शिक्षक, आपकी तरफ कैसे देख रहे हैं? आप देखिये, उनका पाप लगेगा। आपने कर दिया क्या? पंचायत सहायक का नाम बदल दिया। कोई मापदण्ड नहीं, फिर भी उनको 6,800 रुपये। क्या होता है 6,800 रुपये में? उनको नियमित करने की कोई बात नहीं। हमारे ऊपर एलीगेशन लगाये थे। ये राठौड़ साहब बैठे हैं। यहां खड़े हो-होकर कि अशोकजी गहलोत की सरकार ने कोर्ट में लटका दिया। अभी घनश्यामजी तिवाड़ी क्या कह रहे थे। वह लटकी, फंसी, उड़ी, ऊपर बैठी या नीचे बैठी, क्या हुआ, यह देखा आपने नमूना? क्या स्थिति बना दी आपने बेरोजगार की? क्या संविदाकर्मियों

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

को आपने दिया? आप कानून व्यवस्था दे नहीं सके। आप भ्रष्टाचार में पूरे आकंठ डूब गये सब। रोक नहीं सके उस भ्रष्टाचार को।

जो बेरोजगारी है, वह आलम पर है। जब रोजगार मांगते तो आप लाठियां दे रहे हो। आप करना क्या चाह रहे हो? यह तो बता दो। न किसान को कुछ, वीसीआर भर रहे हो, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं और फिर महामहिम के श्रीमुख से कहलवा रहे हो, पता नहीं, हमने क्या-क्या कर दिया। कुछ नहीं किया। जो स्थिति आपकी इन 17 जगह उप चुनावों में बनी है न, वही स्थिति राठौड़ साहब, बनने वाली है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) हां, एक मिनट में, यह लो। राठौड़ साहब ने तो जाप्ता कर लिया है सर, रास्ता ढूंढ लिया है। बता ही दूं आपको, फिर अलग से बताने में कोई फायदा नहीं। पूरे सदन को ही बता दूं। सरकार का एक आदेश है पंचायती राज विभाग का कि नरेगा का जो पैसा है, वह आ नहीं रहा है या क्या हो रहा है, दे नहीं रहे हैं पूरे प्रदेश में मैटेरियल का। इन्होंने सरदारशहर, चूरू, अलवर जिला, अजमेर जिला, मांडलगढ़, वहां का सोफ्टवेयर तो खुलवा दिया, वहां तो पेमेंट हो गया और पूरा प्रदेश, अब सरदारशहर से लड़ोगे कि चूरू से लड़ोगे। दोनों हाथों में लड्डू नहीं रखना है। जो दो नावों पर बैठता है, वह राठौड़ साहब, मैं छोटा तो हूं लेकिन इतना पता है, वह डूबता है निश्चित रूप से। वह तर नहीं सकता है। इसलिए मेहरबानी करके, लास्ट में एक बात कहते हुए, एक बात करूंगा।

आज जो बजरी का संकट आपने पैदा किया। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। बजरी का संकट इतना है। आप चार साल से हमें-हमें ही कोसने की बात कर रहे हो। ऐसे पट्टे दे दिये। आपने सुधारा क्यों नहीं? आपने राजस्थान की जनता से मेंडेट यही लिया था कि हम बजरी में नौकरियों में, इनमें सबमें सुधार करेंगे। आज बजरी के चार-चार सौ ट्रक जयपुर में आ रहे हैं। चार गुना पैसों पर आ रहे हैं और मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपके विधायक जो अभी हारे हैं, उनमें से ही कई उसमें शामिल हैं। दिन के 2-2, 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपये कमा रहे हैं। अब आप समझिये कि बजरी का क्या खेल हो रहा है। आप न पर्यावरण पर खर्चा कर पाये, न माइनिंग पर खर्चा कर रहे हैं। जीएसटी, नोटबन्दी और आपके प्रदेश के कुशासन ने किसान की

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

कमर तोड़ दी है, बेरोजगार की कमर तोड़ दी है। न बिजली है, न पानी है, न सड़क है। बालिकाओं के साथ अत्याचार, इस तरह के अपराध हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। मुख्य मंत्रीजी विधायकों से नहीं मिलतीं, विधायक जनता से नहीं मिलते। हम गये थे माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं किशनगढ़ में ही था गलती से तो किशनगढ़ में जहां-जहां भी गये, हमें वोट मांगने नहीं पड़े क्योंकि सबने एक ही बात कही कि आदरणीय भागीरथजी चौधरी साहब ने हमारा इतना विकास करा दिया, आपको वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है। हम उस विकास के ऊपर वोट दे देंगे क्योंकि 30-32,000 वोट से जीते हुए थे, पता नहीं, अब कितने से हारें। मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं कहता क्योंकि यह तो आंकड़े हैं, वेबसाइट पर पड़े हैं लेकिन स्थितियां यह थीं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि यह तो उप चुनाव था, अगर मुख्य चुनाव होता तो इनके कपड़े फाड़ लेती जनता, कपड़े फाड़ लेती, यह स्थितियां बनने वाली थीं। फिर भी बड़े दम्भ के साथ यह कहते हैं...

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने...

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बात कहना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भागीरथजी भाई साहब, एक सैकिण्ड बैठो।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):... माननीय सदस्य अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो इन्होंने कहा, जो हारे हुए हैं, जो बजरी है। किनके ऊपर आरोप लगा रहे हो आप?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं किस पर लगा रहा हूं?

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): नहीं, आप किन पर लगा रहे हो आरोप? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जचे जैसा अनर्गल आरोप लगा रहे हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्या कहा? जो हारे हुए हैं, जो बजरी है, किनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो?

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। भागीरथ जी भाई साहब, भागीरथ जी भाई साहब...

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): आप गलतफहमी दूर कर लो। यह उप चुनाव है। नवम्बर-दिसम्बर, 2018 में आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतकर आएगी। आप हसीन सपने मत देखो ज्यादा। गलतफहमी पैदा हो गयी है आपके।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, पहली बार जब विधान सभा में आये...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक बात कहकर समाप्त करूंगा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): ...विधान सभा में आये तो चप्पल उतारकर, विधान सभा की सीढ़ी पर सिर नवाया था लेकिन यहां जिस प्रकार, जिस अशोभनीय भाषा का प्रयोग होता है। अनर्गल, जो आरोप-प्रत्यारोप लगाये गये, उससे बड़ी पीड़ा होती है। इस प्रकार का व्यवहार पण्डित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में मात्र दो या चार जोड़ी से ज्यादा कपड़े नहीं सिलवाये होंगे, वही कुर्ता-धोती पहनकर जिन्होंने पूरा जीवन निकाल दिया, उनके लिए प्रतिपक्ष के हमारे सचेतक महोदय कह रहे हैं कि हमारे गांव में बहुत सारे दीनदयाल हैं। इस तरीके की अशोभनीय भाषा। मंत्रीजी के लिए डाइरेक्ट इस तरीके का वक्तव्य देना, यह ऐसे ओछे विचार, यह आप लोगों को शोभा नहीं देते। मेरा आपसे निवेदन है कि आपका जो हश्र हुआ है, पूरे राजस्थानवासी इस विषय को समझते हैं और आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। आज इन तीन सीटों के चुनाव को देखकर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे सचेतक महोदय, यह जनता आपको बहुत अच्छी तरीके से समझती है और आप जिस तरीके से असत्य कहकर इस सदन में, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। कभी आपकी बात कोई स्वीकार नहीं करेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कोई बात नहीं। जनता कर लेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में एक सैकिण्ड लेना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह लो, यह लो, आखिरी। एक ही।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट के लिए, आप विराज जाओ। अब एक काम करें। आप सबको ही समय दे देते हैं। अब यहां से चालू होइये एक-एक करके। सबसे पहले तो सम्माननीय सदस्य महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अपनी बात में क्या-क्या बातें कह दीं, आपने कभी इस बात पर विचार किया? आपने पूरे सदन के सदस्यों पर आरोप लगा दिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष: आपने पूरे सदन के सदस्यों के ऊपर आरोप लगा दिया। ऐसा लग रहा है जैसे ईमानदारी का ठेका सिर्फ एक व्यक्ति के पास में है। (व्यवधान) किसी भी अभिव्यक्ति के बीच में अगर आपको कटाक्षपूर्ण कोई बात कहनी है तो व्याकरण को मर्यादित तो रखिये और आचरण को इतना विवेक तो दीजिये कि जिससे उस विवेक के आधार पर आप जनतंत्र की रक्षा कर सकें। अब आप कनक्लूड करिये अपना भाषण।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार का महामहिम महोदय के श्रीमुख से आपने, सरकार ने कहलवाया है, वह सारे असत्य वचन हैं इसलिए थोड़ा-सा कहना पड़ता है लेकिन मेरा कोई किसी के प्रति ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति विशेष के हो, मैं कोई करना चाहता हूं।

पंचायती राज विभाग में पांच विभाग थे। क्या हुआ माननीय मंत्री महोदय, क्या आपने कर दिया? आपके जनधन के खाते, जिसमें वाहवाही में डेढ़-दो साल आपने निकाल दिये। डेढ़ लाख से ज्यादा जनधन के खाते बंद हो गये। आपने उप चुनाव जीतने के लिए खान कारोबारियों को राहत प्रदान कर दी। सब कुछ कर दिया। उसके बावजूद भी जनता ने आपको आईना दिखा दिया कि आपने हमसे असत्य बोला, हमको छला है, असत्य वादे किये हैं और आप विफल रहे हैं इस सरकार को चलाने में, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में भी विफल रहे हैं। इन शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम जी पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हृदय की अन्तर्गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए आपसे निवेदन करूंगा। महामहिम

(श्री जोगाराम पटेल)

राज्यपाल का यह अभिभाषण इस पवित्र सदन में रखा। हम जब छोटे थे और हमारे पूर्व के अनेक विधायकों के साथ जब विधान सभा में आने का प्रयास करते थे तो हमको समझाते थे कि यह राजस्थान का पवित्र सदन है, यहां विद्वान लोग बैठते हैं, गम्भीर और धीर होकर बात करते हैं, तथ्यों के आधार पर बात करते हैं लेकिन आज जब मैंने यहां वक्तव्य प्रतिपक्ष के माननीय साथी का सुना। जिस लहजे में, जिस मजाक में, जिस अनर्गल बातों के साथ, बिना किसी बात के वह जब बोल रहे थे तो लगा कि हमारे पूर्वज जो कह रहे थे, वह गलत कह रहे थे...

क्या यह राजस्थान का वो सदन है जहां हमारे भैरोंसिंह जी शेखावत से लगा कर, शिवचरण जी माथुर से लगा कर अनेक ऐसे विद्वान हुए हैं जो यहां गंभीर बात करते थे, धीरता से बात करते थे उस बात का कोई मतलब होता था? क्या यह सदन वो सदन हो गया है जहां कोई जिम्मेदारी नहीं है। कि जो जैसे लगे सोजती गेट पर खड़े होकर के जिस तरह की बात होती है वैसी बातें यहां आज की गयी हैं मजबूरी में हमको सुनना पडा है।

(15.40 बजे)

(श्री ज्ञानचंद पारख, सभापति, पदासीन)

मैं निवेदन करूंगा माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल के दौरान जिस धीरता से, गंभीरता से समाज के हर तबके के, हर क्षेत्र के, हर गांव, गली, शहर और मौहल्ले को, गरीब को आधार बना कर अपना विकास किया, विकास के आयाम कायम किये, नये-नये एजेंडा लाये। उस पर जो काम किया वो हमारे भारतीय संविधान की परम्पराओं के अनुसार महामहिम के माध्यम से राजस्थान की जनता के सामने रखा गया है। हमें उसी धीरता और गंभीरता पर बहस, मनन, तर्क और वितर्क करने का अधिकार है। हमें उसी धीर, गंभीर और सार्थकता के साथ इस पर बताने की आवश्यकता है माननीय सभापति महोदय, हमारे द्वारा शुरू की गयी योजनाएं, हमारे द्वारा शुरू किये गये कार्य, हमारे द्वारा प्रारंभ किये गये अनेक ऐसे कार्य जो इतिहास में याद रखे जाएंगे, हिन्दुस्तान और राजस्थान की जनता के सामने याद रखे जाएंगे। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस वक्तव्य के आधार पर आपने इस सारे गंभीर विषय

(श्री जोगाराम पटेल)

को हंसी-मजाक में उठाने का और मखौल बनाने का जो प्रयास किया है, उस सम्बन्ध में मेरा आपसे निवेदन है कि 'रख हौसला वो मंजर भी आएगा,...' इतना गंभीर इतना जलजला होने की आवश्यकता नहीं है 'रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा।' आगे देखना दिसम्बर में मंजिल मिलने का मजा भी आएगा।

माननीय सभापति महोदय, अनेक विषय यहां रखे गये। महामहिम के अभिभाषण पर माननीय अभिषेक जीमटोरिया ने अपना धन्यवाद प्रस्ताव रखा। माननीय मानसिंह जी ने उस पर अपना वक्तव्य दिया, समर्थन किया। मैं उनके समर्थन में एक विषय को लेकर के आपके सामने अपनी बात कहूंगा। शहर का, गांव का, गरीब का, किसान का, मजदूर का, बेरोजगार का ऐसे अनेक विषय यहां आये हैं, लेकिन हमको याद रखना पड़ेगा कि राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के विभिन्न शहरों में रहने वालों की बोलियां, राजस्थान के विभिन्न शहरों का कल्चर, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में की भौगोलिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं। ये राजस्थान वो राजस्थान है जिसमें 75 परसेंट से अधिक हम गांवों में निवास करते हैं, खेती पर निर्भर है, खेती आधार है। सबसे ज्यादा रोजगार देने का आधार हमारा है तो वो खेती है। उसको ध्यान में रखते हुए मैं मेरी बात गांव, गरीब, मजदूर, किसान और उन लोगों की ओर इंगित करूंगा जो 75 परसेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो गांव में रहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारा जो मोटो है, हमारी मुख्य मंत्री महोदया का जो मोटो है, राजस्थान के विकास का जो सपना है वो है 'उन्नत किसान, खुशहाल राजस्थान।' हम इस ऐम के साथ काम करते हैं। हमारा पहला आधार है 'उन्नत किसान, खुशहाल राजस्थान।' और 'उन्नत किसान और खुशहाल राजस्थान' की परिकल्पना कहां से आई, माननीय वसुन्धरा जी ने उस तपती धूप में सुराज संकल्प की जो यात्रा की थी और उस यात्रा के दौरान राजस्थान के अलग-अलग गांवों, शहरों, गलियों, मौहल्लों को देखा था, गरीब की आवाज को सुना था, मजदूर की आवाज का सुना था और अपने मन में एक परिकल्पना की थी कि मुझे राजस्थान का इस तरह से विकास करना है और उसी को आधार बना कर के कार्य प्रारंभ किया गया था।

(श्री जोगाराम पटेल)

माननीय सभापति महोदय, एक राजधर्म होता है और उसी राजधर्म का मोटो बनाया 'सबका साथ, सबका विकास' खाली किसी एक का नहीं। इस तरह से मखौल बनाते हुए कोई बात नहीं कहीं जा सकती। और एक उपचुनाव में क्या हो गया जैसे कोई भूलभुलैया के आधार पर बातें कर रहे हैं, जैसे कोई दुनिया का युद्ध जीत लिया। आप वो ही हैं न जो 163 के अगेंस्ट में सिर्फ दो बैंचों में सिमट गये, लेकिन हमने कभी नहीं कहा। जैसा कि अभिषेक जी ने कहा कि हमारा यह मोटो नहीं है चुनाव जीतना या हारना, सत्ता में आना या नहीं आना, अलग विषय है। हमारा मोटो है राजस्थान का विकास 'सबका साथ, सबका विकास'। पूरे हिन्दुस्तान के नक्शे में, अभी एक समाचार पत्र ने नक्शा दिया था और नक्शा समाचार पत्र में सिर्फ बंगाल खाड़ी के किनारे-किनारे थोड़ा सा लाल आपका निशान बचा था, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि आपका पूरे हिन्दुस्तान में अस्तित्व खतम हो रहा है। हम कहते हैं काम कीजिये। निर्णय करना जनता का काम है, हमारा काम नहीं है। हम सद्भावना से, सद्हृदय से काम करें, जनता निर्णय करेगी इसीलिए हमारी मुख्य मंत्रीजी ने विजन दिया 'उन्न्त किसान, खुशहाल राजस्थान' और 'जय-जय राजस्थान'

माननीय सभापति महोदय, इस 'जय-जय राजस्थान' का सपना तभी साकार होगा जब हम 'सबका साथ, सबका विकास' के साथ चलेंगे। चाहे रोजगार का विषय हो, चाहे अन्य विषय हो, चाहे किसान के हो, चाहे मजदूर के हो, चाहे शिक्षक के हो, चाहे विद्यार्थी के हो और इस लिहाज से जो रोजगार का विषय है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रधान मंत्रीजी ने कहा था कि नरेगा का जो कार्य है, इसको मैं बंद नहीं करूंगा क्योंकि यह कांग्रेस की विफलताओं का पुलिंदा है, लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विफलताओं का पुलिंदा है या नहीं है, यह उन्होंने कहा या नहीं कहा यह अलग विषय है कि परन्तु इसका राजस्थान में इंप्लीमेंटेशन किस तरह से हुआ। यह गम्भीर विषय है। कोई भी योजना सरकार की है उसका निस्तारण किस तरह से हुआ यह जमने का विषय है। वह राजस्थान है जिस यह देश में लगातार तीन साल तक इस नरेगा योजना का बैस्ट इंप्लीमेंटेशन किया और इसीलिए उनके कार्य के आधार पर कन्वर्जन एंड लाइवलीहुड आग्मेंटेशन

(श्री जोगाराम पटेल)

पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लिए ट्रांसपरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ कोटा जिले का इफैक्टिव इंप्लीमेंटेशन आफ नरेगा पुरस्कार के रूप चयन किया गया और टोंक जिले की ग्राम पंचायत बगड़वा को बैस्ट परफोर्मिंग ग्राम पंचायत फोर इंप्लीमेंटेशन आफ नरेगा का दिया। जिले का सलैक्शन हमारा, प्रदेश का सलैक्शन हमारा, ग्राम पंचायत का सलैक्शन हमारा। हिन्दुस्तान में अनेक प्रदेश हैं, किसी का सलेक्शन नहीं हुआ। हमने इसका इंप्लीमेंटेशन सबसे बैस्ट किया।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सदस्य, निवाई विधान सभा क्षेत्र में है बगड़वा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): निवाई का भी है, साहब और ऐसे श्रेष्ठ पांच पुरस्कार नरेगा में हिन्दुस्तान की सरकार के द्वारा दिये गये हैं वो राजस्थान को दिये गये हैं। अगर काम नहीं करते तो पुरस्कार नहीं मिलते। इस तरह से मजाक में बात उड़ाते तो पुरस्कार नहीं मिलते। ये पांच पुरस्कार इसीलिए मिले हैं कि राजस्थान की सरकार ने इसमें बैस्ट परफोर्मेंस के सारे कार्य किये हैं। इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि 638 करोड़ 44 लाख रुपये व्यय कर ग्रामीण आधारभूत संरचना के 12994 पक्के काम भी किये हैं। हालांकि यह एक्ट जो है, ये मजदूर ओरिएंटेड योजना है, आधारभूत मजदूरी देने की योजना है। इसका बेसिक उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में 638 करोड़ 44 लाख व्यय कर ग्रामीण आधारभूत संरचना के 12994 कार्य किये हैं और 38 लाख 86 हजार परिवारों को 16 करोड़ 66 लाख मानव दिवस सृजित किये, यह हिन्दुस्तान में रिकार्ड है। किसी भी प्रदेश ने ऐसा रिकार्ड कायम नहीं किया है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि हमको उसी लाइट में देखेंगे तो पता लगेगा कि हमारा काम किस तरह चल रहा है। मैंने जैसा निवेदन किया माननीय सभापति महोदय, कि मेरा आज का वक्तव्य गरीब, किसान को आधार बना कर के है। खेत, खलिहान को आधार बना कर के है। देश की 75 परसेंट जनसंख्या जहां रहती है उसको आधार बना कर के है। उसके लिए कब-कब, क्या-क्या काम किये गये, चाहे हमारी राजस्थान की

(श्री जोगाराम पटेल)

सरकार है चाहे हमारे केन्द्र की सरकार है। उसके बाटे में हैं। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना एक पहला प्रयोग इस दिशा में है। हिन्दुस्तान में शायद ऐसा प्रयोग पूर्व की किसी भी सरकार ने नहीं किया और शायद मेरे ज्ञान के अनुसार विश्व में ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में 24,800 करोड़ रुपये इंश्योरेंस को दिये गये और आठ हजार रुपये किसानों को नहीं दिये गये उस पर भी दो शब्द।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा इसमें निवेदन यह है विद्वत्ता का ठेका नहीं मिलता है, विद्वत्ता का प्रदर्शन नहीं होता है और जो ज्यादा बोलते हैं उसको लग जाता है कि अंदर से बिलकुल खोखले हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इतना तो बता दो कि यह मेरे पर कहा है या स्वयं पर ही कहा है, क्लियर तो हो जाए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अगर इतनी ही समझ नहीं आये तो आपको समझदार ही नहीं कह सकते, इतनी समझ तो रखनी ही पड़ेगी। मेरा निवेदन था 'उन्नत किसान खुशहाल राजस्थान' का सपना पूरा करने के लिये माननीय प्रधान मंत्री जी ने और हमारी सरकार ने एक सपना संजोया कि 2022 तक किसान की आय को दोगुना किया जाएगा। खाली यह नारा नहीं दिया है, खाली यह बात नहीं कही है, खाली यह वक्तव्य नहीं दिया है, इसके आधार पर काम करना भी प्रारंभ किया है और पहला काम फसल बीमा योजना का भी है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना में 160.72 लाख कृषकों को 2244.26 करोड़ रुपये का मुआवजा आलरेडी अदा कर दिया है। संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में 46.43 लाख कृषकों को 1463 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम आलरेडी दे दिया है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ 2016 में 20.14 लाख कृषकों को 11.49 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम आलरेडी दे दिया है। सभापति महोदय, मैं यहां कहना चाहूंगा आप खुद व्यक्तिगत रूप से भी जानकार हैं संवत् 1969, संवत् 1970, संवत् 1971, संवत् 1972 इन चार सालों का मुआवजा कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया। अभी संवत् 1973 का मिलाते हुए राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने दिल्ली में अनेक बार जाकर प्रयास करके मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणी में

(श्री जोगाराम पटेल)

दिलवाया और संवत 1973 का 46 करोड़ का मुआवजा आज किसानों में बंट रहा है, ऐसा हिन्दुस्तान के इतिहास में आज तक कभी भी नहीं हुआ। कांग्रेस के सिर्फ दो माननीय सदस्य यहां देखने के लिये बैठे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि इस तथ्य को सुन सकें और सुनकर जवाब दे सके। ऐसा ही राजस्थान में अनेक विधान सभा क्षेत्रों में हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में पूर्व के मेरे साथियों ने आपको विस्तृत बता दिया इसलिए, इस बारे में आपसे ज्यादा निवेदन नहीं करूंगा। विषय मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाना और देना नहीं है लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि हमारी खेती ऐसी खेती हो कि हमारे किसान की उपज दोगुनी हो जाए और उसका अनेक आधारों में से एक आधार यह भी है कि किसान के खेतों में जो खेती की जा रही है, उसकी जो जमीन है उसमें किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता नहीं है, यह मृदा कार्ड का मूल आधार है। अगर उसको देखकर खेती करेगा तो जरूर वह संतुलित उर्वरक का प्रयोग करने का वह विचार करेगा। गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन करने पर भी विचार करेगा और 101 स्थिर मृदा प्रयोगशालाओं में 10.40 नमूने प्रतिवर्ष लिये जा रहे हैं, ऐसा इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, ऐसी 32 प्रयोगशालाएं चल रही हैं उन सबके आधार पर यह दूसरा प्रयोग है कि किसान के हित के लिये दोनों ही सरकारें रात दिन लगन के साथ कार्य कर रही है।

मेरा तीसरा निवेदन है, आज यहां कृषि मंत्रीजी नहीं है, ज़ैतून की खेती के बारे में पूर्व में बताया गया, उसमें मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन यह जैतून यहीं था, जिन्होंने 50 साल राज किया उनके दिमाग में भी कभी नहीं आया, यह हमारे मंत्री जी का, हमारी सरकार का प्रयास है जैतून यहां लगाये, प्रथम रिफाइनरी यहां लगाई, उसका फायदा किसानों को मिल रहा है और वह दवाई ही नहीं तेल के रूप में भी उपयोग हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, काश्तकारों के साथ कभी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, अनायास भी हो जाती है, एक्सीडेंटली हो जाती है, उसके लिये मैं आंकड़े नहीं रखूंगा, लंबे आंकड़े हैं लेकिन एक आंकड़ा आपके सामने रखूंगा 2017-18 के दिसम्बर तक 253 करोड़ के जो क्लेम थे, वह सरकार ने

(श्री जोगाराम पटेल)

भुगतान किये हैं कि किसान को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। मैं यह भी निवेदन करुंगा कि अभी केन्द्र सरकार का बजट आया है और केन्द्र सरकार के बजट में पहला विजन यही था कि किसान का जो समर्थन मूल्य है वह कम है इस वजह से धीरे धीरे किसान खेती की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है, उससे अलग होने का प्रयास कर रहा है और उनके मन मस्तिष्क में यह बात बैठ गई है कि खेती नफे का सौदा नहीं है, खेती जुआं है इसलिए उसका रुझान फिर खेती की तरफ बढे, इसी को आधार बनाकर किसानों की फसल के समर्थन मूल्य को दोगुना करने का आधार बजट में लिया गया है उससे किसानों को विश्वास हुआ है। इतना ही नहीं कृषि क्षेत्र को दिया गया संस्थागत ऋण 2014-15 में 8.5 लाख करोड़ रुपये बढ़ाकर 2018-19 में 11 लाख करोड़ रुपया किया गया। 8 से बढाकर सीधा 11 लाख करोड़, यह किसान के लिये है। 86 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा के लिये 22 हजार ग्रामीण हाटों का ग्रामीण कृषि बाजारों के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि वह नजदीक से नजदीक अपनी उपज को बेच सके और अपनी उपज का उचित मूल्य ले सके। आलू, टमाटर, प्याज में तेज उतार चढ़ाव आते हैं, रोज पढ़ते हैं आलू में क्या हो गया, प्याज फेंक दिये, इन सारी चीजों से बचने के लिये भी यह व्यवस्था की गयी है। आपरेशन ग्रीन पेश किया गया है, उसके तहत किसान को कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आलू कम पैदा हुआ कि ज्यादा पैदा हुआ, भाव आया कि नहीं आया, उसके तहत वह सुरक्षित रहेगा और अनेक दूसरे प्रयोग भी किये गये जो दूसरे राज्यों से संबंधित है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक चीज आपसे निवेदन करूंगा अभावग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को सहायता, महत्वपूर्ण विषय है। मेरा नम्रता के साथ निवेदन है मेरे प्रतिपक्ष का कोई भी साथी हिन्दुस्तान के इतिहास को छोडकर राजस्थान के इतिहास की तरफ ध्यान देकर कोई यह बता दे जब से राजस्थान की विधान सभा का गठन हुआ तब से लेकर आज दिन तक अगर आंकड़ों के साथ यह कह दे कि राजस्थान के किसानों को फलां फलां साल में फलां फलां सरकार ने इतना मुआवजा अनुदान के रूप में दिया तो यह राजस्थान की सात करोड़ जनता और राजस्थान का यह पवित्र सदन सुनकर

(श्री जोगाराम पटेल)

उनको धन्यवाद देगा। अगर यह नहीं कहे, तथ्य रिकार्ड पर नहीं लाये, बात नहीं कहे तो यह राजस्थान की जनता सब समझती है एक दिन के लिये अगर किसी कढ़ाई में उबाल आ जाए इसका मतलब यह नहीं है कि अंदर दाल पक गई है, दाल पकने में बहुत समय लगता है और दाल 2013 के दिसम्बर में पकी थी वैसी ही दाल दिसम्बर, 2018 में भी पकेगी, आप निश्चिंत रहे। खरीफ संवत् 2073 में सूखे से प्रभावित 13 जिलों में 5654 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया था। माननीय सभापति महोदय, आपको ध्यान है कि अभावग्रस्त घोषित होने पर निर्धारित मुआवजा उनको मिलता है। इतना ही नहीं 2073 में चार जिलों में 57 जगह ओलावृष्टि घोषित की गयी और कृषि अनुदान के रूप में 11 हजार करोड़ रुपये वितरित किये गये। रबी की फसल के अलग और बैंकों के मार्फत भी केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा वर्ष 2017-18 में दिसम्बर, 2017 तक 11747 करोड़ रुपये से अधिक के अल्पकालीन तथा 454 करोड़ 43 लाख रुपये के मध्यकालीन ऋण वितरित किये गये। वर्ष 2017-18 में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से दिसम्बर, 2017 तक 179 करोड़ 48 लाख रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरित किये गये और ऐसा आज दिन तक इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। काश्तकारों के लिये ऋण वितरित इसीलिए किये गये कि यह जो आरोप प्रत्यारोप और काश्तकारों के साथ जो मजाक किये जा रहे हैं, काश्तकार आत्महत्याएं कर रहे हैं, काश्तकार दुःखी है और जो यह बात करते हैं उनको पता ही नहीं कि काश्तकार होता क्या है। न उन्होंने कभी खेती की, न कभी गांव में गये, न कभी उनके पूर्वज काश्तकार रहें, वो वह लोग हैं जिन्होंने सिर्फ काश्तकार के साथ अन्याय करने का, मजाक करने का ठेका ले रखा है।

(16.00 बजे)

हम राजस्थान के काश्तकार हैं। इस सदन में अनेक माननीय सदस्य राजस्थान के काश्तकार हैं। किसी काश्तकार ने आज दिन तक इस वजह से आत्महत्या नहीं की है कि उसके पास कोई कर्जा हो गया है। अनेक कारणों से उसकी कोई मृत्यु हुई होगी, लेकिन काश्तकार को बेचारा-बेचारा कहकर मेरे प्रतिपक्ष के भाइयों ने किसान की वह हालत की है, जैसे किसान तो कुछ है ही नहीं। यह राजस्थान का किसान आपके सामने खड़ा बोल रहा है। यह

(श्री जोगाराम पटेल)

राजस्थान का किसान आपके सामने राजस्थान में खड़ा है। यह राजस्थान का किसान आपके सामने विधान सभा में बैठा है। वह ऐसी बात कभी सुनना पसंद नहीं करता है। हम स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। माननीय सभापति महोदय, हमने सात-सात काल भी देखें हैं। हमने किसी के सामने पर हाथ नहीं फैलाये। अब तो हर साल पैदा हो रही है। सरकार भी सहायता कर रही है। हम वे स्वाभिमानी किसान हैं, हमारी परम्परागत खेती है। हमको कभी भगवान दे, कभी नहीं भी दे। कभी इधर भी हो जाए, उधर भी जाए, लेकिन ऐसी भीख नहीं मांगते हैं। अनेक वर्षों से एक गलत संस्कृति चली। उसने कभी भी यह नहीं कहा। कि किसान अपने पैरों पर खड़ा हो। हर चीज के लिए डिमांड, मांगो-मांगो की संस्कृति की मानसिकता पैदा कर दी। राजस्थान का काश्तकार तो वह काश्तकार है, वह सरकार का कोई फायदा लेने से भी मना करता था कि मुझे राज का पैसा नहीं चाहिए, मुझे खुद का अपना पैसा चाहिए। लेकिन अनेक वर्षों से ऐसी मानसिकता पैदा कर दी है। उसके दिमाग में हर वक्त रहता है कि शौचालय का पैसा नहीं मिला। 12 हजार नहीं मिले, फलां नहीं मिले, उस मानसिकता को बदलना है। हमें किसान को स्वाभिमानी आत्मनिर्भर, खुद के पैरों पर खड़ा होने वाला किसान बनाना है। उसकी मांग करनी है। उसके लिए व्यवस्था करनी है। वह खाये, कमाये, जीये और शान से जीये, भिखमंगे की तरह हम किसान नहीं चाहते, हम स्वाभिमानी किसान चाहते हैं। शान से जीने वाला किसान चाहते हैं। उसे मौका दीजिए। खेती के नये-नये प्रयोग करके लाइये। खेती की अपरचुनिटी दीजिए। बिजली-पानी की व्यवस्था कीजिए। उसके लिए किसान मांग करता है। ऐसी कभी कोई मांग किसान नहीं करता है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने बैंकिंग व्यवस्था में राजफैड के माध्यम से 46 हजार मै. टन डीएपी और यूरिया की जो व्यवस्था की है। मुझे आज भी याद है। मुझे यूरिया की जरूरत थी। आप भी उससे परिचित हैं। पावटा में दुकान थी और जब यूरिया लेने के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। उनके राज के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। वह काल भी हमने देखा है और उस काल के लोग आज हमको शिक्षा दे रहे हैं। जिनके काल में यूरिया को लेने के लिए लाठीचार्ज होता था। जिनके काल में

(श्री जोगाराम पटेल)

यूरिया लेने के लिए ब्लैकमेकिंग होती थी। आज वही राज है। न यूरिया की कोई ब्लैकमेकिंग है, न और किसी की है। जो भी आपको चाहिए, वह सब मिलता है। इसीलिए सरकार को पुरस्कार भी मिला है।

राजस्थान सरकार को उत्कृष्टता पुरस्कार, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक को भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 2017 में सहकारी उत्कृष्टता पुरस्कार के रूप में पंद्रह लाख रुपये और प्रतीक चिन्ह्र भी दिया गया है। ये सभी इसीलिए हुआ है। कि हमारी बैंकिंग व्यवस्था सुधरी है, किसानों की लोन व्यवस्था सुधरी है, खाद-बीज की व्यवस्था सुधरी है, किसान की उपज बढ़ी है, किसान का मन बनने लगा है और किसान को ये लगा है कि अब मेरा कोई सुनने वाला है। मेरे लिए टाइम पर व्यवस्था भी होने वाली है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा। कि आज खेती करना ही खेती नहीं है, पशुपालक भी खेतिहर हैं, किसान हैं। पशुपालक को भी काश्तकार की श्रेणी में माना जाता है। दोनों की समान आवश्यकता और अपेक्षा है और पशुपालक के लिए भी सरकार ने अनेक कार्य किये हैं। अगर उन सब कार्यों की मैं लिस्ट बनाऊं तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन आप देखिए। कि पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजनान्तर्गत पशुओं की स्वास्थ्य रक्षा हेतु वर्ष 2017-18 में 129 प्रकार की औषधियां उपलब्ध कराई गयीं तथा दिसंबर, 2017 तक 37 करोड़ राशि व्यय कर 74 लाख 97 हजार पशुपालकों को लाभान्वित किया गया, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में ऊंट अपने आपमें एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। ऊंट का अपना इतिहास है। रेगिस्तानी जहाज है। अनेक मूल की कहानियां ऊंट से संबंधित हैं और वह ऊंट हमारे व राजस्थान के लिए बहुत शान का प्रतीक भी है। ऊंट हमारे लिए अनेक तरह से उपयोगी भी है। राजस्थान में ऊंट संरक्षण व संवर्धन के लिए प्रारम्भ की गयी ऊष्ट्र प्रजनन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उत्पन्न नर एवं मादा बच्चे की आयु अनुसार ऊंट पालकों को कुल तीन किश्तों में दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। कभी कांग्रेस के राज ने विचार भी किया था? इन टोरडियों का इतिहास पता नहीं कब से पैदा होते आ रहे हैं? पहली बार

(श्री जोगाराम पटेल)

राजस्थान सरकार की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में ऊंट पालकों के हितार्थ कि, कभी ऊंट का प्रजनन बंद नहीं जाए, ऊंट पालकों को कोई तकलीफ नहीं हो जाए। आज की तारीख में ऊंट पालना कोई आसान नहीं है, क्योंकि समय और परिस्थितियों के अनुसार उसके लिए उतना स्थान नहीं रहा है। इसीलिए सरकार तीन किश्तों में, ऊंट पैदा होने से बड़ा होने तक दस हजार रुपये देती है। ताकि वह प्रोत्साहित होकर इस ऊंट पालने की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़े और ऊंट की जो घटती जनसंख्या है, वह बढ़े।

वर्ष 2017-18 में खोले जाने वाले 1 हजार 5 सौ नवीन पशु चिकित्सा उप केंद्रों में से 1 हजार 153 नवीन पशु चिकित्सा उप केंद्रों की स्थापना भी की गयी है और यह सभी पशुपालकों के लिए है।

माननीय सभापति महोदय, गौवंश सरंक्षण के लिए भी अनेक योजनाएं हैं। राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन लिमिटेड एवं इससे सम्बद्ध 21 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा वर्ष 2017-18 में नवम्बर, 2017 तक औसतन 24 लाख 93 हजार किलोग्राम प्रतिदिन दुग्ध संकलित कर औसतन 20 लाख 56 हजार लीटर प्रतिदिन दुग्ध वितरण किया गया। राज्य के दुग्ध उत्पादकों को लगभग 2 हजार 123 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा में 17 प्रतिशत अधिक है और इसी आधार पर राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के प्रथम चरण में 2 लाख 44 हजार 650 दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया गया है। समाचार-पत्रों में मैंने पढ़ा था कि राजस्थान दुग्ध उत्पादन में गुजरात से भी आगे निकलने वाला है। यह सब क्यों हो रहा है? इन योजनाओं से, प्रोत्साहन से, संरक्षण से और नई-नई तकनीकी योजनाएं पशुपालकों को और किसानों को देने से हो रहा है।

हम चह चाहते हैं कि हमारा किसान समृद्ध हो, हमारा पशुपालक समृद्ध हो, हमारा गरीब मजदूर समृद्ध हो, हमारा व्यापारी समृद्ध हो। यही आधार बनाकर हम चलते हैं और इसी के तहत माननीय मुख्य मंत्रीजी का विजन है कि 75 प्रतिशत जनता जहां रहती है, उनका विकास अधिक हो। विकास तो सबका ही हो, खाली किसी एक वर्ग का नहीं। लेकिन जहां 75 प्रतिशत जनसंख्या रहती है, उनका विकास हो। आज दिन तक किसी के दिमाग में यह बात ही नहीं आयी थी कि शहरों का विकास है, कभी सोजती

(श्री जोगाराम पटेल)

गेट से निकलते थे कि गेट पर लाइटें भी देखते थे। बड़ी-बड़ी सी.सी. रोड़ भी देखते थे, पर गांव में ये नहीं मिलती थी। आज मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि सबके विधान सभा क्षेत्रों में ऐसा हुआ है। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो सोजती गेट पर जो रोड है वैसी रोड गांव में देख लें। ऐसी सड़क देख लें। मेरे यहां किसी भी ग्राम पंचायत में आप चलें। आप को यह नहीं लगेगा कि यह गांव है या कनॉट प्लेस है, यह गांव है, यह सोजती गेट है, यह गांव है या पालिका बाजार है। आपको अपने आप लग जाएगा कि ऐसी पहली सी.सी. रोड़, इतनी बड़ी आलीशान सी.सी. रोड़, ये ग्रामीण गौरव-पथ का जो कनसेप्ट है, वह आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने पहली बार हिंदुस्तान में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिपादित किया है और इसी वजह से हमारे गाँवों की कायाकल्प हो रही है। आज इन तीन सालों में 6 हजार 145 ग्राम पंचायतों में 5 हजार 901 किलोमीटर की 3 हजार 322 करोड़ की लागत लगाकर 5 हजार 901 किलोमीटर की सी.सी. सड़कों की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। हमारे आदरणीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी ने चाहे मेरे नागौर जाने का नेशनल हाइवे हो, चाहे जोधपुर-बिलाड़ा का नेशनल हाइवे हो और कई जगह का मैंने सुना है। मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि वहां सी.सी. रोड़ लाई हैं। हमारी आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया ने गांव के ठेठ देहात के अंदर सी.सी. रोड़ बनाकर राजस्थान की तस्वीर बदल दी है और गांव का आदमी शान से उसके ऊपर से निकलता है तो हमारी सरकार को याद करता है। हमारे मुखिया जी को याद करता है और यह वह बताता भी है कि नहीं, यह राजस्थान की सरकार पहली सरकार है। यह मुख्य मंत्री वसुंधरा जी के नेतृत्व में पहली सरकार है, जिसने ग्राम के विकास के कनसेप्ट को अडोप्ट किया है। गांव में सी.सी. रोड़ बनाने के विकास को अडोप्ट किया है। उसी पर लाइट लगा रहे हैं। उसी पर टाइले लगा रहे हैं। उसके बाद गटर लाइन बन रही हैं। सीवरेज लाइन बन रही हैं। गांव का कायाकल्प हो रहा है। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल - माननीय मुख्य मंत्रीजी को सम्पर्क पोर्टल बनाने की कोई जरूरत नहीं थी।

लेकिन वह हर गरीब की बात को सुनना और उसका निस्तारण करना चाहती है, हर गरीब की बात का समाधान करना चाहती है। इतिहास में

(श्री जोगाराम पटेल)
पहली बार सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से जनता से सीधा जुड़ाव है। 15 लाख 30 हजार प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, न्याय आपके द्वार के बारे में काफी बातें यहां हुई है । मैं उस विषय, आंकड़ों में ज्यादा नहीं जाऊंगा लेकिन आप भी परिचत है। अनेक माननीय सदस्य परिचित हैं। एक रेवेन्यू लिटिगेशन होता है, एक सिविल का लिटिगेशन होता है, एक क्रिमिनल का लिटिगेशन होता है, एक रिट का लिटिगेशन होता है, एक पीआईएल का लिटिगेशन होता है। पांच प्रकार के लिटिगेशन होते है। हमारा काश्तकार ज्यादातर रेवेन्यू लिटिगेशन में उलझा रहता है। रास्ते का विवाद, भूमि की सीमा का विवाद, खेत में खातेदारी लेने या नहीं लेने का विवाद। अभिषेक जी ने आंकड़े अभी यहां रखे थे। हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद किसी भी सरकार के मन में नहीं आया, लोग बरसों से रास्ते चल रहे हैं, आदिकाल से रास्ते बने हुए हैं, उसको रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया। यह पहली सरकार है जिसने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो रास्ते गांवों में चल रहे हैं, जिसका विवाद नहीं है, उनको रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज करें। 56 हजार किलोमीटर या कितने किलोमीटर का आंकड़ा रखा था यह पहली बार हुआ। 700 और कुछ ग्राम पंचायतें पहली बार लिटिगेशन से आउट हुई हैं। लिटिगेशन से मुक्त हुई हैं। 95 हजार, 01 करोड़ के आस पास सारे मुकदमों का निस्तारण हुआ है। छोटा सा मुकदमा, रास्ते का मुकदमा। छोटा सा मुकदमा, अनेकों वर्षों तक, मैं तो उस विलेज में रहा हूं, वह शुरू होता और पोते तक जाकर निर्णय होता, वह भी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन यह आपसी सहमति से निर्णय हुआ। मैं एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। मेरे क्षेत्र में हीरखेड़ा रेवेन्यू विलेज है। हीरखेड़ा 500 साल से वहीं बसा हुआ है। जहां हीरखेड़ा है वहां किसी व्यक्ति की खातेदारी जमीन बोलती है। जहां व्यक्ति की खातेदारी जमीन बोलती है वहां हीरखेड़ा बसा हुआ है। व्यक्ति कहता है कि मैं जिस जमीन को बो रहा हूं वहां तो हीरखेड़ा गांव है, जमीन में खेती कर रहा हूं, मेरे दादा खेती कर रहे हैं। जहां हीरखेड़ा गांव है, खातेदारी की जमीन है। इस अभियान के दौरान, पूरे गांव ने ढ़ोल नगाड़ों और दही के साथ अधिकारियों का स्वागत किया पहली बार। 60 साल हो

(श्री जोगाराम पटेल)

गए, हमारी किसी ने नहीं सुनी। हमने कहा गांव कोई आज नहीं बसा है, गांव बसे हुए तो बरसों बीत गये, वह खेती कर रहा है, उसकी जमीन का विवाद नहीं है, लेकिन करेक्शन नहीं कर रहे। ऐसे अनेक उदाहरण, यह सब न्याय आपके द्वार के दौरान हुआ है। आंकड़ों को नहीं बताकर मैं इसका महत्व बताना चाहता हूं। अगर यह एक-दो बार और चलेगा तो शायद राजस्थान विवाद से मुक्त हो जाएगा, यह मेरा आपसे निवेदन था।

मैं साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं। जल के बारे में, गांव से संबंधित है। मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन के बारे में जो बातें बताई उसके लिए मैं निवेदन नहीं करूंगा। उसका कंसेप्ट कहां से अडोप्ट हुआ, वह क्यों शुरू किया गया, इससे क्या बैनिफिट मिलने वाला है। हमारे 295 ब्लॉक है, उसमें से 25-30 ब्लॉक के अलावा बाकी सारे डार्क जोन में आ गये थे। डार्क जोन में आने से धीरे- धीरे हमारे लिए खतरा पैदा हो रहा था। राजस्थान की पहली यशस्वी मुख्य मंत्रीजी हैं, जिन्होंने इस दर्द को समझा कि यह राजस्थान का दर्द है, किसी व्यक्ति या किसी क्षेत्र का दर्द नहीं है, यह धरती का दर्द है। पहली बार मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं रखा। हर व्यक्ति, हर समाज, हर साधु और हर वर्ग को जोड़ा। मेरे यहां पहला कंसेप्ट, सर्वे हुआ तो मिलिटरी का जनरल आया था कि साहब मैंने यह पहली बार सुना है कि ऐसा काम हो रहा है। मिलिटरी का जनरल भी वहां तीन घंटे बैठा रहा और उसने स्पीच दी कि मैं इतना बड़ा हो गया, मैं आफिसर हूं, बंगाल से आता हूं लेकिन हमारे वहां ऐसा आज तक मैंने कभी सुना भी नहीं। जल की महत्ता को समझना, जल की महत्ता को अगर किसी ने पहली बार समझा है तो राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने समझा है। इसी का परिणाम हुआ है कि 44 ब्लॉक 2-3 साल के अंदर डार्क जोन से निकलकर सेफ जोन में आये हैं। आज तक नहीं हुआ, यह भगवान का काम है। भगवान का काम भी अगर मनुष्य भगवान को साक्षी मानकर शुरू करता है तो भी सक्सेज हो जाता है। यह भगवान का काम है कि 44 ब्लॉक थे वह क्रिटिकल ब्लॉक से निकलकर सेफ जोन में आ गये। यह मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन का ही परिणाम था। हर व्यक्ति इससे लगा हुआ है। पानी की समस्या कोई आज की नहीं है। अनेक देशो, प्रदेशों,

(श्री जोगाराम पटेल)

विदेशों में पानी की समस्या है। इस समस्या का निदान भी इसी से मिला है।

ग्रामीण विकास के तहत हमारे जो काम है, वह प्रकरण आपके सामने है। कृषि, पशुपालन क्षेत्र में तीन एग्रोटेक मीट हुए हैं। मैं इस संबंध में एक निवेदन करना चाहूंगा। अभी मजाक उड़ाई थी। मैं आज फक्र के साथ कह रहा हूं कि जो मेरे किसान की मजाक उड़ा रहा है, चाहे अपने वक्तव्य में उड़ाई या चाहे कहीं भी उड़ाई, एग्रोटेक मीट में आये और फिरकर चले गये, यह मेरे किसान के साथ मजाक किया जा रहा है। वह किसान यहां कुछ सीखने के लिए आया था। चाहे 70 हजार आए या 75 हजार आये, वह प्रश्न नहीं है। चाहे वह उदयपुर आया, जयपुर आया, कोटा आया, उसका प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह है कि उस किसान को किस तरह से उन्नत किया जाए। विकास को किस तरह से उसको बताया जाए। नये आयाम को उसे किस तरह से सिखाया जाए। ऐसे बढ़िया प्रोग्राम के बारे में, इतने महत्वपूर्ण प्रोग्राम के बारे में भी किसी प्रकार की तथ्यात्मक टिप्पणी नहीं करके मजाक उड़ाना, राजस्थान की जनता उनको देखती है। अनेक चीजें सीखी है। हर क्षेत्र से किसान आया था। उसने देखा है, सीखा है, समझा है, वह उसको अपनी खेती में उपयोग में लेगा। खेती में उपयोग में लेगा तो पता लगेगा कि इसका कितना महत्व है।

मैं अंत में दो-तीन बातें आपके सामने कहूंगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रतिपक्ष के साथी ने कहा कि 17 हजार सरकारी स्कूलें बंद करवा दी। आप भी वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूं, अनेक माननीय सदस्य भी वाकिफ होंगे। मेरे यहां एक स्कूल राजवाड़ा है। हम नये-नये विधायक बनकर उस स्कूल में गये, एक मास्टर साहब बैठे थे। मैंने पूछा मास्टर साहब यहां पर कितने लगे हुए हो, उन्होंने कहा साहब तीन है। हमने पूछा बच्चे कितने हैं, तो कहा कि बच्चे तो नहीं है। अनेक वर्षों से सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक भी नामांकन नहीं। 70 हजार की तनख्वाह लेने वाले, मोटे-मोटे पेट वाले, तीन-तीन वहां पर बैठे हुए थे कांग्रेस राज के लगाये हुए। मैंने पूछा आप किसको पढ़ा रहे हो तो कहा कि साहब यह तो सरकार जाने। हमको सरकार ने यहां लगाया तो हम यहां पढ़ा रहे हैं, बैठे हैं। ऐसे अनेक विद्यालय, दस

(श्री जोगाराम पटेल)

से कम नामांकन वाले, बीस से कम नामांकन वाले, क्या हम इस पवित्र सदन में कहेंगे कि नहीं जीरो नामांकन है तो कोई बात नहीं, दस से कम नामांकन है तो कोई बात नहीं, वहां अध्यापक लगने चाहिए? अध्यापक के पास जो शिक्षा थी, अध्यापक का जो महत्व था, उसने बीए- बीएड, एमए-बीएड किया होगा, शिक्षा ली होगी वह कहां उपयोग कर रहा था, दीवारों पर कर रहा था?

मैं राजस्थान की सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस विषय को समझा। जहां जरूरत है, वहां पर लगे और जहां पर जरूरत नहीं है वहां नहीं लगे। एक अध्यापक 45 से 70 हजार तक की तनख्वाह लेता है। तीन अध्यापक लाख-दो लाख की तनख्वाह हर महीने लेते हैं, पर पढ़ाते किसी को नहीं है। भवन बनाओ, बिजली लाओ, पानी लाओ, किसके लिए, वह तो है ही नहीं। ऐसे विषय को भी मजाक में कहा जा रहा है कि आपने 17 हजार स्कूलें बंद कर दीं। एक ने नहीं कहा कि यहां तो यह नामांकन था और स्कूल गलत बंद हुई है, एक भी तथ्य की बात लाए। ऐसे विषय में जब इस तरह से बोलते हैं तो हमको पता लग जाता है कि हम किस विषय में कहां गंभीर है, कितने धीर है, किस विषय में बात कर रहे हैं।

इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार की अनेक तरह की बातें कहने का प्रयास किया गया। मैं कभी किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूं। चाहे मेरे सामने चुनाव लड़ा हो, चाहे किसी के सामने लड़ा हो, हम व्यक्तिगत कोई टीका टिप्पणी नहीं करते, यह उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन कभी आईने में झांककर देखो तो सही कि आपके कितने साथी आज कहां बैठे हैं, वह कितने टाइम से कहां बैठे हैं। कभी विचार तो करो कि कैसे- कैसे आपके ऊपर आरोप लगे हैं। आरोप कितने सही है, कितने असत्य हैं, मैं उसमें नहीं जाता। कोर्ट तय करे कितना सत्य है, कितना असत्य। हमारे एक गुरु थे वह कहते थे जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पीओगे पानी वैसी होगी वाणी। हमने ऐसा सीखा है तो ऐसा ही बोलेगे, हमको दिन भर वही दिखेगा। हम अगर सत्य है, हम सत्यता की बात करते हैं, हमारी आत्मा को टटोलते हैं तो हमारे सामने हमेशा सत्य आएगा। ऐसा कोई होगा, वह खाएगा और भोगेगा, वह उसकी जाने। अगर आप भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार, कर रहे है तो कहीं

(श्री जोगाराम पटेल)

न कहीं हमें उसकी परिभाषा पता है, बाकी ऐसा कोई बोलता भी नहीं है, कोई करता भी नहीं है।

तो यह जो विषय रहा है, यह पहली राजस्थान की मुख्य मंत्री हैं, राजस्थान के पहले गृह मंत्रीजी आपके सामने हैं, जिन्होने चाहे कितना भी बड़ा अफसर हो, अगर भ्रष्ट है तो अन्दर गया। पहली बार इतिहास में हुआ है तो वह राजस्थान में हुआ है, और कहीं भी नहीं हुआ। आप तो प्रोटेक्ट करते थे, संरक्षण देते थे। कहीं न कहीं कोई अन्दर, ऊपर-नीचे होता था। यहां कुछ भी नहीं हो रहा है, जो गलत काम करेगा वह अन्दर रहेगा, जो सही काम करेगा उसको पुरस्कार मिलेगा। यह सरकार उस विजन के साथ काम करती है।

आपने यह भी कहा, कौशल विकास में कहां नौकरी लगी, असत्य प्रोपेगेंडा किया। आज धन्यवाद दूंगा, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य यहां नहीं हैं, उन्होंने विषय रखा और सदन के सामने आज हमारे मंत्रीजी ने पूरे आंकड़ों के साथ, चाहे 13 लाख का हो, 1 लाख 67 हजार का हो या जो भी आंकड़े आज रखे, कितनी नौकरियां लगीं, कितनों को प्रशिक्षण दिया गया, कितने नौकरी लगने के लिये पाइप लाइन में हैं और कितनों की दिसम्बर, 2018 तक नौकरी लग जाएगी, यह पहली बार राजस्थान के इतिहास में इतने, 15 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराने के वायदे को पूरा करता दिख रही है तो भाजपा सरकार दिख रही है। इसलिये आज माननीय मंत्री महोदय को भी धन्यवाद दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, खान आबंटन में पारदर्शिता और बजरी, यह विषय भी आपके सामने रखा गया। हम भोग रहे हैं आज बजरी, राजस्थान का हर कोना, हर व्यक्ति और हर विधायक महोदय ने भुगता है। किसी के किये हुए कर्म हम भोग रहे हैं। ये उन लोगों के किये हुए कर्म हैं, जिन्होंने किसी के साथ कोई मिलावट करके बड़े किसी माफिया के साथ एक ही लीज कर दी, वह कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में, स्टे हो गया। मेरे मंत्रीजी यहां नहीं हैं, पहले वाले मंत्रीजी और उन्होंने खूब प्रयास किये, नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इसी के आधार पर इस तरह से जो स्टे किया है, वह कर्म जिसने किये हैं वह भोगता है, करता कोई है, भोगता कोई है। हमारे जिम्मे

(श्री जोगाराम पटेल)

भोगना आया था, हमने भोगा है। लेकिन व्यवस्था राजस्थान की सरकार ने की है। अभी नदियों के किनारे जो खेत हैं, जिसके बजरी है, उसके लीज की प्रक्रिया विचाराधीन है, और प्रक्रिया की है, उसके तहत शांति मिलेगी। लेकिन यह बजरी माफिया उत्पन्न करने का काम अगर किसी ने किया है तो पूर्ववर्ती सरकार ने किया है। बजरी माफिया का जो विवाद पैदा किया है, राजस्थान में तो वह पूर्ववर्ती सरकार ने किया है। इसमें राजस्थान की मौजूदा भाजपा सरकार का किसी तरह का कोई दायित्व नहीं है। सिर्फ उनके किये हुए कर्म को भोगना पड़ रहा है, यह बात सही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप सीमित करें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बस, दो मिनट। सिर्फ दो मिनट के अन्दर, दो मिनट।

माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में बाकी विषय छोड़ करके, राजस्थान क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, आपका पैमाना क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, आप चुनाव में हार और जीत को आधार मानकर चलते हैं। आपका पैमाना है, वोट ओरियेंटेड स्कीम। हमारा पैमाना है, डवलपमेंट ओरियेंटेड स्कीम, हमें उससे फायदा होगा या नुकसान होगा, वह अलग विषय हो सकता है। लेकिन हमारा मकसद क्या है, डवलपमेंट आफ राजस्थान ओरियेंटेड स्कीम होगी, और आपका पैमाना है वोट ओरियेंटेड स्कीम। इससे वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वही काम करो, जिससे वोट मिलता है। हमारा यह पैमाना नहीं है। इसी पैमाने पर खरा उतरने के लिये, जैसा मैंने आपसे कहा, मैं दो मिनट आपको गिनाऊंगा, नरेगा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर पांच राष्ट्रीय पुरस्कार, हमें मिले हैं। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, भारत सरकार द्वारा 17 सितम्बर, 2017 को सहकारी उत्कृष्टता पुरस्कार, नकद 15 लाख का पुरस्कार, ज़ैतून खेती के लिये बीकानेर में रिफाइनरी, कौशल विकास में विशेष उपलब्धियों के लिये कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग को ऐसोचैम से लगातार तीन वर्षों में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार एवं स्कॉच अवार्ड। साथ ही साथ साक्षरता एवं सतत शिक्षा मूल्यांकन परीक्षा के आधार पर प्रदेश ने पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त किया। नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त किया, कृषि कर्मण अवार्ड पुरस्कार प्राप्त

(श्री जोगाराम पटेल)

हुआ, शौचालय निर्माण में राजस्थान देश में प्रथम स्थान रहा। देश में अधिक शहरों के मध्य हवाई सेवा प्रदान करने वाला स्टेट रहा, और कौशल विकास, सहकारी संस्थान, नवीन पेंशन, कार्यों के भौतिक लक्ष्य, इन सब में हम पूरे देश में प्रथम स्थान पर आये। यह हमारा मूल्यांकन जो रहा है, वह देश के आधार पर हुआ है।

सभापति महोदय, अंत में, बेरोजगारी की स्थिति अपनी जगह है, और बेरोजगारी के लिये पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा था, इण्डिया-22, हम अब भी इस आधार को लेकर चलते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सबके बावजूद भी जो हमारी दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ रही है, वह शायद देश हो, प्रदेश हो, राष्ट्र हो या और कहीं भी हो, उसके सम्बन्ध में भी चिंता करने की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के सभी मेरे साथियों को, राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को, राजस्थान के मेरे सभी मंत्रीगण को। हमारा एक दायित्व है। हमें जनता ने यहां चुनकर भेजा है, डेढ लाख, दो लाख, जैसी भी अपनी-अपनी कांस्टीट्युएंसी में अपनी जनसंख्या है, वोटर हैं, हमारा एक दायित्व है, हम तथ्यात्मक बात करें, आंकड़ों के साथ बात करें। भविष्य में राजस्थान के हित के लिये बात करें। टीका-टिप्पणी से बचें। व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगायें। ऐसा हमारा दायित्व है। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने अपनी किताब में लिखा है कि हमें इस दायित्व को निभाना चाहिए। पक्ष और विपक्ष की सार्थक बहस होनी चाहिए। प्रतिपक्ष को ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए, जिससे हमें सीखने और ठीक करने का मौका मिले, मजाक और लहजे में नहीं। हमें ऐसे मुद्दों की आवश्यकता है जिससे हमें लगे कि नहीं, हमारे प्रतिपक्ष के साथी ने ठीक मुद्दा रखा है, इसको हमें ठीक करना है। इस पर हमें विचार करना चाहिए। जनता के हित के मुद्दों को रखना चाहिए, ताकि सरकार आत्मावलोकन कर सके। लेकिन इसकी ओर कतई ध्यान नहीं दिया गया है। इसीलिए मैं मेरे प्रतिपक्ष के साथियों को एक संदेश देना चाहूंगा, मुसीबतों से भागना आसान होता है, मजाक कर दो, इधर कर दो, वह कर दो।

मुसीबतों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है।

(श्री जोगाराम पटेल)

डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में यारों, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है।

दिसम्बर, 2018 को आपके कदमों में जहान होगा। इसी के साथ मेरा आपसे निवेदन है, बहुत-बहुत आभार, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री सुखराम विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लक्ष्मणगढ़ से आने वाले मेरे साथी विधायक ने प्रतिवाद करते हुए अपनी पूरी बात रखी। उनकी बात का समर्थन करते हुए, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो भाषण कल पढ़ा गया, पहले ही पेज में तीसरा जो पैरा है, अंत में, सुराज संकल्प पत्र में किये गये वायदों को पूरा करने के लिये पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य किये गये हैं। इन वायदों को पूरा करने से जनता में सरकार की नीति व नीयत के प्रति विश्वास एवं आस्था और अधिक मजबूत हुई।

माननीय सभापति महोदय, सुराज संकल्प यात्रा के तहत जो संकल्प पत्र तैयार किया गया था, उसमें अलग-अलग विभागों की कुल 633 घोषणाएं की गयी थीं। 633 घोषणाएं की गयी थीं, मैं पूरी तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन कुछ घोषणाएं, 15-20, जो हमारे सत्ता पक्ष के माननीय मंत्रीगण विराजमान हैं, उनको याद दिलाना चाहूंगा। अभी बहुत सारी बातें अभिभाषण के पक्ष में कही गयीं, मैं कहना चाहूंगा कृषि और किसान के बारे में एक बात इन्होंने संकल्प पत्र में कही थी। न्यूनतम मजदूरी की दरों को महंगाई सूचकांक को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया जाएगा। एक भी प्रश्न, एक भी कदम अगर इस बात पर आगे बढ़े हों तो अपने जवाब में पेश करेंगे। दूसरा, इसमें, किसानों को खाद-बीज, दवाइयों का प्रत्येक पंचायतवार वितरण किया जाएगा। किसानों की पैतृक भूमि के बंटवारे में स्टाम्प ड्यटी नहीं लगेगी और जंगली जानवरों से नुकसान के लिये तारबंदी पर अनुदान दिया जाएगा। किसान व कृषि पर कुल 46 घोषणाएं की गयीं।

इसके बाद में माननीय सभापति महोदय, गो-वंश के संवर्धन और संरक्षण के लिये 17 तरह की घोषणाएं की गयीं। मैं मुख्य चीज याद दिलाना चाहूगा, देश गोवंश एवं नर-गोवंश के पोषण एवं पालन हेतु वर्षा से उत्पन्न

(श्री सुखराम विश्नोई)
चारे में तीन माह को छोड़ कर नौ माह का अनुदान सरकार द्वारा देय होगा। इस हेतु प्रतिवर्ष 350 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, पिछली कांग्रेस सरकार ने तीन महीने के अलावा, मार्च, अप्रैल, मई का प्रस्ताव किया था और दिया भी था, उससे हट करके 9 महीने का प्रस्ताव किया था, 9 की जगह केवल एक महीने का अनुदान दिया गया।

केवल मात्र अकाल जब डिक्लेयर होता है, वह चार महीने को छोड़कर कोई इस तरह का अनुदान नहीं दिया गया।

उसके बाद में लिखा है- गौशाला के कार्य तथा गोचर भूमि का सीमांकन करेंगे, भूमि का समतलीकरण करेंगे, गौशाला की चारदीवारी करेंगे, उसके बाद में इस गौशाला के कार्य को मंदिरों के तहत जोड़ेंगे, गौ-वंश को राज्य की धरोहर घोषित करेंगे। जिस गौ-माता के नाम को लेकर यह बार-बार चुनाव लड़ते हैं, उसी बात को लेकर मैं यह कहना चाहूंगा कि मतलब, गौ-वंश को राज्य की धरोहर करेंगे। ऊंट को अब राज्य पशु घोषित कर दिया परंतु गौ-वंश को राज्य की धरोहर घोषित नहीं किया गया। उसके बाद में संभाग स्तर पर एक-एक गौ-शालाएं खोलेंगे, प्रत्येक जिले में एक-एक नंदी शाला खोलेंगे, इस तरह की घोषणा गौ-वंश के संरक्षण व संवर्धन के बारे में की गयी है।

उसके बाद में पशुपालन और डेयरी विकास के लिए 21 घोषणा की गयी। 21 में से एक घोषणा यह की गयी कि पूरे प्रदेश में गौचर भूमि के संरक्षण, सीमांकन तथा यथा-संभव उसके संरक्षण का वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु समयबद्ध कार्य योजनानुसार कार्य किया जाएगा। प्रदेश में प्रत्येक जिले में चारा बैंक की स्थापना की जाएगी, यह भी कोई कार्य नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, इसके बाद में युवा, रोजगार और खेलकूद के लिए 49 तरह की घोषणा की गयी। 49 घोषणाएं की गयीं, उसमें मैं एक-दो में याद दिलाना चाहूंगा कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु जाने वाले परीक्षार्थी को राजस्थान रोडवेज में नि:शुल्क आवागमन की सुविधा दी जाएगी। ग्रामीण खिलाड़ियों को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चरणबद्ध रूप से खेल मैदान विकसित किये जाएंगे। सारे विद्यालयों में, सभी विद्यालयों में अलग से खेल सामग्री का बजट रखा जाएगा।

(श्री सुखराम विश्नोई)

इसके बाद में महिला एवं बाल विकास संबंधी, राज्य के प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछली सरकार दो उपखंड आये हुए हैं, सांचौर और चितलवाना, चितलवाना उपखंड पर, सांचौर उपखंड पर कालेज खोला गया, कालेज चालू किया गया और जैसे ही सरकार बदली, उस कालेज को बंद कर दिया गया। जहां तक मतलब, कन्या महाविद्यालय की बात कर रहे हैं तो कन्या महाविद्यालय तो दूर रहा जो उपखंड बचे हैं, उनमें भी अभी तक कालेज नहीं खोला गया। उसके बाद में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सभी वर्गों की छात्राओं के लिए मुख्य मंत्री कन्या छात्रावास की स्थापना की जाएगी, इस तरह का कोई कार्य अभी तक जिले में नहीं किया गया।

माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज मंत्रीजी विराजमान हैं, क्रमश: 12 घोषणाएं की थीं, दो मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई व रोशनी हेतु आवश्यक कर्मचारी व सफाई कर्मियों की व्यवस्था की जाएगी। राज्य में ए.पी.एल. परिवारों को पूर्ववत सस्ता आटा देने की योजना पुन: चलाई जाएगी।

(16.33 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

इसके अलावा ऊर्जा के संबंध में 24 घंटे बिजली देने की बात कही गयी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पूरे जालौर जिले के अंदर रात को दस बजे बिजली काट देते हैं, सवेरे सात बजे बिजली देते हैं। हमने पार्टी की तरफ से हड़ताल की तब जाकर लिखकर दिया कि रात को ग्यारह बजे तक बिजली देंगे, सवेरे चार बजे तक बिजली देंगे। मतलब, कहां तो 24 घंटे की बात थी और कहां पांच घंटे ही नहीं दे रहे हैं। उसके बाद में 8 घंटे एग्रीकल्चर बिजली देने की बात कही थी और 8 घंटे की जगह केवल मात्र छह घंटे ही बिजली की पूर्ति की जा रही है।

बूंद-बूंद सिंचाई योजना के बारे में कहा गया था कि कांग्रेस सरकार ने बूंद-बूंद सिंचाई योजना बंद कर दी है, हमारी सरकार आएगी तो बूंद-बूंद सिंचाई योजना चालू करेंगे।

(श्री सुखराम विश्नोई)

पेयजल राज्य सरकार ने बरसाती पानी को बह कर समुद्र में चला जाए उससे रोकने के लिए पेयजल स्कीम्स बनायी जाएंगी, डेम बनाये जाएंगे, उसके बाद में राज्य में बहने वाली नदियों को आपस में जोड़कर पानी के पूर्ण उपयोग हेतु कार्य योजना की जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, कुल 27 विभागों की घोषणाएं की गयीं, मैं पूरा पढ़ नहीं पाऊंगा, यह जो पूरी घोषणाएं, माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह पूरी घोषणाएं हैं, अगर पूरी जिंदगी भर भी आपकी सरकार रहे तब भी पूरी नहीं हो सकती, क्या पता किस हिसाब से लिखी है?

माननीय सभापति महोदय, यह जो घोषणा-पत्र जारी किया गया है, उन बातों को भूलकर केवल मात्र 22 बातों की ही घोषणा की गयी और 22 में से 4 बातें मैं पढ़कर सुनाऊंगा। 15 लाख नौकरी की बात की, 24 घंटे बिजली की बात की, सैनिक कल्याण बोर्ड की तरह पुलिस कल्याण बोर्ड बनाने की बात की, पंजीकृत जो बेरोजगार हैं उनको 20 लाख का लोन देंगे और सरकार 3 परसेंट ब्याज की उसकी गारंटी देगी। सरकार की गारंटी पर 20 लाख रुपये दिये जाएंगे वह बात छोड़ो, बैंक उस बेरोजगार व्यक्ति को लोन देने के लिए तैयार नहीं है। लोन देते हैं तो वह ही पुराना 11 परसेंट, 12 परसेंट ब्याज लगता है।

माननीय सभापति महोदय, भामाशाह लाभार्थी, जैसे ही सरकार आई 2014 के अंदर पूरे साल किसान मेला कैम्प लगता। आज 20 कार्ड बने, आज 30 कार्ड बने, पूरे के पूरे लोग, पंचायत मुख्यालय पर जितने गांव थे, उन गांवों के लोग दिन भर बैठे रहते और शाम को घर जाते। पूरे साल भर अभियान चला और उस भामाशाह कार्ड के अंदर केवल मात्र 2014 के अंदर मुश्किल से गांव में पांच-दस लोगों के ही दो हजार रुपये खाते में डाले गये, उसके बाद में किसी खाते में नहीं डाले गये। 2014 में पैसे डाले और आज इस अभिभाषण के अंदर कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर 5 करोड़ 55 लाख व्यक्तियों को हमने मौका दिया, यह देश भर की बात कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर, यह देश की बात कर रहे हैं। 1 करोड़ 51 लाख परिवारों को, पांच करोड़ 55 लाख व्यक्तियों को नामांकित किया गया। राजस्थान में

(श्री सुखराम विश्नोई)

कितने किये गये, यह इस अभिभाषण में स्पष्ट नहीं है। केवल मात्र 2014-15 में, 2016 में, 2017 में उन भामाशाह खातों में कुछ भी नहीं डाला गया। केवल मात्र 2014 में जो खाते में पैसे डाले गये, उसके बाद में एक में भी पैसा नहीं डाला गया। उन खातों की क्या स्थिति है? क्या वह जन-धन की तरह खाते रह गये, उसका कोई खुलासा नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गयी। स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने के बाद में आज भी एस.एम.एस. हॉस्पिटल के अंदर जो बी.पी.एल. परिवार हैं, उनको हड़ताल करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए हड़ताल कर रहे हैं कि उनके पास भामाशाह स्वास्थ्य कार्ड बना हुआ नहीं है और कार्ड जब बना हुआ नहीं है तो वह उसका फायदा नहीं उठा सकते। ऐसी स्थिति के अंदर यह जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना है उसका लोगों को पूरा फायदा नहीं मिला है और न ही उनको पूरी जानकारी मिली है। ऐसे में जो बी.पी.एल. परिवार हैं, तमाम लोगों के जब भामाशाह स्वास्थ्य कार्ड बनेंगे तब ही जाकर बी.पी.एल. परिवार फायदा उठा पाएंगे। केवल मात्र घोषणाएं करने से, केवल मात्र कहने से कुछ नहीं होगा।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है, वह लोग दो तरह की बात करते हैं। मरीज से भी पैसा ले लेते हैं और सरकार से भी पैसा ले लेते हैं, ऐसी स्थिति में उप खंड स्तर पर एक कमेटी बनायी जाए और वह कमेटी वाकई में जहां उसका एडमिशन होता है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है तो वह रिपोर्ट डाक्टर करें और उसकी पूरी मॉनिटरिंग करें तब जाकर गांव के गरीब को व्यवस्थित तरीके से इस भामाशाह स्वास्थ्य बीमा का फायदा मिल सकता है। बाकी हमें रोज टेलीफोन करते हैं कि हम स्वास्थ्य बीमा के अंदर हैं, हमारा कार्ड बना हुआ है, फिर भी डाक्टर हमारे से पैसा मांग रहा है। डाक्टर छुट्टी नहीं देता है तो इसलिए पैसे देने पड़ते हैं और बाद में वह डाक्टर पैसे उठा लेते हैं इसलिए इसमें एक व्यवस्थित उपखंड स्तर पर कमेटी बनायी जाकर बिलकुल मॉनिटरिंग हो तब ही इसका फायदा मिल सकता है।

माननीय सभापति महोदय, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, पहले मौसम

(श्री सुखराम विश्नोई)

आधारित बीमा था, उसके बाद में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लागू की गयी। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंदर कमी इस बात की रही है कि जो कमेटी बनायी जाती है फसल का मूल्यांकन करने के लिए, मूल्यांकन चाहे चने का करो, चाहे रायड़ा का करो, चाहे खरीफ में बाजरे का करो, उसका जो मूल्यांकन होता है, मान लीजिए एक हैक्टेयर के अंदर चार क्विंटल चना होता है तो वह मूल्यांकन दो क्विंटल का ही करते हैं। जब दो क्विंटल का ही मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन ही पहले कम करेंगे, बाजरे का मूल्यांकन कम करेंगे तो उस प्रधान मंत्री फसल बीमा का किसी किसान को फायदा नहीं मिल सकता। ऐसी स्थिति के अंदर यह जो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना है, उसकी प्रत्येक ब्लाक-वाइज, क्षेत्र-वाइज एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी मौके पर जाकर यह मूल्यांकन करें कि वाकई में इस रबी फसल में एक हैक्टेयर में कितने गेहूं होते हैं, उसमें बाजरा कितना होता है खरीफ की फसल में, पूरा मूल्यांकन करके कृषि कमेटी किसानों को साथ लेकर बीमा कम्पनियों को बाध्य करेगी, तब ही जाकर इस बीमा का फायदा किसानों को मिल सकता है, बाकी जो आज के हालात बने हुए हैं, मूल्यांकन यहां पर बैठे-बैठे अधिकारियों ने अपने स्तर पर किया है, ऐसे में इस प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का बहुत कम किसानों को फायदा मिलता है इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जाकर, कमेटी बनाई जाकर जहां पर जो पैदावार होती है, उस पैदावार के आधार पर किसानों का मुआवजा तय किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, अभी बढ़-चढ़कर बात की थी मृदा स्वास्थ्य जांच। मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है बाड़मेर और जालौर वह नर्मदा कमांड एरिया में है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर प्रधान मंत्री ने तीन साल पहले गंगानगर में एक मृदा स्वास्थ्य जांच की योजना की थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में, बाड़मेर, गुढ़ामालानी और चौहटन में अभी तक एक भी प्रयोगशाला जांच के लिए तैयार नहीं की है और न किसी तरह की जांच हो रही है।

केवल मात्र यह कागजी घोड़े बताये जा रहे हैं, कागजी रिजल्ट सामने दिया जा रहा है। ऐसे में जहां वाकई में कमांड एरिया है, या जहां वर्षा नियमित होती है, ऐसी सब जगह मृदा प्रयोगशाला बनायी जाकर उस जमीन की जांच की जाकर किसानों को किस तरह से खेती में किस वक्त कैसा

(श्री सुखराम विश्नोई)

ट्रीटमेंट दिया जाए, उसे प्रचारित किया जाएगा, तभी जाकर इसका फायदा मिल सकता है। केवल मात्र घोषणा करने से कुछ नहीं मिलेगा।

अभी पूर्व में लक्ष्मणगढ़ से आने वाले मेरे साथी ने बात की थी उन्नत किसान और खुशहाल राजस्थान का सपना पूरा करने के लिये। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा केवल मात्र एक सम्मेलन करने से, एक आयोजन करने से किसानों की आय कैसे दुगुनी हो जाएगी? मेरे विधान सभा क्षेत्र के किसान भी इस मेले में आये थे और मैंने जब पूछा कि क्या जानकारी मिली? उन्होंने कहा कि हमें तो कोई बात समझ में नहीं आयी। केवल मात्र मौके पर, धरातल पर किसान की स्थिति किस तरह मजबूत हो, पानी किस तरह से पिलाई किया जाए, कमांड एरिया घोषित किया जाए, डैम बनाया जाए, एनीकट बनाया जाए, छोटी-छोटी नहरें बनायी जाए। तब जाकर किसानों की आमदनी बढ़ेगी। केवल मात्र सम्मिट करने से, सम्मेलन करने से या मेले करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण के अंदर 24 जिले शौचमुक्त हो गये और 9 जिले बाकी रहे। कुल पंचायतें 9,891 पंचायतें हैं, उन पंचायतों में से केवल मात्र 3 हजार पंचायतें बाकी रही हैं, बाकी सब पंचायत हो गयीं। मेरा जिला अभी इसमें शामिल नहीं है, जैसलमेर शामिल है, बाड़मेर शामिल नहीं है। सभापति महोदय, मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि जब जैसलमेर, सांचौर, जालौर और बाड़मेर में बराबर के हालात हैं, हम जहां गांव में जाते हैं, कई पंचायतों के लिये सरपंचों ने घोषणा की कि हम खुले से शौचमुक्त हो गये। हम जाते हैं तो देखते हैं कि बड़ी तादाद में लोग अपना लोटा लेकर बाहर निपटने जाते हैं। केवल मात्र बाथरूम बना दिया, न तो उसका सोकपिट बनाया, न उस पर टंकी लगायी। केवल मात्र पैसा लेने के लिये कार्यक्रम किया गया। बाकी धरातल पर आप जाओगे तो यह शौचालय आपको मिलेंगे नहीं और जो शौचालय बनाये गये, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर ढाई साल से उन शौचालयों का एक का भी पेमेंट नहीं हुआ। पेमेंट बाकी पड़ा है। ऐसी स्थिति के अंदर इसकी वस्तुस्थिति जानी जाए। लोग बी.डी.ओ. की ड्यूटी लगा देते हैं, ग्राम सेवक की ड्यूटी लगा देते हैं कि आप बाहर शौच के लिये जा नहीं सकते। एक आदमी बाहर निपटने के लिये जा रहा है, बी.डी.ओ. वहां

(श्री सुखराम विश्नोई)

खड़ा है कि आप बाहर नहीं जा सकते। अंदर बाथरूम बना हुआ नहीं है। ऐसे के अंदर खुले में शौचमुक्त ग्राम पंचायत हुई है, चाहे जिले हुए हैं, उनको वापस वैरिफाई किया जाए, उनकी जांच की जाए और जांच की जाकर वहां पर अगर वह शौचालय चालू नहीं हैं तो उनको चालू किया जाए, तब जाकर यह सर्टिफिकेट लेने के हकदार होंगे। केवल मात्र बातें करने से कुछ भी नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, कौशल एवं आजीविका विकास के बारे में बहुत सारी बातें कही गयीं। 13 लाख लोगों को नौकरी लगाने की बात कही गयी। ये कह रहे हैं कि 2 लाख हमने लगा दिये और आई.टी.आई. कालेज हैं, उनमें हमने 8 लाख लगा दिये। माननीय सभापति महोदय, मेरे सांचौर में दो आई.टी.आई. कालेज है, दोनों आई.टी.आई कालेज में आप मौके पर किसी भी वक्त चले जाओ, न तो वहां पर कोई ट्रेनर मिलेगा, न कोई लड़का मिलेगा। जब उसका कोर्स तीन साल में पूरा होता है तो यह सर्टिफिकेट दे देते हैं। धरातल पर, मौके पर कोई काम नहीं हो रहा है। सारे कालेज बिलकुल खाली पड़े हैं। न तो वहां पर कोई ट्रेनर हैं, न वहां पर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है कि सिलाई का काम सीख ले, या मोटर बाइंडिंग का काम सीख ले, केवल मात्र डिग्री देने का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जब 8 लाख लोग आई.टी.आई. केन्द्रों से ट्रेण्ड होकर चले गये तो उनकी क्या स्थिति है? सरकार ने उन लोगों को लोन दिया अपना पैसा चालू करने के लिये, उन लोगों की आज बुरी स्थिति है। किसी से रिपोर्टिंग नहीं ली गयी और जो कौशल आजीविका केन्द्र चला रहे हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर तीन केन्द्र चल रहे हैं और तीनों केन्द्रों में केवल मात्र खानापूर्ति की जा रही है। उसमें 2 लाख 21 हजार 742 प्रशिक्षणार्थी तैयार हुए हैं, उन लोगों की आज क्या स्थिति है? केवल मात्र आंकड़े पेश करने से आने वाले चुनावों में लोगों को आप फेस नहीं कर पाओगे। मेरा आप लोगों से निवेदन है....(व्यवधान)....

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): आपके कितने केन्द्र हैं?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मेरा तो एक भी केन्द्र नहीं है। मेरा केन्द्र होता तो मैं बोलता ही क्यों? मेरा केन्द्र होता तो मैं बोलता थोड़े ही। आप कहां बोल रहे हो? आपका केन्द्र है इसलिये आप नहीं बोल रहे हो।

(श्री सुखराम विश्नोई)

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो 930 सरकारी और निजी आई.टी.आई. केन्द्र हैं, उनकी भी जांच करायी जाये। उनमें उपकरण लगे हुए हैं या नहीं, वाकई में लड़के हैं या नहीं, वहां ट्रेनर है या नहीं और यह जो कौशल एवं आजीविका विकास के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में भारत सरकार की तरफ से चल रहे हैं, स्टेट की तरफ से चल रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, धरातल पर क्या स्थिति है? जो आई.टी.आई. करके गये हैं, या कौशल केन्द्र से ट्रेण्ड होकर गये हैं, स्किल होकर गये हैं, उनकी आज की क्या स्थिति है? इसकी रेण्डम जांच करायी जाए। ऐसे कम से कम 10 प्रतिशत जो ट्रेण्ड होकर गये, स्किल होकर गये, उनकी आज की तारीख में क्या स्थिति है, इसका सर्वे करवाया जाए तो आपको सही आंकड़ों का पता चल जाएगा कि केवल मात्र यह कागजी खानापूर्ति है, बाकी कुछ नहीं है।

इसके साथ ही राशन की जो व्यवस्था है, माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत हमारे रसद मंत्रीजी हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो पोस मशीन के जरिये राशन आबंटन करते हैं, बुड्ढ़े आदमियों का अंगूठा घिस गया, अंगूठा लगता नहीं है। ऐसे हालात के अंदर बुड्ढ़े आदमियों को राशन कार्ड मिलता नहीं है, क्योंकि किसान खेत में काम करते हैं, इससे उसके हाथ की रेखाएं घिस जाती हैं। ऐसे लोग न तो पेंशन ले पाते हैं, क्योंकि पेंशन भी अंगूठे से मिलती है, न राशन ले पाते हैं। दूसरा तरीका डीलर लोगों ने यह किया कि मान लो, किसी का राशन फर्जी उठाना है, मान लो मेरे नाम का राशन है तो डीलर क्या करेगा कि मेरा नाम और मेरा मोबाइल नंबर हटाकर मैसेज भेज देंगे कि इसका मोबाइल बंद हो गया, इसने मोबाइल बेच दिया, इसने सिम बेच दी, सिम नष्ट कर दी, अपने परिवार के 20-30 लोगों के नाम और मोबाइल नंबर भेज देते हैं। अब जब गेहूं उठता है उनके परिवार के लोगों में, तो मैसेज आता है कि आपका राशन उठ गया तो जो वास्तविक उपभोक्ता है, वास्तविक जरूरतमंद बी.पी.एल. परिवार है तो उसे उस बात का पता ही नहीं चलता। ऐसे में माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा रसद मंत्रीजी से, कि ऐसे जो तमाम मोबाइल नंबर हैं, परिवार के लोगों को डीलर ने दे रखे हैं, उनकी जांच करायी जाए ताकि जरूरतमंद लोगों के पास राशन की व्यवस्था पहुंच सके।

(श्री सुखराम विश्नोई)

माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत रिफाइनरी की बहुत सारी बातें की गयीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा रिफाइनरी का आज से साढ़े चार साल पहले शिलान्यास हुआ और अब उद्‌घाटन होना चाहिये था।

श्री सभापति: एक मिनट सुखराम जी।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपका पत्थर कहां है? आपका पत्थर ही कहीं चला गया।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): जिस जगह को आपने देखा नहीं है, रिफाइनरी का अभी काम हो रहा है। आप देखकर तो आओ और आज से तीन महीने पहले शुरू हुआ है।

श्री सभापति: माननीय, आप दोनों बैठें। ...(व्यवधान)...

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): लोगों को दिवालिया बना दिया था। ...(व्यवधान)..

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय राजस्व मंत्रीजी, आपको आठ महीने बाद ...(व्यवधान)... आपको बता देंगे पत्थर कहां पडा है।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): वह दिवालिया हो गये। आपने कहा था कि रिफाइनरी लगेगी, लगेगी और लाखों रुपये खर्च किये, लोग मर गये। यह तो हमारी सरकार आयी और उन्होंने रिफाइनरी लगायी है। ...(व्यवधान)...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप मंत्री हैं, मत बोलो। मर्यादा में रहो, मर्यादा में, आठ महीने बाद बताएंगे लोग आपको, क्या स्थिति बनी है बालोतरा के अंदर।

श्री सभापति: एक मिनट सुखराम जी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्‌धि

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि आज की तारीख में सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाए?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाया गया।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, अभी कई विधायक और बोलने हैं, अभी पांच बज रहे हैं, कम से कम सात-आठ बजे तक चलनी चाहिये। क्यों भाग रहे हो डरकर, क्यों भाग रहे हो आप? आपके पास बोलने वाले नहीं हैं।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): 17 सीटें हारे तो मैदान से ही भाग रहे हो। मेरा आपसे निवेदन है कि रिफाइनरी की जो बात आयी है, रिफाइनरी में साढ़े चार महीने हो गये, सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत सारे आरोप लगाये गये कि म्युटेशन नहीं भरा गया, पर्यावरण सर्टिफिकेट नहीं लिया गया। म्युटेशन उसी वक्त भर दिया गया था, पर्यावरण सर्टिफिकेट उसी वक्त ले लिया गया था। एच.पी.सी.एल. कम्पनी है भारत सरकार की, उसके जरिये रिफाइनरी बनने वाली थी। मेरा आपसे निवेदन है कि रिफाइनरी में जो पहला पत्थर लगा था शिलान्यास का, वह पत्थर ही गायब कर दिया। चौदहवीं विधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था, उस सत्र के अंदर चार करोड़ रुपये चारदीवारी के लिये मंजूर किये थे, वह पैसे कहां गये, लैप्स हो गये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): वह पत्थर आप लेकर गये थे, आपने लगाया भी नहीं था। आपके पास में बैठे हैं बाड़मेर से आने वाले आदरणीय सदस्य, इनको ध्यान होगा कि वह कहां लेकर गये, वह पता ही नहीं है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपको क्या पता, आप तो उस वक्त थे ही नहीं। आप तो फील्ड में ही नहीं थे उस वक्त। बाद में आये हो, आपको क्या पता क्या स्थिति थी?

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): कामर्शियल काम्पलैक्स की एक किलोमीटर दीवार बन चुकी है, आपको पता ही नहीं है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अभी जो कार्य प्रारम्भ करने की बात हुई, वहां स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनने का टैण्डर दिया गया।

और कम से कम 40-50 शौचालय बनाने का टैंडर दिया गया। आज सभापति महोदय, जांच कराई जाए। मौके पर एक भी शौचालय नहीं है। लाइट शिफ्टिंग का, पानी की पाइप लाइन डालने का, रोड बनाने का टैंडर किस कंपनी को दिया गया? क्या काम किया गया, यह जांच का विषय है। आज आप मौके पर जाएंगे। मौके पर जो शौचालय आपको दिख रहे थे, आज एक भी शौचालय मौके पर नहीं है। जिन ठेकेदारों ने बनाये, उठाकर अपने घर ले गये। बिलकुल खाली पड़ा है। मैं प्लैटफार्म पर देखकर आया हूं। बिल्कुल कोई स्थिति बनी नहीं। ऐसे में यह जांच का विषय है। केवल मात्र पैसे वसूल करने के लिए, लाभ लेने के लिए शौचालय खड़े किये हैं और दूसरे दिन उठाकर के अपने घर ले गए, यह भी जांच का विषय है।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है। ग्रामीण गौरव पथ की बढ़-चढ़कर बात की जा रही थी। आप अगर ईमानदारी से बात सुनना चाहेंगे, ग्रामीण गौरव पथ के पास में एक नाली बनाई जा रही है दोनों तरफ। कहीं तो नाली ऊंची है, कहीं नीची है। आप बताइए कहां से पानी आएगा, कहां पानी जाएगा, मतलब कोई उसका टैक्निकल आधार नहीं है। अगर आप मेरे साथ चलो, मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। जिन-जिन गांवों में ग्रामीण गौरव पथ बना है, एक भी नाली उपयोग की नहीं है और जो नालियां बनी थीं दो साल पहले, वो रेत से भरी हुई पड़ी हैं। क्यों भाई? पानी आने की व्यवस्था नहीं थी? कहीं से पानी आने का सोर्स नहीं था? ऐसी नालियां बनायीं, ऐसी उट-पटांग नालियां बनायीं। उसकी जांच होनी चाहिए और जो सीसी रोड बनी, उसकी क्वालिटी की भी जांच होनी चाहिए। कई जगह टूट गयी है बरसात आने से। बरसात से सीसी रोड नहीं टूटती है, परंतु मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर जो सीसी गौरवपथ बना है, वह कई जगह से टूट गया है, खड्ढ़े पड़ गये हैं, नालियां टूट गयी हैं। केवल मात्र दिखावा किया है। अभी तो 30 परसेंट पंचायतें बाकी पड़ी हैं, आपके पास 8 महीने बचे हैं और 8 महीने में 4 महीने में आचार संहिता लग जाएगी। आपके काम करने का ये लास्ट सत्र है और 4 महीने बचे हैं। 4 महीने के अंदर बाकी जो 30 परसेंट पंचायतें बची हैं, उन पंचायतों को आप गौरवपथ से कैसे जोड़ेंगे यह भी माननीय सभापति स्पष्ट करने की बात है।

(श्री सुखराम विश्नोई)

जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रश्न है, मेरे विधान सभा क्षेत्र जालौर जिले से लगाकर के सांचौर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16.8-ए आज से डेढ़ साल पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी। अभी उस राष्ट्रीय राजमार्ग की न तो डीपीआर बनी है, न उसकी तरफ कार्यवाही बनी है। डेढ़ साल में आपकी डीपीआर तैयार नहीं हुई। डेढ़ साल में कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी तो आप आने वाले चार महीने में क्या कर पाएंगे, यह बिलकुल संशय का विषय है।

एक साइकिल वितरित की गयी और साइकिल का बढ़-चढ़कर नारा दिया गया। हमारे माननीय पंचायती राज मंत्री बैठे हैं। अभी ईमानदारी से बात करना चाहो, राठौड़ साहब। साइकिल आप मंगा लो, साइकिल..वो एटलस साइकिल, मेरे यहां कई स्कूलों में साइकिल टूट गयी। 10-20 का हैण्डल टूट गया। साइकिल लड़के घर लेकर गये। वापस साइकिल लेकर आए ही नहीं। बिलकुल भगवा रंग आपने कर लिया। हमें कोई ऐतराज नहीं। अगर भगवे से वोट मिलते तो अजमेर में, अलवर में आपको वोट मिल जाते। केवल मात्र एटलस नाम लिखा हुआ है। साइकिल बिलकुल घटिया है। 2 हजार से ज्यादा की साइकिल नहीं है। कितने वोट आये वह तो शिक्षा मंत्री जानें, परंतु इस साइकिल खरीद में बड़ा घोटाला हुआ है। इसकी जांच की जाए और साइकिल जो एटलस कंपनी की है, उसका मूल्यीकरण किया जाए। वह न तो एटलस कंपनी की है, न मजदूर साइकिल है। कम से कम 10-20 परसेंट बच्चों की साइकिलें आज की तारीख में टूटी पड़ी हैं। ऐसे में यह जांच का विषय है। माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं निवेदन करना चाहूंगा शिक्षा मंत्री से कि इन साइकिल की जांच की जाए। इसकी खरीद की कितनी राशि लगी? बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसकी जांच की जाए।

ऊंट के बारे में बढ-चढ़कर बातें की जा रही हैं। जब पहला सत्र चालू हुआ तो जैसे पशुपालकों को और जो रेबारी देवासी हैं, उनको निहाल कर देंगे, ऊंट को मतलब राज्य पशु घोषित कर दिया। राज्य पशु घोषित करने के बाद में रेबारियों ने ऊंट छोड़ दिये। क्यों छोड़ दिये? न तो वे उनको मेले में ले जा सकते हैं, न आउट ऑफ स्टेट ले जा सकते हैं। हमारे भोपाजी बैठे हैं, इन्हें पूछ लें। ये जो कानून आपने लाया है, राज्य पशु घोषित किया ऊंट

(श्री सुखराम विश्नोई)

को। उसके बाद में तमाम जो देवासी रेबारी हैं, ऊंट को लेकर के दुःखी हैं। अपनी अंतरआत्मा से पूछें। न तो कोई अनुदान मिल रहा है। जो अभिभाषण है, सभी योजनाओं में आपने लिखा है कि हमने इतने करोड़ खर्च किये, इतने खर्च किये, परंतु इस ऊंट के बारे में लिखा है कि अगर ऊंटनी टोरडियां लाती है, 10 हजार रुपये तीन किश्तों में दिये जाएंगे। कितने दिए आज दिन तक? राजस्थान सरकार ने कितने किसानों को, कितने ऊंट पालकों को लाभान्वित किया, एक भी रिपोर्ट नहीं है। ऐसे में मेरा सभापति महोदय आपसे निवेदन है कि ऊंट परिवहन करने में छूट दी जाए। ऊंट का जो पालक है, उस पशुपालक को अनुदान दिया जाए। टोडिया तव पैदा होगा जब ऊँट-ऊंटनी जीवित रहेंगे और जीवित रखने के लिए पशुपालकों को अनुदान दिया जाए साल में 10-12 हजार ताकि पशुपालक अपने ऊंट को पाल सके।

माननीय सभापति महोदय, स्वच्छ पानी पिलाने की बात कही गयी थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में, पीएचइडी मंत्री महोदय बैठे हैं, आपने जो एक प्लांट लगाया है, डीफ्लोराइजुशन यूनिट लगायी आपने। ऊर्जा आधारित डीफ्लोराइडेशन यूनिट लगायी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 10-12 जगह लगी हुई है। पूरे प्रदेश में आपने 1 हजार 180 यूनिटें लगायी हैं। एक यूनिट पर माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा 5 लाख रुपये खर्च हुए। जब 1 यूनिट पर पांच लाख रुपये खर्च हुए हैं तो 1 हजार 180 यूनिट के कितने खर्च हुए हैं? आज वो तमाम यूनिटें माननीय सभापति महोदय, बंद पड़ी हैं। कहीं तो मोटर खराब हो गयी। कहीं पानी नहीं है, कहीं सौर प्लेट उठाकर के लेकर चले गए, कहीं टंकी लेकर चले गए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 11 यूनिटें लगीं। इन 11 यूनिटों में एक भी यूनिट अगर चालू हो। जांच कराई जाए। एक भी यूनिट चालू नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो 1 यूनिट पर पांच लाख खर्चा आता है, माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा। पांच लाख की जगह जैसा काम इन्होंने किया है, वह काम मैं दो लाख रुपये में करके देने के लिए तैयार हूं। तीन लाख रुपये किसके पास गये? क्यों टैंडर महंगा किया गया? इसकी बेईमानी, यह भी जांच का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा मनरेगा के संबंध में प्रश्न है। मनरेगा

(श्री सुखराम विश्नोई)

में खाते जयपुर से डील होते हैं। कभी कहीं सर्वर खराब हो गया। कभी कहीं दूसरे के खाते में चला गया, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर कम से कम 15-20 पंचायतों में कम से कम 40-50 आदमी प्रत्येक पंचायतों में ऐसे हो गये जिनके खातों में पैसे न आकर के दूसरों के खातों में चले गये। इनकी विस्तृत जांच कराई जाए। माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं, पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया था। पैसे दूसरे खातों में जाने से 2-2 साल, 2015 की रकम....... पूरा कर रहा हूं सभापति महोदय। मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस तरह की जांच भी आप कराएं। माननीय सभापति महोदय, पिछली जो फ्लड आयी, हमारे माननीय मंत्री महोदय ने कहा, हमने पैसे भेज दिये। मैंने इन्क्वायरी की। आज ही इन्क्वायरी कर सकते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछला जो फ्लड आया था 2017 में, न तो अतिवृष्टि, न जो मकान गिरे उनके पैसे मिले, न पशुओं के पैसे मिले, न खेत-नष्ट के पैसे मिले। राजस्थान की पथमेड़ा गोशाला एशिया में सबसे बड़ी गोशाला है। हमारे पंचायती राज मंत्री एक कार्यक्रम के इनोग्रेशन में आये थे। उस गोशाला के अंदर....... मैं 2 मिनट में पूरा करना चाहूंगा, बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। गाय की बात करके आज सत्ता में कुर्सी पर बैठे हैं। मंत्री पद मिला है। पथमेड़ा गोशाला के अंदर बाढ़ आई। उस बाढ़ से 1 हजार पशु मरे। जमीन कट गयी। उनके मकान गिर गये, एक भी राजस्थान का मंत्री देखने के लिए नहीं आया। न किसी तरह का अनुदान दिया। न पशु जो मरे, उनके बारे में कोई अनुदान दिया। न जमीन कटी उसका अनुदान दिया। न जो चारा डालने के भण्डार थे, उनका अनुदान दिया। ऐसे में मेरा निवेदन है, एक स्पेशल पैकेज बनाकर के पथमेड़ा गोशाला से संबंधित जितनी भी गोशालाएं जुड़ी हैं, और फ्लड में चूंकि जालौर से पानी आता है और सांचौर टेल में लास्ट में पानी जाता है। जो भी पानी आता है, सांचौर होकर गुजरता है। तमाम 15 गोशालाएं सांचौर के अंदर हैं, बाढ़ आने से जो नुकसान गोशाला को हुआ है, स्पेशल पैकेज दिया जाकर के उन गोशालाओं को राहत प्रदान की जाए।

अंत में बजरी की बात करके मैं अपनी बात पूरी कर दूं। जरा दो मिनट में पूरी करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में डीसा से बजरी आती है। डीसा गुजरात के अंदर पड़ता है। गुजरात से बजरी

(श्री सुखराम विश्नोई)

ला रहे हैं। राजस्थान से कोई नहीं ले जा रहा है। फिर भी एक बजरी 50 हजार रुपये ट्रक पड़ती है। वहां के कर्मचारी अलग दंड देते हैं। यहां के अलग दंड देते हैं। आप लोग देखो जयपुर के अंदर बजरी की गाड़ी भरी पड़ी है। रात-दिन बीस-बीस बजरी की ट्रक हमारे सांचौर में आती हैं, परंतु केवल मात्र लूट की वजह से किलो पर बजरी बिक रही है। एक किलो के बीस रुपये, तीस रुपये। ये हालात बने हुए हैं। और आप चाहते हैं हम वोट मांगें। कौन वोट देगा आपको? अंत में मैं एक बात कहकर पूरी करूंगा।

पीपीपी मोड में ये जो अभिभाषण है, इस अभिभाषण के अंदर कहीं भी पीपीपी का जिक्र नहीं है, एक भी लाइन पीपीपी से संबंधित नहीं लिखी हुई है।

(17.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, 300 स्कूल्स, शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, देवनानीजी, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 300 स्कूल्स देखीं, बाकी मैं जानता नहीं। देवनानीजी, सबसे बढ़िया स्कूल जो चलती है, टॉपर स्कूल हैं, उनको तो आपने पीपीपी मोड़ पर, ये अमरा रामजी बैठे हैं, लादूरामजी बैठे हैं, गुढ़ामालानी के अन्दर हास्पिटल दिया गया पीपीपी मोड पर, वह फेल हुआ। फेल इसलिए हुआ डाक्टर नहीं लगाये। पीपीपी मोड पर स्कूल देंगे तो थर्ड ग्रेड जो टीचर है, बीए किया है, बीएसटी की है, बीएड की है, उन टीचर्स की भर्ती होगी। शिक्षा की गुणवत्ता की बात करो। पूरा का पूरा मामला फेल होगा। इसलिए पीपीपी मोड विद्ड्रा किया जाए। देवनानी साहब, हम अजमेर में गये थे। आपने कहा था कि हम जीतेंगे परन्तु सरस्वती माता का आपको श्राप लगा है इसलिए अजमेर के अन्दर हारे हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामलालजी शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की चर्चा आज नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने शुरू की थी और उस चर्चा को गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आगे बढ़ाया। उसके बाद भी कई माननीय सदस्यों ने इस चर्चा को आगे बढ़ाने का काम किया लेकिन मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा कि इस

(श्री रामलाल शर्मा)
अभिभाषण के अन्दर जो भी बातें लिखी गयी हैं या महामहिम के मुख से जो कहलवाया गया है, मैं एक-एक बात का समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से निवेदन भी करना चाहूंगा किसी भी सरकार का यह धर्म होता है कि उसकी नीति और नीयत कैसी है। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि चार सालों के अन्दर वर्तमान सरकार ने जो ऐतिहासिक कार्य किये हैं, उन कार्यों को जनता ने कितना स्वीकार या कितना अस्वीकार किया, लेकिन सभापति महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं और बातों के साथ में उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने विकास नहीं किया, या मैं यह कहूं कि सरकार ने जनता के हित में कार्य नहीं किये। सभापति महोदय, वोट का आधार एक नहीं होता। कुछ लोग वोट विचारधारा को देख कर देते हैं। कुछ लोग उम्मीदवार को देख कर देते हैं। कुछ पार्टी को देख कर देते हैं और कुछ जातिगत आधार पर देते हैं। कुछ क्षेत्रवाद के आधार पर वोट डालते हैं। एक बात मैं आप सबके सामने निवेदन करना चाहूंगा, इस बात से सब सहमत हैं कि वोट का आधार एक नहीं है।

सभापति महोदय, अभी कुछ दिनों पहले एक गांव के अन्दर मैं गया। सरकार ने उस गांव में एक सीनियर स्कूल बना दी। सरकार ने उस गांव के अन्दर 60 लाख रुपये का गौरव पथ बना दिया। सरकार ने उस गांव के अन्दर, माननीय मंत्री श्री प्रभुलालजी हैं, उन्होंने कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा सड़क भी बना दी। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पीएमजीएसवाई से एक सड़क और बना दी। जलदाय विभाग ने वहां पेयजल की टंकी भी बना दी। एक गांव के अन्दर इतना विकास करने के बाद भी, मैंने कहा कि वोट किसको तो उत्तर था कि अबकी बार अगर हमारा वाला आ गया न, तो फिर तो हमारे को सोचना पड़ेगा। सभापति महोदय, मेरे कहने का अर्थ यह है कि चर्चा के अन्दर वह मुद्दे आने चाहिए जिन मुद्दों के आधार पर विकास एक मुद्दा है कि विकास के आधार पर ही चर्चा करें, लेकिन ये सारे विकास के मुद्दे से भटकाकर दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन जरूर करूंगा कि लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के लिये जिन हल्के शब्दों का प्रयोग किया अगर वह कार्यवाही से निकाल दें

(श्री रामलाल शर्मा)
तो मेरे ख्याल से उचित होगा। एक मनीषी, जिस मनीषी की नीति के ऊपर आज पूरा समाज चल रहा है। योजना, अंतिम व्यक्ति की परिकल्पना के ऊपर सोचने पर मजबूर करने वाले पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने कहा कि इंसान प्रकृति से दूर नहीं हो सकता, उसके साथ चलने वाले थे और मेरा मानना है कि अगर पंडित दीनदयाल जी को एक बार पढ़ ले तो मेरे ख्याल से उन्हीं के समर्थक बनकर रह जाएंगे।

सभापति महोदय, सरकार ने बेहतरीन काम किये। सिर्फ इस अवसर पर मैं दो योजनाओं का जिक्र करूंगा। सभापति महोदय, एक योजना के लिये इन्हीं के क्षेत्र के एक उम्मीदवार ने कहा कि भामाशाह कार्ड को तोड़कर कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिये। सभापति महोदय, अगर यह कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से यह ठीक कह रहे होंगे। यह ठीक इसलिये कह रहे हैं, सभापति महोदय, कि इनके कार्यकाल के दौरान, इनके शासन के दौरान गांव के अंदर जब यह जाते थे तो गरीब आदमी कहता था कि मुझे राशन नहीं मिला। गरीब आदमी को राशन नहीं मिला, इनके घर पर जब तक दस चक्कर नहीं काटते थे, डीलर को यह नेता फोन नहीं करते थे, तब तक उसको राशन नहीं मिलता था। तो इनका कहना बिलकुल सही है, क्योंकि यह गरीब आदमी के हितैषी कभी नहीं रहे।

सभापति महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज अगर आप गांवों के अंदर दौरा करोगे तो कोई आदमी यह शिकायत करता हुआ नहीं मिलेगा कि डीलर ने मुझे राशन नहीं दिया। वह यह कहेगा कि मुझे राशन समय पर मिल रहा है, मेरा राशन कोई दूसरा भी नहीं ले जा सकता। इनकी पीड़ा यह है। ...(व्यवधान)...श्रवण जी, आप विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह मत कहो, मिलता ही नहीं अब तो। एक बात और सुनो मिलता भी है तो आधे से ज्यादा नहीं मिलता। हमारे टाइम में 25 किलो मिलता था। अब कहां मिलता है?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, आज इस भामाशाह योजना की वजह से ...(व्यवधान)....

श्री सभापति: बिना अनुमति के कोई बोले तो अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मात्र भामाशाह योजना की वजह से आज सीधा पैसा पेंशन का उपभोक्ता के या जो लाभार्थी था, उसके खाते में जाना शुरू हो गया। गांवों के अंदर पहले क्या होता था, इनकी पीड़ा यही है कि गांव का पोस्टमैंन जो पैसा बांटता था उस पैसे का भुगतान हमारे कहने पर ही करता था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक सैकिण्ड।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, जोधपुर में जो गेहूं काण्ड हुआ और अभी भी वह अधिकारी गायब है, उसके बारे में भी प्रकाश डालो। वह आपकी सरकार में हुआ या हमारी सरकार में हुआ? आठ करोड़ का।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मैं बता रहा हूं। सभापति महोदय, भामाशाह योजना के माध्यम से जबसे सीधा लाभार्थी के खाते में जाना शुरू हुआ है। चाहे वह पेंशन का पैसा हो, चाहे वह स्कॉलरशिप का पैसा हो, चाहे वह नरेगा में काम करने वाले मजदूरों का पैसा हो। इनकी पीड़ा यही है कि अब इनका हस्तक्षेप कुछ भी नहीं है और इस दर्द की अभिव्यक्ति ये इन आलोचनाओं के आधार पर करना चाह रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और चाहूंगा कि भामाशाह योजना, वास्तविकता यह है कि एक गरीब आदमी को इलाज कराने के लिए अपने गहने गिरवी रखने पड़ते थे। गरीब आदमी को अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी। एक गरीब आदमी का शोषण इस इलाज के माध्यम से होता था। आज एक गरीब आदमी आराम से बिना किसी संकोच के प्राइवेट हास्पिटल में जाकर भी तीस हजार रुपये से लेकर तीन लाख रुपये का इलाज नि:शुल्क करवा कर बाहर आता है। इस एक योजना ने पूरे प्रदेश के अन्दर 18 लाख लोगों का स्वास्थ्य सुधार करने का काम किया है। करोड़ों रुपये, लगभग एक हजार करोड़ रुपये का लाभ पूरे प्रदेश के वासियों को इस एकमात्र योजना के माध्यम से मिला है।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। अभी लक्ष्मणगढ़

(श्री रामलाल शर्मा)

से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि साहब, सरकार ने बेहतरीन काम नहीं किये। हां, बिलकुल बेहतरीन काम इसलिये नहीं किये होंगे, सभापति महोदय, एक स्कूल खुलवाने के लिये, एक स्कूल क्रमोन्नत करवाने के लिये जब तक इनके एम.एल.ए. के पांच चक्कर गांव वाले नहीं काटते थे, तब तक तो यह जयपुर आने के लिये तैयार नहीं होते थे। फिर तीन चक्कर इनके मंत्री के नहीं कटवाते थे, तब तक वह स्कूल क्रमोन्नत नहीं होती थी या स्कूल खुलती नहीं थी। अब सरकार ने यह काम अच्छा किया या बुरा किया, सभापति महोदय, एक साथ निर्णय किया कि पूरे प्रदेश की पांच हजार स्कूलों को हम सीनियर के अंदर क्रमोन्नत करने का काम करते हैं। यह जनता को ऐसा एहसास कराकर काम करते थे कि यह काम तो मैंने करवा दिया, नहीं तो यह काम होता ही नहीं। सभापति महोदय, इस सरकार ने नीतिगत काम किया है, किसी के साथ भेदभाव करने का काम नहीं किया। गौरव पथ बने तो पूरे प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों के अंदर बने हैं। स्कूलें खुली हैं तो प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के हैड क्वार्टर के ऊपर स्कूल खुली है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। अब इनकी ढोल और पोल की नीति, चुनाव दिखे, डामर के ढोल डलवाने के काम करते थे, चुनाव दिखे तो बिजली के पोल डलवाने के काम करते थे। चुनाव समाप्त हो गये तो ढोल भी चले गये और पोल भी चले गये। अब यह सरकार इस नीति के ऊपर काम नहीं कर रही तो इनकी वेदना है कि कोई इनको पूछ नहीं रहा।

सभापति महोदय, मैं दूसरा निवेदन आपसे और करना चाहूंगा। इनकी पूर्ववर्ती सरकार किसानों के टैक्स के रूप में वसूल किये गये पैसे के ऊपर बैन लगाकर चले गये। इनके कार्यकाल में एक भी किलोमीटर मिसिंग सड़क, किसान पथ के रूप में बनाने का काम नहीं किया। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य सही कह रहा हूं न? इस सरकार ने आते ही एक हजार किलोमीटर सड़क ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): नहीं, मेरी तो तैयारी है। आप बता दो न एक किलोमीटर भी मिसिंग सड़क ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन को सम्बोधित करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): एक किलोमीटर भी मिसिंग सड़क बनाने का काम किया क्या? वह काम आपने नहीं किया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि एक योजना अन्नपूर्णा, रसोईघर योजना, जो सक्षम है, उनको यह पीड़ा दिखाई नहीं देती, लेकिन जो अक्षम हैं, जिनके पास कोई विकल्प नहीं हैं, जिनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उन लोगों से जाकर पूछो कि अन्नपूर्णा रसोईघर की वास्तविकता क्या है। ईमानदारी की बात है, सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे महानगरों के अंदर और चाहे नगर पालिका क्षेत्र के अंदर यह अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू हुई है। शुरू से लेकर अंतिम तक वह गाड़ी रहती है, तब तक ....(व्यवधान)...

श्री सभापति: लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य प्लीज।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): जल ही जीवन है। 'रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून और बिन पानी ना उबरे, मोती मानस चून'। सभापति महोदय, अगर जल नहीं रहेगा, तो जीवन नहीं रहेगा। इस जल के सन्दर्भ में अगर किसी ने चिन्ता की है तो वर्तमान सरकार ने चिन्ता की है। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने चिन्ता की है। सभी वैज्ञानिक, सभी विशेषज्ञ यही कहते हैं कि आने वाली लड़ाई जल के लिए होगी। आने वाला क्राइम बढ़ेगा तो वह जल के लिए बढ़ेगा। एक घटना जयपुर के अन्दर भी थी। एक होटल में पानी का भरा हुआ टैंक था, उस टैंक से पानी को प्राप्त करने लिए लोगों ने हमला किया। सभापति महोदय, अगर इस जल को बचाने की एक मुहिम शुरू की है तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने शुरू की है और आज जिस तरीके से जन-सहभागिता के आधार पर जब तक कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती, जब तक उस योजना के अन्दर जन-सहभागिता नहीं होती और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदया को कि प्रदेश की जनता को इस जल के प्रति, इस अमृत के प्रति, इस प्रकृति के प्रसाद के प्रति सजग करने का काम किया और आज ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर भी जल को बचाने के लिए एक मुहिम चली है। गांव के लोगों ने भी बहते हुए पानी को रोकना शुरू किया है। रुके हुए पानी से वाटर लेवल नीचे कैसे जाए, रिचार्ज कैसे हो?

सभापति महोदय, मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा कि पिछले 4 सालों के अन्दर सरकार ने एक नहीं, अनेक योजनाएं, अभी लूणी से आने वाले

(श्री रामलाल शर्मा)

माननीय सदस्य ने भी जिस बात का जिक्र किया, मैं उस बात से सहमत हूं इनके राजनीतिक लोग पढ़ाने का काम नहीं करते थे, वे इनके राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। स्कूलों में बच्चे नहीं, लेकिन अध्यापक की ड्यूटी वहां, इनके एजेन्ट के रूप में वे काम करते थे। इस सरकार ने एक नीतिगत निर्णय किया छात्र संख्याओं के आधार पर अध्यापकों की संख्या रहेगी और उस नीतिगत निर्णय की वजह से स्कूलों के अन्दर सुधार भी हुआ। जहां बच्चे थे, अध्यापक नहीं थे, वहां अध्यापक पहुंचना शुरू हुआ। सभापति महोदय, यह एक ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार का रहा और आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अन्दर 10 लाख से अधिक नामांकन की वृद्धि हुई है, इस बात का प्रमाण है।

सभापति महोदय, इस अवसर के ऊपर मैं एक बात जरूर कहूंगा चुनावों के अन्दर जिस तरीके से सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे। सभापति महोदय, हर चुनाव की स्थिति अलग होती है, हर चुनाव की परिस्थिति अलग होती है। मेरा मानना है, मेरी सोच है कि जिस तरीके से 4 साल के अन्दर प्रदेश की जनता ने काम किया है, पिछले 4 सालों के अन्दर प्रदेश की सरकार ने जो काम किये हैं। एक से एक बढ़कर योजनाएं जनता के हित के अन्दर दी है। जनता को लाभ पहुंचाने के लिए दी हैं। वे यह सोचकर नहीं दी हैं कि इस क्षेत्र के अन्दर मेरे मतदाता है या नहीं है। ये उन्होंने यह सोचकर नहीं दिया कि इस क्षेत्र के अन्दर मुझे कितने मत मिले या नहीं मिले।

लेकिन सभापति महोदय, मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा कि मत की अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से होती है। एक गांव का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। एक गांव के अन्दर एक व्यक्ति था। इस लोकतंत्र के अन्दर भी विचित्र परिस्थितियां पैदा होती हैं और इतिहास इस बात का साक्षी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हारते हैं और इस लोकतंत्र के माध्यम से संसद के अन्दर फूलन देवी जी चुनाव जीतकर पहुंचती हैं। इस लोकतंत्र में इंदिरा गांधी जी चुनाव हारती हैं, सामान्य आदमी चुनाव जीतकर जाते हैं। एक गांव के अन्दर एक व्यक्ति जो नोजल उठाने का काम करता था, जब चुनाव आये,

(श्री रामलाल शर्मा)

तो चुनाव के अन्दर उस व्यक्ति ने कहा कि देखो गांव को सुखी रखना चाहते हो तो मुझे गांव का मुखिया बना दो। सभापति महोदय, गांव के लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे होकर तय किया कि गांव तो कम से कम शांति में रहेगा, इसी को मुखिया बना देते हैं और उस गांव के लोगों ने मिलकर उसी को मुखिया बना दिया। तो, चुनाव का आधार एक नहीं होता है। चुनाव के अनेक आधार होते हैं। लेकिन सभापति महोदय, मैं इतना निवेदन आपके माध्यम से करुंगा कि पिछले 4 सालों के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने नीतिगत निर्णय करते हुए पूरे प्रदेश की जनता के हित के अन्दर काम किये हैं। चाहे वो गौरव पथ के माध्यम से हों, चाहे मिसिंग सड़क के माध्यम से हों, चाहे अन्नपूर्णा सड़क के माध्यम से हों। गरीब आदमी अगर जमाबन्दी लेने के लिए पहले जाता था तो उसको भी पटवारी के चार नोहरे खाने पड़ते थे, लेकिन आज आधुनिक तरीके से जमाबन्दियों को भी तकनीकी रूप से आई.टी. के माध्यम से निकालने का काम इस सरकार ने किया है। मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने जिन बिन्दुओं का जिक्र इस दस्तावेज के अन्दर किया है, इस पुस्तक के अन्दर किया है, एक-एक चीज सत्य है और आने वाले समय के अन्दर जनता इन सत्यों को स्वीकार करेगी। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्या श्रीमती शकुन्तला जी रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): (..व्यवधान) आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, मेरे हिसाब से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सम्माननीय सभापति महोदय, जो सत्य की परिभाषा नहीं जानते, वे मुझे सत्य का इतिहास पढ़ा रहे हैं। जरा खुद भी सत्य बोलकर देख लें तो आपको यह जानकारी मिल जाएगी। सम्माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल जी के अभिभाषण में सभी विषयों को लेकर चर्चा की गयी है कि राजस्थान का कुशल, सक्षम नेतृत्व, जनकल्याणकारी योजनाएं और सुराज संकल्प में किये गये वादों को किस तरीके से पूरा किया गया है। लिखा गया है नीति और नीयत में कोई फर्क नहीं है। लेकिन हमें लग रहा है कि नीति और नीयत में इतना फर्क है जो जनता को दिख रहा है। चाहे जी.एस.टी हो, नोटबन्दी हो, महंगाई हो और जितने भी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने निर्णय लिये, उनका जिक्र

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

अभिभाषण के अन्दर किया गया है। सारे ही निर्णयों को एक फरमान की तरह से रात के अंधेरे में जारी किया गया। चाहे जी.एस.टी. हो, चाहे सुनिये भाई नोटबन्दी हो, ऐसा क्यों? क्योंकि जनता को अंधेरे में रखकर, यह जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, एक छलावा है, जनता को धोखे में रखकर इस तरीके के फरमान जारी करना, जिसमें किसी विशेषज्ञ की कोई राय नहीं, जिसमें जनता के हितों का कोई ध्यान नहीं। एक फरमान जारी कर दिया। नोटबन्दी से मेरे भारत देश की जो ग्रामीण जनता है उस पर क्या फर्क पड़ेगा?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपकी तबीयत ठीक नहीं है, यह विधान सभा है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय सचेतक महोदय, मैं इतना ज्ञान रखती हूं कि ये विधानसभा है, इसीलिए उप सचेतक हैं, अन्यथा आप उप सचेतक यहां विधान सभा के अन्दर नहीं होते।

श्री मान सिंह (गंगापुर): आपने नोटबन्दी बोला इसलिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ये सारी चीजें अभिभाषण के अन्दर लिखी गयी हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ये सचेतक हैं तो यह हाल है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): इनको ज्ञान ही नहीं है कि यह विधान सभा है। इनको सचेत करने वाले तो आप नहीं हो सकते। इनकी बुद्धि के तर्क के आगे आपकी बुद्धि छोटी पड़ जायेगी।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपको तो हम सचेत करते हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आप तो खुद ही सो रहे हैं मुझे क्या सचेत करेंगे।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सोते-सोते ही सचेत कर देते हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, क्या बात है हमारे सचेतक और उप सचेतक महोदय दोनों झूमते हुए झटके लेकर भी दूसरे को जगाने का काम करने की बात करते हैं। इन सब की मार जो किसान और

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

गरीब व्यक्तियों पर पड़ी है, इसकी मार कोई अमीर कम्पनी वाले अम्बानी और अडानी पर नहीं पड़ी है लेकिन इन्हें एक गरीब आदमी की परेशानी से क्या लेना-देना? नये-नये नाम दिये गये डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, एक नया भारत बनायेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है सभापति महोदय, इन सबकी जगह क्रिटिकल इंडिया बन गया है। अर्थ पूछना है तो माननीय पंडित जी महोदय मेरे से क्लास ले लेना। एक-एक चीज का अर्थ बता दूंगी आपको। अभी मेरे पास समय नहीं है। मेरा समय व्यतीत हो रहा है। सभापति महोदय, कह देंगे समय समाप्त हुआ। ग्रामीण के हाथों की जो अंगुलियों के निशान मिट गये, तो गरीब को अनाज नहीं देते.......

यह कैसी नीति है? पंचायतों में नेटवर्क काम नहीं करता, यह कैसी नीति है? जहां मोबाइल नहीं चलते, तो वहां पोस मशीन कैसे चलेगी? सभापति महोदय, कृपया करके वहां टावर लगवा दीजिए जिससे कि मोबाइल ही काम कर लें तो मशीन तो बाद में काम करने लग जाएगी। खाद्य सुरक्षा से आधे नाम काट दिये। पी.एम आवास योजना के तहत किसी को गांव में मकान नहीं मिल रहे।

श्री सभापति: माननीय सदस्या एक सैकिण्ड।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घण्टे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घण्टा और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, प्रदेश में विकास के प्रत्येक क्षेत्र में जो गिरावट आयी है, पिछले चार सालों में ऐसी कभी नहीं

आयी। एक नया नाम दिया गया पीपीपी मॉडल और पीपीपी मॉडल के लिए प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या जरूरत है? मैं तो यह अर्थ मानती हूं इसका। स्कूलों को दे दो, अस्पतालों को दे दो, आरटीडीसी होटलों को दे दो, हमारी जो राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर है, उनको भी दे दो। सभापति महोदय, समझ में नहीं आ रहा कि सरकार क्या करेगी? मंत्रिमंडल क्या करेगा? अधिकारी क्या करेंगे? क्या हाथ पर हाथ रखकर ये सब लोग बैठे रहेंगे? सभापति महोदय, हर चीज को पीपीपी मॉडल पर देने का क्या अर्थ है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप अकेली क्या करोगी पीछे मुड़कर देखो। आपके एक भी साथी हैं क्या? अबला नारी अकेली बोल रही है। कितना बड़ा अपमान है आपका।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपकी कोई एसीआर बनने वाली नहीं है। कोई सुन ही नहीं रहा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, जिसे यह अकेला कह रहे हैं, जंगल में शेरनी एक ही बहुत होती है। आप जैसे हजारों गीदड़ों की मुझे जरूरत नहीं। शिक्षा का निजीकरण करना चाहते हैं। गांव के बच्चे जहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, उनके पास बहुत सारा धन नहीं है। उन स्कूलों को क्यों पीपीपी मोड पर दे रहे हैं, क्यों स्कूलों को बेच रहे हो? शिक्षा को क्यों बेच रहे हो? आप कम से कम ज्ञान को तो मत बेचो। जो भारत शिक्षा के क्षेत्र में वर्ल्ड में प्रथम स्थान पर आता है और आप शिक्षा को बेच रहे हो, बड़े शर्म की बात है। ग्रामीण क्षेत्र में चार वर्ष के अंदर विषय अध्यापक नहीं लगा सके। शिक्षा का कद घटा रहे हैं पीपीपी मॉडल पर देकर और उन स्कूलों को दे रहे हैं जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। खैर, +++ मंत्री महोदय की तो चल ही नहीं रही है। मुझे समझ में नहीं आता ..(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपके समय तो स्कूल में अध्यापक ही नहीं थे।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): पीपीपी मॉडल पर चार-चार, पांच-पांच

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

स्कूल जो अच्छी कंडीशन में थे, वे दे दिये। सभापति महोदय, एक ऐसा उदाहरण दूं कि एक महिला..

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, इन्होंने +++ शब्द कहा है मंत्री महोदय के लिए, वह एक्सपंज किया जाए।

श्री सभापति: एक्सपंज किया जाए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): चल नहीं रही है इसमें कौनसा गलत है? सरकार कौनसी है। अधिकारी नहीं मान रहे हैं सचतेक महोदय, मैं उसका उदाहरण बताती हूं। अभी मंत्री महोदय ने आदेश कर दिया कैंसर से एक अध्यापक की मौत हो गयी ..

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): क्यों गलत बोल रही हो?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): वह विधवा हो गयी। मंत्रीजी ने आर्डर कर दिया। आर्डर की कापी लेकर महिला जाती है डीईओ आफिस में तो डीईओ कह रहा है कि क्या सबूत है तुम विधवा हो? कितनी शर्म की बात है यह एक औरत के लिए, कलंक की बात है। ये सरकार है? सभापति महोदय, बड़े शर्म की बात है। कह रहे हैं इस आर्डर पर विधवा लिखवाकर लाओ। मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया। सारे डाकूमेंट्स दे दिये। मंत्रीजी ने आर्डर कर दिया और फिर भी कह रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा फिर और दूसरा कौनसा प्रमाण पत्र देंगे? सरकार का कौनसा अधिकारी देगा? क्या इंसानियत मर गयी है? क्या आपके अंदर जमीर नहीं है? जो अधिकारी बैठे हैं उनके अंदर। सभापति महोदय, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी माननीय मंत्री महोदय ने सुबह जवाब दिया कालेज के लिए, कि पास ही में 18 किलोमीटर पर दूसरा महाविद्यालय है। सभापति महोदय, हर विधान सभा क्षेत्र के में नजदीक कोई न कोई तो दूसरा विधान सभा क्षेत्र है ही और प्राइवेट कालेज भी वहां पर होते ही हैं। अगर सवाल का जवाब यही है तो जहां-जहां सरकारी महाविद्यालय चल रहे हैं, वहां-वहां प्राइवेट महाविद्यालय सारे बंद कर दो, मैं मांगना ही छोड़ दूंगी, कालेज मत देना। ये कोई जवाब है कि आपके यहां प्राइवेट कालेज चल रहे हैं। शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने की बात कर रहे हैं। दूसरी जगह के उदाहरण से मुझे क्या लेना देना।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): फिर आप दे दो। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): कहां दिया गया है? आपमें हिम्मत नहीं है, कांग्रेसियों को कोई योजना दे सको। अगर हिम्मत है तो बजट में घोषणा करके दिखाओ, मैं धन्यवाद दे दूंगी।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): आपने अपने पांच साल में क्या किया था वो बताओ फिर हम बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे है?

श्री सभापति: विराजो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, माननीय सदस्य को मैं हमारे पांच साल के कार्यकाल की अगर योजना गिनाऊंगी तो आज से कल हो जाएगा। (व्यवधान) आपके सैन्ट्रल मिनिस्टर, आपके स्टेट मिनिस्टर 12 जून, 11 जून को अलवर गये थे। उनसे पूछा मीडिया वालों ने कि आप भारत सरकार की योजना या राजस्थान सरकार की एक योजना बता दीजिए। शर्म की बात है सैन्ट्रल मिनिस्टर, राजस्थान के मिनिस्टर निरूत्तर हो गये। एक योजना नहीं बता सके आज की भाजपा सरकार की।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): बिना पढ़े हुए, बिना परीक्षा दिये आठवीं परीक्षा पास कर देते हैं। बच्चों का भविष्य खराब कर देते हैं आप लोग।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपको इतना ज्ञान ही नहीं है कि बिना ..(व्यवधान) आपको सभापति महोदय, जो यह बता रहे हैं जिस बच्ची ने आठवीं और दसवीं पास कर ली। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): 76 साल में एक बल्ब लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। यह हमारी सरकारी की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सिर्फ बल्ब ही लगाते रहना इसके अलावा कुछ मत करना। सारा काम पीपीपी मॉडल पर दे देना। सारा काम पीपीपी मॉडल पर किराये पर बेच दो। काम नहीं कर सकती सरकार, असमर्थ है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप अपना वक्तव्य दें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): हमारे रामपुर का एक उदाहरण है जो लड़की बीए पास है, एमए पास है, बारहवीं पास है उसे सरंपच के चुनाव के लिए अघोषित कर दिया और कोर्ट ने फिर उसे वापस घोषित कर दिया। ये सरकार का उदाहरण है शिक्षा का।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): पीपीपी का पूरा नाम क्या है?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अस्पतालों का। (व्यवधान) क्लास ले लो मेरे से। घर पर आ जाना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो 17 विधान सभा क्षेत्रों के लोगों ने आपकी बजाई। आपके कैंडिडेटों की वो ही।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आप तो यहां ही बता दो मेरे को।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपको तो बताई थी 21 ही रह गये थे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपा तो वठे मिला है न थ्हाको मन्हे बैरो है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अभी रुक जाओ। थोड़े दिन रुक जाओ।

श्री सभापति: कृपया कोई व्यवधान नहीं करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ज्यादा ऊंचे मत बोलो। 21 से कहीं 15 पर न रह जाओ। अस्पतालों का निजीकरण कर रहे हैं। जहां डाक्टर्स का मंत्री महोदय ने जल्दी से ट्रांसफर कर दिया। हड़ताल करवा दी दोबारा से। कितने लोग मर रहे हैं? कितने मर गये? सभापति महोदय, जिन मांओं के बच्चों ने गोद में तड़पते हुए प्राण दे दिये, क्या सरकार वह वापस ला सकती है? नहीं ला सकती। ये शर्म की बात है। बाद में भी तो खतम करी। पहले ही झुक जाते। इतने लोगों को मरवाकर क्यों झुकते हो? सब बस स्टेंडों को दे रहे हैं। इन्होंने जो समय लिया इनको घडी नहीं दिखाई आपने, मुझे घड़ी दिखा रहे हैं आप।

सारे बस स्टैण्डों को दे दिया, सरकार के पास खर्चा नहीं है, हम जैसों से ले लिये। कहा कि, भई, आपके वहां रोडवेज बस चला देंगें, मैडम, प्लीज आप दीजिए। हमने सोचा भले का काम करेंगे, जनता के भले का काम है,

रोडवेज बस चल जाएगी लेकिन आज उस बात को चार वर्ष हो गये हैं, एक रोडवेज बस नहीं चलायी, एक भी रोडवेज बस नहीं चलायी।

बिजली के दीनदयाल उपाध्याय, कैम्प लगा दिये गये कनेक्शन आज तक नहीं दिये गये। अभी बड़ी-बड़ी डींग हांक रहे थे, गांव में जाते हो, लोग रोज फोन करते हैं, मीटर रीडिंग नहीं लेने आते, बिल समय पर देने नहीं आते, मोटी-मोटी राशि पैनल्टी भर देते हैं, ट्रांसफार्मर के लिए चक्कर काट-काट कर गांव का आदमी थक जाता है, उनको ट्रांसफार्मर नहीं मिलते।

सभापति महोदय, यह कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, हम धन्यवाद दे देंगे, किसी भी गांव में फ्लाइंग जाती है, घर में घुस गयी, अब सर्दियों में कूलर और पंखे बंद पड़े हैं, उसमें कूलर भी भर देंगे, टेबल फैन भी भर देंगे, पंखा भी भर देंगे और सब की जोड़ कर के मोटी सारी वी.सी.आर. भर देंगे और वो चक्कर लगाते रहेंगे। अब अगर वो बी.पी.एल. परिवार है, उसके वहां फ्रिज नहीं है, वाशिंग मशीन नहीं है, हाबड़-ताबड़ में वो भी भर देंगे, फिर वो चक्कर काटता रहेगा लेकिन वी.सी.आर. सही नहीं होगी। सभापति महोदय, अगर सुधारना ही है तो ऐसे कानून को सुधारो जिससे ग्रामीणों का कुछ भला हो जाए, गरीब लोगों का कुछ भला हो जाए।

सभापति महोदय, ट्रांसफार्मर से एक फ्यूज लगाया जाता था, ट्रांसफार्मर और लाइन के बीच में। उस फ्यूज को हटाने का काम जो अब नया कर रहे हैं उसके कारण डाइरेक्ट तार जोड़ने से जितनी भी डीपी और यह ट्रांसफार्मर फुंक रहे हैं, लोग रोज मर रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले 15 से 20 तक लोग मर गये, वो उसी का परिणाम है। कृपया कर के उस फ्यूज को दोबारा से लगाया जाए जिससे इस कारण की पुनरावृत्ति नहीं हो। सभापति महोदय, यह मेरा आपसे अनुरोध है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, इतना सा समय।

श्री सभापति: मैं क्या करूं, आपका समय तो आपको पता नहीं लगता।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपके बीस लोगों ने बोला तो आप कम से कम दस मिनट तो मुझे दें।

श्री सभापति: दस की जगह तो डबल हो गये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): नहीं, इतना नहीं हुआ।

श्री सभापति: नोट करता हूं न।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): अनुरोध तो प्यार से करो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): नहीं, हम तो अनुरोध कर रहे हैं लोग मर रहे हैं। मर गये, न उनको एक एक को सरकारी नौकरी दी गयी। ...(व्यवधान)... आपको तो धन्यवाद देने वाला कोई है ही नहीं और न आप धन्यवाद देने की पोस्ट पर हो।

श्री सभापति: प्लीज एक मिनट में पूरा करें। प्लीज पूरा करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): बानसूर में मेरे यहां रामपुर, मांची, भूरियावास, हाजीपुर और मोहम्मदपुर में जो व्यक्तियों की पूरे गांव में करंट दौड़ कर मौत हुई, आज दिन तक मुआवजा नहीं मिला है।

यह भामाशाह का नाम कर देंगे, एक कौनसी है इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सेवा, सभापति महोदय, हमने तो अभी तक देखी नहीं, यह कहां दौड़ रही है? ...(व्यवधान)... अलवर में ई.एस.आई. हास्पिटल आज तक चालू नहीं हुए, मंत्री महोदय। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) महिला चिकित्सक नहीं लगायी, आपने कहा डेढ़ महीने के अन्दर लगा दूंगा। तो कम से कम सदन में तो असत्य मत बोलो। किसानों के लिए आय दुगुनी करने की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है किसानों को तो मारने का काम हो रहा है।

सभापति महोदय, जो बी.पी.एल. परिवार है, वन क्षेत्र से जुड़ता है, उसके यहां शौचालय बनाने की परमिशन फोरेस्ट विभाग की तरफ से नहीं मिलती है तो उनकी मजदूरी बंद हो गयी है और उनकी पेन्शन भी बंद हो गयी है, उनका खाद्य सुरक्षा से अनाज मिलना भी बंद हो गया। तो इस तरीके के काम करने चाहिए, लेकिन हो नहीं रहे हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: प्लीज समाप्त करें। प्लीज वक्तव्य समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, थोड़ा तो रुकें।

सभापति महोदय, पट्टा देने का कैम्प लगाया गया था, एक भी व्यक्ति को कोई पट्टा नहीं दिया गया है, सिर्फ लिख-लिख कर रख लिये गये। अगर आप पट्टे देने का काम कर रहे हो तो हम धन्यवाद देंगे, सभापति महोदय,

सिर्फ यह श्मशान घाट का और श्मशान के रास्ते का ही पट्टा दे दें, निस्तारण कर दें तो हम इन्हें धन्यवाद देंगे।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, एक मिनट।

गौशालाओं की बात करते हैं, किसानों के ऋण की बात करते हैं लेकिन सभी चीज में जो भी अभिभाषण में लिखा गया है वो सारा मिथ्या अभिभाषण है। किसान की जो यह कमर तोड़ रहे हैं, मैं किसानों के ऊपर दो लाइन कहना चाहूंगी। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: अब आपका किसानों के ऊपर कहें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): यह किसान ही है जो कर्ज के बोझ के नीचे दब कर फांसी लगाता है और सरकार लाशों को गिन कर आंकड़ों के खेलों में उलझती रहती है, ये आपकी ही सरकार है जो गोदाम में सड़ते हुए अनाज को किसान गुहारता है, ये आपकी ही सरकार है जो सांसों को ठहरा कर मदमस्त होकर चूर रहती है लेकिन सरकार किसानों का कोई काम नहीं करती है।

श्री सभापति: धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री केसाराम जी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, पांच फरवरी को माननीय राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण इस सदन में रखा है। अभिभाषण सरकार का पांच साल का लेखा जोखा होता है। चार साल में जो काम किये और आगे आने वाले वर्ष में सरकार किस दिशा में करेगी, उसकी नीति और नीयत इससे बिलकुल साफ स्पष्ट होती है कि सरकार जो विकास करना चाह रही है वो इस अभिभाषण में अभिव्यक्त होता है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में एक ही भामाशाह हुआ था जिसने अपना सर्वस्व लुटा कर के देश को बचाने के लिए अपनी सारी पूंजी लुटा दी थी। उसी तरह से राजस्थान सरकार भामाशाह योजना चला करके जो काम कर रही है इसके लिए मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे ने भामाशाह योजना की परिकल्पना की है। योजना के माध्यम से घर की महिला मुखिया के नाम

(श्री केसाराम चौधरी)

से खाता खोल करके उसमें सरकार की तरफ से दो हजार रुपये जमा कराये गये हैं।

देश के प्रधान मंत्री राजीव गांधी कहते थे कि मैं 100 रुपये भेजता हूं तो गरीब के पास 15 रुपये पहुंचते हैं। यह मैं नहीं कहता, यह कांग्रेसी भाइयों के प्रधान मंत्रीजी के बोल हैं और असहाय होकर के उन्होंने यह शब्द कहे थे कि इस भ्रष्टाचार पर किसी तरह से कोई लगाम नहीं लगायी जा सकती। मगर हमारे देश के प्रधान मंत्री ने यह खाते खोल करके इस भ्रष्टाचार पर जो अंकुश लगाने का प्रयास किया है, निश्चित रूप सराहनीय है।

आज महिला को मुखिया के रूप में सशक्त करने की नीयत से यह भामाशाह खाते खोले गये, उन खातों में निश्चित रूप से भामाशाह योजनान्तर्गत नामांकित स्टेट बी.पी.एल., बी.पी.एल., अन्त्योदय व अन्नपूर्णा के चयन परिवारों को एक-मुश्त दो हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। अब तक 30 करोड़ 26 लाख नकद व गैर ट्रांजेक्शन तथा 10 हजार 852 करोड़ की राशि लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी हैं। माननीय सभापति महोदय, इन खातों से अब वो महिला किसी के ऊपर मोहताज नहीं है। चाहे उसने नरेगा में काम किया हो, चाहे उसकी पेन्शन योजना का पैसा हो, सारा का सारा इस भामाशाह योजना के खाते में पहुंच कर महिला अपने आप को मोहताज नहीं समझती है। यह हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, 13 दिसम्बर, 2015 से लागू, सामान्य बीमारी पर 30 हजार चिह्नित व गम्भीर बीमारी पर तीन लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर, कुल 1715 बीमारियां कवर और 17 लाख 21 हजार मरीजों का 933 करोड़ रुपये की चिकित्सा सुविधाएं सुलभ करवायी जा चुकी हैं। इस तरह से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा है, कई गम्भीर बीमारियों से गरीब व्यक्ति जूझता था, उन बीमारियों के लिए इन भामाशाह स्वास्थ्य बीमा ने एक ढाल का काम करते हुए, एक कवच का काम करते हुए, उन गरीब व्यक्तियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी गम्भीर बीमारी, कैंसर जैसी और नाना प्रकार की भयंकर बीमारियों से ग्रसित गरीब व्यक्ति किसकी तरफ देखता है।

(श्री केसाराम चौधरी)

उसने राजस्थान सरकार की तरफ देखा और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभ लेकर के करोड़ों लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए राजस्थान सरकार की सराहना करते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सरकार ऐसी योजना लाकर के हम गरीबों का भी इलाज हो सकेगा।

वह अपना इलाज प्राइवेट हास्पिटल में भी करवा सकते हैं जो चिह्नित हैं। उनका सरकारी हास्पिटलों में नि:शुल्क इलाज 3 लाख रुपये तक का किया जाता है। आज गरीब सरकार को दुआ दे रहा है। गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा, अब तक 581 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में विकसित किया जा चुका है, 314 पीएचसी को आदर्श पीएचसी के रूप में विकसित करना प्रक्रियाधीन है।

सभापति महोदय, आदर्श पीएचसीज जो गांवों में बनी हैं, उसकी वजह से गांवों में जहां डॉक्टर नहीं थे, उस जगह पर भी 2-2 आयुर्वेदिक और एलोपैथिक चिकित्सक बैठकर के गांवों की जनता को लाभ पहुंचा रहे हैं।

प्रदेश में नये मेडिकल कालेज के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। पाली में भी एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। इसी वर्ष वह चालू हो जाएगा। मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आपने पाली जिले को भी एक मेडिकल कालेज दिया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। 4 मेडिकल कालेज जयपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में 650 करोड़ रुपये की लागत से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। जिससे जनता को उन हास्पिटलों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा मिलेगी और लाभ होगा। सरकार ने जो कार्य किया है उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं।

एसएमएस चिकित्सा महाविद्यालय में 365 जीवित गुर्दा प्रत्यारोपण किये जा चुके हैं। केडेवरिक गुर्दा प्रत्यारोपण 25 फरवरी, 2015 से प्रारंभ कर अब तक 21 केडेवरिक गुर्दा प्रत्यारोपण किए जा चुके हैं। अंग प्रत्यारोपण की दृष्टि से राजस्थान देश के शीर्ष प्रदेशों में शामिल हो गया है। यह हमारे चिकित्सा विभाग की गुणवत्ता को सार्थक करता है कि अंग प्रत्यारोपण का कार्य भी एसएमएस हास्पिटल में होने लगा है।

(श्री केसाराम चौधरी)

सभापति महोदय, हमारी मुख्य मंत्रीजी की सोच इस तरह की है कि जल है तो कल है। इसके लिए मुख्य मंत्रीजी मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना लेकर के आयीं। मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन में प्रथम चरण और द्वितीय चरण में जिस तरह के काम हुए वह सराहनीय हैं। प्रथम चरण में 95 हजार से अधिक के काम होकर के जल संरक्षण हुआ है। इससे कुओं में जल स्तर बढ़ा है, किसानों को बहुत फायदा हुआ है। अगर इस काम को देखना है तो मेरे क्षेत्र में आकर के देखें। जो गांव सालों से सूखे पड़े थे, इस बार वहां हरियाली लहरा रही है। खेत हरे भरे हो रहे हैं। मेरे क्षेत्र में बहुत ही खुशहाली का माहौल है। द्वितीय चरण में 1 लाख से अधिक निर्माण कार्यों के परिणामस्वरूप भूजल स्तर में वृद्धि हुई है। प्रथम 2 चरणों में 90 लाख से अधिक पौधारोपण किया गया, जिससे पर्यावरण की भी शुद्धि हो रही है।

सभापति महोदय, इसके अलावा तृतीय चरण में 4 हजार 240 गांवों का चयन किया गया है। जिसमें 9 दिसम्बर, 2017 को 10 मरूस्थलीय जिलों में एवं 15 दिसम्बर, 2017 को अजमेर, अलवर एवं भीलवाड़ा में कार्य आरंभ किया गया है। 20 जनवरी, 2018 से सभी जिलों में जल स्वावलंबन के कार्य शुरू हो गये हैं। इसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एमएलए कोटा है, उसमें से 56 लाख रुपये देकर के इन कार्यों को जिस तरह से गति प्रदान की है, इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। किसानों के लिए यह कार्य किया है उसके लिए मैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि जिन कुओं में सालों से पानी नहीं था, उन कुओं में पानी आने की वजह से मेरे क्षेत्र में, पाली जिले में करीबन 70 कुएं ढह गये हैं। वह राहत कार्यों में नहीं आ रहे हैं। मैं माननीय सहायता मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन किसानों को जिनके कुए ढह गए हैं, सहायता करें। किसान जिसकी आजीविका ही कुआ होता है, वह जिंदगी में एक बार ही कुआ बना सकता है। मगर अत्यधिक वर्षा और मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन के कारण से इतने कुएं ढह गए हैं, इन कुओं का वापस निर्माण कराने के लिए सरकार को किसी न किसी तरह से इन किसानों की सहायता करनी चाहिए, जो कि इन किसानों के लिए बहुत ही सराहनीय काम होगा।

(श्री केसाराम चौधरी)

सभापति महोदय, हमारे विपक्षी सदस्य कह रहे थे कि बाड़मेर में रिफाइनरी का शिलान्यास इनकी सोनिया गांधी जी ने किया था। बहुत खुशी है। विकास करना चाहिए। यह देश के लिए आवश्यक है। मगर जिस तरह से इन्होंने इस रिफाइनरी का शिलान्यास किया था, राजस्थान को दिवालिया घोषित करने की स्थिति में पहुंचाने का काम किया था। किस तरह से एमओयू करके पैसे देने की इन्होंने व्यवस्था की थी। न मालूम वह पैसा किसकी जेब में जाता? किस तरह से एमओयू किया, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं। आप सुनिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): एमओयू का ही पता नहीं है। आप यूं ही बात कह रहे हैं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आप सुनिए। आप सुन लीजिए पहले। प्रोजेक्ट कोस्ट कांग्रेस के राज में एमओयू में रुपये 37,229 करोड़ थी। हमारे राज में उसकी कोस्ट हो गयी 43,129 करोड़ रुपये। आप सुन लीजिए, एचपीसीएल द्वारा इक्विटी शेयर थे 11020 करोड़ और हमारे इक्विटी शेयर हैं 10638 करोड़। इसमें भी डिफरेंस देख लीजिए। राज्य सरकार का इक्विटी शेयर 26 परसेंट में 3871 करोड़ इक्विटी शेयर के रूप में देने थे और हमारी सरकार ने 3738 करोड़ इक्विटी शेयर के रूप में दिये हैं। इसी तरह से इंट्रेस्ट फ्री लोन 15 साल तक राजस्थान की सरकार को रुपये 3637 करोड़ रुपये प्रति वर्ष देने थे और हमारी सरकार ने यह रुपये 1123 करोड़ प्रति वर्ष देने का किया है, राज्य सरकार को जो 15 वर्ष देना था।

श्री सभापति: कनक्लूड करें माननीय सदस्य।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अभी तो मैंने थोड़ा-सा शुरू किया है।

श्री सभापति: समय आपको ध्यान नहीं रहता है। इतना समय बीत गया है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): 56.40 करोड़ प्रति वर्ष ज्यादा आप 15 साल में एमओयू के तहत पैसे देते। अब हमारी सरकार उसकी जगह 16845 करोड़ मात्र देगी। इस तरह से राजस्थान को बर्बाद करने का

(श्री केसाराम चौधरी)

जो काम किया है वह आपकी सरकार ने किया है। इंट्रेस्ट रेट जो 6.3 परसेंट थी उसको 12.2 परसेंट हमारी सरकार ने किया है। ऐसा एमओयू करके हमारी सरकार ने रिफाइनरी का शुभारंभ किया है। आप देखना कि 1 साल, 2 साल में किस तरह से इसका विकास होता है। यह रिफाइनरी जब काम करने लग जाएगी तो राजस्थान मालामाल हो जाएगा। राजस्थान टैक्स फ्री जोन बनकर के एक शक्ति के रूप में उभरेगा, ऐसा हमारा मानना है।

सभापति महोदय, कौशल विकास के लिए राज्य में 930 नये राजकीय एवं निजी आईटीआई स्थापित करके इनकी प्रशिक्षण क्षमता लगभग 4 लाख की जा चुकी है। मेरे क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से रानीखुर्द में तीव्र गति से आईटीआई का निर्माण हो रहा है। जिसमें हर ट्रेड के डबल ट्रेड दिये हैं। इसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इससे विद्यार्थियों को कौशल विकास का बहुत अच्छा मौका मिलेगा।

इस तरह से 4 वर्ष पहले छाई निराशा की धुंध छंटी, सुशासन का उजास हर ओर दिखाई देने लगा है। यह उपलब्धि अनायास ही हासिल नहीं हुई है। यह तो पहले दिन से ही हमारी सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है।

मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में तथा शिक्षा मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण राजस्थान की शिक्षा अपने स्वर्णिम काल में पहुंच गयी है। यह अटल सत्य है कि शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का प्रमुख आधार है। पिछले 4 वर्षों में इसमें अनेक नवाचार किये गये हैं। राजस्थान उच्च माध्यमिक व माध्यमिक 13686, जिसमें 5300 माध्यमिक से क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक में किये गये हैं, यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। यह कांग्रेस और बीजेपी देखकर के नहीं की गयी है।

श्री सभापति: धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, आज टाइम दे दीजिए। थोड़ा-सा बोलने दीजिए। मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूं। प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत कुल 30629 और प्राथमिक में क्रमोन्नत 53, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय ...।

श्री सभापति: यह मान लिए हैं। शिक्षा वाली सारी मान ली आपकी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): एक मिनट माननीय सभापति महोदय, एक तो बोलने दो।

स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय, प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राजकीय विद्यालयों में स्वच्छता दिवस का आयोजन करना, राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के 16 विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रदान किया गया है। राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर देश में तीसरे स्थान पर व उत्तरी भारत में प्रथम स्थान पर आया है। प्रदेश में पहली बार स्वच्छता अनुदान के रूप में प्रत्येक विद्यालय को पांच हजार रुपये रंग-रोगन, पेंटिंग के लिए दिये हैं। इनके राज में एक झाड़ू खरीदने के लिए पैसे नहीं देते थे और यह शिक्षा की बात करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार द्वारा 2016-17 में घोषित स्वच्छ भारत विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बीस, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक बीस, कुल चालीस राजकीय विद्यालयों को स्वच्छता .....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, धन्यवाद। धन्यवाद।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): एक मिनट बोल दूं माननीय सभापति महोदय। मुख्य मंत्री राजश्री योजना, 1 जून, 2016 से शुरू की गयी है। इस तिथि के बाद में जन्म लेने वाली बालिका के लिए, लाभ की पात्र बेटियों को 7 लाख 92 हजार 811 बालिकाओं को, प्रथम किश्त 2500 से लाभंवित किया जा चुका है। योजना में 198.20 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है। जन्म लेते ही बेटी को 2500 रुपये, एक वर्ष के बाद, तीन टीके लगने के बाद 2500 रुपये, प्रथम कक्षा में प्रवेश करने पर 4000 रुपये, कक्षा छह में प्रवेश करने पर 5000 रुपये, कक्षा दस में प्रवेश करने पर 11000 रुपये, कक्षा बारह में प्रवेश करने पर 25000 रुपये, कुल 50000 रुपये बालिकाओं को दिया जाता है।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मुख्य मंत्रीजी की सोच है 'बेटी

(श्री केसाराम चौधरी)

बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उस सोच को सार्थक करने का जो प्रयास किया गया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, द्रोपतीजी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): गार्गी पुरस्कार में 3000 रुपये और प्रमाण पत्र, 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली बच्ची को दसवीं में और ग्यारहवीं में भर्ती होते ही 3000 रुपये पुरस्कार दिया जाता है, बारहवीं पास करने पर 5000 रुपये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, द्रोपतीजी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): गार्गी पुरस्कार में वर्ष 2015-16 में 91 हजार बालिकाओं को लाभांवित किया गया। इस वर्ष 1 लाख 26 हजार 491 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

श्री सभापति: आपका समय पूर्ण हो चुका है माननीय सदस्य।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): इससे साफ होता है कि बालिका शिक्षा में जो स्थान स्थापित किया है वह निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता को दर्शाता है कि बालिका शिक्षा में हमने गुणवत्ता प्राप्त की है। जय हिन्द, जय भारत, धन्यवाद माननीय सभापति महोदय।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम महामहिम राज्यपाल महोदय का आभार प्रकट करना चाहूंगी। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का जिन्होंने राजस्थान प्रदेश पर पिछली कांग्रेस सरकार के द्वारा लगाये गये पिछड़ेपन के कलंक को हटाकर देश के अन्य विकसित राज्यों में प्रथम श्रेणी में लाकर खड़ा किया है। माननीय सभापति महोदय, मैंने 14वीं राजस्थान विधान सभा के दशम् सत्र के अभिभाषण को पढ़ा। यह अभिभाषण राजस्थान का विकास दर्पण है। इस दर्पण में राजस्थान की खुशहाली झलक रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करती हूं और आपने मुझे अभिभाषण पर बोलने का समय दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने पिछले चार वर्षों के

(श्रीमती द्रोपती)
कार्यकाल के दौरान सुराज संकल्प पत्र में दिये गये वादों को पूरा करने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पूर्ण निष्ठा के साथ पूरे प्रदेश में विकास कार्य करवाये हैं।

बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का,

उठाकर राष्ट्र का झंडा, करें उत्थान भारत का।

इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ किया है हमारे देश के गौरवशाली माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने। माननीय सभापति महोदय, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में हमारा देश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे देश की आर्थिक स्थिति हो, चाहे देश के रक्षा तंत्र की बात हो, चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा की बात हो। माननीय सभापति महोदय, प्रधान मंत्रीजी के सही नेतृत्व में देश की गौरवशाली भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा है। हमारे देश की सेना का प्रदर्शन पूरी दुनिया में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान देखा गया है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे इन कांग्रेसियों को देखकर 2011 की घटना याद आ रही है, नवम्बर, 2011 में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय ताज होटल पर मुम्बई में आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया था उसमें लगभग 150 लोग मारे गये थे। उस वक्त माननीय प्रधान मंत्री मन मोहन सिंहजी ने एक निर्णय लिया कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, इतना सा, हमारा मतलब बंटवारा कर दिया। देश के सैनिकों का हौसला बंधाने के लिए उन्होंने यह फैसला ले लिया कि पाकिस्तान के साथ हम मैच नहीं खेलेंगे। क्या यह निर्णय सही है, यह मैं अपने कांग्रेस के भाइयों से पूछना चाहती हूं? प्रधान मंत्री के सही नेतृत्व में देश की गौरवशाली सेना का आज जो मनोबल बढ़ा उसमें आज हमें खुशी होती है। माननीय प्रधान मंत्री दीपावली मनाने के लिए सैनिकों के बीच में बोर्डर पर जाते हैं, जिसके कारण से प्रत्येक युवा शक्ति का सीना 56 इंच का हो जाता है। और तो और देश की बागडोर जब से माननीय प्रधान मंत्री, नरेंद्रजी मोदी के हाथ में आई है तब से मां भारती की जय जयकार पूरे विश्व में हो रही है।

(श्रीमती द्रोपती)

माननीय सभापति महोदय, अब दुनिया के सामने भारत की छवि जो बन रही है, ऐसा लगता है भारत पुन: विश्व गुरु बनेगा, मेरा ऐसा मानना है। दुर्भाग्य रहा हमारे देश का जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश की बागडोर ऐसे परिवार विशेष के पास आ गयी। देश के बंटवारे के लिए देश का किसी ने चाचा बना लिया, किसी ने पिता बना लिया, क्या मैं कांग्रेसी भाइयों से पूछ सकती हूं हमारा देश भारत, किसी पिता ने या चाचा ने लागू किया था या युगों-युगों से भारत मां, भारत देश हमारा चलता आ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मोदीजी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व पटल पर आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है। चाहे उपग्रहों के विषय हों, चाहे सेना के मनोबल का विषय हो, चाहे किसान भाइयों का विषय हो, चाहे किसान भाइयों के लिए अपने खेत की मिट्टी जांच करने की अच्छी पैदावार करने का विषय हो, इस वर्ष का केन्द्र का बजट, गांव, गरीब, किसान, मजदूर और सैनिकों के लिए समर्पित है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए भी गर्व हो रहा है कि समर्थ राजस्थान की दिशा में हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी के प्रयासों से हमारे प्रदेश में उद्योग चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हो रहा है। देश में राजस्थान प्रदेश प्रथम पंक्ति में खड़ा है, यह हम गर्व से कह सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं बात करूं सहकारिता विभाग की, कांग्रेस के पिछले पांच साल थे उनमें कांग्रेस ने किसानों का ब्याज मुक्त फसली ऋण बांटा था, वह 25 हजार करोड़ रुपये था। पर, हमारी सरकार ने इन चार सालों में अब तक जो किया है, लगभग 60 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त फसली ऋण बांट दिया गया है, जो अपने आपमें राजस्थान एक रिकार्ड पर है। राजस्थान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।

माननीय सभापति महोदय, 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने के लिए राजस्थान प्रदेश में जयपुर, कोटा और उदयपुर में तीन-तीन दिवसीय ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक मीट का सफल आयोजन किया गया, राज्य में जैतून की खेती के सफल नवाचार को भारत सरकार द्वारा सराहा गया, यह भी अपने आपमें बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे देश का किसान

(श्रीमती द्रोपती)

खुशहाल होगा तभी तो उन्नत किसान और खुशहाल राजस्थान का सपना साकार होगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश में बारिश की अनिश्चितता को देखते हुए जल समस्या के समाधान के लिए हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री द्वारा मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की शुरूआत की गयी जो अभियान अत्यंत ही कारगर सिद्ध हो रहा है और पूरे प्रदेश् में प्रथम चरण के अंदर 95 हजार से अधिक कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। द्वितीय चरण में 1 लाख से अधिक निर्माण कार्य हो रहे हैं जो अपने आपमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि राजस्थान की है। मैं बात करूं मेरे क्षेत्र की तो ग्राम पंचायत के अंदर गांवों में गंदे पानी की बहुत बड़ी समस्या रहती थी उनको जल स्वावलम्बन में लेकर गांवों का विकास हुआ है, जोहड़ों का जो विकास हुआ है वह अपने आपमें बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं बात करूं आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए 'न्याय आपके द्वार' राजस्व अभियान जो चलाया गया, महोदय, मैं माफी चाहती हूं, 5 मिनट का टाइम लेना चाहूंगी।

श्री सभापति: सदन का समय ही नहीं है, पूरा हो गया, वक्तव्य पूरा करें, माननीय सदस्य, पूरा हो गया।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, टाइम बढ़ाया जाए प्लीज। टाइम बढ़ाया जाए। पांच मिनट, मेरे बोलने तक टाइम बढ़ाया जाए। ...(व्यवधान)...

(18.00 बजे)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय इनका भाषण पूरा होने तक, आज की कार्यवाही पूर्ण होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय आज की कार्यवाही पूर्ण होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्यवाही पूर्ण होने तक बढ़ाया जाता है।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): थैंक यू। आमजन की समस्याओं का निराकरण करने के लिए 'न्याय आपके द्वार' कार्यक्रम राजस्थान प्रदेश में मुख्य मंत्रीजी ने शुरू किया था। महोदय, कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता कि जो व्यक्ति 40 साल से घर से निकलता है, कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटता है तब उसकी जूतियां टूट जाती हैं, उसके परिवार के सदस्य की मौत हो जाती है उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता। माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा राजस्व अभियान चलाकर जो न्याय दिया है पूरे राजस्थान के अन्दर, वो अपने आपमें बहुत बड़ी उपलब्धि है।

महोदय, 8 मई, 2015 से 15 जुलाई, 2017 तक संचालित हुए कार्यक्रम में 26 लाख से ज्यादा प्रकरणों का निस्तारण करना, राजस्थान सरकार के लिए एक सौगात है। जो इतना बड़ा फैसला माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा इन प्रकरणों के सम्बन्ध में हुआ है, पूरे राजस्थान में 96 लाख से अधिक प्रकरण ऐसे हैं।

महोदय, जनता के जो अटके हुए काम होते हैं, तब मन में खुशी होती है, मेरी ग्राम पंचायत डबली राठान के अन्दर डबली मौलवी में 25 जून को अभियान लगा था और एक दिन के अन्दर लोक अदालत में 209 नामान्तरण, 83 खाता विभाजन किये गये थे जो अपने आप बहुत बड़ा रिकार्ड है।

सभापति महोदय, हमारे देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र जी मोदी ने जो नारा दिया था वह प्रदेश में साकार हो रहा है 'अच्छे दिन आने वाले हैं'। महोदय, जब से माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से राजस्थान प्रदेश में सुराज का सपना साकार हो रहा है। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 16 जनवरी, 2018 को पचपदरा (बाड़मेर) में 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता के राजस्थान रिफाइनरी काम्प्लैक्स के कार्य का शुभारम्भ किया गया है, जो देश की पहली परियोजना है और अपने आपमें देश के लिए रिकार्ड है। रिफाइनरी की स्थापना से प्रदेश की अतिरिक्त आय के साथ-साथ युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्रीजी का, मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं।

(श्रीमती द्रोपती)

सभापति महोदय, जब से प्रदेश में माननीय वसुन्धरा जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ रहा है। कांग्रेस के शासन में प्रदेश में सड़कें जो बनाई गयीं थीं वो बनने के बाद महीने-दो महीने में ही टूट गयी थीं। इसका एक सीधा उदाहरण है सूरतगढ़-पीलीबंगा-हनुमानगढ़ की जो सड़क बनी थी, महोदय, जैसे ही मैं विधायक बनी तो कुछ कांग्रेसी लोग मेरे पास आकर कहने लगे कि बहनजी, हमारी सरकार का तो यह नतीजा है इसलिए हमने आपको जिताया है और आप हमारी यह सड़क दुबारा बनाओ, उस पर टोल वसूल किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में वो सड़क दुबारा सी.सी. रोड बन रही है और यह अपने आपमें बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को, राज्य सरकार का उसी सड़क के नवीनीकरण का जो कार्य हो रहा है उसके लिए आभार व्यक्त करती हूं।

पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा धाम किकरिया धाम (धनासर) है, जहां हजारों लोग आते-जाते रहते हैं। हर बार कांग्रेसी वहां वादा करते थे कि हम यह सड़क बना देंगे, हम यह सड़क बना देंगे, पर उस सड़क का जो तीन किलोमीटर का टुकड़ा था वो माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बना दी गयी है इसके लिए रावतसर के लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करते हैं कि हमें यह बहुत बड़ी उपलब्धि दी है।

मैं ग्रामीण गौरव पथ की बात करूं तो गांवों में इससे बहुत खुशी होती है और कांग्रेसी भाई भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि गांव में जो गौरव सड़क का दिया है यह वास्तव में काबिले तारीफ है। हम तो मजबूर हैं जो आपको गालियां देते हैं लेकिन आपने यह काम बहुत अच्छा किया है और इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी। ग्रामीण गौरव पथ के साथ-साथ शहरों के अन्दर भी जो सड़कें गौरव पथ की दी हैं उनके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी।

सभापति महोदय, 'साधना के इस देश में मत नाम ले विश्राम का', ये पंक्तियां माननीय मुख्य मंत्री द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य पूर्ण करने से दिख रही है। पिछली गहलोत सरकार ने जो फैसला लिया था कि कक्षा 1 से

(श्रीमती द्रोपती)
8 तक के बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाए, कोई किसी को फेल नहीं करें क्योंकि इन लोगों की मंशा थी कि अगर आज का युवा या आज के युग, के जो बच्चे हैं वो लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को जान जाएंगे तो कांग्रेस को कोई वोट नहीं डालेगा और इनकी वोटों की नीति को फ्लाप करते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो यह निर्णय लिया है वह बहुत ही सराहनीय है। इस फैसले को बदलकर जो परीक्षा परिणाम किया है, स्कूलों का विस्तार किया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं। जब से प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्रीजी की सरकार बनी, शिक्षा एवं संस्कारों में परिवर्तन आया है। 'निर्माणों के युग में हम बच्चों को संस्कार देना न भूलें, भौतिकता के उत्थानों में हम जीवन का उत्थान न भूलें, हम जीवन का उत्थान न भूलें' ये पंक्तियां भी माननीय मुख्य मंत्रीजी, की बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए सोचती हैं।

श्री सभापतिः बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): सभापति महोदय, जो बच्चों को हमारे देश भक्तों....

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सेम की समस्या।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): जो देशभक्तों, ऋषि मुनियों का आदर्श पढ़ाया जा रहा है उससे बच्चों को मातृभूमि के प्रति महापुरुषों द्वारा दिये गये कार्य का स्मरण रहता है। जब हम हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं कि महाराणा प्रताप महान था तो माननीय कांग्रेसी सदस्यों के तकलीफ होती है, यह इनके लिए शर्म की बात है। मेरा तो मानना है कि पूरे भारत वर्ष में महापुरूषों का जीवन पढ़ाया जाए। बच्चों को वीर सावरकर, श्री गुरुजी, स्वामी विवेकानन्द जी, बाबा साहब अम्बेडकर, चन्द्रशेखर आजाद, भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव, महाराजा सूरजमल, पन्नाधाय, राणा सांगा, मीरा बाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आदि का जीवन परिचय पढ़ाया जाए जिससे बच्चे संस्कारवान हों।

श्री सभापतिः धन्यवाद।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): जब से राजस्थान में माननीय मुख्य मंत्री जी की सरकार बनी है, स्कूलों में नामांकन बढ़ा है और प्राइवेट स्कूल बन्द होने

(श्रीमती द्रोपती)

के कगार पर है तो इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी।

राजस्थान के पेंशन पोर्टल को देशभर में बैस्ट ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट का अवार्ड प्राप्त हुआ है। अब पेंशन सभी के खाते में आती है जबकि पहले डाकिये द्वारा दी जाती थी। पालनहार योजना में माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयास से प्रदेश में 2 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया है। मुख्य मंत्री राजश्री योजना के तहत 1 जून, 2016 से दिसम्बर, 2017 तक 8 लाख से ज्यादा जोड़कर किया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, अपना वक्तव्य पूरा करें।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): मेरे बोलने तक समय दिया हुआ है सभापति महोदय। योजना बहुत ही सराहनीय है। भारत सरकार द्वारा राज्य को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगी। प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अनुदान राशि 70 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 49 हजार रुपये किये गये हैं और वो भी पूरे प्रदेश के अन्दर 10 लाख से अधिक आवास बनाये गये हैं, यह भी अपने आपमें बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये कांग्रेसी कहां-कहां से लेकर, शब्द जुटाकर कोसते रहते हैं और आपने जो विकास किया है वो शायद इनको रास नहीं आ रहा होगा।

किसानों की खुशहाली के लिए, यूरिया की किल्लत, शायद आज तक किसान भूले नहीं हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब यूरिया के लिए, गैस सिलेण्डर के लिए लाइन खड़े रहते थे, पर आज वो समय नहीं है और आज घर-घर जाकर बांटने का किया है वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।

राजस्थान प्रदेश को विद्युत उत्पादन की दिशा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में राज्य सरकार कार्य कर रही है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): दो ही मिनट का है साहब। राज्य सरकार ने उदय योजना के तहत 62 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण अधिग्रहण

(श्रीमती द्रोपती)

कर विद्युत निगमों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ किया है। हाल ही में राज्य सरकार ने किसान हित में महत्वपूर्ण फैसला किया है। 01 सितम्बर, 2016 से बढ़ी हुई विद्युत दरों का समस्त भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया है। बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा विद्युत सुधार अभियान चलाया गया है।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 07 फरवरी 2018 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.10 बजे बुधवार, 07 फरवरी 2018 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

नवलगढ़ में गौवंश संवर्धन की संचालित योजनाएं

6. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा सुराज संकल्प 2013 में गौवंश संवर्धन एवं संरक्षण से संबंधित क्या-क्या संकल्प/घोषणाएं की गयी थीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किस-किस संकल्प/घोषणा पर अब तक क्या-क्या व कितना-कितना कार्य किया गया और उस पर कितनी राशि व्यय कर कितने प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सुराज संकल्प 2013 में शामिल अनेक संकल्प/घोषणाओं पर आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है या लक्ष्य के मुकाबले आंशिक कार्य होने से आम जनता में आक्रोश व्याप्त है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संकल्प/घोषणाओं की क्रियान्विति नहीं कराने वालो के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2013 तक तथा 1 जनवरी, 2014 से 15 जनवरी, 2018 तक विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में गौवंश संवर्धन एवं संरक्षण से संबंधित किन-किन योजनाओं में क्या-क्या कार्य कहां-कहां कराये गये और उन पर कितनी राशि व्यय की गयी? योजनावार कार्यों तथा व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सुराज संकल्प 2013 में गौवंश संवर्धन एवं संरक्षण हेतु निदेशालय गोपालन से संबंधित संकल्प/घोषणाएं परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त संकल्प/घोषणाओं पर अब तक किया गया कार्य एवं व्यय की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। सुराज संकल्प 2013 में की गयी संकल्प/घोषणाओं की क्रियान्विति की वस्तुस्थिति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(गोपालन मंत्री)

(4) 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2013 तक तथा 1 जनवरी, 2014 से 15 जनवरी, 2018 तक विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में गौवंश संवर्धन एवं संरक्षण से संबंधित योजनाओं में किये गये कार्य एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बड़ी सादड़ी के गांवों को टाडा में जोड़ने की कार्ययोजना

7. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में कौन कौनसे गांव जनजाति क्षेत्र (टाडा) में आते हैं? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बड़ी सादड़ी तहसील (चित्तौड़गढ़) के जनजाति बाहुल गावों को जनजाति क्षेत्र (टाडा) में जोड़ने के लिये भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाये गये हैं? यदि हां, तो कौन कौनसे गांवो के उक्त प्रस्तावों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त भेजे गये प्रस्तावित गांवों को जनजाति क्षेत्र (टाडा) में जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र (चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़) में जनजाति क्षेत्र (टाडा) में आने वाले गांवों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही हैं कि बड़ी सादड़ी तहसील (चित्तौड़गढ़) में जनजाति बाहुल गावों को जनजाति क्षेत्र (टाडा) में जोडने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाये गये हैं। वर्तमान में टीएसपी (जनजाति उपयोजना क्षेत्र) के विस्तार के प्रस्ताव भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्तावों का राज्य मंत्रि मण्डल द्वारा आज्ञा क्रमांक 153/2014 दिनांक 09.12.14 से अनुमादन पश्चात उक्त प्रस्ताव शासन के पत्र क्रमांक एफ.10( ) अनुसूचित क्षेत्र विस्तार/2014-15 दिनांक 26.12.14 से जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को अनुमोदन/ अधिसूचना जारी करने हेतु भिजवाये गये।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-18013/2/2014- सी एण्ड एल एम-1 दिनांक 06.08.2015 की अनुपालना में विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के संवैधानिक आदेश के ड्राफट को प्रमाणित कर पत्र क्रमांक-एफ 33 (81)(1) सीटीएडी/2014-15/ 23450-51 दिनांक 21.08.15 से जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भिजवाया गया। विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के ड्राफट आदेश को प्रमाणित कर पत्र क्रमांक एफ 33 (81)(1) सीटीएडी/2014-15/ 1376-77 दिनांक 14.01.16 से जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भिजवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 15.2.2016, 11.7.2016 को पत्र एवं 23.1.2017 को अ.शा. पत्र लिखा गया। माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान की ओर से अ.शा. पत्र दिनांक 17.3.2017 के द्वारा माननीय मंत्री महोदय, जनजातिय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को निवेदन किया गया है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग भारत सरकार से शीघ्रातिशीघ्र निर्णय के संबंध में निरन्तर संपर्क बनाये हुए है। उक्त संबंध में श्रीमान जुएल ओराम मंत्री, जनजातिय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 07.06.17 को प्राप्त पत्र में विस्तार के प्रस्ताव अंततः मंत्रीस्तरीय परामर्श के तहत है एवं दिनांक 23.08.17 को पुनः श्रीमती विशु मैनी, उप महानिदेशक, जनजातिय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली को विस्तार के संबंध में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा पत्र लिखा गया। वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्तावों को केन्द्रीय केबिनेट में प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विस्तार के प्रस्तावों में सम्मिलित गांवों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) भारत सरकार के स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

झामर कोटड़ा की खदानों में ब्लास्टिंग से प्रभावितों को मुआवजा

8. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि झामर कोटड़ा की खदान में भारी ब्लास्ट के कारण गांवों में बने हुए मकानों में दरारें पड़ गयी हैं? यदि हां, तो किस-किस गांव में किस-किसके मकानों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री फूलसिंह मीणा)

(2) क्या उक्त खदान के आई.बी.प्लान्ट से निकलने वाले टेलिंग में एसिड मिक्स कैमीकल बहकर नाले द्वारा झामेश्वर एनिकट में जा रहा है तथा इसमें गिरने से मवेशी मर रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त खदान द्वारा मकानों को हुए नुकसान व टेलिंग डेम में फंसने से मरने वाले जानवरों तथा जल प्रदूषण को रोकने के उपाय व मुआवजा दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) झामर कोटड़ा खदान में ब्लास्टिंग से मकानों में दरारें आने के संबंध में दो शिकायतें राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त होने पर खनि अभियंता, उदयपुर द्वारा जांच कराई गयी। जांच में समेता गांव व उसके फले के कच्चे-पक्के मकानों में दरारें देखी गयीं, लेकिन किस-किस मकान में दरारें देखी, का चिन्हीकरण नहीं किया गया था। एक व्यक्ति श्री लिम्बाराम द्वारा प्रबंध निदेशक, आरएसएमएम लिमिटेड को ब्लास्टिंग से मकान ढहने एवं उसकी एवज में मुआवजा देने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

(2) बेनिफिकेशन प्लान्ट से निस्तारित उच्छिष्ट को उपचार करने हेतु उपचार संयंत्र स्थापित है तथा टेलिंग के निस्तारण हेतु टेलिंग डेम है जिसके लीचेट को पुन: उपचार संयंत्र से उपचारित किया जाता है। उपचारित उच्छिष्ट को प्रसंस्करण में पुन: चक्रित किया जाता है। उच्छिष्ट के बहकर नाले में जाने की संभावना नहीं है। मवेशी के नाले में अथवा झामेश्वर एनिकट में गिर कर मरने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) शिकायतकर्ता श्री लिम्बाराम एवं अन्य ग्रामीणों की भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियों को सर्वश्री आरएसएमएम लिमिटेड के लिए अवाप्त की जाकर मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा न्यायालय में जमा करवा दिये जाने के पश्चात् भूमि का नामांतरण कम्पनी के पक्ष में किया जा चुका है। काश्तकारों द्वारा भूमि के मुआवजे व अवाप्ति को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या एसबीसीडब्ल्युपी 6779/2016 दायर की हुई है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। चूंकि शिकायतकर्ता एवं अन्य ग्रामीणों के मकान अवाप्तशुदा भूमि में है, अत: नुकसान के मुआवजे का प्रकरण नहीं

(राज्य मंत्री, खान)

बनता है। टेलिंग डेम में फंसने से जानवरों के मरने की कोई जानकारी नहीं है। जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु बेनिफिकेशन प्लाण्ट से निस्तारित उच्छिष्ट को उपचार करने हेतु उपचार संयंत्र स्थापित है तथा टेलिंग के निस्तारण हेतु टेलिंग डेम है जिसके लीचेट को पुन: उपचार संयंत्र से उपचारित किया जाता है। उपचारित उच्छिष्ट को प्रसंस्करण में पुन: चक्रित किया जाता है। परिसर से बाहर उच्छिष्ट के शून्य निस्त्राव की स्थिति है। टेलिंग डेम के चारों तरफ एक मीटर उंची पक्की दीवार बनी हुई होने से किसी भी मवेशी के गिरने की संभावना नहीं है। कम्पनी द्वारा समय-समय पर पानी की गुणवत्ता की जांच भी की जाती है।

मोटराइज्ड ट्राई साइकिल योजना के लाभार्थी की पात्रता

9. श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में मोटराइज्ड ट्राई साइकिलें किस योजना के अंतर्गत वितरित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त योजना से लाभान्वित हेतु क्या-क्या पात्रताएं निर्धारित की गयी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) झुंझुनूं जिले में गत दो वर्षों में कितनी-कितनी मोटराइज्ड ट्राई साइकिलें कब-कब व किस-किस को वितरित की गयी हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त जिले में मोटराइज्ड ट्राई साइकिलें वितरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में भारत सरकार द्वारा एडिप योजनान्तर्गत विशेष योग्यजनों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल (बैट्री चलित) वाहन पात्र चयनित विशेष योग्यजनों को भारतीय कृत्रिम अंग उपकरण निर्माण निगम (एलिम्को) कानुपर के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है।

(2) उक्त मोटराइज्ड ट्राई साइकिल (बैट्री चलित) वाहन हेतु पात्रता की शर्ते निम्नानुसार है:

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

1. विशेष योग्यजन की आयु 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिये। छात्रों के लिये न्यूनतम आयु में 02 वर्ष की छूट है, जिनकी आयु 16 वर्ष होनी चाहिये।
2. ऐसे विशेष योग्यजन जिनके शरीर के तीन/चार अंगो अथवा शरीर का आधा भाग गंभीर रूप से बाधित होने वाले गंभीर विशेष योग्यजनों ओर क्वड्रिप्लिजिक मस्कुलर डाईस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रलपाल्सी, हैमिपेलिजिया से पीडित अथवा ऐसे हालातों से पीडितों के लिये।
3. मोटराईज्ड ट्राई साईकिल (बैट्री चलित) चलाने में सक्षम हो।
4. आवेदक मानसिक नि:शक्तता से ग्रसित नही हो।
5. विशेष योग्यजन के परिवार की मासिक आय रुपये 15,000 से अधिक न हो।

(3) झुंझुनूं जिले में गत दो वर्षों में भारत सरकार की एडिप योजनान्तर्गत मोटराइज्ड ट्राई साइकिल (बैट्री चलित) वितरित नहीं की गयी है। वर्ष 2017-18 में भारत सरकार के उपक्रम भारतीय कृत्रिम अंग उपकरण निर्माण निगम (एलिम्को) कानपुर द्वारा मोटराइज्ड ट्राइ साइकिल (बैट्री चलित) से लाभान्वित किये जाने हेतु 53 विशेष योग्यजनों का चयन किया गया है। वितरण संबधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2017-18 की घोषणा संख्या 148 के तहत राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय एवं महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत चलन-नि:शक्तता श्रेणी के विशेष योग्यजन, जो कि मोटराइज्ड ट्राइ साइकिल चलाने में सक्षम है, को नियमित अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने के लिये नि:शुल्क एक हजार मोटराइज्ड ट्राई साइकिल उपलब्ध कराये जाने कि घोषणा की गयी है। जिसके क्रम में राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी मोटराइज्ड ट्राइ साइकिल वितरण योजना अन्तर्गत आय सीमा 2.00 लाख की गयी है। गाइड लाइन की प्रति सलंग्न परिशिष्ट अ पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण

10. श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र दौसा में सड़क से वंचित गावों को जोड़ने के लिए किन-किन मिसिंग लिंक सड़कों के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आमजन की सुविधा एवं ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के लिए मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दौसा में सड़क के जुड़ाव से वंचित गांवों को जोड़ने के लिए मिसिंग लिंक सड़कों के सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए। वैसे मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण का उद्देश्य सड़क से वंचित गांवों को जोड़ना नहीं होता, सड़क से सड़क को आपस में जोडकर दो स्थानों के मध्य दूरी को कम कर आवागमन को सुगम बनाया जाता है। 7 मिसिंग लिंक सड़कों के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से 5 की स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा आमजन की सुविधा एवं ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कराना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चौमूं के गावों को बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़ने की कार्ययोजना

11. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चौमूं नगरपालिका व ग्राम पंचायत हस्तेड़ा, आष्टी किशनमानपुरा व नांगल गोविन्द में भयंकर पेयजल समस्या है? यदि हां, तो इसके समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

(श्री रामलाल शर्मा)

(2) क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों व नगरपालिका को बीसलपुर पेयजल योजना से जोडने का विचार है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। पाइप्ड जल योजना से लाभान्वित चौमूं कस्बे की पेयजल योजना का निष्पादन, संचालन एवं संधारण का कार्य मार्च, 2013 से नगरपालिका चौमूं द्वारा किया जा रहा है। चौमूं कस्बे की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा राशि रुपये 36.76 करोड़ की योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 11.02.2015 को जारी हुई थी । इस स्वीकृत योजना को 7 पैकेजों में विभक्त किया जाकर योजना के 6 पैकेजों का कार्य प्राधिकरण द्वारा निष्पादित कराया गया है तथा शेष 1 पैकेज अंतर्गत स्वच्छ जलाशय एवं पम्प हाऊस का कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं।

चौमूं कस्बे में पूर्व में निर्मित 83 नलकूप एवं उक्त स्वीकृत योजना अंतर्गत निर्मित किये गये 21, इस प्रकार कुल 104 नलकूपों से 72.00 लाख लीटर पेयजल मांग के विरुद्ध 62.00 लाख लीटर पेयजल उत्पादित किया जाकर 86 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुनिश्चित की जा रही है।

प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत योजना की क्रियान्विति के पूर्व चौमूं कस्बे में 54 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल आपूर्ति हो रही थी। इस प्रकार उक्त योजना के क्रियान्वयन से कस्बे में जल सेवा स्तर में 32 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई है।

आर.यू.आई.डी.पी. के चतुर्थ चरण में चौमूं कस्बे को सम्मिलित किये जाने के लिये स्वीकृत किया गया है। डी.पी.आर. तैयार करने हेतु नगरपालिका द्वारा कंसल्टिंग फर्म के साथ अनुबन्ध किया गया है। योजना में सम्मिलित किये जाने वाले कार्यों का चयन अभी किया जाना शेष है। आर.यू.आई.डी.पी. के चतुर्थ चरण की योजना अभी एशियन डवलपमेन्ट बैंक के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

विधान सभा क्षेत्र, चौमूं की वर्णित ग्राम पंचायत हस्तेड़ा, आष्टीकलां, किशनमानपुरा एवं नांगल गोविन्द में कुल 13 ग्राम सम्मिलित हैं। इन

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

समस्त ग्रामों में विभिन्न पेयजल योजनाओं से निर्धारित गुणवत्ता अनुरूप एवं पर्याप्त मात्रा में पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुनिश्चित की जा रही है।

ग्राम पंचायत मुख्यालय हस्तेड़ा, ग्राम पंचायत आष्टीकलां के ग्राम आष्टीकलां एवं गीधा का बास तथा ग्राम पंचायत नांगल गोविन्द के ग्राम सिरसा के स्थानीय भू-जल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने के कारण इन चारों ग्रामों में आर.ओ. संयंत्र स्थापित कर वर्तमान में इन संयंत्रों से निर्धारित गुणवत्ता अनुरूप पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

उक्त चारों ग्राम पंचायत मुख्यालयों के ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट -अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। सतही जल स्रोत को लेकर किसी भी वृहत् पेयजल योजना का निर्माण, योजना हेतु आवश्यक जल आरक्षण, तकनीकी उपादेयता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही किया जाता है। तहसील चौमूं की उक्त चार ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं चौमूं नगरपालिका को सतही जल स्रोत बीसलपुर बांध से जोड़ने की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नावां में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना

12. श्री विजय सिंह (नावां): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्ष 2017-18 में कितने नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति दी गयी? कितने केन्द्रों के भवन बनाये गये? एवं कितने केन्द्रों के भवनों का विस्तार किया गया? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र नांवा में वर्ष 2017-18 में कौन कौनसे गांव, ढाणियों में नये आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये, कितने केन्द्रों के भवन बनाये गये एवं उन पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2017-18 में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे गांव एवं ढाणियों में नये केन्द्र खोलकर इसी वित्तीय वर्ष में

(श्री विजय सिंह)

भवन भी बनाये जाने प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेंज पर रखें।

(4) क्या सरकार बड़े गांवों में दो से चार आंगन बाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र नावां के कौन-कौन से गांवो में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2017-18 में 46 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति जारी की गयी। प्रदेश में नरेगा कन्वर्जेन्स के तहत वर्ष 2015-16 में 1262 केन्द्रों की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वर्ष 2016-17 में 1740 की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों का विस्तार नहीं किया गया है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2017-18 में विधान सभा क्षेत्र नांवा में कोई आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र नावां में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये जाते है। नावां विधान सभा क्षेत्र के बडे कस्बों में एक या एक से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सांगोद में नवीन एनिकटों के निर्माण की कार्ययोजना

13. श्री हीरालाल नागर (सांगोद): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में विधान सभा क्षेत्र सांगोद के चन्द्रावलां से कोटसुआं के मध्य एनिकट निर्माण हेतु 261 लाख एवं हिंगी-किशनपुरा के मध्य एनिकट निर्माण हेतु 151 लाख रुपये की घोषणा की गयी है? यदि हां, तो एक वर्ष उपरान्त भी उक्त घोषणा की क्रियान्विति नहीं करने के क्या कारण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) चन्द्रावलां से कोटसुआं के मध्य एवं हींगी से किशनपुरा के मध्य एनिकट निर्माण हेतु जन प्रतिनिधियों द्वारा घोषणा उपरान्त सरकार को लिखे गये पत्रों पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल नागर)

(3) क्या सरकार इस संबंध में की गई घोषणा के अनुरूप एनिकट निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) घोषणा के क्रियान्वयन हेतु चन्द्रावला डायवर्जन चैनल एवं हिंगी एनीकट के प्रस्ताव जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट (डी.एम.एफ.टी.) एवं महानरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिये गये है। स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) चन्द्रावला डायवर्जन स्कीम एवं हिंगी एनीकट निर्माण हेतु घोषणा उपरांत कार्यवाही अन्तर्गत लिखे गये पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। डी.एम.एफ.टी. तथा महानरेगा से स्वीकृति उपरांत आवश्यक कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के शहरों मे सेप्टिक लाइन डालने की कार्ययोजना

14. श्री म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के किन-किन शहरों में सीवरेज लाइन के बजाय सैप्टिक लाइन डालने की योजना सरकार के विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में मल व गाद का सैप्टिक प्रबंधन किस तरह किया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार स्थानीय निकायों को सेप्टेंक मेनेजमेंट की ट्रेनिंग देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य के जिन शहरों में सीवरेज व्यवस्था नहीं है, वहां फिकल स्लज एवं सैप्टेज मैनेजमेन्ट (Faecal Sludge & Septage Management) व्यवस्था लागू किया जाना प्रस्तावित है। जिसके तहत राज्य के 100 शहरों में फिकल स्लज एवं सैप्टेज मैनेजमेन्ट हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिये भारत सरकार की संस्था

(स्वायत्त शासन मंत्री)

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, नई दिल्ली तथा सीडीडी सोसाइटी, बैंगलोर के साथ अनुबन्ध किया गया है। वर्तमान में सीडीडी सोसाइटी, बैंगलोर द्वारा फिकल स्लज एवं सेप्टेज मैनेजमेन्ट हेतु राज्य के 50 शहरों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा रही है। जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) के अन्तर्गत प्रदेश की नगरीय निकाय सांभर, फुलेरा, लालसोट, खण्डेला, बांदीकुई, जोबनेर, डीग, कामां एवं पीलीबंगा में सीवरेज लाइन के बजाय फिकल स्लज एण्ड सेप्टेज (FSS) प्रबंधन का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। सांभर, फुलेरा, लालसोट एवं खण्डेला शहरों में बिल एण्ड मिलेन्डा गेट फाउन्डेशन के अन्तर्गत प्राप्त ग्रान्ट के माध्यम से कार्य किया जाना प्रस्तावित है। शेष शहरों को आरयूआईडीपी के चतुर्थ चरण में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

(2) फिकल स्लज एवं सेप्टेज मैनेजमेन्ट सिस्टम के तहत 100 शहरों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनवाई जाकर स्लज कलेक्शन एवं ट्रीटमेन्ट हेतु फिकल स्लज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाया जाना प्रस्तावित है। यह कार्य चौहदवें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत प्राप्त अनुदान एवं नगर निकायों के स्वंय के स्त्रोत से करवाये जाएंगें।

(3) राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, नई दिल्ली एवं सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के माध्यम से सेप्टेज मैनेजमेन्ट विषय पर नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये राज्य स्तर, संभाग स्तर एवं जिला स्तर पर विभिन्न कार्यशालाओं एवं शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया है। जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। आरयूआईडीपी के अन्तर्गत फिकल स्लज एण्ड सैप्टेज मैनेजमेन्ट (FSSM) व्यवस्था के तहत प्रस्तावित शहरों की स्वायत्तशासी संस्थाओं को फीकल स्लज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एफएसटीपी) का निर्माण पूर्ण किये जाने से पूर्व प्रबन्धन एवं संचालन का प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ऋण वितरण के निर्धारित लक्ष्य

15. श्री ललित कुमार (किशनगंज): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या वर्ष 2015-16 के बजट में सरकार द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 17500 करोड़ रुपये ऋण वितरण की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा हाल ही में जारी किये गये आदेश के तहत उक्त बैंकों को 20 प्रतिशत लक्ष्य कम कर 14000 करोड़ रुपये से अधिक ऋण वितरण नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया है। यदि हां, तो क्यो? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विभाग में एक ही जिले में लगभग 15 वर्षों से अधिक समय से कौन-कौन अधिकारी पदस्थापित हैं? क्या सरकार इनके स्थानान्तरण का विचार रखती है। यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या विभाग द्वारा किसी अधिकारी की पदोन्नति को नियम विरुद्ध मानते हुए आरोप पत्र जारी किया गया है? यदि हां, तो कब? क्या सरकार आरोपी अधिकारी को पदावनत कर व परिलाभों की वसूली करने व उक्त अधिकारी के आपराधिक कृत्य के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां तो, कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2015-16 में नाबार्ड द्वारा पुनर्भरण सीमा 50 प्रतिशत को घटाकर 40 प्रतिशत किये जाने के कारण केन्द्रीय सहकारी बैंकों के वित्तीय संसाधनों में हुई कमी के दृष्टिगत अतिरिक्त फण्ड की मांग की गयी थी। जिस पर वित्त विभाग द्वारा बजट घोषणा की क्रियान्विति हेतु सहकारी बैंकों के पास उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किये जाने तथा स्वीकृत ब्याज अनुदान राशि रुपये 370.00 करोड़ का उपयोग उसी अनुपात में किये जाने का परामर्श दिया गया। तदनुसार सहकारी बैंकों के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के पूर्व में आंवटित लक्ष्यों को संशोधित कर रुपये 14000 करोड़ के निर्धारित किये गये। आवंटित लक्ष्यों में संशोधन वित्त विभाग के परामर्श के अनुरूप निर्देशानुसार ही किया गया था।

(सहकारिता मंत्री)

प्रश्न में इंगित 14000 करोड़ रुपये से अधिक ऋण वितरण नहीं करने के आशय के कोई आदेश हाल ही में सहकारी विभाग स्तर से जारी नहीं किये गये है।

(2) सहकारिता विभाग में सहकारिता सेवा का कोई अधिकारी 15 वर्षों से एक ही जिले में पदस्थापित नहीं है।

(3) सहकारी विभाग की अधिकारी श्रीमती बीना बैरवा, उप रजिस्ट्रार द्वारा सहायक रजिस्ट्रार से उप रजिस्ट्रार के पद पर नियम विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आरोप पत्रादि कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 21.08.2015 को जारी किये जाने के पश्चात उक्त प्रकरण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 में परिवर्तित किया जाकर उक्त आरोप प्रमाणित नहीं किये जाने के फलस्वरूप कार्मिक (क-3/जांच) विभाग के आदेश दिनांक 04.11.2016 द्वारा समाप्त किया गया किन्तु कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी सन्तान उत्पन्न होना प्रमाणित होने के आधार पर दिनांक 28.10.2016 को आयोजित रिव्यू डीपीसी की बैठक द्वारा की गई अनुशंसा पर सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक प.4(7)सह/2015 दिनांक 10.08.2017 के द्वारा श्रीमती बैरवा को वर्ष 2010-11 में पदावनत करते हुए वर्ष 2015-16 में पदौन्नत किया गया। सहकारिता विभाग के आदेश दिनांक 10.08.2017 के विरुद्ध श्रीमती बीना बैरवा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट पिटिशन संख्या 14362/2017 में दिनांक 28.08.2017 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पर स्थगन आदेश पारित किये गये है।

बांदीकुई के गांवों में माडा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

16. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में जनजाति क्षेत्रों के विकास हेतु माडा योजना संचालित है? यदि हां, तो क्या उक्त योजनान्तर्गत बांदीकुई विधान

(श्रीमती अलका सिंह)

सभा क्षेत्र में गत दो वर्षों में कोई कार्य स्वीकृत किए गये है? हां, तो कहां-कहां पर, कितनी-कितनी राशि के? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्वीकृत कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? कार्य प्रारम्भ नहीं होने के क्या कारण रहे? क्या सरकार द्वारा इसकी जांच करवाई गई? यदि हां, तो कब व किस स्तर पर व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यदि हां। माडा जनजाति क्षेत्र विकास हेतु माडा योजना संचालित है। उक्त योजनान्तर्गत बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में गत दो वर्षों में निम्नानुसार 1 कार्य की स्वीकृति जारी की गयी:-

क्र. सं.	कार्य का विवरण	ग्राम का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1.	राजकीय बालक आश्रम छात्रावास, निहालपुरा में मरम्मत कार्य।	निहालपुरा	18.10

(2) उपरोक्त स्वीकृत कार्य, निहालपुरा आश्रम छात्रावास का मरम्मत कार्य प्रारम्भ होकर प्रगति पर है।

पश्चिमी राजस्थान में सी.एस.आर. फण्ड से कराये गये विकास कार्य

17. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर व नागौर जिले में तेल, गैस, कोयला, सौर ऊर्जा, पवन व ऊर्जा के क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियां भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत बनाए गये नियमों व अधिसूचनाओं के अनुसार सी.एस.आर. के दायरे में आती है? यदि हां, तो कौन कौनसी कंपनियां? नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में सरकार के किस विभाग द्वारा सी.एस.आर. फंड के व्यय की देखरेख की जाती है?

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(3) क्या यह सही है कि उक्त वर्णित जिलों में संचालित कंपनियों ने प्रदेश से प्राप्त राजस्व में से नियमानुसार सी.एस.आर. फंड का उपयोग उक्त संबंधित जिलों के विकास में पूर्ण रूप से व्यय नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(4) एक जनवरी, 2014 से 14 जनवरी, 2018 तक उक्त कंपनियों द्वारा कंपनी में गठित सी.एस.आर. समिति की सिफारिश पर उक्त जिलों में कितनी-कितनी राशि कहां-कहां व किन-किन कार्यों पर व्यय की गयी? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार ऐसी कम्पनियां जिनका वार्षिक आधार पर नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये या अधिक अथवा टर्नओवर 1000 करोड़ रुपये या अधिक अथवा शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपये या अधिक हो, सी.एस.आर. के दायरे में आती है। ऐसी सभी कम्पनियों को उनके विगत तीन वर्षों में अर्जित शुद्ध लाभ के औसत का 2 प्रतिशत विभिन्न कार्पोरेट सामाजिक दायित्वों में कम्पनी की सी.एस.आर. कमेटी द्वारा निर्धारित नीति अनुसार व्यय किये जाने का प्रावधान है।

यद्धपि सी.एस.आर. व्यय की सूचना सी.एस.आर. कम्पनियों द्वारा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की जाती है एवं भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सी.एस.आर. फण्ड के उपयोग पर राज्य सरकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है तथापि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर व नागौर जिले में तेल, गैस, कोयला, सौर ऊर्जा, पवन व ऊर्जा के क्षेत्रों में कार्यरत कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराई कई सूचना अनुसार उनके नाम व पते का विवरण परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है।

(2) प्रदेश में सी.एस.आर. फण्ड के व्यय की देखरेख किसी भी विभाग द्वारा नहीं की जाती है क्योंकि भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कम्पनियों के सी.एस.आर. फण्ड के उपयोग पर राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त नहीं है एवं सी.एस.आर. फण्ड के व्यय को सरकार द्वारा मानिटर किये जाने का भी कोई प्रावधान नहीं है।

(3) जैसाकि खण्ड 1 में ऊपर अंकित किया गया है, कम्पनियों को

(राज्य मंत्री, खान)

उनके विगत तीन वर्षों में अर्जित शुद्ध लाभ के औसत का 2 प्रतिशत विभिन्न कार्पोरेट सामाजिक दायित्वों में कम्पनी की सी.एस.आर. कमेटी द्वारा निर्धारित नीति अनुसार व्यय किये जाने का प्रावधान है। सी.एस.आर. नियमों के अन्तर्गत कम्पनियां जिस क्षेत्र में कार्यरत हो उसी क्षेत्र के विकास हेतु सी.एस.आर. गतिविधियां संचालित करे, ऐसा नियमों में प्रावधान नहीं है। खण्ड-1 में अंकित जिलों में संचालित सी.एस.आर. कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना अनुसार सी.एस.आर. गतिविधियों में व्यय की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट-ख में दर्शाया गया है।

(4) भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत कम्पनियां उनकी सी.एस.आर. कमेटी में लिये गये निर्णयानुसार सी.एस.आर. के तहत किये गये व्यय का विवरण रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित करती है। यद्धपि कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या 01/2016 दिनांक 12.01.2016 के बिन्दु संख्या 18 में यह स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि Government has no role to play in monitoring implementation of CSR by companies तथापि कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना अनुसार सी.एस.आर. व्यय की सूचना परिशिष्ट-ख पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लम्बित आवेदन

18. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में 31 दिसम्बर, 2017 तक किस-किस जिले में कुल कितने आवेदन वृद्धावस्था, विधवा व निशक्त पेंशन के कब से लम्बित हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदनों के लम्बित रहने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं व सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही, कब तक करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने लोगों को वृद्धावस्था, निशक्तजन, विधवा व एकल महिला पेंशन दी जा रही है? जिलेवार व श्रेणीवार संख्या

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार वृद्धावस्था, निशक्तजन, विधवा व एकल महिला पेंशन के लम्बित आवेदनों का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत प्रदेश में 31 दिसम्बर, 2017 तक पेंशन की वृद्वावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजन में लम्बित आवेदनो का जिलों से प्राप्त जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 1 पर सलंग्न है।

(2) पेंशन स्वीकृति का कार्य एक निरन्तर प्रक्रिया है, जिसमें कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन के लिये स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के पास आवेदन कर पेंशन स्वीकृत करवा सकता है। राजस्थान लोक सेवाओ के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2011 के तहत आवेदक के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर पूर्ण रूप से आवेदन भरा हुआ प्रस्तुत करने कि तिथि से भुगतान की कार्यवाही किये जाने के लिये अधिकतम 90 दिवस की कालावधि निर्धारित की गयी है। अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उक्त नियमो के तहत उत्तरदायित्व निर्धारित कर जुर्माना राशि निर्धारित किये जाने का प्रावधान है।

(3) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वर्तमान में प्रदेश में पेंशन वृद्वावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजन में पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों का विवरण परिशिष्ट 2 पर सलंग्न है।

(4) जी हां। सरकार पेंशन योजनाओं के आवेदनो को तय समय सीमा में निस्तारण हेतु प्रतिबद्ध है। इसके लिये प्रतिमाह V. C. से समीक्षा की जाती है। जिलों के Monthly Progress Report कार्ड में हर माह पेंशन योजनाओं को निस्तारण प्रतिशत के आधार पर ग्रेडिग की जाती है। पेंशन योजनाओं के लम्बित आवेदन पत्रों की नियमानुसार जांच कर उनका निस्तारण नियमों में वर्णित निर्धारित समय सीमा में करने हेतु समस्त जिला कलक्टर्स को समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते है। प्रति परिशिष्ट 3 पर सलंग्न है। शेष रह गये कुछ प्रकरणो का निस्तारण शीध्र ही कराया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पीलीबंगा में उच्चेवाला से केवलवाली ढाणी तक सड़क का निर्माण

19. श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत उच्चेवाला के चक 1 टी.के.डब्ल्यू. से 3 टी.के.डब्ल्यू. की ढाणियों के पास से केवलावाली ढाणी तक सड़क नही होने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क मार्ग का निर्माण कराने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हनुमानगढ़ जिले में उच्चेवाला नाम का कोई गांव नहीं है। चक 1 टी.के.डब्ल्यू. ग्राम पंचायत कान्हेवाला में आता है एवं चक 3 टी.के.डब्ल्यू. की ढाणियां ग्राम पंचायत उम्मेवाला में आती है। चक 1 टी.के.डब्ल्यू. एवं चक 3 टी.के.डब्ल्यू. (केवलावाली ढाणी) दोनों अलग-अलग दिशाओं से डामर सड़क से जुड़े हुए हैं, लेकिन चक 1 टी.के.डब्ल्यू. से चक 3 टी.के.डब्ल्यू. की ढाणियो के पास होते हुये केवलावाली ढाणी तक का रास्ता मिसिंग लिंक है।

(2) उक्त मिसिंग लिंक पर सड़क का निर्माण करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

प्रदेश में प्रति व्यक्ति पेयजल आपूर्ति की मात्रा बढ़ाने की कार्ययोजना

20. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्तमान में पेयजल हेतु प्रति व्यक्ति 33 लीटर पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा इस गणना में पशुओं को शामिल नही किये जाने से पानी उपलब्धता में कमी आती है। क्या सरकार प्रति व्यक्ति व पशुओं को शामिल करते हुए पानी की मात्रा बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी मात्रा व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कन्हैयालाल)

(2) प्रति व्यक्ति 33 लीटर पानी किस गणना के आधार पर उपलब्ध करवाया जा रहा है? क्या पानी की उपलब्धता के लिए इस गणना में गैर राजस्व गांव, ढाणियों व मजरों की जनसंख्या को भी शामिल किया गया है? यदि हां तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य के मरूस्थलीय जिलों के गांवों में (जहां पशुधन की अधिकता है व सतही जल स्रोत उपलब्ध नहीं हैं) स्थानीय भू-जल स्रोत से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं गैर-मरूस्थलीय जिलों के गांवों में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

राज्य में सतही जल स्रोतों में उपलब्ध पानी की सीमित मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय नीति निर्धारण समिति की 186वीं बैठक दिनांक 24.12.2010 में सतही जल स्रोत आधारित मरूस्थलीय जिलों के गांवों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं गैर-मरूस्थलीय जिलों के गांवों में 35 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया। ऐसे मरूस्थलीय एवं गैर-मरूस्थलीय जिलों में क्रमश: 15 एवं 5 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त जल, स्थानीय भू-जल स्रोतों से उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

राज्य में पेयजल की उपलब्ध सीमित मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल मात्रा को बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) उपरोक्त बिन्दु में वर्णित अनुसार पेयजल की मात्रा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। जल योजनाओं में पेयजल की अभिकल्पित मांग की गणना राजस्व गांवों की जनसंख्या के आधार पर की जाती है जिसमें ढाणी एवं मजरों की जनसंख्या सम्मिलित होती है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषाहार सामग्री की दरों में बढ़ोतरी की योजना

21. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गिर्राज सिंह)

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्म पोषाहार बनाये जाने हेतु समूहों को खाद्य सामग्री का निम्न दरों के अनुसार भुगतान किया जाता है- तेल 60 रु. प्रति किलो, गुड 32 रु. प्रति किलो, चावल 20 रु. प्रति किलो, दलिया 19 रु. प्रति किलो एवं लकडी 11 पैसे प्रति बालक/बालिका?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दरें बाजार भाव से बहुत ही कम हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वस्तुओं की दरें बढ़ाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जाने वाले गरम पूरक पोषाहार की दरों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय मापदण्डों के अनुरूप किया गया है।

(2) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले गरम पूरक पोषाहार की दरें बढ़ाये जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही पूरक पोषाहार की दरें बढ़ाये जाने की अधिसूचना जारी की जाएगी।

प्रदेश में यमुना के बाढ़ के पानी को लाने की कार्ययोजना

22. डा. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश की नदियों को जोड़ने की कोई योजना बनाई गयी है? यदि हां, तो कौन-कौनसी नदियों को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि यमुना के बाढ़ के पानी को राजस्थान में लाकर उपलब्ध बांध व झीलों को भरने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो इसकी क्या कार्य योजना है व इससे कौन-कौनसे जिले लाभान्वित होगें? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में नदियों को जोड़ने के अन्तर्गत दो योजनाएं बनाई गयी हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(जल संसाधन मंत्री)

(2) वर्षा काल में यमुना के पानी को ताजेवाला से झुन्झुनूं एवं चूरू जिलों में उपयोग के लिए लाने हेतु एक प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर नगर परिषद् में सफाई निरीक्षकों की नियुक्ति

23. श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर परिषद् श्रीगंगानगर की सीमा कितने वार्डों में विभाजित की गयी है तथा उक्त वार्डों में किन-किन अधिकारियों की सफाई निरीक्षकों के पद पर नियुक्ति की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वार्डों में सफाई से संबंधित कितनी शिकायतें वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2016-17 के मध्य प्राप्त हुईं तथा प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नगर परिषद् द्वारा श्रीगंगानगर में सफाई के लिए क्या-क्या प्रबंध किए गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या श्रीगंगानगर नगर परिषद् क्षेत्र में सफाई के लिए कोई बैठक आयोजित की गयी है? यदि हां, तो कब? बैठक की कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त नगर परिषद् में वर्तमान में कुल कितने कर्मचारी हैं? नाम, पद एवं उनके कार्यक्षेत्र सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त नगर परिषद् को वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक सफाई के लिए सम्पर्क पोर्टल से कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? प्राप्त शिकायतें एवं उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद्, श्रीगंगानगर की सीमा 50 वार्डों में विभाजित की गयी है, उक्त वार्डों में कार्यरत अधिकारियों की सफाई निरीक्षकों के पद पर पदस्थापितों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) नगर परिषद्, श्रीगंगानगर में वर्ष 2013-14 से शिकायत कक्ष स्थापित किया हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा दूरभाष पर शिकायत दर्ज करवाई जाती है। उस शिकायत का रजिस्टर में इन्द्राज किया जाकर मौके पर ही निस्तारण किया जाता है। रजिस्टर की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) नगर परिषद्, श्रीगंगानगर द्वारा 16 वार्डों में सफाई का कार्य ठेके के माध्यम से करवाया जा रहा है तथा शेष 34 वार्डों में नगर परिषद् के स्थाई सफाई सेवकों द्वारा दो पारियों में जमादारों, सफाई निरीक्षकों, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक व स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में सफाई कार्य सम्पादित किया जा रहा है। वार्डवार घर-घर कचरा संग्रहण हेतु 17 आटो टिप्पर, बिन लिफ्टर व 22 ट्रैक्टर ट्राली लगाये हुए है। इसके अतिरिक्त संग्रहित कचरे व नाले/नालियों की सिल्ट को डम्पिंग स्टेशन पर पहुंचाने हेतु 3 जेसीबी मशीन, 3 ट्रैक्टर ट्राली व 1 डम्पर लगाया हुआ है। पेशाबघर/शौचालयों की सफाई बाबत 1 जेटिंग मशीन तथा गन्दे पानी के आकस्मिक ठहराव को उठाये जाने हेतु 2 टैंकर अतिरिक्त लगाये हुए हैं।

(4) नगर परिषद्, श्रीगंगानगर में आयुक्त द्वारा समय-समय पर सफाई के लिये सफाई निरीक्षकों की बैठक ली जाती है। उक्त बैठक सतत प्रक्रिया के तहत होने के कारण बैठक कार्यवाही विवरण जारी नहीं किये गये है।

(5) नगर परिषद् श्रीगंगानगर में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण मय कार्य क्षेत्र का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(6) नगर परिषद्, श्रीगंगानगर में वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 में सफाई के लिए सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने की कार्ययोजना

24. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत 4 वर्षों में प्रदेश में किसानों को कुल कितना ऋण किस ब्याज दर पर दिया गया?

(श्री संदीप शर्मा)

(2) वर्तमान में किसानों पर कुल कितनी राशि का ऋण बकाया है?

(3) उक्त अवधि में सरकार द्वारा कितने किसानों का कर्ज माफ किया तथा कितने किसानों को ऋण में राहत दी गयी? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त सहकारी बैंकों द्वारा हाड़ौती संभाग के किसानों को कितना ब्याज मुक्त ऋण दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा विगत 4 वर्षों में प्रदेश के किसानों को दिये गये अल्पकालीन फसल ऋण की विगत निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**वर्ष**	**ऋण राशि (लाखों में)**	**ब्याज दर प्रतिशत**
1	2013-14	1683054.08	7.00
2	2014-15	1601735.94	7.00
3	2015-16	1544184.93	7.00
4	2016-17	1354046.44	7.00

अल्पकालीन फसली ऋण का समय या समय से पूर्व चुकारा करने पर कृषकों को भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय है अर्थात 7 प्रतिशत ब्याज दर के स्थान पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।

प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा विगत 4 वर्षों में कुल ऋण वितरण का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाखों) में

वर्ष	**ऋण वितरण**
वित्तीय वर्ष 2013-14	23161.52
वित्तीय वर्ष 2014-15	25565.12
वित्तीय वर्ष 2015-16	29611.29
वित्तीय वर्ष 2016-17	23196.21

इस अवधि में ये ऋण निम्नानुसार ब्याज दर पर उपलब्ध करवाये गये हैं:-

(सहकारिता मंत्री)

अवधि	**ब्याज दर प्रतिशत में**
01.04.2013-18.07.2013	13.75
19.07.2013-30.11.2013	14.00
01.12.2013-31.08.2014	14.10
01.09.2014-28.02.2015	13.10
01.03.2015-18.03.2015	12.90
19.03.2015-31.03.2015	12.80
01.04.2015-15.11.2015	12.80
16.11.2015-20.12.2015	12.60
21.12.2015-04.09.2016	12.40
05.09.2016-27.10.2016	12.30
28.10.2016-14.09.2017	12.10
15.09.2017 से आज दिनांक तक	11.70

(2) वर्तमान में केन्द्रीय सहकारी बैंकों का किसानों पर कुल 1177098.23 लाख राशि का ऋण दिनांक 31.12.2017 को बकाया है।

प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों का दिनांक 31.03.2017 को कृषकों की तरफ ऋण बकाया राशि रुपये 127509.19 लाख है।

(3) समय-समय पर विभिन्न सहकारी बैंको द्वारा एकमुश्त समझौता योजना के तहत ऋणी किसानो को ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज में राहत दी गयी है।

(4) हाडौती संभाग नामक कोई संभाग प्रदेश में नहीं है। तथापि गत 4 वर्षो में सहकारी बैंकों द्वारा कोटा संभाग के किसानों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में रिफाइनरी लगाने का एम.ओ.यू.

25. श्री रमेश (सपोटरा): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिस रिफाइनरी का शिलान्यास

(श्री रमेश)

जनवरी, 2018 में किया गया है उसका वर्ष 2013 में शिलान्यास किया जा चुका है? यदि हां, तो सरकार द्वारा पुन: शिलान्यास किये जाने के क्या कारण है?

(2) क्या यह सही है कि रिफाइनरी के लिए पूर्व में भी सरकार द्वारा एम.ओ.यू. किया गया था? यदि हां, तो एम.ओ.यू. की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2013 में रिफाइनरी की लागत क्या निर्धारित थी एवं उसमें राज्य का अंश कितना था एवं वर्तमान में रिफाइनरी की क्या लागत निर्धारित है व उसमें राज्य का अंश कितना निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान सरकार द्वारा किये गये एम.ओ.यू. एवं पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किये गये एम.ओ.यू. में क्या अन्तर है? नवीन एम.ओ.यू. की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा पुन: शिलान्यास न कराया जाकर, समस्त वैधानिक स्वीकृतियां, पर्यावरण अनापत्ति पत्र प्राप्त होने के पश्चात् 16 जनवरी, 2018 को HPCL राजस्थान रिफाइनरी लि. की रिफाइनरी परियोजना के कार्य का शुभारम्भ करवाया गया है। पूर्व में दिनांक 22 सितम्बर, 2013 को परियोजना का शिलान्यास किया गया था।

(2) जी हां। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा रिफाइनरी के लिए HPCL के साथ दिनांक 14.03.2013 को एमओयू किया गया था। एमओयू की प्रति परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है।

(3) वर्ष 2013 में Euro-III/IV श्रेणी की रिफाइनरी परियोजना की लागत रुपये 37,229 करोड थी, जिसमें राज्य सरकार की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी रखी गई। वर्तमान में BS-VI श्रेणी की रिफाइनरी लगाने की कुल लागत रुपये 43,129 करोड़ है एवं राज्य सरकार की 26 प्रतिशत भागीदारी हैं।

(4) वर्तमान सरकार एवं पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किये गये एमओयू की शर्तों में मुख्य अन्तर को परिशिष्ट- ख पर वर्णित किया गया हैं। एमओयू की प्रति परिशिष्ट- ग पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश के जनजाति उप योजना क्षेत्र में व्यय राशि

1. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में से कितनी प्रतिशत जनसंख्या जनजाति उप योजना क्षेत्र के अन्तर्गत आती है एवं उस पर राज्य के कुल बजट की कितनी प्रतिशत राशि व्यय की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1998-99 से 2003-04, 2004-05 से 2008-09, 2009-10 से दिसम्बर, 2017 तक कुल राज्य योजना की कितनी प्रतिशत राशि का जनजाति उप योजना क्षेत्र के लिए व्यय किया गया? वर्षवार व मदवार व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जनजाति क्षेत्र के लिए आवंटित राशि का उपयोग संबंधित विभागों द्वारा पूर्ण रूप से किया गया है? यदि हां, तो भौतिक उपलब्धियां क्या रही व नही तो पूर्ण उपयोग नहीं करने के क्या कारण रहे तथा भविष्य के लिये कौनसे सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में से 13.48 प्रतिशत जनसंख्या जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। वर्ष 2017-18 में राज्य के कुल बजट प्रावधान 8115797.38 लाख रु. में से 1117698.04 लाख रु. जनजाति प्रवाह के रूप में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में व्यय हेतु प्रावधान किया गया है जो राज्य योजना का 13.77 प्रतिशत है।

(2) वर्ष 1998-99 से 2003-04, 2004-05 से 2008-09, 2009-10 से दिसम्बर, 2017 तक कुल राज्य योजना की राशि का जनजाति उप योजना क्षेत्र के लिए किया गया व्यय प्रतिशत निम्नानुसार है:-

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

वर्ष	व्यय प्रतिशत
1998-99 से 2003-04	7.26
2004-05 से 2008-09	8.88
2009-10 से 2013-14	11.90
2014-15 से 2017-18 (दिसम्बर 17 तक)	13.83

वर्षवार व मदवार व्यय का विवरण परिशिष्ट- अ पर संलग्न है।

(3) सम्बन्धित विभागों द्वारा जनजाति क्षेत्र के लिए आवंटित राशि का उपयोग किया जा रहा है राज्य योजना अन्तर्गत जनजाति उप योजना मद हेतु राशि विभिन्न विभागों को उनके बजट मद में ही प्राप्त होती है एवं विभागीय बजट को उनके द्वारा किया जाकर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा रही है सम्बन्धित विभागो द्वारा जनजाति उप योजना मद में वर्ष 2013-14 से 2016-17 में भौतिक उपलब्धियों का विवरण परिशिष्ट - ब पर संलग्न है

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भारत माला योजना के तहत प्रदेश में स्वीकृत सड़कें

2. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या केंद्र सरकार ने नवम्बर, 2017 में भारत माला योजना के अंतर्गत प्रदेश में सड़कों के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है? यदि हां, तो कितनी राशि की? उक्त सड़कें किस-किस जिले में प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के लिये नवम्बर, 2017 में मिसिंग लिंक ग्रामीण सड़कें स्वीकृत की है? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितनी लंबाई की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.) (राजस्थान), जयपुर के पत्रांक भा.रा.रा.प्रा./21011/2/2016-क्षे.का.ज./ वि.स./3628 दिनांक 30.01.2018 द्वारा प्राप्त जवाब परिशिष्ट-1 पर संलग्न

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

है। एन.एच.ए.आई. द्वारा 10 सड़क परियोजनाओं की डी.पी.आर. कार्य किया जा रहा है जिनमें से 4 सड़क परियोजनाओं की डी.पी.आर. कार्य पूर्ण करने के उपरान्त जिनकी लम्बाई 772.953 किमी. एवं अनुमानित लागत 4301.59 करोड़ रुपये है, की निविदा दिसम्बर 2017 व जनवरी 2018 में आमंत्रित की गयी थी। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

जी हां। दिनांक 26.10.2017 को कैबिनेट सचिवालय द्वारा अम्ब्रेला प्रोग्राम स्वीकृत किया गया था। जिसे अपने पत्र क्रमांक सीसीईए/26/2017 (I) दिनांक 26.10.2017 को कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी किया गया एवं इसका संशोधित प्रोग्राम आफिस मैमोरेण्डम द्वारा दिनांक 21.12.2017 को जारी किया गया। जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा मिसिंग लिंक ग्रामीण सड़कों के लिए कोई स्वीकृति जारी नहीं की है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में गौरव पथ योजना के तहत स्वीकृत सड़कें

3. श्री हीरालाल नागर (सांगोद): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत 4 वर्षों में प्रदेश के किन-किन जिलों में ग्रामीण व शहरी गौरव पथ निर्माण स्वीकृत किये गये? विधान सभा क्षेत्रवार आवंटित बजट सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) उक्त अवधि में गौरव पथ के अतिरिक्त किन-किन जिलों में कितनी-कितनी सी.सी. सड़कें बनाई गयी? जिलेवार व कार्यवार आवंटित बजट व सड़क की लम्बाई सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में किन-किन जिलों में डामर सड़कों का निर्माण किया गया? व्यय राशि व सड़क की लम्बाई सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत 4 वर्षों में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत ग्रामीण व शहरी गौरव पथ कार्यों का विधान सभा क्षेत्रवार आवंटित बजट सहित विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) गत 4 वर्षों में गौरव पथ के अतिरिक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनवाई गयी सी.सी. सड़कों का विभागवार एवं कार्यवार बजट व सड़क की लम्बाई सहित विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(3) गत 4 वर्षों में विभाग द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन डामर सड़कों का व्यय राशि व सड़क की लम्बाई सहित विवरण परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में पेयजल हेतु ईसरदा बांध का निर्माण

4. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पेयजल हेतु ईसरदा बांध बनवाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? क्या इस संबंध में कोई सर्वे करवाया जा चुका है? यदि हां, तो कब? सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बांध के बनाने पर जो गांव व ढाणियां प्रभावित होंगी, क्या उनका सर्वे किया जा चुका है? यदि हां, तो उनको मुआवजा देने व अन्यत्र बसाने की सरकार की क्या योजना है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त योजना का कार्य आरम्भ हो चुका है? यदि हां, तो कहां-कहां पर व कार्य कब तक पूर्ण होना प्रस्तावित है तथा योजना से किस-किस क्षेत्र में कब तक पेयजल उपलब्ध करवा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जल संसाधन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार ईसरदा बांध के निर्माण हेतु वर्ष 2013-14 में सर्वे कार्य करवाकर तैयार की गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। जल संसाधन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार ईसरदा बांध बनाये जाने से प्रभावित गांव ढाणियों का सर्वे कार्य कराया जा चुका है, सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

विस्थापितों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति का सक्षम स्तर से अनुमोदन कर पुनर्वास हेतु भूमि आवंटन के संबंध में आवश्यक कार्यवाई की

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

जा रही है, विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है तथा प्रभावितों को मुआवजा देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जल संसाधन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार ईसरदा बांध निर्माण से संबंधित कार्यवाही के अंतर्गत निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, निविदा स्वीकृति उपरांत बांध का निर्माण कार्य तीन वर्षों में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो पानी का सदुपयोग करने के लिये ईसरदा बांध का निर्माण केवल पेयजल हेतु ही किया जाना है।

दौसा जिले के समस्त 5 शहर क्रमश: दौसा, बांदीकुई, बसवा, महुवा एवं लालसोट तथा वर्ष 2001 की जनगणनानुसार समस्त 1079 ग्रामों की पेयजल समस्या के दीर्घकालिक समाधान के अंतर्गत आधारभूत संरचनाओं एवं कलस्टर वितरण प्रणाली संबंधित कार्य कराये जाने की योजना प्रस्तावित है।

इस क्रम में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की स्टेट लेवल स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी (एस.एल.एस.एस.सी.) की बैठक संख्या 8 दिनांक 5 सितम्बर, 2012 द्वारा ईसरदा बांध से दौसा जिले के समस्त शहर/कस्बे एवं ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सर्वेक्षण कार्य एवं विस्तृत व्यवहारिक रिपोर्ट तैयार करने हेतु राशि रुपये 162.75 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी।

ईसरदा बांध से पेयजल आपूर्ति हेतु बांध निर्माण एवं भण्डारण क्षमता की गणना संबंधी संभाव्यता रिपोर्ट, बांध से जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु विकसित किये जाने वाले पेयजल तंत्र की संभाव्यता एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के प्रपत्र बनाने का कार्य मैसर्स वेपकोस लिमिटेड, गुड़गांव (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा किया जा रहा है तथा यह कार्य दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण करना अपेक्षित है।

वेपकोस की रिपोर्ट के अनुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजनाओं की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन के संबंध में वित्तीय संसाधनों की

(उच्च शिक्षा मंत्री)

उपलब्धतानुसार निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान आंकलन के अनुसार बांध के निर्माण के उपरांत आगामी तीन वर्षों में दौसा जिले के उक्त 5 शहर एवं 1079 ग्रामों को उक्त बांध से पेयजल उपलब्ध कराया जाना संभव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सहाड़ा के गांवों में संचालित पेयजल योजनाएं

5. डा. बालू राम चौधरी (सहाड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की तीनों पंचायत समिति क्रमश: सहाड़ा, रायपुर व सुवाणा की किस-किस ग्राम पंचायत के किस ग्राम में विभाग द्वारा पेयजल की योजना संचालित की जा रही है? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजनाओं को ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित 'जनता जल योजना' में तब्दील करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) 'जनता जल योजना' को संचालित करने में होने वाले व्यय का ग्राम पंचायतें किस प्रकार संकलित कर भुगतान करती है? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की पंचायत समिति सहाड़ा, रायपुर एवं सुवाणा में क्रमश: 112 ग्राम, 90 एवं 68, इस प्रकार कुल 270 ग्राम सम्मिलित हैं।

उक्त 270 ग्रामों में से 127 ग्रामों की पेयजल योजनाएं विभाग द्वारा तथा शेष 143 ग्रामों की पेयजल योजनाएं संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित एवं संधारित की जा रही हैं।

उक्त पंचायत समितियों में सम्मिलित ग्राम, ग्रामवार संचालित योजनाएं तथा संचालन व संधारण एजेन्सी संबंधी पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(2) उपरोक्तानुसार 143 ग्रामों की पेयजल योजनाओं में से 70 ग्रामों की पेयजल योजनाएं जनता जल योजना पैटर्न पर एवं 73 ग्रामों की पेयजल योजनाएं भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम स्तरीय जल एवं सुरक्षा प्लान (विलेज वॉटर सिक्योरिटी प्लान) के अंतर्गत संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित एवं संधारित की जा रही हैं।

विभाग द्वारा संचालित एवं संधारित 127 ग्रामों की पेयजल योजनाओं में से 95 ग्राम हैण्डपम्प योजनाओं से लाभान्वित हैं तथा शेष 32 ग्राम अन्य पेयजल योजनाओं से लाभान्वित हैं।

उक्त 32 ग्रामों में 11 ग्रामों की योजनाएं भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम जल एवं सुरक्षा प्लान (विलेज वॉटर सिक्योरिटी प्लान) के तहत स्वीकृत हैं जिनका संचालन एवं संधारण का कार्य वर्तमान में विभाग द्वारा अनुबंधक फर्मों से कराया जा रहा है।

अनुबंध अवधि की समाप्ति के पश्चात् ग्राम पंचायतों द्वारा दिये गये सहमति पत्र के अनुसार विभाग द्वारा इन योजनाओं को ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरित किया जाएगा। शेष 21 ग्रामों हेतु संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा अनुरोध प्राप्त होने पर उन्हें जनता जल योजना में संचालित करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

(3) पंचायती राज विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनता जल योजना के संचालन एवं संधारण होने वाले व्यय को ग्राम पंचायतें राज्य वित्त आयोग एवं चौदहवें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि से भुगतान करती हैं तथा मासिक राजस्व शुल्क राशि की वसूली ग्राम पंचायतों द्वारा उनके स्तर से की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

देवाता फीडर को पक्का करने हेतु अतिरिक्त राशि का आवंटन

6. श्री शंकर सिंह (ब्यावर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री शंकर सिंह)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के किसानों की महत्वपूर्ण मांग देवाता फीडर के निर्माण हेतु राशि रु. 8 करोड़ की स्वीकृति जारी की गयी है।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्वीकृत राशि से देवाता फीडर वर्तमान में कच्ची बनाई गयी है, जिससे भविष्य में मिट्टी धसने के कारण उक्त फीडर का उपयोग नहीं हो पायेगा?

(3) क्या सरकार उक्त फीडर को पक्का करने हेतु अतिरिक्त बजट जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में स्थित काबरा बांध को भरे जाने हेतु देवाता फीडर के निर्माण हेतु राशि रुपये 770 लाख स्वीकृत किये गये। कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य प्रगतिरत है।

(2) जी नहीं। देवाता फीडर अधिकांशत पहाडी की तलहटी में होने के कारण चट्टानों को काटकर बनाये जाने से फीडर का उपयोग हो सकेगा।

(3) जी नहीं। देवाता फीडर को अधिकांशत: चट्टानों को काटकर बनाये जाने से इसे पक्का किया जाना तकनीकी रूप से उपादेय/आवश्यक नहीं है।

अजमेर संभाग में सिंगल फेज व सोलर ऊर्जा आधारित ट्यूबवैल

7. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अजमेर संभाग में 1 जनवरी, 2013 से 14 जनवरी, 2018 तक सरकार द्वारा कितने सिंगल फेज व सोलर ऊर्जा आधारित ट्यूबवैल खोदे गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ट्यूबवैलों के रख-रखाव हेतु किस फर्म को अधिकृत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समयावधि में रख-रखाव हेतु सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस-किस कम्पनी या फर्म को दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(4) उक्त समयावधि में खोदे गए ट्यूबवैलों की वर्तमान स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर संभाग के जिला अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर एवं टोंक में दिनांक 1 जनवरी, 2013 से 14 जनवरी, 2018 की अवधि में कुल 1588 सिंगल फेज नलकूप एवं सौर ऊर्जा आधारित 95 बोरवेल मय डी-फ्लोरिडेशन यूनिट का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।

स्थानवार एवं जिलेवार पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त सिंगल फेज नलकूप एवं सौर ऊर्जा आधारित बोरवेल मय डी-फ्लोरिडेशन यूनिट के रख-रखाव का कार्य निष्पादनकर्ता अनुबंधक फर्म द्वारा किया गया है। कार्यवार अनुबंधक फर्म संबंधी वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(3) उक्त वर्णित समयावधि में सिंगल फेज नलकूपों के रख-रखाव हेतु राशि रुपये 134.56 लाख का भुगतान संबंधित अनुबंधक फर्मों को किया गया। इस अवधि में सौर ऊर्जा आधारित बोरवैल मय डी-फ्लोरिडेशन यूनिट के रख-रखाव पर कोई भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान संबंधी विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(4) उक्त वर्णित समयावधि में निर्मित किये गये 1588 सिंगल फेज नलकूप में से 1295 नलकूप क्रियाशील, 285 नलकूप विभिन्न कारणों से बंद तथा शेष 8 नलकूप वर्तमान में परित्यक्त हैं।

इसी प्रकार सौर ऊर्जा आधारित निर्मित समस्त 95 बोरवैल मय डी-फ्लोरिडेशन यूनिट योजनाओं अंतर्गत वर्तमान में चालू अवस्था में हैं। पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पीलीबंगा के किसानों को ब्याजमुक्त फसली ऋण

8. श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार प्रदेश के किसानों को वर्तमान में बिना

(श्रीमती द्रोपती)

ब्याज फसली ऋण दिया जा रहा है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में जनवरी, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक कितने किसानों को कितना-कितना ऋण दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक कुल 18356 सदस्यों को 12009.98 लाख रुपये का अल्पकालीन फसली ऋण दिया गया है। अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक का ऋण किसानों को दिया गया है।

प्रदेश के सरकारी छात्रावासों के लिए न्यूनतम मानदण्डों का निर्धारण

9. श्री रमेश (सपोटरा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी छात्रावासों की जांच कराई गयी है? यदि हां, तो कब? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश के अधिकांश सरकारी छात्रावासों की स्थिति अत्यन्त खराब पाई गयी है? यदि हां, तो उक्त की स्थिति सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सभी छात्रावासों के लिए न्यूनतम मानदंड निर्धारित कर उनकी अनिवार्य रूप से पालना कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विभाग के सरकारी छात्रावासों का स्व मूल्याकन करवाया गया है। यह पहली बार विभाग के आदेश क्रमांक 54640-74 दिनांक 14.09.2017 द्वारा A to Z प्रारूप तैयार कर स्वय (छात्रावास अधीक्षक) से छात्रावासों में गुणात्मक सुधार हेतु मूल्याकंन करवाया गया जिसको Mentor /जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

किया गया जिसके अन्तर्गत छात्रावासो को A+, A, B, C एवं D श्रेणी में रखा गया। आदेश एवं स्व मूल्याकन प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट अ पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। प्रदेश में अधिकाश छात्रावासों की स्थिति अत्यन्त खराब नही है। छात्रावासों की स्थिति सुधारने के लिये निम्न आदेश जारी कर सुधार के निरन्तर प्रयास किये जा रहे है:-

1. A to Z प्रारूप में छात्रावास स्वमूल्यांकन प्रपत्र के माध्यम से प्रतिमाह मानिटरिग करवाना।
2. छात्रावास अधीक्षक एवं चौकीदार का छात्रावास में निवास करना सुनिश्चित किया जाना।
3. वाट्स अप मैसेज ग्रुप पर छात्रावास अधीक्षक एवं छात्र-छात्राओ की उपस्थिति भेजना।
4. राजधारा एप का प्रयोग करते हुये छात्रावास निरीक्षण की स्थिति प्रेषित करना।
5. छात्रावासों मे सुझाव पेटिका लगवाना।
6. छात्रावासो के देखरेख, सारसंभाल एवं गुणात्मक सुधार हेतु प्रभारी अधिकारी (Mentor) नियुक्त किये गये।
7. छात्रावासो में अभिभावक बैठको का आयोजन करना।
8. छात्रावास विकास एवं प्रबन्ध समिति का गठन करना।
9. प्रतिमाह की 5 तारीख को छात्रावास अधीक्षको एवं जिलाधिकारी की मासिक समीक्षा बैठको का आयोजन करना।

विभाग द्वारा जारी किये गये विभिन्न आदेशो की प्रतियां परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों के संचालन के लिये न्यूनतम मापदण्ड निर्धारित कर पालना कराई जाती है। छात्रावासों को विभाग द्वारा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम 2012 एवं विभाग के मापदण्डो की पालना करना आवश्यक है। जिसकी प्रति एवं छात्रावासों की स्थिति सुधार करने हेतु समय समय पर जारी किये गये आदेशो की प्रतिया परिशिष्ट- ब पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नवलगढ़ में सुराज संकल्प 2013 के तहत कराये गये कार्य

10. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सुराज संकल्प 2013 में विभाग से संबंधित क्या-क्या संकल्प/घोषणाएं की गयी थीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संकल्प/घोषणाओं में से किस-किस संकल्प/घोषणा पर अब तक क्या-क्या व कितना-कितना कार्य किया गया और उस पर कितनी राशि व्यय कर कितने प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की गयी? प्रत्येक संकल्प/घोषणावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सुराज संकल्प 2013 में शामिल अनेक संकल्प/घोषणाओं पर अब तक कोई कार्य नहीं हुआ है या लक्ष्य के मुकाबले आंशिक कार्य होने के कारण आम जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संकल्प/घोषणाओं की क्रियान्विति नहीं कराने वाले विभागीय अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2013 तथा 1 जनवरी, 2014 से 15 जनवरी, 2018 तक विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में विभाग से संबंधित किन-किन योजनाओं में कितनी राशि व्यय की गयी? योजनावार कार्यों तथा व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) परिशिष्ट- अ पर उपलब्ध है।

(2) परिशिष्ट- ब पर उपलब्ध है।

(3) सुराज संकल्प 2013 में शामिल संकल्प/घोषणाओं की क्रियान्विति के लिये निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

(4) परिशिष्ट- स पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कुचामन सिटी में अनुसूचित जाति के छात्रावास की स्थापना

11. श्री विजय सिंह (नावां): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री विजय सिंह)

(1) क्या यह सही है कि सरकार विधान सभा क्षेत्र नावां के कुचामन सिटी में अनुसूचित जाति का छात्रावास स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी लागत से तथा कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार कुचामन अथवा नावां शहर में वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम व नि:शक्तजनों हेतु विद्यालय एवं छात्रावास बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी लागत से व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नावां के शहर नावां एवं कुचामन सिटी मे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निम्नाकित दो अनुसूचित जाति बालक छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं:-

नाम छात्रावास	**स्वीकृत क्षमता**	**प्रवेशित क्षमता 2017-18**
राजकीय अम्बेडकर छात्रावास कुचामन सिटी (नागौर)	50	50
राजकीय अम्बेडकर छात्रावास नावां (नागौर)	50	50

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा कुचामन अथवा नावां शहर में वृद्धाश्रम बनवाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है। विभाग द्वारा स्वयसेवी संस्थाओं के माध्यम से वृद्धाश्रम संचालन हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति जारी की गयी जिसके क्रम में प्राप्त प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है तथा विभाग द्वारा विधवा महिलाओं हेतु पृथक से कोई विधवाश्रम संचालित नही किया जाता है। राज्य स्तर पर राज्य महिला सदन जयपुर एवं सम्भाग मुख्यालयो पर नारी निकेतनों का संचालन किया जा रहा हे जिनमें विधवा महिलाओं को भी रखे जाने का प्रावधान है।

वर्तमान में नागौर जिला मुख्यालय पर विशेष योग्यजनों के पुनर्वास हेतु एक गैर आवासीय विद्यालय (मूक बधिर) एवं एक मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह तथा जिले की लाडनूं तहसील मुख्यालय पर एक मूक बधिर एवं

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

नेत्रहीन आवासीय विद्यालय का संचालन स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से करवाया जा रहा है।

विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं का विद्यालय एवं मानसिक विमंदित पुनर्वावास गृह के संचालन हेतु जिला कलक्टर की अभिशंसा के प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध करवाये जाने पर उक्त प्रस्ताव के संबध में राज्य स्तरीय अनुदान समिति के निर्णय अनुसार विद्यालय एवं मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह स्वीकृत किये जाने संबधी कार्यवाही की जाती है।

स्वच्छ भारत अभियान के तहत श्रीगंगानगर जिले में शौचालयों का निर्माण

12. श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर परिषद/नगरपालिका क्षेत्रों में "सामुदायिक शौचालयों" का निर्माण करवाया जा रहा है? यदि हां, तो श्रीगंगानगर जिले में इस हेतु गत तीन वर्षों में कितनी राशि स्वीकृत की गयी? नगर परिषद/नगरपालिका क्षेत्रवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में अब तक कुल कितने सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है? नगर परिषद/नगरपालिका क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर जिले में सामुदायिक शौचालय निर्माण के संबंध में सरकार को अनेक जगह से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त शौचालयों की स्वीकृति कब तक जारी कर दी जाएगी?

उत्तर

(1) जी हां। श्रीगंगानगर जिले की नगरीय निकायों को सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) श्रीगंगानगर जिले की नगरीय निकायों में सामुदायिक शौचालयों के

(स्वायत्त शासन मंत्री)

निर्माण हेतु स्वीकृत की गई राशि के विरुद्ध निर्माण किये गये शौचालयों का विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(3) जी नहीं। श्रीगंगानगर जिले की नगरीय निकायों द्वारा सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु वर्तमान में कोई प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रिंग रोड से प्रभावित किसानों को विकसित भूमि का आवंटन

13. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि रिंग रोड़ बनाने के लिए जिन काश्तकारों की जमीन अवाप्त की गयी थी उनको 25 प्रतिशत विकसित भूमि के पट्टे जारी करने का प्रावधान किया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि सभी काश्तकारों को पट्टे जारी कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो शेष काश्तकारों को अब कब तक पट्टेजारी कर दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण के रिंग रोड में आने वाले पट्टे से शेष काश्तकारों की जोनवार स्थिति निम्न प्रकार है:-

जोन-09 के क्षेत्राधिकार में कुल 426 काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गयी थी। जिनमें से 401 काश्तकारों को आरक्षण पत्र जारी कर 1971 पट्टे जारी किये जा चुके है। आवंटन से शेष रहे 25 काश्तकारों को परिशिष्ट-1 अनुसार वर्णित कारणों के समाधान पश्चात पट्टे जारी किये जा सकेंगे।

जोन-10 के क्षेत्राधिकार में कुल 130 काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गयी थी, जिसमें से 125 काश्तकारों को पट्टे जारी किये गये है, अब शेष 5 काश्तकारों को पट्टे जारी नहीं किये गये हैं। ऐसे काश्तकारों को अवाप्तशुदा भूमि के नकद मुआवजे का निर्धारण कर सिविल न्यायालय में चैक जमा करवाये जा चुके है, विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

जोन-11 के क्षेत्राधिकार में कुल 648 काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गयी

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

थी, जिसमें से 565 काश्तकारों को पट्टे जारी किये गये है, जिसमें से शेष 83 काश्तकारों को पट्टे जारी नहीं किये गये है, सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। जिसके कारण इनमें से 21 काश्तकारों के द्वारा पट्टे हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन नहीं करने के कारण तथा 62 काश्तकारों ने निर्धारित समयावधि में विकसित भूमि आवंटन हेतु विकल्प पत्र व जविप्रा के पक्ष में भूमि समर्पित नहीं की, जिसके कारण इनकी मुआवजा राशि का चैक माननीय सिविल न्यायालय में जरिये चैक जमा है, विवरण परिशिष्ट 4 व 5 पर संलग्न है।

जोन-14 के क्षेत्राधिकार में कुल 1343 काश्तकारों की भूमि रिंग रोड में अवाप्त की गयी थी। जिनमें से 1239 काश्तकारों द्वारा जविप्रा पक्ष में भूमि समर्पित की गयी। अब तक अवाप्त भूमि के कुल 1343 काश्तकारों में से 1018 काश्तकारों को पट्टे जारी किये जा चुके हैं, शेष 325 काश्तकारों को पट्टे जारी नहीं किये गये है, जिनमें से 221 काश्तकारों द्वारा निर्धारित प्रारूप/प्रक्रिया में आवेदन प्रस्तुत नहीं करने से पट्टे जारी नहीं किये गये हैं एवं 104 काश्तकारों ने निर्धारित समयावधि में विकसित भूमि आवंटन हेतु विकल्प पत्र/समर्पण जविप्रा में प्रस्तुत नहीं किये है। इस कारण से इनकी मुआवजा राशि के चैक जरिये रेफरेन्स माननीय सिविल न्यायालय में जमा कराये गये हैं, विवरण परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

यह भी उल्लेखनीय है कि जोन-11 के 62 एवं जोन-14 के 104 काश्तकारों ने जविप्रा के पक्ष में भूमि का समर्पण नहीं किया है एवं मुआवजे की राशि का भुगतान प्राप्त नहीं किया है, उनके द्वारा अब 25 प्रतिशत विकसित भूमि का विकल्प प्रस्तुत करने पर भूखण्डों के पट्टे जारी किये जाने संबंधी बिन्दु पर जविप्रा की ओर से नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार से जरिये पत्र क्रमांक डी-4420 दिनांक 11.09.2017 द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया है, जो प्राप्त होने पर इन काश्तकारो को पट्टे जारी करने की कार्यवाही की जा सकेगी। आदेश की प्रति परिशिष्ट-7 पर संलग्न है। शेष काश्तकारों द्वारा पट्टे हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर नियमानुसार पट्टे जारी करने की कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगर विकास न्यास अलवर द्‌वारा अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

14. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर विकास न्यास अलवर द्‌वारा विज्ञान नगर एवं शालीमार आवासीय योजनाओं में कुल कितनी-कितनी भूमि का अधिग्रहण किस-किस काश्तकार/खातेदार से किया गया? काश्तकार/खातेदार के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) उक्त नगर विकास न्यास द्‌वारा उक्त योजनाओं में काश्तकारों/खातेदारों से अधिगृहीत की गयी भूमि के मुआवजे के तहत कितने एवं किस-किस काश्तकार को किस-किस माप के कितने-कितने एवं कौन-कौनसे विकसित भूखण्ड दिये गये? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बिन्दु संख्या-1 से संबंधित सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) बिन्दु संख्या-2 से संबंधित सूचना परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। संबंधित काश्तकारों से विकसित भूमि दिये जाने बाबत विकल्प मांगे गये विकसित भूमि के विकल्प प्राप्त होने पर न्यास अलवर द्‌वारा उक्तानुसार आवासीय भूखण्ड आवंटित किये गये हैं। व्यावसायिक भूमि आवंटन की कार्यवाही की जा रही है। जिन काश्तकारों के विकल्प प्राप्त नहीं हुए हैं या स्वामित्व को लेकर विवाद है, उन मामलों में रेफरेन्स की कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आमेर के गांधी चौक सर्किल से अतिक्रमण हटाने की योजना

15. डा. मंजू बाघमार (जायल): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि आमेर स्थित गांधी चौक सर्किल के आस-पास अतिक्रमण होने के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या से आने वाले पर्यटकों एवं स्थानीय निवासियों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

आमेर स्थित गांधी चौक सर्किल के आस-पास बस स्टैण्ड होने के कारण रोडवेज बस व प्राईवेट बसें संचालित होती हैं, जिसके कारण भीड़-भाड़ होती है व गांधी चौक के आस-पास कुछ दुकानदारों द्वारा दुकानों के बाहर अस्थायी अतिक्रमण किये हुए थे, जिन्हें नगर निगम, जयपुर द्वारा हटा दिया गया है।

दौसा के गेटोलाव झील के विकास हेतु स्वीकृत राशि

16. श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दौसा के गेटोलाव को झील प्राधिकरण एवं संरक्षण समिति से जोड़ने के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार गेटोलाव को उक्त समिति से जोड़कर इसके विकास हेतु वित्तीय राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जिला स्तरीय झील (संरक्षण एवं विकास) समिति दौसा से नियमानुसार अधिसूचना हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात अग्रीम कार्यवाही करने बाबत विचार किया जा सकेगा।

कोटा संभाग के राजकीय मन्दिरों का जीर्णोद्धार

17. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) हाड़ौती संभाग के कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ जिले में विभाग के अधीन कितने मंदिर सूचीबद्ध हैं? उक्त मन्दिरों में कौन-कौनसे स्तर के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मंदिरों से गत 4 वर्ष में सरकार को किस-किस मद में

(श्री भवानी सिंह राजावत)

कितनी आय प्राप्त हुई? जिलेवार मन्दिरवार विवरण सदन की मेज पर रखे।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सूचीबद्ध मंदिरों से विभाग को जितनी आय होती है, उतनी राशि उन मंदिरों के विकास और जीर्णोद्धार पर खर्च नहीं की जाती है? यदि हां, तो गत 4 वर्षों में विभाग द्वारा हाड़ौती संभाग के किन-किन मंदिरों में कितनी-कितनी राशि से जीर्णोद्धार/विकास कार्य करवाये गये? मंदिरवार स्वीकृत राशि और कार्य की प्रगति रिपोर्ट सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त संभाग में पुरामहत्व के कई प्राचीन मंदिर व देवालय हैं, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच गये हैं और इनका जीर्णोद्धार कर दिया जाए तो वे बडे धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सकते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार जर्जर मंदिरों की मरम्मत कर धार्मिक पर्यटन को बढावा देने के लिए कोई कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हाड़ौती संभाग के कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ जिले में देवस्थान विभाग के अधीन सूचीबद्ध कुल निम्नानुसार मंदिर हैं:

क्र. सं.	जिला	रा.प्र.प्र	आ.नि.	सुदुर्दगी	योग
1	कोटा	23	01	0	24
2	बूंदी	9	6	1	16
3	झालावाड़	6	8	0	14
4	बारां	4	2	0	6
	योग	42	17	1	60

इनमें स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 1 संलग्न है। पुजारी एवं सेवागीर के रिक्त पदों को भरने के लिए परीक्षा आयोजित हो चुकी है, जिसका परिणाम आना शेष है।

(2) उक्त मंदिरों से गत 4 वर्षों से प्राप्त आय का मदवार विवरण परिशिष्ट 2 संलग्न है।

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

(3) राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों से प्राप्त आय राजकीय कोष में व निजी मंदिरो से प्राप्त आय निजी निक्षेप खाते में जमा करायी जाती है। उन मंदिरो के विकास एवं जीर्णोद्धार पर बजट प्रावधान अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अनुरूप व्यय किया जाता है। गत 4 वर्षों में देवस्थान विभाग द्वारा हाड़ौती संभाग के मंदिरों के जीर्णोद्धार/ विकास कार्य करवाये गये, मंदिरवार स्वीक़त राशि ओर कार्य की प्रगति रिपोर्ट सहित पूर्ण विवरण परिशिष्ट 3 संलग्न है।

(4) जी हां। देवस्थान द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित पुरामहत्व के मंदिरों व देवालयों का समय- समय पर जीर्णोंद्धार कराया जा रहा है। वित्तीय उपलब्धता अनुसार देवस्थान विभाग द्वारा कोटा संभाग के मंदिरो के लिए जो राशि स्वीक़त की गयी है। उसका विवरण परिशिष्ट 3 संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मालपुरा के आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण

18. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की किन-किन ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी स्वीकृत हैं किन्तु अधिकांश के भवन नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की आंगनबाड़ी केन्द्रों से वंचित ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के अन्तर्गत 56 ग्राम पंचायतों में 350 आंगनबाड़ी केन्द्र, मालपुरा नगरपालिका क्षेत्र में 22 एवं टोडारायसिंह नगरपालिका क्षेत्र में 15 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। जिनमें से 56 ग्राम पंचायतों में स्वीकृत 350 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 198 आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय भवनों में तथा 152 आंगनबाड़ी केन्द्र अन्य सरकारी एवं किराये के

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)
भवनों में संचालित है।

मालपुरा नगरपालिका क्षेत्र में स्वीकृत 22 आंगनबाड़ी केन्द्र सरकारी एवं किराये के भवनों में एवं टोडारायसिंह नगर पालिका क्षेत्र में स्वीकृत 15 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 01 आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय भवन में, शेष 14 आंगनबाड़ी केन्द्र सरकारी एवं किराये के भवनों में संचालित है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायतीराज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से भूमि आवंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के समस्त 56 ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं तथा संचालित हैं।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों के तहत जारी नोटिस

19. श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में फरवरी, 2017 व मार्च, 2017 में तत्समय प्रभावी राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम संख्या 37 (एन) के तहत जारी नोटिसों की अवहेलना करने वाले खान मालिकों के विरुद्ध वर्तमान में प्रभावी राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार गत एक वर्ष में की गई कार्यवाही का जिलेवार, तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नोटिसों की अवधि कितने दिनों की होती है तथा नोटिस अवधि समाप्ति के पश्चात् नियमों में क्या कार्यवाही करने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1 फरवरी, 2017 से 31 मार्च, 2017 तक राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 37 (एन) के तहत राज्य में कुल 4283 पट्टेधारियों को नोटिस जारी किये गये। पट्टेधारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का जिलेवार, तिथिवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(राज्य मंत्री, खान)

(2) नोटिस की अवधि 15/45 दिवस की होती थी अर्थात् 15 दिवस में पालना करने पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है एवं 15 दिन के पश्चात् व 45 दिवस के भीतर पालना करने पर शास्ति का प्रावधान है। 45 दिवस के पश्चात् भी पालना नहीं करने पर खनन पट्टा खण्डित करने का प्रावधान है परन्तु उक्त 45 दिवस की अवधि पश्चात् एवं खनन पट्टा खण्डित करने से पूर्व यदि पालना कर दी जाती है तो भी शास्ति का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट द्वारा जारी स्वीकृतियां

20. श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट, भीलवाड़ा द्वारा गवर्निंग कौंसिल एवं मैनेजिंग कमेटी द्वारा ट्रस्ट कोष से निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु स्वीकृतियां जारी की गयी है? यदि हां, तो ऐसी कितनी स्वीकृतियां जारी की गयी हैं, जिनमें प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृतियां किन-किन विकास/निर्माण कार्यों हेतु जारी की गयी हैं? उनकी कार्यकारी एजेन्सी और स्वीकृत राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी हो जाने के पश्चात् भी तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियों के लिए प्रकरण विचाराधीन हैं? यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट की गवर्निंग काउंसिल एवं मैनेजिंग कमेटी द्वारा ट्रस्ट कोष से कुल 1752 निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु स्वीकृतियां जारी की गयी हैं। उक्त स्वीकृत कार्यों में से 221 कार्यों में प्रशासनिक, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जा चुकी हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(राज्य मंत्री, खान)

(2) प्रश्न के क्रम संख्या-1 के उत्तर में वर्णित कार्यों की कार्यकारी एजेन्सी एवं स्वीकृत राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। जिन कार्यों हेतु प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं परन्तु जिन कार्यों की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां विचाराधीन हैं, उनका विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश की खानों में भारी मशीन के उपयोग की अनुमति

21. श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि खानों में खनन कार्य हेतु भारी मशीनों के उपयोग से पूर्व धात्विक खान विनियिम 1961 के विनियम 106(2)(बी) के तहत खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा लिखित में अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय की लिखित में अनुमति में जारी शर्तों के पालन के पश्चात् ही खनन कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है?

(2) प्रदेश में वर्तमान में कितने खान मालिकों ने उपरोक्त भारी मशीनों के उपयोग की अनुमति प्राप्त कर रखी है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या भारी मशीनों के आपरेटरों को खान वोकेशनल ट्रैनिंग नियम 1966 के प्रावधानों के तहत ट्रैनिंग प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है?

(4) प्रदेश में कितनी खानों में भारी मशीन ओपरेटरों ने उपरोक्त ट्रैनिंग प्रमाण पत्र ले रखा है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि खानों में भारी मशीनों के द्वारा खनन कार्य करने से पूर्व धात्विक खान विनियम, 1961 के विनियम 106(2)(बी) के तहत भारत सरकार के खान सुरक्षा महानिदेशालय से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। उक्त अनुमति में अंकित शर्तों की पालना करते हुए ही भारी मशीनों से खनन कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है।

(2) राज्य में 1243 पट्टेधारियों ने भारी मशीनों के उपयोग की

(राज्य मंत्री, खान)

अनुमति प्राप्त कर रखी है, जिलेवार संख्या का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। भारी मशीनों के आपरेटरों को खान वोकेशनल ट्रैनिंग नियम 1966 के प्रावधानों के तहत ट्रैनिंग प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है।

(4) प्रदेश में 67 खानों में भारी मशीनों के 3186 आपरेटरों ने वोकेशनल ट्रैनिंग प्रमाण पत्र प्राप्त कर रखे हैं, जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)